खण्ड-378, अंक-6
शुक्रवार, 14 भाद्रपद, शक संवत् 1908
(5 सितम्बर, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1986)

खण्ड 378 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
रूड़की विश्वविद्यालय, रुड़की का वार्षिक लेखा वर्ष 1983–84 एवं महा-लेखाकार का सम्परीक्षित वार्षिक लेखा (सदन के पटल पर रखा गया) ..	115
भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1983–84 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)	115–116
बुढाना काण्ड जांच आयोग की रिपोर्ट (31 जनवरी, 1986) (सदन के पटल पर रखी गयी)	116
कोटद्वार, पौढ़ीगढ़वाल जांच आयोग की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)	116
नगर विकास, नगर विकास अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 222/नौ-2-86-3(18)डब्लू0एस0आर0 85 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	116
नगर विकास, नगर विकास अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 530/9-2-86–119–81 (सदन के पटल पर रखी गयी)	116
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	116
उत्तर प्रदेश नगर पालिका विधेयक, 1986 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	116–117
उत्तर प्रदेश विनियोग (1986–87 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	117
पूर्वी उत्तर प्रदेश की छः चीनी मिलों को बन्द किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	117–122
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	122–150
लोक सभा एवं विधान सभा के निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु संकल्प (अस्वीकृत)	150–159
प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में निरन्तर बढ़ते हुए घाटे और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी) ..	159–160
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अध्यादेश, 1986 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1986 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	160–168
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1986 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) (विधेयक, 1986 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	168–181
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1986 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	181–189
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	189
उत्तर प्रदेश खाद्य एवं दवाई नियन्त्रक के पद पर डा0 एम0सी0 बिन्दल की नियुक्ति के सम्बन्ध में वक्तव्य	189–198
विशेषाधिकार की सूचनाओं के सम्बन्ध में निर्णय	198
कार्य सूची की मद संख्या 36 को किसी दूसरे दिन लिए जाने की मांग ..	198
नत्थियां	199–215

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर, 1986

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
कृष्ण कुमार, श्री	फैजाबाद
कृष्ण दत्त उर्फ बालराज, श्री	फतेहपुर
कृष्णा रावत, कुमारी	लखनऊ
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
पूरन सिंह माहरा, श्री	अल्मोड़ा
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
प्रमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मसूद खां, श्री	आजमगढ़
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

सदन में विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के साथ घटी घटना के सम्बन्ध में खेद प्रकाश

श्री अध्यक्ष–

कल हमारे बहुत से माननीय सदस्य, सदस्यगण प्लोर में आ गए और उन्होंने फाइलें और इसी किस्म की चीजों को फेंकना शुरू कर दिया । यह बेइन्तहाई अफसोस और शर्म की बात है। उससे हमारे जो स्टाफ वाले हैं, उनके चोट भी लगी । मैं अनुरोध करूंगा कि इस किस्म की कोई भी घटना आइन्दा नहीं होनी चाहिए।

श्री मैनेजर सिंह–

हम सब और स्टाफ परिवार के लोग हैं। इसका हमें दुःख है। हम लोग और सदस्यगण उससे दुखी हैं।

श्री अध्यक्ष–

धन्यवाद।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय लाटरी को बन्द करने का कथित विचार

**1–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या सरकार उ0 प्र0 में लाटरी के टिकटों में निरन्तर गड़बड़ी एवं इनामों में बराबर बढ़ते हुए घोटालों को देखते हुए यू0 पी0 स्टेट लाटरी को बन्द करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश लाटरी के टिकटों में तथा कथित गड़बड़ी एवं इनामों में तथाकथित घोटालों का कोई उदाहरण नहीं दिया है ताकि उसकी जांच करके इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जा सकती। तथापि यह उल्लेखनीय है कि इस प्रदेश की लाटरी के टिकटों की साख पूरे भारतवर्ष में है और इनामों के भुगतान में आज तक कोई घोटाला नहीं हुआ है । इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश, राजकीय लाटरी को बन्द करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

माननीय, पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश लाटरी के बहुत बड़ी मात्रा में फर्जी डुप्लीकेट टिकट मिल रहे हैं। मंत्री जी चाहें तो मैं उनके नम्बर भी बता सकता हूं। बहुत से टिकट ऐसे भी पकड़े गये हैं, जिनमें नम्बर नहीं पड़े थे। होता यह है कि जब इनाम निकल जाता है तो उन्हीं बिना नम्बर पड़े टिकट पर वही नम्बर डालकर उसे कैश कराने का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार बिना बिके जो टिकट निदेशालय में रखे रहते हैं, बैंकडोर से उनको बेचकर काफी पैसा कमाया जाता है। इन सबकी क्या मंत्री जी को जानकारी है? यदि है, तो उन्होंने उस पर क्या कार्यवाही की है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मैंने मूल उत्तर में ही कहा है कि यदि वह जानकारी देते तो मैं जांच करा लेता, लेकिन आपने स्वयं जानकारी नहीं दी है और न मुझे है।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मंत्री जी ने यह कहा कि लाटरी टिकटों में कोई धांधली की शिकायतें उनके पास नहीं हैं। आएगी, तो वह जाच करा लेंगे। मैं इससे हटकर दूसरी बात पर आता हूं, यह सही है कि लाटरी और जूवें की जो प्रवृत्ति है वह अपने देश में लोगों

को भाग्यवादी बनाती है, कर्मशील और कर्मवादी बनाने के स्थान पर यह हराम खोरी भी सिखाती है, तो इस सन्दर्भ में सोचते हुए क्या मंत्री जी इस व्यवस्था को बन्द करने पर विचार करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन् जहां तक भाग्यवादी होने की बात है और एक शब्द उन्होंने और प्रयोग किया, इस संबंध में चूंकि कौशिक जी अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं, महान् पुरुषों और इस देश की पुरानी परम्पराओं पर जोर देने के आदी हैं, उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि हिन्दुस्तान का जो सोने की चिड़िया वाला युग सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य का रहा, उस काल में महान् विद्वान और मनीषी चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि शासन सीधे प्रत्यक्ष करों के आधार पर नहीं चल सकता है, उसको अपने प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक यानी विकास कार्यों के लिए इतने धन की आवश्यकता होती है कि उसको बहुत से कर अप्रत्यक्ष रूप से लगाने पड़ते हैं। तो लाटरी हमारे लिए अप्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण आय का एक साधन है। इससे प्राप्त आय का उपयोग हम विकलांगों और मरीजों को अधिक सुविधा देने के लिए करते हैं। इसलिए इसको बन्द करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, मंत्री जी ने मूल प्रश्न के सन्दर्भ में बताया है कि आरोपकर्ता ने कोई आरोप नहीं निर्दिष्ट किया है, तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि क्या उनकी निजी या विभाग की जानकारी में एक नहीं सैकड़ों अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आए हैं जिसके संबंध में शासन जांच भी करवा रहा है? मंत्री जी लाटरी सिस्टम को बंद नहीं कर सकते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से यह उनके अनुसार उचित नहीं है। जो लाटरी डायरेक्ट्रेट है वहां के डायरेक्टर साहब जो हैं आये दिन अखबारों में उनके खिलाफ निकल रहा है तो क्या उसकी उच्चस्तरीय जांच कराने से पहले उन तमाम लोगों को वहां से हटाने का कष्ट करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, यह तो प्रशासन का नियम है कि जब कोई आरोप लगाया जाता है तो उसकी जांच करायी जाती है। अगर आभा जी स्पष्ट आरोप लगायेंगे तो उसकी जांच करा लेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, किसी भी स्टाकिस्ट को जमानत की धनराशि कितनी देनी पड़ती है और कितने ऐसे स्टाकिस्ट हैं जिनको निर्धारित जमानत से अधिक टिकट दिये गये हैं और उसके भुगतान की क्या स्थिति है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, उनको बैंक गारंटी देनी होती है। स्टाकिस्ट कितना माल या कितना सामान उठायेंगे यह उसका आधार होता है। दूसरा प्रश्न जो आपने किया तो आज की तारीख तक ऐसा कोई नहीं है जिसका भुगतान न हुआ हो।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

जमानत की धनराशि कितनी देनी होती है उसके अगेंस्ट उससे ज्यादा किसको दिया है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

इसका उत्तर मैंने दिया है कि स्टाकिस्टों को टिकटों के हिसाब से बैंक गारंटी देनी होती है।

प्रधान प्रभु दयाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने लाटरी को सरकारी आय का श्रोत कहा है। भारतवर्ष में

तीन चीजें बुरी मानी जातीं हैं, जुवा, शराब और वेश्यावृत्ति। दो चीजें चालू हैं तो क्या तीसरी पर भी सरकार विचार करेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मैं समझ नहीं पाया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, विगत सत्र में मैंने नियम 301 में यह सूचना दी थी कि निदेशक लाटरी डुप्लीकेट टिकट स्टाकिस्टों को बेच रहे हैं। जब उनका इनाम आता है तब मालूम होता है कि यह टिकट आपको यहां से जारी नहीं हुयी। मेरी 301 की सूचना जाने के बाद जब जांच हुयी तो 10 स्टाकिस्टों को उन्होंने इनाम घर पर बुलाकर दे दिया लेकिन मुझे सूचना दी गयी कि इस तरह की गडबड़ी नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस संबंध में, आपके विभाग के बारे में जो दरख्वास्तें गयीं हैं उसकी जांच कराकर निदेशक के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, वर्मा जी ने अभी जांच के लिये लिखकर नहीं दिया है। लिखकर देंगे तो निश्चित रूप से जांच करा लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी ने लाटरी को अप्रत्यक्ष आय का श्रोत बताया। मैं जानना चाहता हूं कि विगत वर्ष में लाटरी से शासन को कितनी आय हुयी?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, 5 करोड़ 5 लाख रुपये की आय हुयी।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, इस लाटरी सिस्टम में किस-किस प्रकार की शिकायतें माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुयी हैं और उसकी जांच के परिणाम क्या हैं?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, 19 जुलाई को श्री अशोक श्रीवास्तव की एक कम्प्लेन्ट प्राप्त हुयी है। यह महामंत्री हैं, उत्तर प्रदेश फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विसेस, जवाहर भवन के, इनकी कम्प्लेन्ट प्राप्त हुयी तो 11 अगस्त को उस पर शासन की ओर से डायरेक्टर लाटरी से कमेंट मांगे गये हैं।

कर्नल केशरी सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे लाटरी स्टाल स्कूल, कालेज, अस्पताल और मंदिरों या अन्य धार्मिक स्थलों के पास लगाये गये हैं जिससे उनके कार्य कलापों में बाधा पड़ती है और बच्चों की परीक्षाओं में भी बाधा पड़ती है। तो क्या माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे कि स्कूलों, धार्मिक स्थलों आदि जैसे पवित्र स्थानों से लाटरी के स्थलों को वहां से हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जहां तक स्कूल का प्रश्न है, स्कूल के पास लाटरी स्थल होने से स्कूल के बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ सकती है, लेकिन धार्मिक स्थलों के निकट लाटरी सेन्टर होने से क्या विघ्न पड़ सकता है। परन्तु फिर भी इनके सुझाव पर विचार कर लेंगे।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, दो बातों की जानकारी मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं। एक तो चाणक्य की नीति के बारे में आपने चर्चा की। तो क्या आपको पता है कि चाणक्य ने राज्य प्रशासन के बारे में कहा है कि यदि विदेशी कोई महिला राज्य घर में प्रवेश कर जाय, तो उस राज्य का नाश हो जाता है। तो आज राज घराने में विदेशी महिला घुसी हुई है, तो क्या देश के लिए खतरा है कि नहीं?

(घोर व्यवधान)

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह महिलाओं के ऊपर आक्षेप है। मान्यवर, पूरी सब महिलायें, हम सब एक हैं। विश्व के झगड़े पुरुष करते हैं। महिलायें मां हैं और पूरे विश्व में एक महिला मां है।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपने माननीय मैनेजर सिंह को प्रश्न करने की अनुमति दी, उन्होंने प्रश्न किया, परन्तु इसका जवाब शासन की ओर से माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष–

इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री शारदा प्रताप–

अध्यक्ष जी, मैं माननीय मैनेजर सिंह से जानना चाहता हूं कि वह महिला कौन है?

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, यह कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं माफी चाहता हूं माननीया बख्शी जी से। इस बात पर क्या मंत्री जी गौर करेंगे कि लाटरी का धंधा यह जुआ का धंधा है और जुए से बहुत से राज्यतंत्र नष्ट हो चुके हैं। तो यह जुआ खेला कर आय प्राप्त करना जो है, इसको आप अनुचित मानते हैं कि नहीं? यदि नहीं मानते तो चकलाघर को आप नियंत्रित करके उस पर कोई शुल्क निर्धारित कर देंगे, जिससे कि सरकार की आय बढ़ जाय ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, जो आपने पहला प्रश्न किया है कि यह जुआ की श्रेणी में आता है। तो श्रीमन् यह जो है, जैसे हाउसिंग क्लब बगैरह चलते हैं और उसको नियंत्रित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चलाया जाता है और वह समाज में कोई बाधक नहीं बनता है। वह नियम के अन्तर्गत चलता है। तो मान्यवर, यह लाटरी जो है, यह समाज में कोई बाधक नहीं है कि इसको बंद कराया जाय। यह नियम के अन्तर्गत चलती है। दूसरी बात जो आपने कही है, उसमें आपको रुचि है। लेकिन शासन को कोई रुचि नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या लाटरी निदेशालय के बारे में लोकायुक्त के पास एक करोड़ रुपये के घपले की शिकायत की गयी थी? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या-क्या थी? इस संबंध में कोई जांच हुई? यदि जांच हुई, तो उसका क्या परिणाम आया?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, लोक आयुक्त के पास श्री अबरार मिर्जा ने एक शिकायत की थी 1985-86 में इन शिकायतों के ऊपर जांच कराई गई। जांच के बाद उनके पास लोकायुक्त के आदेश भेज दिए गये। उन्होंने अभी कोई निर्णय नहीं दिया। इसलिए इसमें कुछ बताना उचित नहीं है।

श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लाटरी की साख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन लाटरी के टिकटों की बिक्री दिन प्रतिदिन घटती जा रही है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

कुछ स्टेट्स ने इस पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है जैसे तमिलनाडु आदि। इसलिए इसकी बिक्री घटी है, लेकिन इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ।

राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग गठित करने का कथित विचार

**2–श्री मिश्रसेन–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र सरकार की भांति समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति का अनुसरण करते हुये राज्य कर्मचारियों के लिए कोई वेतन आयोग गठित करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो इसका औचित्य क्या है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर वेतन निर्धारण की कोई नीति अभी निर्धारित नहीं की गयी है; अतः राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग गठित करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मिश्रसेन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वेतन आयोग गठित करने का मापदंड क्या है ? क्या केन्द्र सरकार की भांति राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को वही सुविधायें देना चाहती है जो केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को देती है । सैद्धान्तिक तौर पर समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति अपनाने पर सरकार सहमत है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो पहला प्रश्न किया है इसमें सन् 1960 के मूल्य को सूचकांक माना गया है । जब बाजार का भाव 50 प्रतिशत से अधिक हो जाते हैं तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि वेतन आयोग का गठन करके राज्य कर्मचारियों और केन्द्र कर्मचारियों के लिए वेतन का आधार बना लिया जाए । दूसरी बात समान सुविधा के बारे में पूछा है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा विस्तृत कर देते कि समान कार्य से आपका क्या तात्पर्य है तो मैं उसके आधार पर आपको जानकारी दे देता ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है वह मूल प्रश्न से हटकर है सवाल में एक बात पूछी गई है कि जिस काम के लिए केन्द्रीय कर्मचारियों को जो वेतन और सुविधायें मिलती हैं, उसी काम के लिए राज्य कर्मचारियों को वह वेतन और सुविधायें नहीं मिलती हैं । जो बाबू केन्द्रीय सचिवालय में काम करता है उसकी तनख्वाह ज्यादा होती है और वही कार्य जब राज्य सरकार के अधिकारी या कर्मचारी करते हैं तो उसका वेतन कम होता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो वेतन केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलता है, उसी कार्य के लिए वही वेतन राज्य कर्मचारियों को देने पर सरकार विचार करेगी।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जब कोई वेतन निर्धारित करना होता है तो यह देखना होता है कि आपकी आय के श्रोत क्या हैं, आपकी अपनी स्थिति क्या है, तो वेतन आयोग इसी पर निर्भर करता है । वैसे जो आपने बात पूछी है वह बहुत सही बात है इसको हम, जब वर्तमान वेतन आयोग बैठेगा तो उसके समक्ष रखेंगे ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, जो मंत्री जी ने उत्तर दिया वह सवाल का उत्तर नहीं है स्पष्ट प्रश्न

यह है । मान्यवर, केन्द्रीय सरकार अपने लखनऊ के कर्मचारियों और अधिकारियों को जो वेतन देती है वही वेतन उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को देने पर विचार करना चाहती है या नहीं ? यह एक नीतिगत प्रश्न है और इसमें इस सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिए क्योंकि महंगाई की मार जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कर्मचारी अधिकारी सहते है वही मार हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी सहते है इसमें कोई फर्क नहीं है, मैं तो यहां तक कहूंगा कि दिल्ली रोटी के मामले में, कपड़े के मामले में और दूसरी आवश्यक चीजो के मामले में लखनऊ से सस्ता है, खैर वह एक अलग प्रश्न है । मान्यवर, यहां तो नीतिगत मूल प्रश्न यह है कि जो वेतन सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कर्मचारियों को मिलता है वही वेतन हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को देने के लिए यह सरकार विचार करेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, महंगाई भत्ता हम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की दरों पर ही दे रहे है ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि महंगाई की किस्त वही है तो मूल्य सूचकांक के साथ कितनी किश्ते बढ़ चुकी है, दूसरी बात यह है कि अगला वेतन आयोग कब तक गठित करेगें ? जब तक अगला वेतन आयोग नहीं गठित होता है तब तक महंगाई की किश्तों की बढ़ोत्तरी को देखते हुए कोई अंतरिम सहायता देने पर सरकार सहमत है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मूल्य सूचकांक का 1960 के बाद से वही स्टैन्डर्ड है । सन् 1979 में जब द्वितीय वेतन आयोग उत्तर प्रदेश ने गठित किया उस वक्त जो हमारा सूचकांक था वह 328 था तो इस वक्त लगभग 40 प्रतिशत से अधिक हो चुका है । एक वेतन आयोग से दूसरे वेतन आयोग में 8 वर्ष का एक गैप है जब कि केन्द्र सरकार का वेतन आयोग 13 वर्ष में गठित होता है लेकिन हम अपने कर्मचारियों को अधिक सुविधा देना चाहते है इसीलिए 8 वर्ष में उसको करते है । बाकी जो है अभी उस पर कोई विचार नहीं है ।

श्री शारदा प्रताप–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से उनके उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि क्या एक निश्चित सीमा तक महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद नया वेतन आयोग गठित करन का प्राविधान है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी हां, है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि राज्य कर्मचारियों के संयुक्त परिषद् के आह्वान पर सभी जिलों में सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव होने जा रहा है । परिषद् के नेताओं ने कहां है कि 24 जिलों में सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया है । जब सभी जिलों में यह पूर्ण हो जायेगा तो सरकार की आज्ञा की वे अवमानना करेगें और सारे कर्मचारी उसके बाद मंत्रियों और मुख्य मंत्री का घिराव करना शुरू करेंगे तो मान्यवर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के इस आन्दोलन को ध्यान में रखते

हुए क्या मंत्री जी उनकी इस मांग पर विचार करने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कर्मचारियों का वेतन और राज्य कर्मचारियों के वेतन में समानता लाई जाय ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, मैं जानता हूं कि आपके द्वारा उनको प्रेरणा दी जाती है शासन को ब्लैक-मेल करने की और वह हमको पीडित करते हैं । मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि **क्या कोई व्यक्ति एक इर्रेलीवेन्ट चीज के लिए शासन को धमकायेगा तो क्या उसे शासन को मान लेना चाहिए ?**

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री सरदार सिंह–

[दिनांक 3-9-86 को सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

*2–श्री राजेन्द्र शर्मा–

[दिनांक 3-9-86 को सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

राज्य विद्युत परिषद के कर्मचारियों की हड़ताल एवं मांगें

*3–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 11 जुलाई, 86 से उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में बिजली कर्मचारियों की जो हड़ताल हुई उसमें हड़तालियों की मांगें क्या थीं ? तथा उन पर शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)–

राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों की जो हड़ताल दिनांक 11 जुलाई, 86 से हुई उसके संबंध में कर्मचारी यूनियनों द्वारा दी गयी नोटिस दिनांक 20-6-86 जिसमें उनकी मांगें उल्लिखित हैं, की **प्रतिलिपि संलग्नक "क" पर उपलब्ध है।**

दिनांक 21-7-86 को हड़ताली कर्मचारी यूनियनों एवं राज्य विद्युत परिषद के मध्य समझौता हो जाने के फलस्वरूप हड़ताल समाप्त हो गयी । शासन द्वारा निर्णय नहीं किया गया है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 199–201 पर)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

विद्युत समस्याओं के निवारण हेतु अधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों की त्रैमासिक बैठकें किये जाने हेतु आदेश

*1–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन ने प्रत्येक जनपद में विद्युत विभाग के अधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों की मासिक बैठक जन समस्याओं के निवारण हेतु निश्चित की थी परन्तु प्रदेश के जनपदों में एक दो मासिक बैठक होने के बाद अब विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठक आयोजित न करने का क्या कारण है ? क्या शासन मासिक बैठक नियमित आयोजित करने के लिये निर्देश देने की कृपा करेगा ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

जी हां, शासन ने प्रत्येक जनपद में विद्युत समस्याओं के निवारण हेतु विद्युत विभाग के अधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों की त्रैमासिक बैठकें किये जाने हेतु आदेश किये थे। विद्युत परिषद् के अधिशासी अभियन्ता समिति के सदस्य

सचिव हैं। बैठकों को त्रैमासिक अन्तराल पर नियमित रूप से किए जाने हेतु विद्युत परिषद् द्वारा अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिये गये हैं तथा प्रदेश के अधिकतर जनपदों में बैठकें आयोजित हो रही हैं।

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

विद्युत विभाग की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं हो पा रही हैं। क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था निश्चित करेंगे जिससे बैठकें नियमित रूप से हो सकें ? दूसरे, इन बैठकों में जो सुझाव आते हैं उनका जिला स्तर पर निराकरण कर दिया जाता है। अत: क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश स्तर पर जनपदीय बैठकों के सुझावों को संकलित करवाकर उनके निराकरण की व्यवस्था करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

अभी तक तो यह परिषद् के स्तर पर गठित थी परन्तु अब शासन के स्तर पर एक सेल गठित की जा रही है जो इस प्रकार के सुझावों का निराकरण करेगी और यह देखेगी कि बैठकें नियमित रूप से हों और उनमें जो सुझाव आयें उसका निराकरण ठीक तरह से हो। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस सम्बन्ध में सरकार ने पहले ही कदम उठा लिया है।

जनपद आगरा की तहसील किरावली स्थित ग्राम नाजिरपुरा का गायब रेवेन्यू रिकार्ड

*2–श्री बदन सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील किरावली स्थित ग्राम नाजिर पुरा (ब्लाक फतेहपुर सीकरी) का रेवेन्यू रिकार्ड अगस्त, सन् 1981 से गायब कर दिया गया है ? यदि हां, तो वहां के जिल्द बन्दोबस्त को कब तक तहसील किरावली में उपलब्ध करा दिया जायेगा?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

जी हां।

ग्राम नाजिरपुरा की द्वितीय जिल्द बंदोबस्त चकबंदी की प्रति पुन: बनाये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने के बारे में राजस्व परिषद् को निर्देश भेज दिये गये हैं।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि आगरा की तहसील किरावली स्थित ग्राम नाजिरपुरा का रेवेन्यू रिकार्ड किसके द्वारा गायब किया गया है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, यह 26-10-81 को लेखपाल के पास जो प्रति थी वह खो गयी। उसके बाद जिला स्तर पर एक प्रति रहती है उससे काम चल रहा है और राजस्व परिषद् को कह दिया गया है कि उन्हें उसकी दूसरी प्रति रिकार्ड में उपलब्ध करा दी जाय।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब लेखपाल के द्वारा यह रेवेन्यू रिकार्ड खो गया तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, तत्कालीन लेखपाल श्री महावीर प्रसाद के विरुद्ध जांच की गयी और 11-10-84 को उन्हें निलम्बित किया गया। जांच अधिकारी ने जो रिपोर्ट दी है, अपनी आख्या में उन्होंने लिखा है कि इसमें उनकी कोई बदनीयती नहीं है और उनको बहाल कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उनको प्रति-

कूल प्रविष्टि दी गयी है। यह जांच तहसीलदार द्वारा करायी गयी थी।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, सन् 81 में नाजिरपुरा का रिकार्ड गायब हुआ था और 84 में तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट दी । जो जांच अधिकारी नियुक्त किया गया वह लेखपाल की तनख्वाह खाता है तो क्या आप दूसरे किसी एजेन्सी से इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ सदस्य हैं, इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर जो आक्षेप किया है उस पर मुझे सम्मानपूर्वक आपत्ति है। ऐसा कहीं कोई नहीं चल रहा है। उसके खिलाफ जांच हुई और जब यह ज्ञात हुआ कि रिकार्ड खो गया उसमें कोई बदनीयती नहीं थी बल्कि लापरवाही थी और इस लापरवाही के लिए ही उस लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं एक नीतिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं । मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि एक प्रति गायब हो गई और दूसरी प्रति मुआफिस खाने में थी। बहुधा यह भी देखने में आया है कि मुहाफिजखाने से भी जिल्द गायब हो जाती है। तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि तीन प्रति बनाई जायं और एक प्रति बोर्ड आफ रेवेन्यू में उपलब्ध रहे ?

श्री गौरी शंकर–

अभी तक तो दो प्रति का ही प्राविधान चल रहा है। ऐसी तो कम ही शिकायत आयी है कि दोनों जगहों पर गायब हो गई हों । माननीय सदस्य कोई सन्दर्भ देंगे तो मैं आभार प्रकट करूंगा ।

श्री बदन सिंह–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि लेखपाल की लापरवाही से जिल्द गायब हुई । लेखपाल के ऊपर कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार होते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों का हाथ तो नहीं है यह रिकार्ड गायब कराने में।

श्री गौरी शंकर–

जो जांच आख्या प्राप्त हुई है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने निवेदन किया कि जिल्द खो गयी, गायब नहीं की गई । इसमें किसी अन्य कर्मचारी का हाथ नहीं है।

[शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नलकूपों तथा ग्रामीण लघु उद्योगों की विद्युत आपूर्ति की दरों में अन्तर का कारण

*1–श्री कनक सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के 3रे शुक्र के लिए अता0 प्र0 सं0 112 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजली का पैसा कार्य के हिसाब से लिया जाता है अथवा उसके उपयोग के हिसाब से ? क्या यह सही है कि नलकूपों तथा ग्रामीण लघु उद्योगों को एक ही फीडर से विद्युत आपूर्ति की जाती है ? यदि हां, तो उनकी दरों में अन्तर रखने का कारण क्या है ? क्या सरकार ग्रामीण लघु उद्योगों की तरह नलकूपों पर भी मीटर लगवाने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

बिजली का पैसा कार्य के हिसाब से लिया जाता है।

नलकूपों तथा ग्रामीण लघु उद्योगों को एक ही फीडर से विद्युत आपूर्ति की जाती है।

उनकी दरों में अन्तर रखने का कारण इस बात पर निर्भर करता है कि विद्युत का उपयोग किस कार्य के लिये किया जा रहा है जैसा कि एलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 49 में प्राविधान है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूप तथा उद्योग भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये विद्युत का प्रयोग करते हैं, अतः इनकी विद्युत दरें भी भिन्न-भिन्न हैं ।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि निजी नलकूपों पर मीटर लगाने का प्राविधान था लेकिन निजी नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा परिषद् के समक्ष उठायी गयी विभिन्न समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए परिषद् ने निजी नलकूप उपभोक्ताओं के परिसर से मीटर हटा लिये थे और उनके ऊपर नियत दर लागू कर दी गयी।

श्री कनक सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा और अवगत भी कराना चाहूंगा कि ग्रामीण ट्यूबवेल को जिस फीडर से बिजली दी जाती है उसी फीडर से उद्योगों को बिजली दी जाती है। नलकूपों के लिये निश्चित दर से पैसा देना पड़ता है जबकि उद्योगों को मीटर के हिसाब से पैसा देना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि नलकूप के कार्य में और उद्योग के कार्य में अन्तर क्या है ? क्या मंत्री जी जैसे पहले मीटर लगा था पुनः मीटर लगवायेंगे और खपत के आधार पर पैसा लेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही है कि उद्योग और नलकूप के कार्य में क्या अन्तर है ? जितने नलकूप हैं उनसे सिंचाई का कार्य होता है और उद्योगों के द्वारा जो सामान बनाया जाता है, वह अलग प्रकार का कार्य है । और पूरे प्रदेश में जो उद्योग हैं वे विभिन्न स्थानों पर सम्भव है जबकि खेती हर स्थान पर, शहरों में, सम्भव नहीं है। अतः श्रीमन्, अन्तर बहुत है। किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिये ही दरों को इस तरह से बनाया गया है कि किसानों को सब्सीडाइज्ड रेट्स पर बिजली दी जाय जिससे कि उनके ऊपर अतिरिक्त भार न पड़े। उद्योगों द्वारा जो भी सामान बनाया जाता है, उसकी बिक्री का ज्यादा लाभ उनको मिलता है, इसलिये इकनामिक लायबिलिटी बनी रहती है। पूरे प्रदेश में छोटे-छोटे उद्योग लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में भी लगे हैं, इसलिये उद्योगों में अन्तर नहीं रखा गया है । अतः सामान्यतया हर छोटे उद्योग से जो उन पर दर देय है, उनसे वसूली कर रहे हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब आप मिनिमम बिजली नहीं दे सकते तो क्या शासन मिनिमम चार्ज को समाप्त करने पर विचार करेगा?

श्री सुनील शास्त्री–

श्रीमन्, मा0 सदस्य से कई बार इसी संदर्भ में बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा था कि हम जो बिजली की आपूर्ति करते हैं, उससे अधिक सस्ती दर पर हम जो विद्युत राशि देय है, उसकी

वसूली करते हैं और इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि अगर हम किसानों से 32 पैसे प्रति यूनिट बिजली लेते हैं तो तीन घंटे बिजली अवश्य दें। उसके अतिरिक्त जो बिजली दी जाती है, वह सब्सीडाइज्ड होती है।

श्री किरन पाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या निजी नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा परिषद् के समक्ष इस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण रखा गया है। आप कहते हैं कि दर कम नहीं करेंगे और वहां हाल यह है कि महीनों-महीनों बिजली नहीं आती। निजी नलकूप उपभोक्ताओं के पास मीटर रहते आपके समक्ष क्या समस्या रही जिसके कारण आपने मीटर खत्म करे ?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, 1974 से पहले मीटर कृषि के क्षेत्र में नलकूपों के लिये लगाए जाते थे, लेकिन उसी दौरान बहुत तेजी से **निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण का कार्य** हुआ और तेजी से किसानों ने नलकूप लगाने शुरू कर दिये जिससे तेजी से नलकूपों की संख्या बढ़ी। मीटर रीडरों की संख्या कम होने के कारण प्रायः सही रीडिंग नहीं हो पाती थी और गलत बिल पहुंचने लगे। खराब मीटरों को ठीक कराने के लिये किसानों को दौड़-भाग करनी पड़ती थी। इन सब बातों को देखते हुए इस प्रकार का एक्सपेरीमेंट भी किया गया और इनके ऊपर प्रयोग भी किया गया और इस बात को सुनिश्चित कर लिया गया कि मीटर के बिना किसानों को ज्यादा सुविधा पहुंचेगी, तभी यह निर्णय लिया गया कि 1974 के बाद से फ्लैट रेट उनके ऊपर लगाए गये।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने कहा कि ये फ्लैट रेट्स किसानों के हित में हैं और मीटर सिस्टम के बारे में कहा कि मीटर रीडिंग रीडरों की कमी के कारण नहीं हो पाती थी तो आपको और मीटर रीडरों को रखना चाहिए था। कुछ और लोगों को रोजगार मिल जाता। खराब मीटर ठीक कराने की जिम्मेदारी आपकी होती है। इस समय भी जहां-जहां ऐसे मीटर लगे हैं, आप ठीक कराते हैं। आपने ऐसे उत्तर दिया जैसे किसानों के लिये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि किसान परेशान हैं और तमाम नलकूपों के कनेक्शन कटे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि फ्लैट रेट्स के कारण 1985-86 में प्रदेश में नलकूपों के कितने कनेक्शन कटे और दूसरे यह कि जब उद्योगों में जितनी बिजली देते हैं उसका रेट लगाते हैं, तो यही व्यवस्था किसानों के साथ लागू क्यों नहीं करते ? हफ्तों बिजली नहीं आती है और आप फ्लैट रेट से चार्ज करते हैं। यह आपकी किसान विरोधी नीति है।

जैसी कि माननीय सदस्यों की भावना है जो आप लघु उद्योगों के साथ नीति अपना रहे हैं क्या वही नीति इनके साथ भी अपनाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि मीटर का खराब होना और मीटर का उपलब्ध होना यह जरूर देखा जा सकता है कि समय के अन्दर मीटर ठीक हों, उपलब्ध हों।

मान्यवर, जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, हम सब्सीडाइज दर पर, 32 पै0 प्रति यूनिट की दर से, उन्हें बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। केवल 3 घंटे विद्युत आपूर्ति हो जाय तो सामान्य कृषक की जो पूरी बिजली की धनराशि है, उसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए फ्लैट रेट लागू किया गया। यह कोई अतिरिक्त भार नहीं है, बहुत कुछ इससे लाभ पहुंच रहा है।

श्री शारदानन्द अंचल–

जितनी बिजली अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली में दी जाती है क्या उतनी ही बलिया, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़ जैसे पिछड़े जनपदों को भी उपलब्ध करायेंगे ? दूसरे, क्या जितनी बिजली उतने दाम वाली नीति लागू करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

इस समय उत्तर प्रदेश में हम लोग औसत लगभग 10 घंटे बिजली पहुंचा रहे हैं किसानों को और इस समय अन्य आवश्यकता को देखते हुए इस बात पर शासन विचार कर रहा है कि 10 घंटे के अतिरिक्त अगर कुछ बिजली उपलब्ध करा सकें ताकि सूखे की स्थिति में कृषकों को लाभ पहुंच सके। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा अन्य शहरों का जिक्र किया गया मैं कहना चाहता हूं कि सब एक ही श्रेणी में आते हैं।

श्री अचल सिंह–

मान्यवर, अभी कहा गया कि काश्तकारों का हित इसमें है कि मीटर न लगे। जबकि काश्तकार मांग करते हैं कि हमारे यहां पर मीटर लगायें । क्या इस पर विचार करेंगे ? जितना मीटर रीडिंग देगा, उतना पेमेंट हो ?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, इस समय लगभग 5 लाख उपभोक्ता हैं जो निजी नलकूपों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर विभिन्न प्रकार से हम अपनी वसूली के नियम बनायेंगे तो शायद उसमें परिषद् को और शासन को कठिनाई होगी ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि काश्तकारों को 10 घंटे बिजली देना चाहते हैं उधर के कुछ सदस्यों ने शिकायत की कि बिजली नहीं मिलती है पूरे घंटे, इसलिए मीटर लगा दिये जायं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी स्थिति में जो रूरल फीडर हैं उन पर आंवर मीटर लगाने की कृपा करेंगे ताकि वास्तविक घंटे ज्ञात हो सकें?

श्री सुनील शास्त्री–

इस पर जरूर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, लोगों ने देहातों में जो चक्की, स्पेलर आदि लगा रखे हैं उसमें मिनिमम चार्ज के हिसाब से चार्ज होता है जबकि बिजली दे पाते हैं मुश्किल से दो-ढाई घंटे, ऐसी स्थिति में देहातों में चक्की, स्पेलर आदि बन्द हो गये हैं। क्या अन्य उद्योगों की भांति इन लघु उद्योगों को भी मीटर से बिजली देने की कृपा करेंगे ? काश्तकारों के 50 परसेंट कनेक्शन बिजली न मिलने के बाद, उससे जो उनका पेमेंट नहीं हो सका, इसलिए डिसकनेक्ट हो गये क्या वहां मीटर लगाकर के उन्हें बिजली ठीक घंटे से मिले यह सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

श्रीमन्, जहां तक कुटीर उद्योग और अन्य उद्योगों का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है चाहे वह आटा चक्की हो या आयल क्रेशर हो रूरल फीडर के द्वारा बिजली जो उस क्षेत्र को दी जाती है उसी के द्वारा इन उद्योगों को भी प्राप्त होती है। जहां तक अन्य उद्योगों का प्रश्न है उनको मिनिमम चार्जेज की हम क्या सुविधा दे सकते हैं उस पर भी विचार कर लिया जायेगा।

लखनऊ शहरी क्षेत्र से बाहर की आवास कालोनियों को लेसू द्वारा विद्युत आपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव

*2–श्री शारदा प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहरी क्षेत्र (नगर महापालिका क्षेत्र) से बाहर 5 कि0 मी0 तक शहर के चारों तरफ आवास कालोनियों को लेसू द्वारा विद्युत आपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित कर दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रमोद कुमार–

जी हां।

इस विषय में विचार विमर्श हो रहा है।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, जैसा कि अभी लोग जानते हैं और माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि जिस गति से लखनऊ की आबादी बढ़ रही है उससे खासकर मेरा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। मेरे क्षेत्र में अर्जुनगंज, सरसवा, सिलक्शा (इब्राहिम-पुर, सकरपुर) तेलीबाग खरीका, बंगला बाजार, अदद हिन्द नगर कालोनी, सरोजनी-नगर कालोनी, फतेहगंज आदि कस्बों में शहर की आबादी जाकर बस गयी है कालोनियां बन गयी हैं और बनती भी जा रही हैं। साथ ही आपका इलेक्ट्रिक कोआपरेटिव सोसायटी वहां पर बिजली सप्लाई कर रही है लेकिन जो आपकी सोसायटी वहां पर है वह केवल दो तीन घण्टे ही बिजली सप्लाई करती है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो कहा है कि मामला विचाराधीन है तो यह मामला कब तक फाइनल हो जायेगा ताकि उसके आस-पास पांच किलोमीटर तक बिजली सप्लाई हो जायेगी और विचार विमर्श किससे हो रहा है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, 1970 में एक निर्णय हुआ था जिसके अनुसार लखनऊ कोआपरेटिव सोसायटी ने कार्य शुरू किया था और उसकी अवधि 1997 तक है इसके अनुसार ही लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। मैं भी इस बात को महसूस करता हूं कि कल के लखनऊ और आज के लखनऊ में बहुत अंतर है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऊर्जा मंत्री के स्तर पर निर्णय लिया गया है कि शीघ्र ही इसकी सीमा लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग के आसपास बढ़ा दी जायेगी। जहां तक आबादी का प्रश्न है इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य और स्वास्थ्य मंत्री विचार विमर्श कर लें।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह विद्युत आपूर्ति के अनुरूप ही अपनी घोषणा करने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा भी है कि पांच किलो-मीटर के अन्दर फीडर बनाने के मामले पर शासन विचार कर रहा है। क्या इसी तरह की नीति को मानकर प्रदेश के जितनी भी महानगरपालिकायें या नगरपालिकायें हैं वहां पर भी पांच किलोमीटर के अंदर शहरी फीडर बनाने पर शासन विचार कर रहा है?

श्री प्रमोद कुमार–

लखनऊ और बनारस में बड़ा फर्क है। लखनऊ में जो देहातों में बिजली सप्लाई होती है, वह कोआपरेटिव सोसायटी के माध्यम से होती है, बनारस में कोई कोआपरेटिव सप्लाई नहीं है। जिन महा-नगरों की सीमायें बढ़ रही हैं, सब जगह विद्युत परिषद् इस बात का ध्यान रखती है कि सीमायें बढ़ने के साथ ही शहरी क्षेत्र में सम्मिलित किया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विचार विमर्श हो रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि विचार-विमर्श किस स्तर पर हो रहा है? क्या कोई समयबद्ध आश्वासन सदन को देने का कष्ट करेंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

मैंने स्पष्ट किया था कि ऊर्जा मंत्री जी के स्तर पर विचार हो रहा है और जो सम्बन्धित सदस्य हैं जैसे श्री शारदा प्रताप शुक्ल जी हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। इससे उच्च स्तरीय कोई समिति नहीं हो सकती है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा "तारांकित प्रश्न संख्या-3" पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न की व्याख्या गलत की है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है

विधान सभा क्षेत्र चांदा के कतिपय ब्लाकों की साधन सहकारी समितियों में की गयी भीषण अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

*3–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3-12-85 को सहायक निबंधक सहकारी समितियां सुल्तानपुर के द्वारा विधान सभा क्षेत्र चांदा के ब्लाक भैदयां, लम्भुआ, प्रतापपुर कमैचा की साधन सहकारी समितियों में की गयी भीषण अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्न-कर्ता द्वारा कोई पत्र मंत्री जी को जांच हेतु प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें दर्शाये गये तथ्यों की जांच की गयी? यदि की गयी है तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या आवश्यक कार्य-वाही की गयी? यदि नहीं की गयी तो कारण क्या है?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

जी हां। प्रश्न में संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच की गयी। जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्य-वाही की गयी।

श्री शिव नारायण मिश्र–

जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों का नाम क्या है तथा वे किस ब्लाक या साधन सहकारी समिति से सम्बन्धित हैं? जांच के समय किसमें दोषी पाये गये तथा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सुरेन्द्र सिंह–

यह जांच केन्द्रीय उपभोक्ता, फैजाबाद मण्डल श्री अंगद सिंह के द्वारा करायी गयी थी। इनकी शिकायत 17 समितियों के विरुद्ध थी, 14 के विपरीत गंभीर आरोप

पाये गये, जिसमें 6 सचिवों की सेवा समाप्त कर दी गयी, एक सचिव को निलम्बित कर दिया गया, 5 सेल्समैन की सेवायें समाप्त कर दीं।

श्री शिव नारायण मिश्र–

जांच में कितने धन का अपहरण किया गया और उन पदाधिकारियों के नाम क्या हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह–

इसमें 3,09,386·93 रु0 के गम्भीर आरोप हैं। उनके नाम हैं–

1–श्री शीतला प्रसाद सिंह, शिवगढ़
2–श्री रमेश सिंह, सूर्यभान पट्टी
3–श्री शमशाद अहमद, छतौना
4–श्री विक्रमाजीत सिंह, चौंकिया

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, इन्होंने मेरा नाम ले लिया, वह मैं नहीं हूं, हो सकता है कि श्री प्रमोद कुमार के मित्र कोई दूसरे शारदा प्रताप शुक्ल हों।

श्री अध्यक्ष–

यह तो आपका सौभाग्य है।

(हंसी)

श्री मित्रसेन–

सभी कर्मचारी जो सचिव हैं, उन्हीं को दोषी पाया है। क्या कोई बड़ा आदमी भी फंसा है?

सहकारिता मंत्री (श्री अरूण कुमार सिंह)–

जो बड़े अधिकारी होते हैं, समितियों से सीधे सम्बन्धित होते हैं, वे सचिव होते हैं, उनके विरुद्ध जांच हुई है, उन्हीं को दोषी पाया गया है, अब जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं बड़ा आदमी कहां से पकड़ कर लायें?

(हंसी)

*4–श्री राम आसरे वर्मा–

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

उप निदेशक/प्रोजेक्ट मैनेजर तथा अपर निदेशक, आई0 सी0 डी0 एस0 के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*5–श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, 1980 से जनवरी, 1986 के अंत तक उप निदेशक/प्रोजेक्ट मैनेजर तथा अपर निदेशक आई0 सी0डी0एस0 के विरुद्ध माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा हस्ताक्षरित कितने शिकायती पत्र शासन को मिले हैं? मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा अभी तक शासन द्वारा इस विषय पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

नवम्बर, 85 से जनवरी, 86 के अंत तक उप निदेशक/प्रोजेक्ट मैनेजर तथा अपर निदेशक, आई0सी0डी0एस0 के विरुद्ध मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा हस्ताक्षरित कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, क्या इस विभाग के संयुक्त सचिव (श्री साउं राम) का पत्र संख्या 302/26 सेल/86 दिनांक 13 मार्च, 1986 तथा पत्र संख्या 302(1)/26-सेल-57/86 दिनांक 24 मार्च, 1986 के द्वारा जो स्पष्टीकरण इसके संबंधित अधिकारी के माध्यम से भेजा गया क्या उनमें उन बातों का जिक्र नहीं था कि जो इस माननीय सदन में सदस्यों ने आपत्ति उठायी थी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो समय की अवधि बतायी है, उस अवधि से संबंधित किसी भी सदस्यगण का कोई शिकायती-

पत्र हमारे शासन को उपलब्ध नहीं है। अगर ऐसा कोई पत्र शासन को भेजा गया है कि किसी भी समय अगर आप उस पत्र की एक प्रतिलिपि शासन को दे दें तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायेगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मैं धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से उनके पास इसे पहुंचवा दूंगा। संयुक्त सचिव ने एक स्पष्टीकरण संबंधित अधिकारी से मांगा है और इसमें वही शिकायतें दी गयी हैं जो माननीय सदस्यों के द्वारा प्रेषित की गयी थीं। शायद कहीं भूल हो गयी है जो मंत्री जी को पता नहीं चल पाया है। मैं इसकी प्रति अवश्य ही आपको भेज दूंगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मैं शौक से आपको आमंत्रित करती हूं, आप मेरे कक्ष में आइये और इस पर मुझे कार्यवाही करने की प्रेरणा दीजिये।

दैवी आपदाओं से पीड़ित मथुरा जनपद के कृषकों को मुख्य देयों की स्थगित वसूली

*6–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार की जानकारी में है कि दैवी आपदाओं से पीड़ित मथुरा जनपद के किसानों को भू-राजस्व से माफ करते हुए जिला अधिकारी मथुरा ने 1 अप्रैल, 1986 से 30 अप्रैल, 1986 तक भू-राजस्व एवं अन्य देयों की वसूली को स्थगित किया था? यदि हां, तो क्या शासन वर्षों से दैवी आपदाओं से पीड़ित चले आ रहे किसानों को पूर्ण रूप से देयों को माफ करने का कष्ट करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्री गौरी शंकर–

सरकार की जानकारी में यह है कि पिछली खरीफ तथा रबी की फसलों को दैवी आपदाओं से हुये नुकसान के कारण जिला अधिकारी, मथुरा ने अपने आदेश दिनांक 30-3-86 द्वारा केवल मुख्य देयों की वसूली दिनांक 30-4-86 तक के लिये स्थगित कर दी थी। बकाया देयों की पूर्ण रूप से माफ करने का औचित्य नहीं है। दैवी आपदाओं से नुकसान पहुंचने की दशा में भू-राजस्व में छूट देने का प्राविधान है। तद्नुसार छूट दी जाती रही है। पिछली खरीफ तथा रबी के सम्बन्ध में क्रमशः 524 तथा 38 ग्रामों की माल-गुजारी में छूट दी जा चुकी है।

श्री सरदार सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि पिछले तीस-पैंतीस वर्षों से दैवी आपदाओं के कारण किसानों को फसल नहीं मिल पाती है तो उसके पूर्ण देयों जिसमें कि बैंक का ऋण भी शामिल है, उनको पूर्ण रूप से माफ न करने के क्या कारण हैं?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जो देय बैंक या दूसरी संस्थाओं के आते हैं, उनको पूरी तरह छूट देना या माफ करना, इसका प्राविधान नहीं है। जो राजस्व विभाग के अधिकार हैं, वह राजस्व को स्थगित कर सकता है। किसी विशेष परिस्थिति में जिलाधिकारी लिखता है तो राजस्व परिषद् में जाता है और फिर शासन में विचार होता है, तब माफ किया जाता है। तो उसकी एक प्रक्रिया बनी हुई है। जिलाधिकारी स्तर पर 3 महीने हैं और उससे अधिक का बढ़ाना होता है तो राजस्व परिषद् को भेजा जाता है। सरदार सिंह जी से मेरा निवेदन है कि विगत 7 वर्षों में लगातार मथुरा जनपद को किसी न किसी प्रकार भू-राजस्व से छूट दी गयी है। इसलिये उस पर पुनः बल देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जब कोई दैवी आपदा आती है तो शासन स्तर पर सरकारी देयों की वसूली स्थगित कर दी जाती है और किसानों पर उसको ब्याज बढ़ जाती है और जो बढ़ा हुआ ब्याज है, उसकी अदायगी किसानों को करनी पड़ती है, तो जितने समय के लिये वसूली स्थगित की जाती है, उतने समय का ब्याज क्या सरकार अपने ऊपर लेगी, उतने समय का ब्याज सरकारी खजाने से पूर्ति करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, अभी तक इस तरह का प्राविधान नहीं है, और जो वर्तमान स्थिति है उसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

इसके लिये सरकारी नियमों में परिवर्तन करना आवश्यक होगा क्योंकि किसानों पर भार बढ़ता जाता है । जिस प्रकार से सेल्स टैक्स आदि की माफी कर दी जाती है, उसी प्रकार से किसानों का क्यों नहीं माफ कर दिया जाता है ? क्या आप नियमों में परिवर्तन करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

जो राजस्व है, उसको माफ किया जाता रहा है, छूट भी दी जाती रही है, उसको स्थगित भी किया जाता रहा है । जब स्थगन के बारे में प्रस्ताव जिलाधिकारी से प्राप्त होता है, तो छूट दी जाती है, लेकिन बैंक वैगरह का जो ऋण होता है, उसके बारे में एग्रीमेंट होता है, उनकी अपनी कन्डीशन्स होती हैं, तो उस बारे में सरकार बीच में नहीं आती है ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मथुरा में लगातार 7 सालों से दैवी आपदा के कारण छूट दी जाती रही है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसके लिये नियम बनायेंगे कि जिस जिले में लगातार 2 साल तक दैवी आपदा आती है, तो वहां के किसानों का लगान और तकावी माफ कर दी जायेगी ?

श्री गौरी शंकर–

वर्तमान में जो व्यवस्था है वह यह है कि 50 प्रतिशत से अधिक की जब क्षति होती है, तो उसको स्थगित कर दिया जाता है ।

श्री मैनेजर सिंह–

यह तो एक साल की बात है । 2 साल जबं लगातार क्षति होती है, तो क्या उस जिले के किसानों का लगान माफ करेंगे और उसके लिये कोई नियम बनायेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, इस समय संदर्भ मथुरा का है और जो उसको 1985-86 में छूट दी गयी है वह 14 लाख 1 हजार 3 सौ पांच रुपये और 34 पैसे की छूट दी गयी है । 7 वर्षों से लगातार मथुरा को छूट दी गयी है दैवी आपदा के कारण और उसका लाभ मथुरा जिले को मिलता रहा है ।

*7–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[करण संख्या 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित]

*8–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[उत्तर देना जनहित में नहीं है]

*9–श्री काशी सिंह ऐरी–

[करण संख्या 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित]

हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी संघ तथा सचिव की बैठक में मांगों के संबंध में दिये गये ज्ञापन पर निर्णय

*10–श्री सुन्दर लाल, श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगी कि दिनांक 26 अगस्त, 1985 को सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी संघ की कोई बैठक हुई थी जिसमें उक्त संघ द्वारा मंत्री जी की उपस्थिति में दिनांक 2 अगस्त, 1985 को मा0 मुख्य मंत्री को कुछ महत्वपूर्ण मांगों के संबंध में दिए गए ज्ञापन के संबंध में विचार-विमर्श हुआ था तथा शासन की ओर से सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण ने कुछ बिन्दुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय भी दिया था ? यदि हां, तो उक्त निर्णय को अभी तक लाग न करने का क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसी विषय पर वर्ष 1980 में मंत्रि-परिषद् के निर्णय को भी ध्यान में रखते हुए उक्त निर्णय को अविलम्ब लाग करने पर विचार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

लिये गये निर्णयों पर अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है ।

मंत्रि-परिषद् के निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, 26 अगस्त, 1985 को हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी संघ और सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के बीच एक वार्ता हुई थी और उसमें कुछ बातें तय हुई थीं । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उसके सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के ऊपर अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है । एक वर्ष बीत गया है । पहला प्रश्न मैं यह करना चाहता हूं कि जो निर्णय लिये गये हैं उनमें से किन-किन मुद्दों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि इस सम्बन्ध में सन् 1980 में मंत्रि-परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय का उल्लेख आया था, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, आपने दो प्रश्न पूछे । एक तो यह कि 26 अगस्त, 1985 को सचिव महोदय के कक्ष में संघ से वार्ता हुई । उसमें कई बिन्दुओं पर विचार किया गया और कुछ के बारे में निर्णय ले लिये गये तथा कुछ बिन्दु अभी विचाराधीन हैं साथ ही कुछ बिन्दु वेतन आयोग, जो वित्त विभाग का प्रकोष्ठ है, उसमें लम्बित है । कहिये तो मैं वन-बाई-वन सारी मांगें पढ़ दूं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मांग नम्बर 5 पढ़ दें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मांग नम्बर 5 यह है । इसमें यह मांग थी कि पी0 सी0 एस0 के जो हमारे अधिकारी हैं उनका कोटा कम कर दिया जाय । तो मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि सन् 1978 में हमारे 8 उप निदेशक के पद सृजित हुये थे फील्ड में भेजने के लिये । इन 8 पदों में से 4 पी0 सी0 एस0 के थे जो विभागीय प्रोन्नति से भरे गये थे । यानी 8 पदों में चार पद (50 प्रतिशत) भरे गये । उसके पश्चात् कालान्तर में हम

उनकी मांगों पर विचार करते रहे और चार पद पुनः सृजित हुये डिप्टी डाइरेक्टर के । जरा गौर से सुनियें । इन चार पदों को भी हमने विभागीय प्रोन्नति से भरा है । चार में चार, यानी सेन्ट परसेन्ट हमारा रिजल्ट रहा । कुल 12 पदों में 8 पद विभागीय प्रमोशन से भरे गये हैं ।

दूसरी बात यह है कि हमने कौंबिनेट में क्या डिसीजन लिया, मान्यवर, मैं तो आंख लिये हुयी हूं, क्यों मुझे कांटों में घसीट रहे हैं, मैं तो कौंबिनेट का डिसीजन आपके सामने संदर्भित कर ही नहीं सकती (सारी)

(श्री रघुबर दयाल वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इस प्रश्न के संदर्भ में. . .

श्री अध्यक्ष–

उनके बाद पूछ लीजियेगा ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मुझे पूंछ लेने दीजियेगा । इन्होंने कहा कि मैं मंत्रि-परिषद् की गोपनीयता भंग नहीं करती । मैं इनकी गोपनीयता भंग कराना भी नहीं चाहता । लेकिन मान्यवर, हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी संघ और सचिव महोदय के बीच जो समझौता हुआ है उसके निर्णय की प्रतिलिपि संघ को भी दी गई है और उसमें मंत्रि-परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय का भी उल्लेख है जो कि निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से दी गई थी । मैं जानना चाहता हूं कि सन् 1980 में उप निदेशक के पदों पर प्रमोशन से भरे जाने के सम्बन्ध में जो, मंत्रि-परिषद् का निर्णय हुआ था कि 4 मंडलीय पदों में से 2 पद पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को देंगे जो प्रमोशन से भरे जायेंगे । क्या इस समझौते के अनुसार उसका पालन करने की आप कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि मंत्रि-परिषद् का निर्णय अतिगोपनीय होता है वह न आपको मालूम होना चाहिये न इधर किसी को मालूम होना चाहिये । उसकी गोपनीयता भंग की क्षमता मुझ में नहीं है ।

श्री राम सरन–

मैं जानना चाहता हूं कि यदि सदन में नहीं बता सकती हैं तो क्या माननीय मैनेजर सिंह जी को आपके कक्ष में भेज दें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

अवश्य, आशीर्वाद मिलेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि हरिजन समाज कल्याण अधिकारी संघ ने जो मांग पत्र दिया है और उसमें मंत्रि-परिषद् के फैसले के अनुरूप जो तय हुआ था उनमें से कितनी मांगें आपने पूरी कर दी हैं और बकाया कितनी रह गयी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मुख्य मांग जो थी वह प्रोन्नति के चांसेज अधिकारियों को मिलें । तो उसमें मैं बता दूं कि 3 अधिकारियों को उप-निदेशक बनाया गया, 5 हरिजन समाज कल्याण अधिकारियों को प्रोग्राम अधिकारी बनाया गया जिनका वेतनमान 850-1720 है, 5 सहायक निदेशक को अतिरिक्त परियोजना अधिकारी आई0 सी0 डी0 एस0 बनाया गया जिनका ग्रेड 1000 से 1900 है । 5 प्रोग्राम अधिकारियों के पद विचारा-

धीन हैं आई० सी० डी० एस० में । समाज कल्याण अधिकारियों में मैं बताऊं कि इस समय कुल 67 समाज कल्याण अधिकारी हैं और जो प्रमोटेड हैं उनकी संख्या 54 है यानी 80 परसेंट । तो 100 में 50 होने पर तो कोटा सेंटपरसेंट हो जाता है यहां तो उससे 30 परसेंट ज्यादा है । तो मेरा रैजल्ट तो 130 परसेंट होता है ।

श्री अध्यक्ष–

(श्री रघुबर दयाल वर्मा के खड़े होने पर) अब क्या चाहिये आपको ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

कितनी मांगों में से कितनी पूरी हो गयी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

अब बात हो गयी कि मेरे कक्ष में आप आ जायें। सब अधिकारी भी आयेंगे बात हो जायेगी । अब आगे चलिये ।

बाल विकास परियोजनाधिकारी एवं मुख्य सेविका के पद का आरक्षण

*11–श्री सुखपाल पाण्डे (अनुपस्थित) तथा श्री दीप चन्द्र सोनकर (अनुपस्थित)–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उनके विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेवक के सम्पूर्ण पद केवल महिला वर्ग के लिए आरक्षित हैं जिसके कारण यह योजना ग्रामीण अंचलों विशेषकर बीहड़ एवं दुर्गम क्षेत्र में लाभ पहुंचाने के नाम पर शून्य होती जा रही है तथा तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार की भी शिकायतें शासन को मिल रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन उपरोक्त क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाली समस्या एवं परेशानियों को ध्यान में रखकर जनहित एवं योजना के हित में उपरोक्त पदों पर 50 प्रतिशत का आरक्षण पुरुषों को देने का विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

बाल विकास परियोजनाधिकारी एवं मुख्य सेविका के पद केवल महिला वर्ग के लिए आरक्षित हैं । पद का नाम मुख्य सेविका है न कि मुख्य सेवक । जी नहीं।

उक्त योजना के अन्तर्गत गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा बच्चों की उचित देखभाल एवं उनकी विशेष स्थिति की जानकारी पुरुषों की अपेक्षा महिला सुगमता से कर सकती हैं । इसलिए उक्त पदों में नियुक्ति के लिए महिलाओं को रखा गया है । इन पदों पर पुरुषों की नियुक्ति हेतु आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, यह माननीय सुखपाल पाण्डेय जी का प्रश्न है तो क्या उनका स्मरण करते हुए आप विकलांग पुरुषों के लिए भी आरक्षण करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में दुनियां की किसी पार्लियामेंट में या किसी विधान सभा में, विश्व के इतिहास में पुरुषों ने महिलाओं के आरक्षण में से मांग नहीं की, क्या दर्दनाक हालत में भाई लोग पहुंच गये हैं । मैं महिलाओं को मुबारकवाद देती हूं कि वे इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं कि पुरुषों को आरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है ।

(हंसी)

नोट:-तारांकित प्रश्न संख्या 11 श्री मैनेजर सिंह की रुचि पर लिया गया ।

(इस समय 12 बजकर 15 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे विपक्षी भाइयों की भावनाओं का आदर करते हुए उनके बीच से उनकी संस्तुति पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो न पुरुषों में हो और न महिलाओं में हो के लिए कोई पद आरक्षित करने की कृपा करेंगी ।

(हंसी) कोई उत्तर नहीं आया ।

श्री कौशिक रमा शंकर –

उपाध्याय जी ने यह अपने सम्बन्ध में मैं प्रश्न किया है, इसलिए मान्यवर, आप इसका उत्तर दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष –

सदन में चर्चा स्त्री और पुरुष पर हो रही है, उसके अतिरिक्त नहीं ।

श्री मैनेजर सिंह–

तो फिर मंत्री जी, माननीय उपाध्याय जी के वर्ग पर भी विचार कर लें ।

ग्राम प्रधान धौखरिया (तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी) के विरुद्ध अनियमितताओं के संबंध में जांच

*12–श्री ब्रह्मदत्त द्विववेदी (अनुपस्थित)–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के प्रथम शुक्रवार दिनांक 7-2-86 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न सं0-10 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम प्रधान धौखरिया (तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी) के विरुद्ध मौके पर पायी गयी अनियमितताओं के प्रागदर्शन में उन्हें तुरन्त निलम्बित करके तहसीलदार के यहां विचाराधीन मुकदमें के निस्तारण की कार्यवाही शीघ्र पूरी करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

ग्राम धौखरिया परगना रामनगर तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी के ग्राम प्रधान श्री चक्रपाणि द्वारा ग्राम समाज की भूमि (चकमार्ग) पर अनाधिकार रूप से कब्जा करने के विरुद्ध जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–122 बी/115–सी के अन्तर्गत वाद तहसीलदार, फतेहपुर के न्यायालय में दिनांक 16 अगस्त, 1985 को दर्ज किया गया । तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 6 मई, 86 के विरुद्ध अपर कलेक्टर, बाराबंकी के न्यायालय में निगरानी दिनांक 15 मई, 1986 को दाखिल की गई है । वाद के निर्णयोपरान्त प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

मेसर्स अंसल प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद द्वारा राजबाग कालोनी मोहननगर में निर्मित काम्पलेक्स

*13–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स अन्सल प्रापर्टीज प्रा0 लि0 गाजियाबाद द्वारा निर्मित राजबाग कालोनी मोहननगर गाजियाबाद स्थित काम्पलेक्स जिसमें 325 उपभोक्ता दिखाकर 2, 62000/-रु0 का एस्टीमेट परिषद् द्वारा पहन किया गया का एस्टीमेट एक ही कम्पाउन्ड मानकर उपरोक्त फर्म से क्यों नहीं लिया गया जबकि परिषद् के नियमानुसार वह एक ही कम्पाउन्ड है ? परिषद् को इस आपराधिक क्षति के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या यह धन उपरोक्त फर्म से वसूल किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार –

मेसर्स अंसल प्रापर्टीज लिमिटेड गाजियाबाद द्वारा राजबाग कालोनी मोहननगर, गाजियाबाद में जो काम्पलेक्स निर्मित किया गया है, उसमें 169 दुकानें तथा 155 आवासीय भवन हैं उपरोक्त में से 52 भवनों तथा 50 दुकानों के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र अलग-अलग उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये थे । शेष आवासीय भवनों एवं दुकानों के लिए मेसर्स अंसल प्रापर्टीज द्वारा अलग-अलग प्रार्थना-पत्र दिये गये । इस प्रकार सभी फ्लैटों तथा दुकानों के लिए अलग-अलग प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनके द्वारा विद्युत परिषद् में 25/- रुपये की अर्नेस्ट मनी भी जमा की गयी । चूंकि उपरोक्त सभी कनेक्शनों के लिए एक साथ प्रार्थना-पत्र दिये गये इसलिए कलस्टर स्कीम के अन्तर्गत रु0 2,62,000 का स्टीमेट बनाया गया जिसमें 15 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न प्राप्त हो रहा था, अतः कलस्टर का स्टीमेट स्वीकृत हो जाने के पश्चात रु0 16 प्रति कनेक्शन के हिसाब से उपभोक्ताओं को नियम व शर्तें भेजी गयी थी तथा एक कनेक्शन जो कि 70 किलोवाट का है के लिए रु0 6103 मेसर्स अंसल प्रापर्टीज से लिया गया । इस कलस्टर स्कीम में अब तक 322 कनेक्शन दिये जा चुके हैं । इस प्रकार उपरोक्त काम्पलेक्स एक ही परिसर नहीं है क्योंकि इसमें अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा कनेक्शन लिया गया है ।

विद्युत परिषद् के वर्तमान नियमों के अनुसार इस प्रकार के काम्पलेक्स जिसमें अलग-अलग व्यक्ति द्वारा आवासीय भवन अथवा दुकानें ली गयी है इसमें विद्युत कनेक्शन लेने के लिये किसी एक व्यक्ति को एक प्वाइन्ट पर कनेक्शन लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है तथा भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति द्वारा परिषद् से विद्युत शक्ति लेकर अन्य उपभोक्ताओं को बेचने का अधिकार नहीं है।

उपरोक्त कनेक्शन देने में विद्युत परिषद् को किसी प्रकार की क्षति नहो हुयी है । अतः इसके लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है। नियमानुसार सर्विस कनेक्शन चार्जेज का उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया गया है । इसलिये अब प्रश्नगत धनराशि को उक्त फर्म से वसुल करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बता दें कि एक काम्पलेक्स की डिफनेशन क्या है?

श्री प्रमोद कमार–

इसमें एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहता हूं । इस संबंध में विद्युत विभाग जो समझता है, हमारा सीधा संबध उपभोक्ता से होता है । यदि एक उपभोक्ता पूरे काम्पलेक्स हेतु कनेक्शन मांग ले, तो इसमें एक काम्पलेक्स मान लेंगे लेकिन जैसे सचिवालय कालोनी है, तो उसमें काम्पलेक्स एक है, लेकिन उपभोक्ता कई और अलग-अलग हैं ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

इसके उत्तर में एक जगह आया है 169 दुकानें तथा 155 आवासीय भवन हैं उपरोक्त में से 53 भवनों तथा 50 दुकानों के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र अलग-अलग उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये थे । शेष आवासीय भवनों एवं दुकानों के लिए मै अंसल प्रापर्टीज द्वारा अलग-अलग प्रार्थना पत्र दिये गये, इसको देखते हुए इन्हीं के अनुसार यह एक काम्पलेक्स बन जाता है । मान्यवर, उसको फुल डिपाजिट स्कीम में क्यों नहीं लिया गया ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अंसल प्रापर्टीज ने अलग-अलग प्रार्थना पत्र दिये थे । हमें उपभोक्ता से मतलब है। जो अप्लाई करेगा उसको कनेक्शन देंगे। अगर अलग-अलग अप्लाई करेगा तो अलग-अलग देंगे । अंसल प्रापर्टीज ने अलग दिया था । उनके साथ वह नियम और शर्तें होंगी । हम मजबूर नहीं कर सकते कि एक आदमी बिजली ले ले और सबको बांटे ।

सहकारी समिति के सदस्यों को लाभांश वितरित करने के निदेश

*14–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि **साधन सहकारी समितियों** के सदस्यों का शेयर मनी पर ब्याज दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ब्याज देने पर शासन विचार करेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सदस्यों को लाभ का वितरण नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन सदस्यों को मुनाफा का वितरण कराये जाने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं। सहकारी अधिनियम तथा नियमों में अंश पूंजी पर सदस्यों का ब्याज दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । सदस्यों को उनकी चुकता अंशपूंजी पर लाभांश दिये जाने का प्राविधान है । सहकारी समितियां अपनी वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में सदस्यों को दिये जाने वाला लाभांश घोषित करती है । फिर भी निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा सभी जनपदीय सहायक निबन्धकों को सहकारी अधिनियम, नियमावली तथा समितियों को अपनी-अपनी उपविधियों के अनुसार सदस्यों को लाभांश वितरित करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

परगनाधिकारी को भूमि विवादों व भूमि आवंटन के सम्बन्ध में माह में एक बार निरीक्षण किये जाने के आदेश

*15–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन के ऐसे निर्देश हैं कि चुस्त प्रशासन देने हेतु मा0 सदस्यों के साथ परगनाधिकारी को भूमि विवादों व भूमि आवंटन के संबंध में माह में एक बार निरीक्षण करना चाहिए ? यदि हां, तो उस निर्देश का पालन किया जा रहा है तथा कितने परगनाधिकारियों ने अब तक अपने क्षेत्रों के विधायकों के साथ दौरे किए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । सीलिंग एवं ग्राम सभा भूमि के आवंटियों को भू-आवण्टन एव कब्जा सुनिश्चित कराने तथा क्षेत्रीय विधायक गण के परामर्श का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से परगनाधिकारियों द्वारा प्रत्येक मास पहले शनिवार को क्षेत्रीय विधायक के परामर्श से कार्यक्रम बनाकर निरीक्षण करने के आदेश प्रभावी हैं । उक्त निर्देश का अनुपालन सामान्यत: सुनिश्चित करने के प्रयास किये गये हैं । माह जून, 1985 से जुलाई, 1986 की अवधि में जनपदों से उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार प्रदेश के परगनाधिकारियों ने क्षेत्रीय विधायकगण के साथ 86 संयुक्त निरीक्षण किए हैं । शांति व्यवस्था में परगनाधिकारियों की व्यस्तता तथा सूचना के बावजूद माननीय क्षेत्रीय विधायकों की उपस्थिति के

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अभाव में परगनाधिकारियों द्वारा निरीक्षण तिथि पर अकेले सम्पादित किये गये 271 निरीक्षणों के कारण निर्धारित संख्या में संयुक्त निरीक्षण सम्भव नहीं हो सके हैं। संयुक्त निरीक्षण संबंधी आदेशों का यथा सम्भव अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाता है ।

उद्योगों पर विद्युत बोर्ड की बकाया धनराशि

*16–श्री हर्षवर्धन–

द्वितीय सत्र 1985 के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 15 के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जिन दस उद्योगों पर 5 लाख से अधिक विद्युत बोर्ड का बकाया था उन पर 31 दिसम्बर, 1985 को कितना बकाया था तथा उसके वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 202–205 पर)

विद्युत सेवा आयोग द्वारा दैनिक श्रेणी लिपिक के रिक्त पदों को भरने हेतु समाचार पत्रों को दिया गया विज्ञापन

*17–श्री कृष्ण कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1984 में राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु समाचार पत्रों में दिया गया विज्ञापन किन-किन समाचार पत्रों में दिया गया तथा उसमें रिक्त पदों की संख्या क्या दी गई है कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि चयन प्रक्रिया विद्युत सेवा आयोग के बजाय निजी संस्था द्वारा क्यों पूरी करायी गयी?

श्री सुनील शास्त्री–

विद्युत सेवा आयोग द्वारा दैनिक श्रेणी लिपिक के रिक्त पदों को भरने हेतु निम्न समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था:–

हिन्दी समाचार पत्र

(क) अमृत प्रभात, लखनऊ (ख) दैनिक जागरण, कानपुर (ग) आज, वाराणसी (घ) अमर उजाला, बरेली

अंग्रेजी समाचार पत्र

(च) पायनियर, लखनऊ (छ) हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली (ज) नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद ।

रिक्त पदों की संख्या 110 दी गयी थी।

चूंकि विद्युत सेवा आयोग के कार्यालय में उपरोक्त विज्ञापन के सन्दर्भ में लगभग 24,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे तथा कम कर्मचारियों और सीमित साधनों के कारण इतने अभ्यर्थियों की परीक्षा का संचालन करना आयोग के लिये कठिन था, अतः चयन की प्रक्रिया इन्स्टीट्यूट आफ को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, लखनऊ द्वारा करायें जाने का परिषद् ने निर्णय लिया एवं उनके द्वारा कम्प्यूटर प्रणाली से परीक्षा सम्पन्न करायी गयी।

अधिकाधिक जल विद्युत परियोजनाएं प्रारम्भ करने पर विचार

*18–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सप्तम पंचवर्षीय योजना के अन्त में जल विद्युत का प्रतिशत कुल विद्युत उत्पादन में आज के प्रतिशत से भी कम हो जाएगा और यह प्रतिशत आठवीं

योजना के लिए बनाई जा रही रूपरेखा के बाद और भी कम हो जाएगा ? जिससे विद्युत दरें और भी बढ़ जायेंगी ? यदि हां, तो क्या मंत्री योजनाओं में परिवर्तन करके तापीय विद्युत की प्रस्तावित योजनाएं कम करके अधिकाधिक जलीय विद्युत परियोजनाएं प्रारम्भ कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां । यद्यपि सातवीं योजना के अन्त तक प्रश्नगत प्रतिशत कम हो जायेगा, तथापि आठवीं योजना के अन्त तक यह प्रतिशत बढ़ जायेगा । आठवीं योजना के अन्त तक जल विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी के कारण विद्युत दरों मे वृद्धि पर निश्चित ही रोक लगेगी बशर्ते कि अन्य कारक अपरिवर्तनशील रहें । वर्तमान में यही प्रयत्न किया जा रहा है कि विद्युत उत्पादन के निमित्त प्रदेश में उपलब्ध सक्षम जल संसाधन का पूरा-पूरा उपयोग हो, अतः किसी परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

*19–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[प्रतिनिहित विधायन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गोरखपुर के ग्राम बरवलदिगर के हरिजन आबादी में विद्युत कनेक्शन

*20–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद गोरखपुर के ग्राम बरवलदिगर, पोस्ट खखाइचखोर, विकास खण्ड गगहा के हरिजन आबादी में लगभग 7 साल से बिजली के खम्भे खड़े हैं परन्तु आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया जबकि कागज में हरिजन आबादी को इलेक्ट्रीफाइड दिखाया जा रहा है? क्या सरकार इसकी जांच करा कर बिजली की सप्लाई दिलाने का आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां । गांव के किसी व्यक्ति द्वारा कनेक्शन हेतु विभागीय औपचारिकतायें पूरी न करने के कारण अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है। औपचारिकतायें पूरी होने पर एक सप्ताह में कनेक्शन दे दिया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद शिवकुटी स्थित भिक्षुक कर्मशाला में अधीक्षिका के साथ ए0 पी0 सिंह नामक व्यक्ति के रहने के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद शिवकुटी स्थित भिक्षुक कर्मशाला में अधीक्षिका के साथ श्री ए0 पी0 सिंह नामक व्यक्ति अवैध रूप से रहकर वर्षों से भिक्षुकों को आतंकित और उत्पीड़ित किये हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार अधीक्षिका के विरुद्ध भिक्षुक कर्मशाला जो कि निरुद्धायल है, में अवैध व्यक्ति को अवैध रूप से साथ रखने तथा भ्रष्टाचार फैलाने हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्री ए0 पी0 सिंह भिक्षुक कर्मशाला में रहते हुए पाये गये हैं। विषय पर सभी सम्बन्धित पहलुओं पर परीक्षण किया जा रहा है। अधीक्षिका द्वारा भ्रष्टाचार करने सम्बन्धी शिकायतों पर अधीक्षिका श्रीमती माया विरमानी को उक्त संस्था से स्थानान्तरित कर निलम्बित कर दिया गया है।

देवरिया जनपद के फाजिलनगर विधान सभा क्षेत्र के हरिजन आबादी में विद्युतीकरण

2—श्रीमती शशि शर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के फाजिलनगर विधान सभा क्षेत्र में हरिजन आबादी के कितने गांवों में बिजली देना स्वीकृत है तथा अब तक कितने ग्रामों में बिजली दी जा चुकी है तथा शेष को कब तक बिजली मिल जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

देवरिया जनपद के फाजिलनगर विधान सभा क्षेत्र में हरिजन आबादी के 152 ग्रामों को विद्युतीकृत करने की स्वीकृति है जिसमें से 2/86 तक 58 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है तथा शेष 94 ग्रामों को वर्ष 1990 तक विद्युतीकृत किये जाने की आशा है।

देवरिया जनपद के कुबेर स्थान पर सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव

3—श्रीमती शशि शर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के कुबेर स्थान पर सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव शासन द्वारा वर्ष 84-85 में किया गया था? यदि हां, तो कब तक पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । उक्त विद्युत सब स्टेशन को वर्ष 1988 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

बांदा जनपद के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में हरिजन बाहुल्य गांवों में विद्युतीकरण

4—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में कितने ऐसे हरिजन बाहुल्य गांव हैं जिनका विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ ? इनका विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

बांदा जनपद के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 65 हरिजन बाहुल्य गांवों (जिनमें हरिजन परिवार 30 प्रतिशत से अधिक हैं) में से 38 ऐसे गांव हैं जिनका विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है । इन गांवों को आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में विद्युतीकृत करने की योजना है ।

जनपद देवरिया के ग्राम शीतलसाझा में विद्युत स्पर्शाघात से श्री राम विलास की मृत्यु, परिवारजनों को क्षतिपूर्ति का भुगतान

5—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के थाना रुद्रपुर के शीतल साझा ग्राम में 16-6-81 को टूट कर गिरे विद्युत तार के विद्युत स्पर्शाघात से राम विलास पुत्र पूर्णवासी मल्लाह **और उसके दो बैलों की मृत्यु हो गयी?** यदि हां, तो पूर्णवासी मल्लाह के परिवारजन को क्षतिपूर्ति प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस बात की भी जांच कराई गई कि तीन दिन पूर्व सूचना प्राप्त करने के बाद भी उसकी लाइन नहीं ठीक की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति—आयुक्त एवं जिलाधिकारी, देवरिया के माध्यम से रुपया एक हजार की अन्तरिम अनुग्रह धनराशि दी गई है । शेष धनराशि का भुगतान क्षेत्रीय समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर किया जायेगा ।

दिनांक 16-6-81 को सायंकाल आंधी और तूफान आया जिससे लाइन का तार

लटक गया और दिनांक 17-6-81 को प्रातः यह दुर्घटना घट गई । दैनिक रूप से लाइन की पैट्रोलिंग करते समय उक्त दोष जानकारी में आया और उसका सुधार तुरन्त टूटा हुआ क्रास आर्म बदल के कर दिया गया ।

बस्ती जनपद के कतिपय विकास खण्डों में स्थित साधन सहकारी समितियों को उर्वरकों में छूट

6—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास खण्ड इटवा, खुनियांव, मनवापुर में स्थित साधन सहकारी समितियों को वर्ष 1984-85 व 85-86 में कुल कितनी धनराशि उर्वरकों में छूट के रूप में किन-किन व्यक्तियों को दी गई ? क्या उसको प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

बस्ती जनपद के विकास खण्ड इटवा, खुनियांव एवं भनवापुर में स्थित कृषक तथा साधन सहकारी समितियों को वर्ष 1984-85 में रु0 2,91,843·80 तथा वर्ष 85-86 में रु0 2,42,013·03 कुल योग रु0 5,33,856·83 उर्वरक में छूट के रूप में दी गई । वर्ष 1984-85 की सूची पूर्व सूचना पर किसी भी कार्यालय दिवस पर मेरे कार्यालय में अवलोकित की जा सकती है । वर्ष 1985-86 की सूची तैयार कराई जा रही है ।

डुमरियागंज तहसील के विकास खण्डों में स्थित कृषक सहकारी समितियों व साधन सहकारी समितियों को प्रदान की गई वित्तीय धनराशि

7—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील के सभी विकास खण्डों में स्थित कृषक सहकारी समितियों व साधन सहकारी समितियों को वित्तीय वर्ष 1984-85 व 85-86 में कुल कितने रुपये की धनराशि लघु व सीमान्त कृषकों को उर्वरकों की खरीद में छूट देने के लिए प्रदान की गई ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

डुमरियागंज तहसील के सभी विकास खण्डों में स्थित कृषक सहकारी समितियों व साधन सहकारी समितियों को वित्तीय वर्ष 84-85 में रु0 3,87,526·80 तथा 85-86 में रु0 4,39,981·53 रुपए की धनराशि लघु व सीमान्त कृषकों को उर्वरक की खरीद में छूट देने के लिए प्रदान की गई ।

जिला बस्ती की बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित कतिपय तहसीलों को गृह अनुदान का वितरण

8—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, तहसील हरैया, बस्ती, डुमरियागंज, बांसी नौगढ़ खलीलाबाद जिला बस्ती में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में किस प्रकार की कितनी सहायता किन-किन गांवों के लोगों को दी गई है ? इनमें से कितना रुपया किन-किन गांव के लोगों को मकान क्षति अनुदान हेतु दिया गया ? कितने गांव के लोगों को मकान क्षति अनुदान अब तक नहीं दिया गया ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1984 व 1985 की बाढ़/अतिवृष्टि से तहसील बांसी, डुमरियागंज, खलीलाबाद, हरैया, बस्ती व नौगढ़ के प्रभावित क्षेत्रों में सामग्री व गृह अनुदान

वितरण का विवरण संलग्न है । विस्तृत विवरणों को माननीय सदस्य मेरे कार्यालय कक्ष में पूर्व सूचना देकर देख सकते हैं।
(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 206-207 पर)

अलीगढ़, हाथरस और सिकन्दरामऊ में विद्युत आपूर्ति तथा विद्युत उपभोग

9—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़, हाथरस और सिकन्दरामऊ में कितने हजार यूनिट विद्युत आपूर्ति वर्ष 1985 में की गयी और कितने हजार यूनिट विद्युत उपभोक्ताओं के उपभोग में अंकित हुई ? क्या वहां के अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परिषद् खण्ड श्री वी0 एम0 मोहन तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के विरुद्ध श्री प्रेम प्रकाश अलीगढ़ द्वारा जुलाई, 85 में सम्बन्धित पत्र ऊर्जा मंत्री को भेजा, प्राप्त हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियन्ता और उनके अधीनस्थ कर्मचारी बड़े और भारी उद्योगपतियों से मिलकर मीटर बैक कर पुनः सील कर देते हैं जिससे हजारों यूनिट बिजली चोरी प्रतिमाह कर लाखों रुपए की क्षति विद्युत परिषद् को पहुंचायी जाती है ? यदि हां, तो क्या उन आरोपों की जांच करायी गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

अलीगढ़, हाथरस और सिकन्दरामऊ में वर्ष 1985 में विद्युत आपूर्ति तथा विद्युत उपभोग निम्न है —

नाम कस्बा	विद्युत आपूर्ति मि0 यूनिट में	विद्युत उपभोग मि0 यूनिट में	विद्युत क्षति
अलीगढ़	83·868	66·220	21·04%
हाथरस	28·029	23·177	17·31%
सिकन्दरामऊ	1·836	1·660	9·59%

लाइन लास अलीगढ़, हाथरस और सिकन्दरामऊ में वर्ष 1985 में जो ऊपर दर्शाये गये हैं, अन्य नगरों के आधार पर उचित है।

जी हां, उक्त पत्र प्राप्त हुआ था।

जांच करने पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये हैं :—

विद्युत परिषद् द्वारा चूंकि उपरोक्त तथा अन्य स्थानों पर मीटर पर, "पेपर सील" तथा विशेष प्रकार के "मीटर बक्सों" का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से गलत रूप से विद्युत का उपभोग करने वाले सम्बन्धित व्यक्तियों की इच्छाओं पर कुठाराघात होता है जिससे क्षुब्ध होकर वे ऐसी शिकायतें करवाते हैं। यह शिकायत भी इसी प्रकार की पायी गयी।

विद्युत बिलों की हेरफेर के जांच के लिए अधिशासी अभियन्ता को दिये गये कथित आदेश

10—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में विद्युत बिलों की हेरफेर की जांच के सन्दर्भ में वर्ष 1985 में जिलाधिकारी ने जांच का आदेश अधिशासी अभियन्ता को दिया था? यदि हां, तो क्या सरकार जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

अधिशासी अभियन्ता को वर्ष 1985 में जिलाधिकारी से जांच का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम सभा बसरिहा में सीलिंग एवं आवासीय भूमि हरिजनों में आवंटित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही

11—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के, ग्राम बसरिहा, तह0 सदर, जिला आजमगढ़ में 25 एकड़ सीलिंग की जमीन को हरिजनों में न आवंटित किये जाने तथा सड़क के किनारे की आवासीय भूमि को हरिजनों को न उपलब्ध कराये जाने विषयक पत्र के क्रम में प्रेषित आपके पत्र संख्या 244/एस0 एम0 आर0/वी0 आई0 पी0/85, दि0 9-8-85 के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या सीलिंग एवं आवासीय भूमि हरिजनों में आवंटित कर दी गयी ? यदि हां, तो कितने लोगों को आवंटित की गयी और उन्हें कब्जा कब दिलाया गया?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम सभा बसरिहा में 25 एकड़ सीलिंग भूमि का आवंटन 18 अनुसूचित जाति व 8 पिछड़ी जाति के कुल 26 व्यक्तियों के मध्य किया गया और आवंटियों को दिनांक 1-12-80 को कब्जा दखल भी दे दिया गया। सड़क के किनारे कोई आवासीय भूमि आरक्षित नहीं है। अतः आवंटित नहीं की गयी।

तहसील बीकापुर के अन्तर्गत स्थित परगना पश्चिम राठ व खंडासा, जनपद फैजाबाद की ग्राम समाज की भूमि का अवैधानिक रूप से खरीद के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

12—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के तह0 बीकापुर के अन्तर्गत स्थित परगना पश्चिम राठ व खंडासा, जनपद फैजाबाद की ग्राम समाज की भूमि का अवैधानिक रूप से भारी पैमाने पर खरीद फरोख्त विषयक शिकायती पत्र दि0 5-10-85 के क्रम में आयुक्त, फैजाबाद को प्राप्त संदर्भित अर्धशासकीय पत्र संख्या 13/7-2-(85-86)4 की किन-किन बिन्दुओं पर जांच करायी गयी और अब तक की जांच आख्या क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

शिकायत पत्र में उल्लिखित ग्रामों व उनसे सम्बन्धित मामलों की स्थिति इस प्रकार ।

1—ग्राम सभा बवां के ग्राम बवां के भूखण्ड संख्या-1157 क्षेत्रफल 0 बीघा 3 बिस्वा 10 विस्वांसी जो ग्राम सभा सम्पत्ति है के 2 बिस्वा पर श्रीमती गुलाब देवी पत्नी किशोरी एवं इसी भूखण्ड के रकबा 0-1-10 पर हनुमान दत्त पुत्र नीमर ने अवैध कब्जा कर भवन बना लिया है। अवैध काबिजदारों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत तहसीलदार, बीकापुर के न्यायालय में वाद विचाराधीन है।

भूमि संख्या—1826/0-2-18 चैतु पुत्र भग्गू निवासी बवां के खाते में दर्ज है तथा भूमि संख्या—1827/0-9-18 पृथ्वीपाल पुत्र रमेसर निवासी बवां के खाते में दर्ज है। इस प्रकार उक्त दोनों भूमि नम्बरान गांव सभा की जमीन नहीं है।

2—ग्राम पलिया लोहानी के भूखण्ड संख्या—1557 रकबई 0-12-18 श्री रामदेव पुत्र भोरई के नाम तथा भूखण्ड संख्या—1557 रकबई 0-4-12 श्री शिवबरन लाल पुत्र रामफल के नाम अंकित है और इस प्रकार उक्त दोनों भूखण्ड

खजुरहट मिल्कीपुर तथा बारून-इसौली मार्ग के क्रासिंग पर स्थित नहीं है।

3—ग्राम मुंगीशपुर की भूमि संख्या—280 के सम्बन्ध में तत्कालीन परगनाधिकारी, बीकापुर श्री के0 के0 शुक्ल द्वारा कृत जांच आख्या के आधार पर 14 **व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 122-बी के** अन्तर्गत दिनांक 23-10-82 को पंजीकृत वादों का निर्णय हो चुका है। 11 मामलों **में 122-बी की नोटिस तहसीलदार,** न्यायालय से वापस ली जा चुकी है तथा 3 मामलों में बेदखली का आदेश एवं जुर्माना आरोपित किया गया है।

दायर वादों में से एक वाद गांव सभा बनाम श्री झगरू जो तहसीलदार न्यायालय से दिनांक 8-5-83 को निर्णीत हुआ में श्री झगरू राम द्वारा विवादित स्थल पर पुनः निर्माण कराये जाने पर मामले की जांच परगनाधिकारी द्वारा की गई जिसमें झगरू राम के पक्ष में किया गया पट्टा नियम विरुद्ध व अवैधानिक पाया गया। जांच के समय विवादित भूमि पर मौके पर दीवालें बन चुकी थीं अतः शासकीय अभिवक्ता की राय पर वर्तमान प्रधान गांव सभा मुगींशपुर द्वारा झगरू राम के पट्टे के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया गया जो दिनांक 26-12-85 को खारिज हो चुका है। इसी सम्बन्ध में परगना मजिस्ट्रेट, बीकापुर के न्यायालय में वाद संख्या—99/85 झगरू राम बनाम दयाराम अन्तर्गत धारा-145 दण्ड प्रक्रिया **संहिता विचाराधीन है जिसकी कार्यवाही** वर्तमान समय में माननीय जिला जज के न्यायालय से रिवीजन संख्या—191/85 में पारित स्थगनादेश के अन्तर्गत स्थगित है।

4—अवैध एवं फर्जी पट्टे तैयार करने के आरोप में श्री दिलसुखलाल लेखपाल को निलम्बित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा चुकी है तथा वर्तमान समय में भी एक अन्य मामले में निलम्बित है।

5—श्री आलिम हुसैन लेखपाल के विरुद्ध तत्कालीन परगनाधिकारी को संस्तुति के अनुरूप कार्यवाही उक्त लेखपाल के जांच के पूर्व ही सेवा-निवृत्त हो जाने के कारण नहीं हो सकी है।

6—भूतपूर्व प्रधान श्री श्याम सुन्दर गिरि के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि जांच के पूर्व ही दिनांक 16-8-82 को वे ग्राम प्रधान पद से मुक्त हो चुके थे।

ग्राम देवपुरवा, मिर्जापुर में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध तरीके से भवन निर्माण करने के संबंध में शिकायती पत्र

13—श्री अरुण प्रताप सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे

कि ग्राम देवपुरवा तह0 सदर मिर्जापुर में ग्राम देवपुरवा से बल्लीपुरवा को जाने वाली सड़क को कुछ ग्रामवासियों द्वारा फाटक लगाकर रास्ता बंद कर देने, सड़क की ईंट उखाड़ कर नाली बना लेने, ग्राम देवपुरवा की हरिजनों को आवंटित होने वाली ग्राम समाज की जमीन पर अवैध तरीके से भवन निर्माण कर लेने आदि के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र जनवरी, 1985 में सचिव, राजस्व विभाग को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

जांच कराई जा रही है।

उन्नाव जिले के मौरावां पावर हाउस हेतु भूखण्ड का मुआवजा पाने हेतु प्रार्थना पत्र

14—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि **उन्नाव जिले के मौरावां कस्बे का पावर**

हाउस किस काश्तकार की जमीन पर बना है? क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि का लगान आज भी उस गरीब काश्तकार को ही देना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उसके द्वारा आपके विभाग को उक्त जमीन का मुआवजा पाने हेतु दिए गए प्रार्थना पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री सुनील शास्त्री–

मौरावां 33/11 के0 वी0 विद्युत उप-केन्द्र का निर्माण जिस भूखण्ड पर किया गया है वह मूलत: श्री महाबीर सिंह के नाम से था । तत्पश्चात्, उनकी मृत्यु हो जाने पर, उक्त भूखण्ड उनके पुत्र श्री हरिश्चन्द्र के नाम हो गया है । यह सत्य है कि उक्त भूखण्ड का लगान अभी भी काश्तकार द्वारा ही दिया जा रहा है क्योंकि भूखण्ड का निबन्धन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के नाम नहीं हुआ है ।

भूमि स्वामी (श्री हरीश्चन्द्र) ने उक्त भूखण्ड का मुआवजा पाने हेतु प्रार्थना पत्र परिषद् के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को सर्वप्रथम जनवरी, 1986 में दिया था। समस्त औपचारिकतायें पूरी करके मुआवजे की धनराशि का निर्धारण करने के लिये अपर जिलाधिकारी, उन्नाव से निवेदन किया गया है, ताकि मुआवजे का भुगतान राज्य विद्युत परिषद् द्वारा किया जा सके ।

अकबरपुर नगरपालिका सीमा में बाढ़ शरणालय बनाने हेतु पत्र

15–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर नगर पालिका सीमा में बाढ़ शरणालय बनाने के लिए श्री प्रियदर्शी जेतली, तत्कालीन विधायक का कोई पत्र दिनांक 28-2-84 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या आदेश हुए थे ? उक्त शरणालय कब तक निर्मित होगा ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

दैवी आपदा बजट से बाढ़ शरणालय बनाने का वर्तमान में कोई प्राविधान नहीं है।

ग्राम गर्जिया का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

16–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ के तह0 डीडीहाट वि0 खं0 बेरीनाग अंतर्गत ग्राम सभा थल का विद्युतीकरण 1975 तक हो चुका था? इसी ग्राम सभा के अन्तर्गत हरिजन एवं जनजाति के उप गांव (जिसके मार्ग पर दो सवर्ण परिवारों के पक्के मकान भी है) ग्राम गर्जिया का विद्युतीकरण, उप खण्ड अधिकारी विद्युत उप खण्ड (तृतीय) उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् डीडीहाट के पत्रांक 225 वि0 वि0 ड0 खण्ड (डी) 5-4 दि0 23-4-83 द्वारा विद्युतीकरण के निर्देश दिये जाने के बाद भी दि0 15-1-86 तक विद्युतीकरण न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार उपरोक्त ग्राम का अतिशीघ्र विद्युतीकरण करने के आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री पन्ना लाल उर्फ झम्मन लाल, निवासी ग्राम मधुबनी, जिला आगरा को मृत घोषित करके खतौनी में सगे भाइयों के नाम अंकित किये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

17–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पन्ना लाल उर्फ झम्मन लाल पुत्र गनेशी

लाल कौम कुशवाहा निवासी ग्राम मधु-वनी, तह0 एत्मादपुर जिला आगरा आज भी जीवित है और उसने दि0 3-1-85 को अपनी भूमि खाता संख्या 54 का बैनामा मुकुट सिंह, पूरन सिंह, महेन्द्र सिंह व गंगा सिंह, सुभाष, श्रीपाल निवासी महा-वली, तहसील एत्मादपुर जिला आगरा के हक में किया था ? क्या यह भी सही है कि श्री किशन पाल सिंह, लेखपाल नाथई तथा श्री श्याम सुन्दर लेखपाल महा-वली तथा श्री सोहन लाल गुप्त, सुपर-वाइजर, कानूनगो टूंडला ने उपरोक्त पन्ना लाल उर्फ झम्मन लाल पुत्र गनेशी को दि0 5-12-84 को मृतक घोषित करके 4-द-11 में श्रीपाल सुखराम, नौबत सिंह व भगवान दास पुत्रगण गनेशी का नाम खतौनी में अंकित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दोषी कर्म-चारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

श्री पन्ना लाल उर्फ झम्मन लाल पुत्र गनेशी लाल के आज भी मृत अथवा जीवित दोनों प्रकार के दावे होने के कारण एक बाद तहसीलदार एत्मादपुर के न्यायालय में दायर किया गया है जो अभी विचाराधीन है।

श्री पन्ना लाल के नाम से एक बैनामा मुकुट सिंह आदि के पक्ष में भूमि खाता सं0-54 का दिनांक 3-1-85 को रजिस्ट्री द्वारा किया गया है।

यह सत्य है कि पन्ना लाल उर्फ झम्मन लाल पुत्र गनेशी लाल को मृतक घोषित करके प्रश्न में उल्लिखित उसके सगे भाइयों के नाम खतौनी में अंकित करने के आदेश भूलेख निरीक्षक (श्री सोहन लाल गुप्ता) द्वारा प्रश्न में उल्लिखित लेखपालों की रिपोर्ट के आधार पर पारित कर दिये गये थे।

उपरोक्त दोषी कर्मचारियों को अनुत्तर-दायित्व पूर्ण कार्य करने तथा प्रस्तुत मामले में अपने अधिकारों से बाहर कार्य करने के लिए चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्ट दी जा चुकी है।

ग्राम बासरतना, जिला आगरा में आवास गृह योजना के अन्तर्गत हरिजन कालोनी के निर्माण में प्रगति

18–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् 1978 में ग्राम बासरतना तह0 एतमादपुर जिला आगरा में एक हरिजन कालोनी 20 गृहों की 20 परिवारों के लाभ के लिए आवास गृह योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुई थी और उसका उद्घाटन तत्कालीन जिलाधिकारी श्री विवेक नरायन चेन्ना ने 28 फरवरी, 78 को किया था ? यदि हां, तो उसके निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई ? क्या यह सही है कि उस ग्राम के मेवाराम, रामचन्द्र, हेतराम आदि 14 परिवारों को कोई गृह आवास हेतु नहीं बनाया गया है और न ही आवंटन हुआ तथा प्रत्येक से 3000 रुपया तथा उसके सूद की वसूली तह0 एतमादपुर द्वारा की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार फर्जी रिकवरी वापस लेने तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी, हां।

उक्त आवास योजना के अन्तर्गत केवल 6 आवासों का ही निर्माण कार्य पूर्ण हो पाया, जिसमें सम्बन्धित आवंटी रह रहे हैं। 6 आवास स्थलों के पट्टे फर्जी पाये जाने के कारण तथा 8 आवासों का भवन सामग्री के मूल्य वृद्धि के कारण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा निर्माण नहीं कराया

गया। इस प्रकार सर्वश्री मेवाराम, राम दयाल पुत्र राम चन्द्र, व हेतराम आदि 14 परिवारों के लिए आवास नहीं बन सके।

तहसीलदार एतमादपुर द्वारा 8 व्यक्तियों से वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, जिसे जिलाधिकारी द्वारा रोक दिया गया है।

सम्बन्धित व्यक्तियों के ऋण को राइट आफ करने के लिए सम्बन्धित बैंक को लिखा गया है, तथा दोषी पाए गये व्यक्ति को समुचित दण्ड दिया गया है।

सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र हेतु ग्राम नगला चमरू, जिला गाजियाबाद की अधिगृहीत भूमि के प्रतिकर की वसूली

19—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नगला चमरू, तह0 दादरी, जिला गाजियाबाद के पूर्व प्रधान श्री भजन लाल के प्रधानी पद के दौरान दिनांक 17-3-75 को ग्राम नगला चमरू की रकबई 5-3-0 बीघा भूमि जो सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिग्रहीत की गई, उस भूमि का प्रतिकर रु0 31085.05 ग्राम के खाते में जमा किया गया था तथा रु0 24000.00 उच्च अधिकारियों के अनुमोदन से ग्राम विकास पर खर्च किया गया था तथा दिनांक 15-5-79 को रु0 6475.00 अध्यापित अधिकारी बुलन्दशहर से प्राप्त नोटिस के मिलने पर शेष जमा धनराशि अध्यापित अधिकारी बुलन्दशहर के यहां जमा कर दी गई थी? यदि हां, तो फिर श्री भजन लाल से समस्त धनराशि उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति से क्यों वसूल की जा रही है और उसे दो बार इसी रकम के सम्बन्ध में बन्दी क्यों बनाया गया?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। किन्तु प्रश्नगत ग्राम समाज की अनियमित ढंग से अध्यासित की गई भूमि का प्रतिकर तत्कालीन प्रधान ग्राम सभा नगला चमरू, श्री भजन लाल को दिनांक 19-3-75 को भुगतान किया गया था। यद्यपि पत्रावली पर ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिससे ग्राम प्रधान द्वारा व्यय की गयी धनराशि पर उच्च अधिकारियों के अनुमोदन की पुष्टि हो सके तथापि कलक्टर बुलन्दशहर के शासन को भेजे गए भर्षण प्रस्ताव में प्रतिकर की धनराशि में विकास कार्यों पर कथित व्यय की गई धनराशि रुपया 24,612-05 (रुपया चौबीस हजार छः सौ बारह तथा पैसे पांच केवल) की संस्तुति की थी।

श्री भजन लाल ग्राम प्रधान से प्रश्नगत धनराशि भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली किये जाने के आदेश जिला प्रशासन द्वारा त्रुटिवश जारी किये गये थे तथा श्री भजन लाल को एक बार वसूली प्रक्रिया के अन्तर्गत सिविल लाक अप में 9-6-80 से 15-6-80 तक रखा गया था। मामले में राजस्व परिषद् द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है।

20—श्री शारदा प्रताप—

[2रे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आवास विकास परिषद् की शेखपुरा (अलीगंज) लखनऊ स्थित कालोनी के मकान संख्या एम0 आ0 ई0 13 में विद्युत मूल्य का बकाया भुगतान

21—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे शुक्रवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत भवन के संबंध में जनवरी, 1986 से पूर्व कब-कब

और कितनी धनराशियों के बिल भुगतान हेतु भेजे गए और उनका भुगतान किन तिथियों में प्राप्त हुआ? क्या ऊर्जा मंत्री प्रश्नकर्ता की इस जानकारी को सत्य मानते हुए, कि प्रश्नगत भवन के संबंध में एक-मात्र भुगतान प्रश्नकर्ता के प्रश्न करने के बाद ही किया गया है, यह बताने का कष्ट करेंगे कि लगभग 2 वर्षों तक भुगतान न होने पर भी विद्युत कनेक्शन किस नियम के अंतर्गत नहीं काटा गया? क्या मंत्री जी उक्त भवन में, जिसमें 6 व्यक्तियों का परिवार रहता है तथा जो सामान्यतया हर समय खुला रहता है, मीटर रीडिंग करने की व्यवस्था करेंगे और कब?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

22–श्री राम आसरे वर्मा–

[उसे शुक्रवार के लिये स्थगित]

23–श्री राम आसरे वर्मा–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई की तहसील सन्डीला के ग्राम सोंग की भूमि का अधिग्रहण तथा प्रतिकर का भुगतान

24–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील सन्डीला के ग्राम सोंग में गाटा संख्या 3, बीघा 8, भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1970 में जिलाधिकारी के आदेश द्वारा उदयोग विभाग के लिये किया गया था? यदि हां, तो इसका मुआवजा सीरदार काश्तकार को अब तक न दिये जाने के क्या कारण हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद हरदोई की तहसील सन्डीला के ग्राम सोंग में गाटा संख्या-3 में 0 16 बीघा व अन्य गाटों का अधिग्रहण उदयोग विभाग के लिए वर्ष 1976 में किया गया था। ग्राम सोंग में प्रश्नगत प्रयोजन हेतु अर्जित भूमि का अभिनिर्णय अभी घोषित नहीं किया गया है। इसे घोषित करके शीघ्र प्रतिकर के भुगतान करने का प्रयास किया जायेगा।

अभिनिर्णय घोषित न होने के कारण प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया।

साधन सहकारी समिति लि0, सढ़ियापुर जनपद-हरदोई के सेल्समैन श्री अशर्फी-लाल को सेवा में बनाये रखने का प्रस्ताव

25–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की साधन सहकारी समिति लि0 सढ़ियापुर के सहायक आंकिक/सेल्समैन श्री असरफी लाल यादव की सेवाएं समाप्त करने विषयक प्रस्ताव पर 3-4-85 को जिला सहायक निबंधक हरदोई द्वारा श्री यादव की सेवाएं समिति में लगातार बनाए रखने के आदेश पारित किए गये? यदि हां, तो इसके अनुपालन में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

साधन सहकारी समिति लि0, सढ़ियापुर जनपद-हरदोई के सेल्समैन श्री अशर्फी-लाल को सेवा में बनाये रखने का निर्देश जिला सहायक निबन्धक, हरदोई द्वारा दिनांक 2-4-85 के समिति के प्रशासक को दिया गया था।

जिला सहायक निबन्धक, हरदोई के निर्देश दिनांक 2-4-85 की प्राप्ति के उपरान्त समिति के प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 9-4-85 द्वारा सूचित किया कि समिति में शक्कर वितरण का कार्य 4-10-84 से समाप्त हो चुका है तथा कार्य के अभाव में सेल्समैन श्री अशर्फी लाल को सेवा में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम प्रधान सकराया, जिला व तहसील मथुरा के विरुद्ध ग्राम सभा भूमि पर अनधिकार कब्जा करने की शिकायत

26–श्री बलराम यादव–

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है, कि ग्राम प्रधान सकराया, जिला व तहसील मथुरा ने ग्राम समाज की मैऊड़ों बीघा जमीन अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में कर रखी है और अनेक शिकायतों के बावजूद अभी तक खाली नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन ग्राम समाज की भूमि को अविलम्ब ग्राम प्रधान के कब्जे से मुक्त करायेगा। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । प्रश्नगत ग्राम प्रधान के विरुद्ध ग्राम सभा भूमि पर अनधिकार कब्जा करने की शिकायतों की प्रारम्भिक जांच के समय आरोप सही पाये जाने पर प्रधान को परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 29 जुलाई, 1986 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया था। परगनाधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध निलम्बित प्रधान ने मण्डलायुक्त के न्यायालय में रिवीजन दायर करके 12-8-86 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। प्रधान द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा की गई भूमि से उसे बेदखल करने हेतु धारा-122 बी0, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रधान के विरुद्ध नोटिस जारी कर कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

विधान सभाई क्षेत्र गोकुल, जिला मथुरा में गांवों का विद्युतीकरण

27–श्री सरदार सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 84-85 व 85-86 में विधान सभाई क्षेत्र गोकुल जिला मथुरा में कितने गांव में विद्युतीकरण किया गया? क्या सभी प्रस्तावित गांव में विद्युतीकरण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि बहुत से गांवों में विदयुतीकरण के नाम पर खम्बे खड़े कर दिए गए हैं परन्तु उनमें तार नहीं लगाये गये हैं? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से गांव हैं?

श्री सुनील शास्त्री–

विधान सभा क्षेत्र गोकुल में वर्ष 1984-85 में 5 ग्राम तथा वर्ष 1985-86 में 9 ग्राम अर्थात कुल 14 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है।

वर्ष 1984-85 में सभी प्रस्तावित ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया था जब कि वर्ष 1985-86 में प्रस्तावित केवल एक ग्राम का विद्युतीकरण पूर्ण सामग्री के अभाव में नहीं हो पाया है।

जी नहीं।

जनपद मथुरा में उपभोक्ताओं पर राज्य विद्युत परिषद् की बकाया धनराशि

28–श्री सरदार सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में ऐसे कौन-कौन से उपभोक्ता हैं, जिन पर अब तक उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् का दस हजार अथवा उससे अधिक की देयराशि बकाया है। इस बकाया धनराशि को वसूल न करने का क्या कारण है, तथा यह कब तक वसूल कर ली जायेगी? क्या सरकार ऐसे बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं की सूची बकाया धनराशि सहित पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद मथुरा में 488 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनपर अब तक उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् का दस हजार अथवा उससे

अधिक की धनराशि बकाया है। इन बकाये-दारों में से 335 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर रु0 52,06,002.73 की धनराशि बकाया है जिनके विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर उक्त बकाये की वसूली हेतु भू-राजस्व वसूली अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत रिकवरी सर्टीफिकेट जिलाधिकारी के पास भेज दिये गये हैं।

उपरोक्त में से 88 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन पर विद्युत परिषद् का रु0 14,66,882-29 की धनराशि बकाया है जिसकी वसूली हेतु इनके कनेक्शन विच्छेदित कर दिये गये हैं तथा 14 उपभोक्ताओं पर रु0 2,65,934.44 की धनराशि बकाया है जिन्हें धारा-3 के अन्तर्गत नोटिसें जारी कर दी गई हैं।

एक उपभोक्ता मथुरा रिफाइनरी मथुरा पर विद्युत परिषद् का रु0 63 58 लाख की धनराशि बकाया है जो कि विवादग्रस्त है निर्णयोपरान्त वसूली की कार्यवाही की जायेगी, तथा दो ऐसे भी उपभोक्ता हैं जिन पर रु0 4,97,028 61 की धनराशि बकाया है जिसे किश्तों में वसूल किया जा रहा है।

उपरोक्त में से 37 ऐसे भी उपभोक्ता हैं जिन पर रु0 10,41,785-20 की धनराशि बकाया है किन्तु इनके मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं, निर्णय के पश्चात् ही वसूली की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

शेष 11 उपभोक्ता राजकीय तथा अर्द्ध-राजकीय विभाग हैं जिन पर रु0 58,62,251-90 की धनराशि बकाया है जिसे वसूल करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्त सभी उपभोक्ताओं के बकाये एवं उन पर कृत कार्यवाही का पूर्ण विवरण संलग्न तालिकाओं में दर्शाया गया है।

कस्बा बल्देव (मथुरा) को बिजली आपूर्ति के आदेश

29—श्री सरदार सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री की जानकारी में है कि माह अप्रैल, 1986 के द्वितीय सप्ताह में प्रश्नकर्ता के आवेदन पत्र पर कस्बा बल्देव (मथुरा) को 30 जून, 1986 तक 18 घण्टे बिजली की आपूर्ति करने के आदेश पारित किये थे ? यदि हां, तो उन आदेशों का पालन कब से शुरू हुआ और जनपद के सम्बन्धित अधिकारी को वह आदेश किस तिथि में प्राप्त हुए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ और उस पर दिनांक 30-6-86 तक 18 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति के आदेश थे। चूंकि कस्बा बलदेव जिला मथुरा को औसत 18 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति के आदेश पहले से ही लागू थे अतः उस पर अलग से आदेश नहीं भेजे गये ।

गांव बरौली, जिला मथुरा में विद्युतीकरण की मांग

30—श्री सरदार सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बरौली जिला मथुरा में विद्युत उपकेन्द्र होते हुये भी इस बड़ी आबादी वाले गांव को विद्युतीकृत नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन अविलम्ब उक्त गांव का विद्युतीकरण करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, ग्राम बरौली को जिला विद्युत

†छपी नहीं गयी।

सलाहकार समिति द्वारा अब तक चयनित न किये जाने के कारण उसका विद्युतीकरण नहीं किया गया है । जिला विद्युत सलाहकार समिति के चयन के उपरान्त ही विद्युतीकरण करना संभव होगा ।

ए0 आर0 सुल्तानपुर के विरुद्ध पत्र पर विचार

31–श्री शिव नारायण मिश्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-12-85 जो ए0 आर0 सुल्तानपुर के विरुद्ध था जिसकी श्री रमेश चन्द्र रस्तोगी, संयुक्त सचिव ने अपने 22 जनवरी, 86 के अ0 शा0 पत्र संख्या 3 एम/1/12 सी-2-145/52/85 सहकारिता (2) अनुभाग के द्वारा निबन्धक सहकारी समितियां से जांच के लिए भेज दिया गया है ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में जांच पूरी हो गयी है और जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है । उसके पूर्ण हो जाने पर ही तथ्य प्रकाश में आ सकेगें ।

बाल विकास परियोजना अधिकारियों को आवंटित जीपें, ईंधन एवं अन्य रख रखाव पर व्यय

32–श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0 सी0 डी0 एस0 योजना के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारियों को कितनी जीपें आवंटित की गयी हैं ? इन पर वित्तीय वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 में ईंधन एवं अन्य रख रखाव पर कितना रुपया शासन का व्यय हुआ ? क्या इनके व्यय की कोई सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि इनके व्यय को ध्यान में रखते हुए इनसे होने वाला सरकारी लाभ निरन्तर कम पाया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

बाल विकास परियोजना अधिकारियों को 146 जीपें आवंटित की गई है । इन पर वित्तीय वर्ष 1983-84 में 7.25 लाख रु0 1984-85 में 12.07 लाख रु0 तथा 1985-86 में 11.73 लाख रु0 ईंधन एवं अन्य रख रखाव पर व्यय हुआ ।

जी हां ।

भारत सरकार की नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की परियोजना के लिए प्रति-वर्ष 30,000/- रु0 जनजाति क्षेत्रों के लिए 25,000/- रु0 तथा शहरी क्षेत्रों की परियोजना के लिए 15,000/- रु0 निर्धारित है ।

जी नहीं ।

साधन सहकारी समिति लि0 रामपुर के सचिव का चार्ज श्री राम अभिलाख कटियार सहकारी पर्यवेक्षक, घाटमपुर को दिलाये जाने के आदेश

33–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति लि0 रामपुर के निलम्बित सचिव का चार्ज ताला तोड़कर श्री राम अभिलाख कटियार सहकारी पर्यवेक्षक घाटमपुर को दिलाये जाने हेतु माह दिसम्बर, 85 में जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा सहायक निबंधक, कानपुर देहात को आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश के अनुपालन में श्री कटियार को कब चार्ज दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि चार्ज दिलाये जाने के कितने दिन बाद श्री

कटियार का स्थानान्तरण अन्यत्र स्थान पर किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां, परन्तु आदेश सहायक निबन्धक, कानपुर देहात को नहीं वरन् तहसीलदार घाटमपुर को दिया गया था।

श्री कटियार ने दिनांक 29-1-86 को चार्ज लिया था । उनका स्थानान्तरण दिनांक 6-2-86 को प्रशासनिक आधार पर किया गया ।

जिला मथुरा तहसील सादाबाद के कतिपय गांवों में हरिजनों हेतु आवंटित दुकानें

34–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि गांव रूप्परपुर अवैली एवं जुगसना, तह0 सादाबाद, जिला मथुरा में शासन ने हरिजनों के लिये दुकान बनवाकर आवंटित की है ? यदि हां, तो इन दुकानों में हरिजनों द्वारा दुकानदारी न करने के क्या कारण हैं? क्या शासन दुकानों की अनुपयुक्तता देखकर अन्य किसी कार्य में प्रयोग करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा दुकानदारी न करने का कारण स्थलों पर सुरक्षा का अभाव बताया गया है ।

जी हां ।

सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं के विनियमितीकरण के संबंध में कृत कार्यवाही

35–श्री शारदा प्रताप–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समिति निबंधक पत्रांक-218-25 आर0सी0एस0 लखनऊ, दिनांक 1 जुलाई, 1985 के अंतर्गत जो 1-5-83 से पहले से भर्ती किये गये कर्मचारियों को शासनादेश के अन्तर्गत नियमितीकरण का प्रश्न विचाराधीन था उक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

निबंधक का पत्रांक 218-25/आर0सी0एस0, जो दिनांक 1-5-83 तक सीधी भर्ती से तदर्थ आधार पर नियुक्त सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को सेवाओं के विनियमितीकरण के संबंध में शासन के आदेश प्रसारित होने तक विश्व बैंक कोष्ठक के कर्मचारियों की सेवाओं में यथास्थिति बनाये रखने के संबंध में है, दिनांक 4-7-85 को प्रसारित हुआ है, न कि 1-7-85 को। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सहकारी संस्थाओं के दिनांक 1-5-83 तक सीधी भर्ती से तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं के विनियमितीकरण के संबंध में विनियमावली शासन द्वारा दिनांक 30-7-85 को प्रख्यापित की गई है । चूंकि उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा संचालित विश्व बैंक परियोजना एक सीमित अवधि के लिए पूर्णतया अस्थायी योजना है, अतः उसके नितान्त अस्थायी प्रकृति के होने के कारण विश्व बैंक परियोजना प्रभाग के कर्मचारियों की सेवाओं को उक्त नियमावली के अधीन विनियमित किया जाना संभव नहीं है।

उल्लेखनीय है कि उक्त कर्मचारियों की सेवाओं के विनियमितीकरण के संबंध में एक रिट याचिका भी माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गयी है, जो विचाराधीन है ।

उ0 प्र0 सहकारी बैंक द्वारा संचालित विश्व बैंक परियोजना के कर्मचारियों की

कोआपरेटिव बैंक की शाखाओं में नियुक्ति

36–श्री शारदा प्रताप–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश के पत्रांक 218-25/आर0 सी0 एस0 दिनांक 4-7-85 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक की किन-किन शाखाओं में लिया गया तथा कितनी रिक्तियां शाखाओं में अब तक की हैं ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को उक्त पत्रांक के तहत नियुक्त किया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

निबंधक, सहकारी समितियां के पत्रांक 218-25/आर0सी0एस0, दिनांक 4-7-85 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत उ0प्र0 सहकारी बैंक द्वारा संचालित विश्व बैंक परियोजना के 5 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ के मुख्यालय तथा उसकी क्राइस्ट चर्च कालेज शाखा, कानपुर एवं फैजाबाद शाखा, फैजाबाद में लिया गया है ।

ग्राम शिवरी, तहसील व जिला लखनऊ की खतौनी खो जाने के संबंध में पत्र

37–श्री शारदा प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का प्रार्थना पत्र दिनांक 6-2-86 ग्राम शिवरी, परगना काकोरी, तहसील व जिला लखनऊ की खतौनी लगभग दो वर्ष पूर्व खो जाने के संबंध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त ग्राम शिवरी की खतौनी कब तक बनवा दी जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

राजस्व परिषद् को इस संबंध में निर्देश दिये जा चुके हैं ।

श्री राम शरण लाल, अमीन कार्यालय, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी प्रथम के ग्रेच्युटी, पेंशन, बीमा और अन्य देयों का भुगतान

38–श्री शारदा प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि श्री राम शरण लाल जो कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (प्रथम) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (कलेक्ट्रेट) लखनऊ में अमीन के पद पर कार्यरत थे दिनांक 1-1-84 को सेवा निवत्त हो चुके हैं परन्तु उनको ग्रेच्युटी, बीमा की धनराशि पेंशन और अन्य बाकी देयों का भुगतान नहीं किया गया जिससे वह भूखों मर रहे हैं? यदि हां, तो उनके देयों का भुगतान सरकार अविलम्ब करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

श्री राम शरण लाल अमीन कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (प्रथम) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ दिनांक 31-1-84 को सेवा निवृत्त हुए थे । उनकी सेवा निवृत्ति के पूर्व दिनांक 5-8-83 को उनको भविष्य निधि की धनराशि का 3/4 अंतिम निष्कासन के रूप में तथा उनके एकत्रित उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान रु0 3107.05 दिनांक 15-3-84 को कर दिया गया है । ग्रेच्युटी का 90 प्रतिशत रु0 5,540.00, एक वर्ष का प्राविजनल पेंशन 306/- प्रति माह के हिसाब से रु0 3,672.00 तथा बीमा की धनराशि रु0 1,420.00 का भुगतान किया जा चुका है । इनके पेंशन एवं अंतिम जी0पी0एफ0 भुगतान सम्बन्धी प्रपत्र दिनांक 31-3-86 को महालेखाकार, इलाहाबाद को भेज दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त इन्हें अन्य किन्हीं देयों का भुगतान नहीं होना है ।

विश्व बैंक परियोजना, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक के अधीन कर्मचारियों की सेवाओं के विनियमितीकरण की प्रक्रिया

39–श्री शारदा प्रताप–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्थागत सेवा मंडल अध्यक्ष के अ0 शा0 पत्रांक 1240/मंडल/85 दिनांक लखनऊ अक्तूबर 25, 1985 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विश्व बैंक परियोजना उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक का ही अंग है तो परियोजना में 1-5-83 के पूर्व तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 3124/12-सी-2-151 (5)/83 दिनांक 30-7-85 के अंतर्गत गठित साक्षात्कार कमेटी द्वारा उक्त कर्मचारियों के प्रति नियमितीकरण की प्रक्रिया अब तक क्यों नहीं पूरी की गयी ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

विश्व बैंक परियोजना, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक के अधीन गोदामों के निर्माण हेतु एक नितान्त अस्थायी प्रकृति की योजना है, जिसके कर्मचारियों की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिये की गई है । अतः उक्त परियोजना के नितांत अस्थायी प्रकृति के होने के कारण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-3124/12सी-2-151 (5)/83, दिनांक 30-7-85 के अंतर्गत उसके कर्मचारियों की सेवाओं के विनियमित किये जाने का वर्तमान में प्रश्न नहीं उठता है ।

उल्लेखनीय है कि उक्त कर्मचारियों के विनियमितीकरण के संबंध में एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गयी है, जो विचाराधीन है ।

जनपद अल्मोड़ा में कौसानी के निकट लक्ष्मी आश्रम के नाम दर्ज भूमि

40–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में कौसानी के निकट लक्ष्मी आश्रम के नाम कुल कितनी भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है? दिनांक 1 मई, 86 को इस आश्रम के अधिकार में कुल कितनी भूमि थी ? इस प्रकार यदि राजस्व लेखों से अधिक भूमि आश्रम के कब्जे में हो तो नियत से अधिक भूमि से अवैध कब्जा हटाने हेतु सरकार ने क्रमशः क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद अल्मोड़ा में कौसानी के निकट लक्ष्मी आश्रम (कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल) कौसानी के नाम राजस्व अभिलेखों में 15–83 एकड़ भूमि दर्ज है। 1 मई, 1986 को इस आश्रम के नाम 15–83 एकड़ भूमि आश्रम के अधिकार में थी । इस प्रकार राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि से अधिक भूमि इनके कब्जे में नहीं है इसलिये अवैध कब्जा हटाये जाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

जनपद पिथौरागढ़ में बन रावत पिछड़ी जन जाति के पांचवी तथा छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में आवंटित तथा व्यय की गयी धनराशि

41–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में बन रावत पूरे राष्ट्र की सबसे पिछड़ी और लगातार विलुप्त होती जा रही जनजाति है ? यदि हां, तो सरकार ने उनकी सांस्कृतिक मनोवृत्ति देखते हुए चौथी, पांचवीं, छठी पंचवर्षीय योजनाओं पर क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि मदवार निर्धारित की थी तथा कितनी धनराशि मदवार खर्च की थी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं।

विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार 1981 में इनकी कुल जनसंख्या 371 थी जो वर्ष 1985 में बढ़कर 436 हो गई है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में इनके लिए विकास कार्यक्रम संचालित नहीं किये गये थे । पांचवीं तथा छठी पंचवर्षीय योजना-काल में मदवार आवंटित धनराशि तथा व्यय की गयी धनराशि का विवरण संलग्न† है ।

जनपद पिथौरागढ़ में लघु जल विद्युत परियोजनाओं का सर्वेक्षण

42—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में लघुपन विद्युत की कौन-कौन सी परियोजनाओं का सर्वेक्षण दिनांक 1 मई, 86 तक कराया जा चुका है ? इनमें से किन-किन परियोजनाओं की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी होकर सरकार के पास 1 मई, 86 तक पहुंच गयी थी ? किन-किन परियोजनाओं की प्रोजेक्ट रिपोर्ट निर्माणाधीन है ? परियोजनाओं के प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी में जनपद में दिनांक 1 मई, 86 को किन-किन स्तर के तकनीतज्ञ व अधिकारी कार्यरत थे ?

श्री सुनील शास्त्री—

1 मई, 1986 तक जनपद-पिथौरागढ़ के सूरिनगाड, सोबला कन्चौटी व चिर-किला में लघु जल विद्युत परियोजनाओं का सर्वेक्षण कराया जा चुका है । उक्त सभी परियोजनाओं की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी होकर शासन को प्राप्त हो गई है । निम्न परियोजनाओं की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है:—

1—बरार
2—भदेली
3—देवखेत
4—घटीगाड़
5—सप्तेश्वर
6—सूरिनगाड़
(संशोधित)

परियोजनाओं की प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी में जनपद में 1 मई, 86 से पहले सहायक अभियंता एवं अवर अभियन्ता स्तर के अधिकारी कार्यरत थे ।

बरेली-नैनीताल मार्ग में व्यवसायिक स्तर पर नक्शे की स्वीकृति होते हुए भी निर्माण कार्य रोकने का आधार

43—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सैनिक कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद नैनीताल में भूतपूर्व सैनिकों की स्वतः रोजगार पूरक योजना के अंतर्गत हलद्वानी में बरेली-नैनीताल मार्ग में 150 वर्ग गज भूखण्ड 30 वर्षीय लीज पर स्वीकृत कर यहां व्यवसायिक स्तर पर नक्शे की स्वीकृति जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा 29 जनवरी, 1985 को दी जा चुकी है ? यदि हां, तो इस हेतु 15 नवम्बर, 85 से भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर लेने तथा 30 दिसम्बर, 1985 को परगनाधिकारी हल्द्वानी कार्यालय में चार सौ रुपये का अतिरिक्त शुल्क जमा करने पर भी इसका निर्माण कार्य किस आधार पर रोक दिया था ? 31 मई, 86 तक संबंधित अधिकारी ने इन कारणों की सूचना कथित सैनिकों को किन-किन माध्यमों से दी तथा इन कारणों के निदान हेतु क्या-क्या प्रयास किये ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । जिला स्तर से कथित निर्माण के संबंध में किसी नक्शे की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है ।

---

†छापी नहीं गई ।

प्रश्नगत स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर निम्न कारणों से निर्माण रुकवा दिया गया था:–

(अ) कथित मोटर वाहन समिति वर्तमान समय में कार्यरत नहीं पाई गई थी।

(ब) समिति की ओर से समिति के पंजीकरण की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ नहीं बतलाया गया।

(स) प्रश्नगत भवन स्थल विनियमित क्षेत्र हल्द्वानी-काठगोदाम की सीमा में स्थित है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व आर0 बी0 ओ0 एक्ट 1958 के प्राविधानतः नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र हल्द्वानी-काठगोदाम से मानचित्र समिति द्वारा स्वीकृति नहीं कराया गया।

(द) आवेदक द्वारा जो 400/-रु0 ट्रेजरी चालान से जमा किये गये वह मानचित्र शुल्क कवर्ड एरिया के अनुसार मानचित्र जमा करने से पूर्व जमा किया जाता है। मानचित्र तब स्वीकृत किया जाता है जब कि व्यक्ति द्वारा शुल्क जमा करने के बाद समस्त औपचारिकताएं पूरी की जायेंगी। चूंकि आवेदक द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई, अतः मानचित्र पर विचार किया जाना संभव नहीं था।

मानचित्र जमाकर्ता ने आवेदन पत्र में अपने पत्र व्यवहार का स्पष्ट पता नहीं लिखा है जिससे उन्हें त्रुटियों के बारे में सूचित किया जा सकता।

जनपद चमोली में प्रस्तावित विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना की दोनों प्रोजेक्ट रिपोर्टों में अन्तर

44–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में प्रस्तावित विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना में तकनीशों द्वारा बनायी गयी अलग-अलग प्रोजेक्ट रिपोर्ट में स्थानीय पर्यावरण तथा भौगोलिक परिस्थितियों के पृष्ठ भूमि में मुख्य अन्तर क्या-क्या है?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद चमोली में प्रस्तावित विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना की पहली प्रोजेक्ट रिपोर्ट 262 मे0 वा0 क्षमता की एवं पुनरीक्षित प्रोजेक्ट रिपोर्ट 480 मे0 वा0 क्षमता की है पहली प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पादन हेतु केवल अलकनन्दा नदी का पानी ही प्रयुक्त किया जाना प्रस्तावित था। पुनरीक्षित परियोजना 480 मे0 वा0 विद्युत उत्पादन की है तथा इसमें भ्यूंडर गंगा नदी का पानी भी विष्णु प्रयाग परियोजना के बैराज के ऊपर अलकनन्दा नदी में मिलाकर अधिक विद्युत उत्पादन करने का प्रस्ताव है। दोनों प्रोजेक्ट रिपोर्ट में स्थानीय पर्यावरण की पृष्ठभूमि में कोई विशेष अन्तर नहीं है। इस परियोजना में भ्यूंडर गंगा नदी के पानी को सम्मिलित करने से निर्माण स्थल से फूलों की घाटी की दूरी 5 किमी0 से अधिक तथा ऊंचाई एक किमी0 से अधिक रह जाती है। भौगोलिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में केवल इतना अन्तर है कि पुनरीक्षित प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भ्यूंडर गंगा नदी का पानी भी अधिक विद्युत उत्पादन करने हेतु अलकनन्दा नदी में प्रत्यावर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद चमोली में प्रस्तावित विष्णु प्रयाग जल विद्युत योजनाओं का क्रियान्वयन, व्यय, प्रारम्भिक प्राक्कल व निरूपण, प्रथम परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु अभियन्ताओं/तकनीशों की नियुक्ति

45–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे

कि जनपद चमौली में प्रस्तावित विष्णु प्रयाग जल विद्युत योजना कब तैयार की गयी थी? इस योजना में कार्य कब प्रारम्भ हुआ ? इस योजना में कुल कितनी धन-राशि व्यय होनी थी और इससे कितनी ऊर्जा का उत्पादन होना निर्धारित था?

श्री सुनील शास्त्री–

प्रश्नगत परियोजना का प्रथम परि-योजना प्राक्कलन वर्ष 1971 में तैयार किया गया था तथा इस परियोजना का कार्य वर्ष 1978 में प्रारम्भ हुआ था। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1978 में स्वी-कृति के अनुसार इस परियोजना पर रु0 10450.71 लाख की राशि व्यय होनी थी। इस परियोजना के अधीन विद्युत गृह की स्थापित क्षमता 262 मेगावाट रखी गयी थी तथा इससे औसतन 177.4 करोड़ यूनिट वार्षिक विद्युत का उत्पादन निर्धा-रित था।

46–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में प्रस्तावित विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना का प्रारम्भिक प्रारूप व निरूपण की प्रोजेक्ट रिपोर्ट शासन को कब प्राप्त हुई? इस रिपोर्ट को बनवाने में कुल कितनी धनराशि खर्च हुई? इस रिपोर्ट को बनाने में किन-किन अभियन्ता/अधिकारियों ने भाग लिया था ?

श्री सुनील शास्त्री–

प्रश्नगत परियोजना की प्रथम परि-योजना रिपोर्ट दिसम्बर 1971 में शासन को प्राप्त हुई थी तथा इसके बनवाने में उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा लग-भग 10,000 रु0 व्यय किये गये। इस रिपोर्ट को बनवाने में सिंचाई विभाग एवं राज्य विद्युत परिषद् के अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया।

47–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में प्रस्तावित विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना के लिए सरकार को गये 'प्रोजेक्ट रिपोर्ट' बनाने की किन-किन परिस्थितियों पर आव-श्यकता पड़ी? इस नवीन प्रोजेक्ट हेतु किन-किन अभियन्ताओं अधिकारियों/ तकनीतिज्ञों को नियुक्त किया गया।? इनके द्वारा कितनी धनराशि खर्चकर नवीन 'प्रोजेक्ट रिपोर्ट' तैयार की गयी? शासन को यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब मिली थी?

श्री सुनील शास्त्री–

प्रश्नगत परियोजना की प्रथम परि-योजना प्रतिवेदन बनने के बाद मूल्यों में वृद्धि के कारण प्रतिवेदन पुनरीक्षित करने की आवश्यकता पड़ी।

प्रतिवेदन को तैयार करने में सिंचाई विभाग एवं राज्य विद्युत परिषद् के अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभि-यन्ता ने भाग लिया।

प्रतिवेदन को तैयार करने में राज्य विद्युत परिषद् का लगभग 10,000 रु0 व्यय हुआ।

नई प्रोजेक्ट रिपोर्ट जनवरी 1983 में शासन को प्राप्त हुई थी।

जनपद चमोली में प्रस्तावित विष्णु गंगा जल विद्युत परियोजना पर निर्माण कार्य

48–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में प्रस्तावित विष्णु गंगा जल विद्युत परियोजना के नवीन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के परिपेक्ष्य में तथा प्रसिद्ध फूलों की घाटी (भ्यूडंग घाटी) के अत्यन्त ही कोमल पर्यावरण और अत्यन्त दुर्लभ पुष्प प्रजातियों के मूल

स्थान होने की पृष्ठ-भूमि में किस अधिशासी अभियन्ता या तकनीकी प्रमुख तथा अधिकारी की आज्ञा व निर्देशन में कब से कार्य प्रारम्भ किया गया? दिनांक 31 मार्च, 1986 तक इसमें कितना खर्च किया जा चुका था ?

श्री सुनील शास्त्री–

विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना की पुनरीक्षित प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सम्मलित भ्यूंडर गंगा नदी पर प्रस्तावित बैराज तथा सुरंग के निर्माण स्थल से फूलों की घाटी 5 कि0मी0 से अधिक दूरी एवं एक किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इनका निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है अतः खर्च का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा में झिरौली मैंगनेसाइट से प्रभावित परिवारों को आवंटित की गयी भूमि

49–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा में झिरौली मैंगनेसाइट से प्रभावित परिवारों को शासनादेश संख्या 5074/22799/77 दिनांक 3 नवम्बर, 1979 उत्तर प्रदेश के अनुसार सम्पूर्णानन्द जेल शिविर सितारगंज में भूमि आवंटित की गयी थी? यदि हां तो दिनांक 1 मई, 86 तक इस संबंध में कुल कितने परिवारों को क्रमशः कितने-कितने क्षेत्रफल कृषि भूमि आवंटित कर कब्जा दे दिया गया है? इस तिथि के बाद भी कितने लोगों को भूमि आवंटित होना तथा कब्जा लेना बाकी है ? इस हेतु सरकार ने दिनांक 1 मई, 86 तक व उसके बाद क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । जनपद अल्मोड़ा में झिरौली मैंगनेसाइट से प्रभावित परिवारों को ही नहीं अपितु जनपद पिथौरागढ़ के भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को भी बसाने हेतु भूमि हस्तांतरित हुई थी। दिनांक 1 मई, 1986 तक कुल 174 परिवारों को कृषि हेतु एक-एक एकड़ भूमि आवंटित की गई, जिसमें से 117 परिवारों को कब्जा दे दिया गया है। 57 परिवारों को आवंटित भूमि पर कब्जा देना शेष है। शेष परिवारों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने हेतु मण्डलायुक्त कुमायूं मण्डल द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद पिथौरागढ़ में कनालाछीना पापली विद्युत मार्ग में कार्य करते हुए श्री रमेश चन्द्र पन्त की मृत्यु, आर्थिक सहायता की मांग

50–काशी नाथ सिंह ऐरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना में कनालीछीना पापली विद्युत मार्ग में कार्य करते हुए दैनिक वेतन धारी श्री रमेशचन्द्र पन्त (पुत्र बालकृष्ण पंत, ग्राम सांगड़ी पत्रालय छड़नदेव तहसील डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़ के स्थाई निवासी) की दिनांक 16-12-84 को विद्युत खम्भे से गिरकर रीढ़ की हड्डी में गम्भीर चोट लगने के कारण जनवरी, 85 में लखनऊ मेडिकल कालेज में मृत्यु हुयी थी ? यदि हां, तो मृतक के अन्धे माता-पिता को अब तक आर्थिक सहायता देने/क्षति पूर्ति करने हेतु क्रमशः क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला सहकारी बैंक लि0, पिथौरागढ़ के भवन की हत्ताबन्दी का औचित्य व आधार की जांच

51—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी बैंक पिथौरागढ़ के भवन के चारों ओर रु0 1.66 लाख की लागत से की गयी हत्ताबन्दी हेतु किस अधिकारी ने किस औचित्य व आधार पर स्वीकृति दी थी ? क्या यह भी सही है कि जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अनौचित्य व अनियमितता के आधार पर इस हत्ताबन्दी को तोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करेगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जिला सहकारी बैंक लि0, पिथौरागढ़ के भवन की हत्लाबन्दी की लागत रु0 1.66 लाख न होकर मात्र रु0 1.18 लाख थी । जिसकी स्वीकृति बैंक प्रशासकों द्वारा दी गयी थी।

जिलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त भूमि हेतु दिये गये बैंक के प्रार्थना पत्र को, जनहित में भूमि खाली न छोड़ने का औचित्य बताते हुए, निरस्त किया गया था । तोड़ने की कार्यवाही नगरपालिका द्वारा की गयी ।

हत्लाबन्दी तोड़ने तथा नगरपालिका द्वारा निर्माण किये जाने के विरुद्ध बैंक ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत तहसील डीडीहाट में थल ऐतिहासिक स्थान पर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का मूल निर्माण मंदिर से लगी भूमि में बने कुटियाओं धर्मशालाओं का विवरण

52—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत तहसील डीडीहाट में, थल नामक ऐतिहासिक स्थान पर, स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का मूल निर्माण भू-राजस्व रिकार्डों के अनुसार कब हुआ था ? मूल निर्माण काल में इस मंदिर को किन-किन गांवों की कितनी-कितनी भूमि गूंठ में चढ़ायी गयी थी व इस मंदिर से लगे हुए कितने क्षेत्रों को मंदिर की सम्पत्ति घोषित किया गया था ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत तहसील डीडीहाट में थल नामक ऐतिहासिक स्थान पर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का मूल निर्माण बिकट बन्दोबस्त के नक्शे में शिव मन्दिर तथा आस-पास की लगी भूमि 1866 के नक्शे में दर्शाया गया परन्तु बिकट बन्दोबस्त के खतौनी व खसरे में कोई खुलासा अंकित नहीं है । मूल निर्माण काल में इस मन्दिर को किन-किन ग्रामों की कितनी-कितनी भूमि गूंठ में चढ़ाई गई थी व इस मंदिर से लगे हुये कितने क्षेत्रों को मन्दिर की सम्पत्ति घोषित किया गया है इसका कोई विवरण अभिलेखों में अंकित नहीं है ।

53—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत तहसील डीडीहाट में थल नामक ऐतिहासिक स्थान पर बने प्रसिद्ध शिव मन्दिर के पास ही लगी भूमि में से कितनी भूमि पर पिछले

दो बन्दोबस्तों के अनुसार मन्दिर या मन्दिर से संबंधित साधु समाज (अखाड़ों) का कब्जा था ? इस मन्दिर तथा इससे लगे अखाड़े की भूमि पर वर्तमान में किन-किन व्यक्तियों का स्थायी-अस्थायी रूप से अवैध कब्जों/निर्माण किया गया है ? सरकार ने इन अवैध कब्जों/निर्माणों को हटाने हेतु तुरन्त क्या-क्या अत्यन्त प्रभावी कदम उठाये है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत तहसील डीडीहाट में थल नामक ऐतिहासिक स्थान पर बने प्रसिद्ध शिव मन्दिर व मन्दिर से लगी भूमि में साधु समाज अखाड़ों से संबंधित भूमि में पिछले विकट तथा गूंज बन्दोबस्त के अभिलेखों में कोई नाम व नम्बर अंकित नहीं है अतः पिछले दो बन्दोबस्तों में कितनी भूमि पर साधु समाज (अखाड़ों) का कब्जा था बताना सम्भव नहीं है ।

हाल बन्दोबस्त के भू-अभिलेखों के अनुसार ग्राम धामी गांव के खसरा नं0 97, 98, 100 रकबा । नाली 15 मु0 मन्दिर के नाम तथा खसरा नं0 101 रकबा 13 मु0 धर्मशाला के नाम श्रेणी-10(2) में दर्ज है । इसी शिव मन्दिर थल के परिसर में बने कुटियाओं/धर्मशालाओं का विवरण भू-अभिलेख में इस प्रकार है :–

खसरा नं0 115 रकबा 2 मु0 दौलत सिंह पुत्र चंचल सिंह खसरा नं0 114, 116, 118 रकबा 4 मु0 नन्दगिरी चैली हद्वारी गिरी खसरा नं0 119 रकबा 4 मु0 माली देवी पुत्री रामचन्द्र खसरा नं0 113, 120, 121, 122 रकबा 1 नाली 7 मु0 शिवगिरी चैली हन्सगिरी के नाम श्रेणी–5 भूमि पर दर्ज है । इन सभी काबिजों के नाम यह भूमि नियमित होने उपरान्त पट्टे जारी हो चुके हैं ।

खसरा नं0 119 रकबा 4 मु0 का छोड़कर समस्त मन्दिर व मन्दिर से लगे भवनों भूमि पर मन्दिर का ही कब्जा है । खसरा नं0 119 पर स्थित भूमि/कुटिया जिसका रकबा 4 मु0 है माली देवी के नाम वर्ग-5 में दर्ज होने उपरांत नियमित भी हो चुकी थी । यह एक जोगिन होनी विदित हुई और इसकी मृत्यु 8-10 साल पूर्व हो चुकी है । इसकी मृत्यु के बाद इस भूमि/कुटिया पर गौरादत्त पुत्र धर्मानन्द निवासी थल का कब्जा है । उक्त भूमि/कुटिया को खाली कराने हेतु कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है।

54–श्री काशी सिंह ऐरी–

[दिनांक 4-9-86 को अतारां प्र0 सं0 193 द्वारा उत्तरित]

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में प्राइमरी सहकारी ऋण समितियों में कार्यरत सचिवों का वेतनक्रम

55–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में प्राइमरी सहकारी ऋण समितियों में कार्यरत सचिव का वेतनक्रम क्या है ? क्या यह सत्य है कि इन सचिवों को महंगाई भत्ता तथा बोनस लाभांश आदि नहीं दिया जाता है ? इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य कर्मचारी का न्यूनतम वेतनक्रम कितना है ? क्या सरकार उपरोक्त सचिवों के वेतनक्रम में संशोधन करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा जनपद की प्राइमरी सहकारी ऋण समितियों में कार्यरत सचिवों का वेतनमान रु0 375-9-438-द0 रे0-9-465-10-515-द0 रे0-10-575 है ।।

सचिवों को विशेष भत्ता दिया जाता है।

राज्य कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनक्रम 305-5-330-द0 रो0-6-360-द0 रो0-6-390 है, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को दिया जाता है।

समितियों की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस समय सचिवों के वेतनक्रम में कोई वृद्धि किया जाना सम्भव नहीं है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना में उप निदे-शक/प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा की गयी अनिय-मितताओं की जांच

56–श्री कौशिक रमाशंकर,
श्री कल्याण सिंह तथा
श्री अशोक बाजपेयी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के सातवें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 18 **नत्थी (ग) के उत्तर के संदर्भ में क्या हरि-जन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अधिकारी फैजाबाद मंडल के उप निदेशक रूप में निर्वाचित होने का क्या कारण था ? क्या उक्त कारणों को देखते हुए ऐसे पदपर नियुक्ति जनहित में है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त अधि-कारी को इस परियोजना से तत्काल हटाने पर विचार करेगी ?**

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

उक्त अधिकारी को फैजाबाद मण्डल में उप निदेशक के पद पर तैनाती की अवधि में लिपिकों/टंककों तथा हरिजन कल्याण पर्यवेक्षकों के पदो पर चयन में बरती गयी अनियमितताओं के कारण निलम्बित किया गया था।

जांचोपरांत संबंधित अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया। अतः उनकी नियुक्ति विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत प्रोजेक्ट मैनेजर/उपनिदेशक के रिक्त पद पर जनहित में कर दी गई थी अब उनको गढ़वाल में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्री सहबूराम, निवासी गांव नरसड़ा, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद के नाम तालाब का पट्टा न करने का औचित्य

57–श्री कृष्ण कुमार–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सहबूराम पुत्र स्वर्गीय ननकाई अनुसूचित जाति पासी निवासी गांव नरसड़ा ग्राम सभा मानूडीह, तहसील बीकापुर जनपद फैजा-बाद के नाम से तालाब नं0 314 का पट्टा मत्स्य पालन हेतु सम्पूर्ण वैधानिक कार्य-वाही के उपरान्त परगनाधिकारी बीकापुर, को स्वीकृति हेतु वर्ष 1985-86 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उक्त व्यक्ति के नाम पट्टा न करने और बिलम्ब करने का क्या औचित्य है ? कब तक पट्टा कर दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। उक्त प्रस्ताव विषयक पत्रा-वली परगनाधिकारी, बीकापुर के यहां से वापस आने पर तहसील, बीकापुर के कार्या-लय में मसलूत हो जाने के कारण उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

परगनाधिकारी व तहसीलदार, बीकापुर से पत्रावली की तालाश करायी जा रही है। पत्रावली उपलब्ध होने पर समस्त वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

58–श्री राम सागर–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

ग्राम घोड़बल, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत ग्राम समाज एवं अति-रिक्त कृषि योग्य भूमि को पात्र व्यक्तियों को आवंटन

59–श्री राम सागर–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के

पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 143 के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों में से अधिकतम जोत (मूल जोत तथा आवंटित भूमि का रकबा सहित) कितनी और किसकी है? क्या सरकार पात्र व्यक्तियों की श्रेणी में आने वाले सभी व्यक्तियों की कुल जोत (मूल जोत तथा आवंटित भूमि का जोत रकबा सहित) की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 208 पर ।)

श्री सी0 पी0 शुक्ला, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड की प्रतिनियुक्ति की तिथि

60–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रथम सत्र के प्रथम शुक्रवार दिनांक 7-2-86 को उत्तरित अता0 प्र0 सं0 131 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 सहकारी बैंक लि0 लखनऊ 16-10-84 से पूर्व कितनी बार प्रतिनियुक्ति पर किस तिथि को एवं किस विभाग में भेजे गये?

श्री अरुण कुमार सिंह–

श्री सी0 पी0 शुक्ला, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ दिनांक 3-9-77 को अपर निबन्धक के पद पर प्रोन्नत होने के पश्चात् एवं दिनांक 16-10-84 से पूर्व दो बार निम्नलिखित संस्थाओं में उनके सामने इंगित तिथियों में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं:–

संस्था का नाम	प्रतिनियुक्ति की तिथि
उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ ।	3-2-78 से 24-10-78 तक
उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ।	25-10-78 से 30-9-83 तक

61–श्री काशी सिंह ऐरी–

[दिनांक 26-8-86 को अता0 प्र0 सं0 198 द्वारा उत्तरित]

जनरलगंज उप0 सहकारी समिति, कानपुर द्वारा आयातित चीनी तथा आयातित सामान का व्यापार

62–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनरलगंज उप0 सहकारी समिति, कानपुर ने जून, 85 से नवम्बर, 85 तक आयातित चीनी तथा आयातित सामान (कनफिस्केटेड गुड्स) के कितने मूल्य का व्यापार किया और क्या प्राथमिक उपभोक्ता समितियां दूसरे प्रान्तों से सीधा व्यापार कर सकती हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जनरलगंज उप0 सहकारी समिति, कानपुर द्वारा जून, 85 से नवम्बर, 85 तक आयातित चीनी तथा आयातित सामान (कनफिस्केटेड गुड्स) का रु0 92,36,616–25 का व्यवसाय किया गया ।

चूंकि कस्टम सेन्टर प्रान्त तथा उसके बाहर भी है, अतः कोई भी प्रारम्भिक उपभोक्ता सहकारी समिति व अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियां, जो कि निर्धारित कस्टम लाइसेन्स रखती हों, कस्टम सेन्टरों से आयातित सामान (कनफिस्केटेड गुड्स) का व्यवसाय कर सकती हैं ।

जनपद अल्मोड़ा में काण्डे साधन सहकारी समिति में कथित अनियमितताएं

63–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा में काण्डे साधन सहकारी समिति में 1970 से 1975 तक हुइ अत्यन्त गंभीर आर्थिक अनियमितताओं की जांच हेतु 1977-78 में उपरोक्त सहकारी समिति के लेखा रिकार्डों का विशेष आडिट कराया गया था? यदि हां, तो इस जांच की मुख्य –2 संस्तुतियां क्या थी ?इन पर दिनांक 31-1-86 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं ।

64–श्री काशी सिंह ऐरी–

[दिनांक 26-8-86 को अता0 प्र0 सं0 197 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के न्याय पंचायत स्तर पर सहकारी समितियों के दस्तावेजों हेतु सहकारी अभिलेखागार बनाये जाने की मांग

65–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के न्याय पंचायत स्तर पर सहकारी समितियों के दस्तावेज, भविष्य में वहां के विकास/सहकारिता आन्दोलन, के लिए एक सफल दस्तावेज बन सकते हैं ?? यदि हां, तो इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए जिला स्तर पर सहकारी अभिलेखागार बनाने के लिए सरकार सक्रिय विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक इसे क्रियान्वित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

प्रदेश में न्याय पंचायत स्तर पर सहकारी समितियों के दस्तावेज समितियों द्वारा किये गये कार्यकलापों की प्रगति के आंकड़े मात्र हैं । भविष्य में सहकारी आन्दोलन के संदर्भ में उनकी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है।

जी नहीं, उक्त दस्तावेजों के लिए जिला स्तर पर सहकारी अभिलेखागार बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

न्याय पंचायत स्तर की सहकारी समितियों के दस्तावेजों में जिला सहकारी बैंक एवं समिति तथा समिति एवं सदस्यों के मध्य किये गये लेन देन व समिति द्वारा किये गये विभिन्न व्यवसायों का ब्योरा होता है। प्रत्येक समिति के वार्षिक चिट्ठे तैयार किये जाते हैं, जिनका संकलन जिला स्तर पर सहायक निबन्धक के कार्यालय में रखा जाता है । समिति के सभी अभिलेख संबंधित समिति के कार्यालय के सचिव के संरक्षण में रहते हैं, जिनकी आवश्यकता समिति स्तर पर ही पड़ती है । अतः अलग से उनके लिए जिला स्तर पर अभिलेखागार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के सचिवों की पदोन्नति

66–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्रामीण ऋण समितियों के सचिवों को पदोन्नति के क्या-क्या अवसर/सुविधायें सुलभ हैं ? क्या यह सत्य है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में कार्यरत सहकारी ऋण समितियों के सचिवों को राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक के पदों पर पदोन्नत किये जाने का प्राविधान बनाया गया है ? यदि हां, तो इस हेतु कितना प्रतिशत कोटा निर्धारित है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समि-

तियों के सचिवों की पदोन्नति के निम्न अवसर सुलभ हैं:–

(1) सहकारी पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर 30 प्रतिशत पदोन्नति ।

(2) प्रवर्ग एक व दो की कृषक सेवा सहकारी समितियों के प्रबन्ध निदेशकों के 80 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति ।

जी नहीं ।

प्रदेश की ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों के सचिवों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता व माइलेज चार्जेज

67–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों के सचिवों को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाने का यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता दूरी भत्ता (माइलेज चार्जेज) आदि अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसे समान करने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं ।

समितियों की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए सचिवों को राजकीय कर्मचारियों की भांति यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, व माइलेज चार्जेज देना सम्भव नहीं है ।

सीमान्त जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की सहकारी समितियों द्वारा बागवानी एवं भूमि संरक्षण हेतु दीर्घकालीन ऋण वितरण की व्यवस्था पर विचार

68–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर सीमान्त जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की सहकारी समितियों द्वारा बागवानी, भूमि संरक्षण एवं लघु कुटीर उद्योगों को विकसित करने के लिये दीर्घकालीन ऋण वितरित कराने की व्यवस्था लागू करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक लागू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्या इस महत्वपूर्ण विषय पर गहन विचार करेगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं, सहकारी समितियों के स्तर पर उपलब्ध आर्थिक संसाधनों तथा तकनीकी ज्ञान तथा प्रबन्ध तंत्र की कमी को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण वितरित कराया जाना फिलहाल विचाराधीन नहीं है । बागवानी एवं भूमि संरक्षण के लिये दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा वितरित किये जाते हैं ।

श्री रमाकान्त प्रसाद, सहायक विद्युत निरीक्षक, नैनीताल जोन द्वारा टोल टैक्स वसूलने, कार्यवाही, कार्यालय कर्मचारियों की सामूहिक शिकायतों पर कार्यवाही

69–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि नैनीताल जनपद में नवम्बर, 1982 के बाद, कार्यरत सहायक विद्युत निरीक्षक नैनीताल जोन के पास नैनीताल टोल टैक्स पास सं0 891 रहते हुये भी, इस कर्मचारी ने नवम्बर, 1982 के बाद कुल कितनी राशि टोल टैक्स के रूप में वसूल की ? क्या सरकार इस अनियमितता हेतु कार्य-

वाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

श्री रमाकान्त प्रसाद, सहायक विद्युत निरीक्षक नैनीताल जोन ने दिनांक 22-3-84 (पूर्वाह्न) में सहायक विद्युत निरीक्षक, नैनीताल जोन का कार्यभार ग्रहण किया था तथा इसके पूर्व वह दिनांक 29-6-82 से वहां पर विद्युत पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत थे । श्री प्रसाद ने नगरपालिका, नैनीताल से टोल टैक्स पास संख्या 891 दिनांक 9-4-84 को बनवाया था जो दिनांक 31-3-85 तक मान्य था ।

दिनांक 29-6-82 से 25-6-85 जब तक वे नैनीताल जोन में तैनात रहे उन्होंने उक्त अवधि के यात्रा-भत्ता बिलों में अथवा अलग से नगरपालिका, नैनीताल से सम्बन्धित कोई टोल टैक्स चार्ज नहीं लिया । अतः कोई अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं हुई और इसलिये कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं है ।

70–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि सहायक विद्युत निरीक्षक नैनीताल जोन नैनीताल के विरुद्ध उनके कार्यालय कर्मचारियों ने मुख्य विद्युत निरीक्षक उ0 प्र0 शासन को दि0 26-7-84 को सामूहिक शिकायती-पत्र देने जाने तथा इसी अधिकारी से पूर्व में सरकारी राजस्व का दुरुपयोग/उपभोग करने पर वसूली कराये जाने के बाद भी, उसे प्रोन्नति दी गयी है ? यदि हां, तो उपरोक्त शिकायती-पत्र में क्या-क्या मुख्य विषय थे तथा उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां, सहायक विद्युत निरीक्षक, नैनीताल जोन के विरुद्ध उनके कार्यालय कर्मचारियों की सामूहिक शिकायत दि0 24-7-84 मुख्य विद्युत निरीक्षक को दिनांक 28-7-84 को प्राप्त हुई । उक्त शिकायती-पत्र में श्री रमाकान्त प्रसाद, सहायक विद्युत निरीक्षक, नैनीताल जोन के विरुद्ध पर्यटन पर रहने के कारण वेतन का वितरण विलम्ब से होना, कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश प्रदान करने में परेशान करना, मिथ्या और आधार रहित आरोपों द्वारा कर्मचारियों को परेशान करना, अपने को उच्च अधिकारियों से सम्बन्धित बतलाना, सार्वजनिक अवकाश के दिन कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाना तथा उपस्थित न होने पर उनको परेशान करना इत्यादि मुख्य आरोप थे उक्त आरोपों की जांच उप विद्युत निरीक्षक बरेली रीजन से कराई गयी तथा जांच के आधार पर ही श्री रमाकान्त प्रसाद, सहायक विद्युत निरीक्षक को चेतावनित कर दिया गया है ।

जहां तक इसके पूर्व में उक्त अधिकारी द्वारा सरकारी राजस्व का दुरुपयोग/उपभोग का प्रश्न है, मुख्य विद्युत निरीक्षणालय द्वारा राजस्व की प्राप्ति ट्रेजरी चालान के माध्यम से होने के कारण सरकारी धनराशि का दुरुपयोग/उपभोग सम्भव नहीं है । शिकायती-पत्र की प्राप्ति से अब तक की अवधि में उक्त अधिकारी को कोई पदोन्नति नहीं दी गयी है ।

कृषक सेवा सहकारी समितियों में अमीन की नियुक्ति की सेवा शर्तें व नियम

71–श्री कनक सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषक सेवा सहकारी समितियों

में जो अमीन नियुक्त किये जाते हैं उनकी सेवा शर्तें व नियम क्या है तथा अमीनों से सेवा में नियुक्त के समय कितने रुपये की जमानत ली जाती है? यदि कोई अमीन किसानों का पैसा लेकर अथवा किसानों को रुपयों की फर्जी रसीदें देकर फरार हो जाता है तो उस पैसे की वसूली समिति से होगी या किसान से ? इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री अरुण कुमार सिंह–

अमीनों की सेवा शर्तें निम्न प्रकार हैं:–

(1) हाईस्कूल उत्तीर्ण (2) साइकिल चलाना जानता हो (3) गांव का निवासी हो। समितियों या तहसील में कुर्क-अमीन के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है। ऐसे अनुभवी व्यक्तियों को शैक्षिक योग्यता तथा आयु सीमा में निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा छूट प्रदान की जा सकती है। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष के बीच निर्धारित है। नियुक्त अमीनों को वसूल की गई धनराशि पर कमीशन देय होता है।

अमीनों से नियुक्ति के समय नकद प्रतिभूति के रूप में (1) 250 रु0 तथा 10 रु0 की दर से देय कमीशन से 5000 रु0 तक की धनराशि पूर्ण होने तक कटौती की जाती है । (2) 5000 रु0 की फाइडेल्टी गारन्टी ली जाती है।

(3) कम से कम दो एकड़ भू-स्वामित्व वाले दो व्यक्तियों को, जमानत "वाटर मार्क्ड पेपर" पर देते हुए यह घोषणा पत्र भरना होता है कि वे जिला सहायक निबन्धक द्वारा निर्देश देने पर सम्बन्धित अमीन को प्रस्तुत करने के लिए उत्तर-दायी होंगे।

अमीन द्वारा किसानों को वसूली की फर्जी/कच्ची रसीद देकर फरार हो जाने पर उसके विरुद्ध पुलिस में एफ0आई0 आर0 दर्ज करा दी जाती है। निर्णय तक वसूली स्थगित रखी जाती है और स्थिति स्पष्ट होने पर तदनुसार वसूली की जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सम्बन्धित अमीन द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक माह के स्टेटमेंट आदि के विवरण को सही पाये जाने की स्थिति में और सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) द्वारा प्रमाणित किये जाने पर ही अमीन को कमीशन के भुगतान की व्यवस्था की गई है। जिस माह में संबंधित अमीन द्वारा उक्त स्टेटमेंट नहीं दिया जाता, उसके कारणों का पता लगा कर तद्नुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ?

72–श्री कनक सिंह–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दरा-बाद के ग्रामों की चकबन्दी

73–श्री कनक सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्द-राबाद के समस्त ग्रामों की चकबन्दी हो गयी है परन्तु ग्राम चांगौली की चकबंदी अब तक न किये जाने का क्या कारण है? उपरोक्त ग्राम में कब तक चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्द-राबाद के 237 ग्रामों में चकबन्दी कार्य कराया गया है। ग्राम चांगौली में भी चक-बन्दी कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा की भूमि का अधिग्रहण तथा प्रतिकर

74—श्री कनक सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा की जो जमीन सरकार द्वारा किसी प्रयोजनार्थ अधिग्रहीत की जाती है उसका मुआवजा ग्राम सभा को न देकर स्वयं सरकार के खाते में जमा होता है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम सभा में भूमि मात्र प्रबन्ध के लिए निहित होती है। भूमि पर स्वामित्व राज्य सरकार का ही होता है। ग्राम सभा की भूमि "अधिग्रहीत" नहीं की जाती है। जनहित के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार ग्राम सभा में निहित भूमि को "पुनर्ग्रहीत" कर सकती है और ऐसी स्थिति में गांव सभा द्वारा किये गये विकास कार्यों का प्रतिकर ही जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा 117 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दिया जाता है।

75—श्री कनक सिंह—

[दिनांक 14-2-86 को नियम 301 के अन्तर्गत उत्तरित]

श्री श्योदान सिंह पुत्र करन सिंह, ग्राम भवानीपुर खुल्बे, जिला नैनीताल की अतिरिक्त घोषित की गई भूमि

76—श्री कनक सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्योदान सिंह पुत्र श्री करन सिंह ग्राम भवानीपुर खुल्बे तहसील राम नगर जिला नैनीताल की 347 बीघा 4 बिस्वा जमीन सीलिंग में वर्ष 1974 में निकाल दी थी? क्या यह सच है कि उक्त भूमि पर सरकार ने अभी तक अधिकारियों की अनियमितता के कारण कब्जा नहीं लिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री श्योदान सिंह पुत्र करन सिंह ग्राम भवानीपुर खुल्बे, तहसील रामनगर जिला नैनीताल की 347-04 बीघा भूमि नियत प्राधिकारी, काशीपुर के आदेश दिनांक 26-7-76 द्वारा अतिरिक्त घोषित की गई थी परन्तु खातेदार व अन्य आपत्तिकर्ताओं द्वारा विभिन्न न्यायालयों में अपील/रिट दायर करने के कारण उनके आदेश से खातेदार की कुल 74-09 बीघा भूमि अतिरिक्त मानी गई। नियमानुसार कब्जा प्राप्त करने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, जिला लखनऊ के प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा प्रधानाचार्य व कतिपय शिक्षकों को सेवा से पृथक करने के आदेश

77—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, जिला लखनऊ को प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, व कतिपय शिक्षकों शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विद्यालय की सेवा से पृथक करने के आदेश दिये गये और उन्हें मार्च 1985 से वेतन निर्गत करने से मना कर दिया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारियों को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेंच लखनऊ के 1-11-1985 के आदेश के अन्तर्गत पुनः सेवा में नियुक्त कर लिया गया? यदि हां तो उक्त अवधि में वेतन न देने और लोगों को बिना कारण के निष्कासित करने तथा अनावश्यक मुकदमेंबाजी में शासन का धन व्यय करने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों की है और उनके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां,

प्रधानाचार्य श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, दो सहायक अध्यापक वरिष्ठ लिपिक/लेखाकार भण्डार लिपिक तथा तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा वित्तीय अनियमितताओं एवं अनुशासन-हीनता के आरोप में निलम्बित किया गया। उक्त के अतिरिक्त गृह माता, कम्पाउन्डर तथा 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अस्थाई सेवाओं से पृथक किया गया है।

उक्त कर्मचारियों के कार्य पर उपस्थित न होने के कारण ही वेतन का भुगतान रोक दिया गया था परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-1-86 तथा 7-4-86 के अनुपालन में कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर दिया गया परन्तु वित्तीय अनियमितताओं के लिये दोषी पाये गये कर्मचारियों के वेतन को न्यायालय में जमा करा दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 1 नवम्बर, 1985 को न्यायमूर्ति श्री के0 एस0 वर्मा के आदेश दिनांक 24-1-86 द्वारा परिवर्तित कर दिया गया।

उक्त कर्मचारियों को प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा अनुशासनहीनता एवं वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के कारण निलम्बित सेवामुक्त किया गया। माननीय उच्च न्यायालय में उक्त कर्मचारियों द्वारा रिट याचिका दायर की गयी है जिसका विरोध नियमानुसार किया जा रहा। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सेना के आपातकालीन एवं अल्पकालीन कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के पद पर नियुक्ति तथा वेतनमान

78–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 में सेना के आपातकालीन एवं अल्पकालीन कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था ? क्या इन अधिकारियों को उत्तर प्रदेश प्रान्तीय संवर्ग की ग्रुप ए और बी की सेवाओं में नियमित रूप से समहित कर लिया गया है और उन्हें नियमित वेतनमान और समयबद्ध चयनित वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

जी नहीं। अभी यह विषय शासन के विचाराधीन है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक विद्युत कमी को दूर करने हेतु उपाय

79–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-7, नत्थी (घ) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माननीय ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर में दर्शाई गई विद्युत कमी के फलस्वरूप प्रदेश के विभिन्न उपभोक्ता समूहों पर कितनी-कितनी कटौती लागू रहेगी ?

श्री सुनील शास्त्री–

तत्सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर में दर्शाये गये विद्युत मांग, उपलब्धता एवं कमी विषयक आंकड़े, आगामी वर्षों में विभिन्न उपभोक्ता समूहों में अनुमानित

वार्षिक लोड, बढ़ोत्तरी के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कराये गये वार्षिक पावर सर्वेक्षण पर आधारित है। निःसन्देह आगामी वर्षों में विद्युत की वास्तविक मांग, उपलब्धता एवं कमी आंकलित आंकड़ों से भिन्न होगी। विभिन्न उपभोक्ता समूहों पर विद्युत कटौती का निर्धारण वर्ष विशेष में वास्तविक वर्षा इत्यादि की परिस्थितियों एवं शासन द्वारा उस समय निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है।

अतएव आगामी वर्षों में विभिन्न उपभोक्ता समूहों पर की जाने वाली कटौती का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत तवाघाट में भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित किये जाने संबंधी कार्यवाही

80—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत तवाघाट में 1978 से 1980 के बीच आये भयंकर भूस्खलन से प्रभावित कितने परिवारों को जनपद नैनीताल में सितारगंज स्थित सम्पूर्णानन्द जैल शिविर तथा उसी परिसर में लगी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की कुल कितनी भूमि दिनांक 1-5-86 तक कितने परिवारों को आवंटित की गई ? इसी तिथि तक कितने शेष परिवारों को भूमि आवंटित करनी बाकी थी और इस हेतु सरकार ने क्या-क्या प्रयत्न किये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन विस्थापितों को सरकार किन-किन मानकों के आधार पर भूमि आवंटित कर रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला के अन्तर्गत तवाघाट में वर्ष 1978 से 1980 के बीच भूस्खलन के कारण 59 परिवार प्रभावित हुए। प्रभावित परिवार, जो अपने मूल भूस्थल/मकान एवं कृषि योग्य भूमि छोड़ने के लिए तैयार हों उन्हें पुनर्वासित किया जाना था, किन्तु ये परिवार अपनी जमीन का कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं हुए, इस कारण इन्हें पुनर्वासित नहीं किया जा सका। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा कसरोर में परगनाधिकारी द्वारा आवंटित भूमि के अनुमोदित पट्टों की अमलदरामदगी

81—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के सन् 1979 में परगनाधिकारी द्वारा मान्य किए गए व ग्राम सभाओं द्वारा पारित आवंटनों में कसरोर ग्राम सभा तह0 पुरवा के 151 हरिजनों व व गरीबों के पट्टे परगनाधिकारी के मान्य किये जाने के बावजूद अभी तक अमलदरामद के लिए लम्बित हैं ? यदि हां, तो इस ढिलाई पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम सभा कसरोर में परगनाधिकारी द्वारा आवंटित भूमि के अनुमोदित पट्टों का अमलदरामद चकबन्दी प्रक्रिया के कारण नहीं हो सका बताया गया है। चकबंदी के दौरान अनुमोदित पट्टों के खातों के नम्बर बदल जाने के कारण इसके बारे में सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा पुनः कार्यवाही आवश्यक होगी।

साधन सहकारी समिति, पारा, जिला उन्नाव द्वारा आवश्यक वस्तु वितरण के आदेश

82–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1986 के दूसरे शुक्रवार के निर्धारित अता0 प्र0 संख्या-18 के उत्तर के सन्दर्भ में सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके अन्तर्गत भाटनखेड़ा से सही वितरण कराने की सिफारिशें व आदेश होते रहे ? क्या वे परिस्थितियां अब समाप्त हो गयीं?

श्री अरुण कुमार सिंह–

भाटन खेड़ा से वितरण कराने हेतु कुछ ग्राम प्रधानों तथा व्यक्तियों द्वारा मांग करने पर सहायक विकास अधिकारी (सह0) विकास खण्ड हिलौली से करायी गयी जांच तथा अनुशंसा के आधार पर जिला सहायक निबन्धक, उन्नाव ने अपने पत्रांक-652/दिनांक 25-6-85 द्वारा भाटनखेड़ा से वितरण कराने के आदेश दिये थे । सहायक निबंधक उन्नाव के उक्त आदेश दिनांक 25-6-85 पारित होने के पश्चात् जुलाई, 85 में पारा ग्राम प्रधान व प्रशासक साधन सहकारी समिति पारा ने जिलाधिकारी, उन्नाव को प्रार्थना-पत्र दिया कि वितरण का कार्य पारा समिति स्तर से ही कराया जाय । अतएव जिला सहायक निबंधक उन्नाव ने मामले में पुनः अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी तहसील पुरवा से जांच करायी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पारा मध्य की ग्राम सभा है, वहां सप्ताह में एक बार बाजार भी लगती है, अधिकांशतः सभी ग्राम सभाओं की जनता दैनिक उपभोक्ता की वस्तुएं क्रय करने वहीं आती है, अतः वितरण का कार्य पारा से ही कराना उचित होगा।

उक्त के अतिरिक्त पारा गांव में ग्रामीण गोदाम भी बनकर तैयार हो गया है और इस ग्राम सभा में 5060 यूनिट हैं जबकि भाटन खेड़ा में मात्र 577 यूनिट हैं। अतएव वितरण का कार्य भाटनखेड़ा से न कराकर समिति के मुख्यालय पारा से ही कराया जा रहा है।

जनपद जौनपुर में 220 के0 वी0 उपकेन्द्र परिसर में जिला परिषद् का प्राइमरी पाठशाला बनाने के आदेश

83–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में 220 के0 वी0 उप केन्द्र निर्माण एरिया में ग्राम सभा मुरादगंज वि0खं0 करंजा कला का प्रा0 पाठशाला भवन भी आ गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त प्रा0 पाठशाला भवन को धन आवंटित कर ग्राम सभा में ही एरिया के बाहर अपने विभाग द्वारा बनवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद जौनपुर में 220 के0 वी0 उपकेन्द्र परिसर में ही जिला परिषद् का एक प्राइमरी पाठशाला स्थित है। इस पाठशाला के स्थान पर एक नई पाठशाला उक्त उप केन्द्र परिसर में ही बनाने के आदेश इस कार्यालय के पत्र सं0 टी0–11 अ0 मु0 अ0 (पा0 पू0) एस0 एस0-26/220 के0 वी0 जौनपुर दिनांक-2-1-86 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जनपद निर्माण मण्डल, इलाहाबाद को दिये जा चुके हैं। उक्त प्राइमरी पाठशाला के निर्माण के लिये सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं, एवं पाठशाला इस वर्ष के अन्त तक निर्मित हो जाने की आशा है ।

84–श्री अर्जुन सिंह यादव–

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 201 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर बन्दोबस्त अधिकारी चक-बन्दी, शाहगंज के कार्यालय में लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही

85–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी शाहगंज ने अपने कार्यालय में एक लेखपाल लगा रखा है जो परिसीमन धारा 5-सी में नियम विरुद्ध कार्यवाही करता है तथा पैसा वसूलता है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो मंत्री जी क्या यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद जौनपुर बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी शाहगंज के कार्यालय में वर्ष 1984 से एक लेखपाल को जिल्द बन्दोबस्त प्राप्त करने तथा उन्हें तहसील/जिला अभिलेखागार में जमा करने एवं पेशीकानूनगो की सहायता के लिए लगाया गया था।

परसीमन 5 सी0 का कार्य पेशीकानूनगो द्वारा किया जाता है। पेशीकानूनगो के अवकाश पर रहने पर 5 सी0 की पत्रावलियों को लेखपाल द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। लेखपाल द्वारा पैसा वसूलने अथवा नियम विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कार्य में रुचि न लेने के कारण उक्त लेखपाल को मई, 1986 में हटा दिया गया तथा उसके स्थान पर दूसरा लेखपाल लगाया गया है। इनके विरुद्ध कोई लिखित शिकायत न होने के कारण किसी जांच का प्रश्न नहीं है।

जनपद जौनपुर में विद्युत आपूर्ति

86–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में सुबह-शाम प्रतिदिन विद्युत कटौती की जाती है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत आने वाले शहर जिनकी आबादी 1981 की जनगणना के अनुसार 25000 से अधिक है उन्हें निरन्तर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है। 25000 से कम जनसंख्या वाले कस्बों को ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रम, जो कि आजकल 10 घंटे प्रतिदिन है, के अतिरिक्त सायं 6 बजे से दूसरे दिन प्रातः 6 बजे तक बत्ती एवं पंखे के लिये विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है। जब कभी विद्युत मांग उपलब्धता के सापेक्ष अधिक होती है तो प्रणाली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये आपातकालीन कटौती न केवल जनपद जौनपुर के अन्तर्गत आने वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों वरन् प्रदेश के अन्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी करनी पड़ती है। यह कटौती सुबह, शाम, रात्रि में किसी भी समय की जा सकती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय दोषों के कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान भी सम्भव है।

87–श्री अर्जुन सिंह यादव–

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चकबन्दी आफिस मड़ियाहूं प्रथम का निर्धारित किराया

88–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश दि0 30 अक्तूबर, 81 के अनुसार चकबन्दी आफिस मड़ियाहूं प्रथम का किराया नहीं दिया

जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई है? क्या सरकार शासनादेश के पालन में उक्त मकान का किराया 30 अक्तूबर, 81 से 50 पैसे वर्ग फीट के हिसाब से देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

श्री अर्जुन सिंह यादव विधायक के मकान का निर्धारित किराया बराबर अदा किया गया और मकान के 8-5-86 से खाली हो जाने के बाद अब कोई किराया शासनादेश दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 के अनुसार देने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला जौनपुर के ग्रामों की चकबन्दी, लम्बित वादों का विस्तारण

89–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के कितने ग्रामों की चकबंदी हो रही है तथा कितने ऐसे ग्राम हैं जिस पर धारा 52 का प्रकाशन हुआ है ? चकबंदी के लम्बित मुकदमों को शीघ्र समाप्त करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जिला जौनपुर के 676 ग्रामों में इस समय चकबंदी हो रही है तथा 3024 ग्राम ऐसे हैं जिनका धारा 52 के अन्तर्गत प्रकाशन हुआ है।

जिला जौनपुर में वर्ष 1986-87 के लिये 2 उप संचालक, 1 सहायक संचालक, 2 बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, 2 सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी तथा 11 चकबंदी अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। यह सभी अधिकारी निर्धारित मापदण्ड से अधिक वादों का निस्तारण कर रहे हैं ताकि लम्बित वादों का निस्तारण शीघ्रता से हो जाये ।

अतः उपरोक्त पृष्ठभूमि में किसी विशेष योजना पर विचार किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

90–श्री यदुनाथ सिंह–

[2रे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अमोहा ब्लाक के ग्राम कालूखेड़ा में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत निर्मित दुकानों को पात्र व्यक्तियों को आवंटन

91–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1986 के दूसरे शुक्रवार के निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के उत्तर में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपात्र व्यक्तियों की दुकानें कब तक निरस्त करके पात्र व्यक्तियों को दुकानें कब तक आवंटित करा दी जायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत अपात्र व्यक्तियों का आवंटन निरस्त करके अतिशीघ्र पात्र व्यक्तियों को दुकानें आवंटित कर दी जायेंगी।

ग्राम गुलालपुर, जिला सुल्तानपुर के ग्राम प्रधान के विरुद्ध विधवा पेंशन की अदायगी में गम्भीर अनियमितताएं बरतने सम्बन्धी शिकायती पत्र

92–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गुलालपुर, पो0 बस्ती देई, जिला सुल्तानपुर की बिंधादेई, वृतन्ता, शिवकला, छब्बू, सुकराजी, पारवती आदि विधवाओं ने उक्त ग्राम के ग्राम प्रधान (श्री प्रभाकर नाथ मिश्र) के विरुद्ध विधवा पेंशन की अदायगी में गम्भीर

अनियमिततायें बरतने एवं पेंशन हड़प लेने सम्बन्धी कोई शिकायती पत्र माह दिसम्बर, 1985 में दिया है ? यदि हां, तो उसमें मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम बरावां, जनपद बाराबंकी में श्री रामधीरज द्वारा चक में संशोधन करने हेतु चकबन्दी अधिकारी, क्षेत्र 4, रुदौली को दिया गया पत्र

93–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1986 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 संख्या-145 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाटा संख्या-26/2 का जो रकबा चक संख्या 230 में प्रदिष्ट किया गया है वह मौके पर तालाब है जो कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त भूमि है ? क्या यह सही है कि चकदार के मूल गाटा संख्या-28 से कुछ भूमि जो अधिक उपजाऊ है निकाल ली गयी है ? क्या उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री रामधीरज सुपुत्र श्री दीना द्वारा चक संशोधन हेतु अन्तर्गत धारा 20 बाबत चक संख्या 230 गाटा संख्या–26/2 श्रीमान्, चकबंदी अधिकारी क्षेत्र 4 रुदौली को दिया गया है? यदि हां, तो क्या चक में वांछित संशोधन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम बरावां, परगना रुदौली, तह0 रामसनेही घाट, जनपद बाराबंकी के गाटा सं0–26/2 क्षेत्रफल 3 बिस्वा में गाटा सं0 28/2 शामिल है। सहायक चकबंदी अधिकारी की आख्या के अनुसार गाटा सं0 26/2 मौके पर कृषिक है। गाटा सं0 26/2 जो चक सं0 230 में प्रदिष्ट किया गया है, वह मौके पर तालाब नहीं है। चकदार 230 से उसके मूल गाटा संख्या 28/2 से 2 बिस्वा 13 बिस्वांसी अधिक उपजाऊ क्षेत्रफल कम किया गया है। उसके स्थान पर उस गाटा सं0 26/2, 3 बिस्वा उसके चक में प्रदिष्ट किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में चकदार–230 (श्री रामधीरज पुत्र दीना) द्वारा धारा-20 के अन्तर्गत गाटा सं0 26/2 को चक से निकालने के सम्बन्ध में चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र-4 रुदौली के न्यायालय में आपत्ति सं0 287 दिनांक 16-3-85 को प्रस्तुत की थी उसका निस्तारण श्री वेद प्रकाश तोमर, तत्कालीन चकबंदी अधिकारी, रुदौली ने दिनांक 26-3-85 को किया था। चकबंदी अधिकारी द्वारा श्री रामधीरज के चक में कोई संशोधन नहीं किया गया था।

चकबंदी अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध बंदोबस्त अधिकारी चक के न्यायालय में जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 21 (2) के अन्तर्गत चक अपील प्रस्तुत करने का प्राविधान है। चकदार संख्या 230 द्वारा कोई चक अपील नहीं प्रस्तुत की गई।

ग्राम बरावां, परगना रुदौली में गाटा सं0 26/2 का रकबा तथा चकेदार का कब्जा अंकित न किया जाना

94–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के पहले शुक्रवार में निर्धारित अता0 प्र0 सं0 145 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाटा संख्या 26/2 तालाब का जो रकबा चक संख्या-

230 में प्रदिष्ट किया गया है, पर चकदार का कब्जा था? यदि हां, तो क्या उक्त कब्जे को जोत चकबंदी आकार-पत्र 5-ख में दर्शाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम बरावां, परगना रुदौली, तहसील रामसनेही घाट जिला बाराबंकी के गाटा सं0 26/2 का जो रकबा चक संख्या 230 में प्रदिष्ट किया गया है मौके पर कृषक है । गाटा सं0 26/2 पर चकदार सं0 230 (रामधीरज पुत्र दीना) के कब्जा पड़ताल में अंकित नहीं किया गया है। कब्जे का कोई उल्लेख जोत चकबन्दी आकार पत्र 2-क के स्तम्भ-9 में नहीं है। इस कारण जोत चकबन्दी आकार पत्र 5-ख में कब्जा नहीं दिखाया गया है।

तहसील रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी में लगान राजस्व वसूली की बकाया धनराशि

95–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट में कितने ऐसे आसामी पट्टेदार हैं जिनकी बतौर लगान राजस्व वसूली सन् 1981 से बकाया है? क्या ग्राम प्रधान की श्री माता बदल सिंह ग्राम पंचायत बरांवां तहसील रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी का प्रार्थनापत्र गांव सभा का बकाया धन बतौर लगान वसूली के सम्बन्ध में श्रीमान् तहसीलदार रामसनेही घाट को दिनांक 10-1-86 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो बकाया धनराशि किसके विरुद्ध है और कितनी है? अब तक कितनी धनराशि वसूल की गयी? कब तक सम्पूर्ण धनराशि वसूल कर ली जायेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

तहसील रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी में सन् 1981 में गांव समाज के आसामी के रूप में 1455 व्यक्तियों के नाम 3,966.00 रुपया लगान देय है परन्तु बतौर बकाया मालगुजारी वसूली हेतु कोई धनराशि तहसील में नहीं प्राप्त हुई है। यह सही है कि श्री माता बदल सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत बरांवा का प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-1-86 को प्राप्त हुआ है। श्री राधेश्याम पुत्र गुरूदीन से मु0 9,900.00 रु0 मछली नीलाम का बकाया वसूल करने हेतु प्रार्थना की गई है इसमें से अभी तक कोई भी धनराशि वसूल नहीं हुई है क्योंकि प्रधान ने निर्धारित रूप पत्र 3 क में प्रार्थना पत्र कलेक्टर को नहीं दिया था। प्रधान को तद्नुसार सूचित किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड विद्युत कर्मचारी संगठन द्वारा वेतन समिति के समक्ष प्रस्तुत मांगों की रिपोर्ट से अवगत कराने हेतु दिया गया तार

96–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि उत्तराखण्ड विद्युत कर्मचारी संगठन (जि0 सं0 6552) केन्द्रीय कार्यालय 27/88 रामपुर रोड गली नं0 5 हलद्वानी (जनपद नैनीताल) द्वारा वेतन समिति के समक्ष प्रस्तुत मांगों पर रिपोर्ट से अवगत कराने हेतु दिनांक 5 मई, 1986 को द्रुतगामी तार द्वारा ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करते हुए ऐसा न करने पर औद्योगिक अशांति की चेतावनी दी थी? यदि हां, तो इस हेतु सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां। उस समय रिपोर्ट की सीमित प्रतियां ही उपलब्ध होने तथा उनके वेतन समिति की रिपोर्ट में नामित कतिपय संघों को दे दिये जाने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा संगठन

को यह सूचित कर दिया गया था कि रिपोर्ट की प्रति सम्प्रति देना संभव नहीं है। हाल ही में रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां उपलब्ध हो जाने पर परिषद् द्वारा उसकी एक प्रति उक्त संगठन को पंजीकृत पत्र संख्या 546पी0/रा0वि0प0/86-4पी/1986 दिनांक 18 अगस्त, 1986 द्वारा प्रेषित कर दी गयी है।

कानपुर में उद्योगपतियों पर विद्युत बिलों की बकाया धनराशि

97—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के औद्योगिक नगर कानपुर में उद्योगपतियों पर दो वर्षों से अधिक समय से विद्युत विभाग की 50 हजार रुपये से अधिक की धनराशि बकाया है? सरकार ने इस राशि को ब्याज सहित अतिशीघ्र वसूल करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के क्षेत्र के अन्तर्गत 31 मार्च, 1986 तक के आंकड़ों के अनुसार 50000 रु0 या इससे अधिक उद्योगपतियों पर कुल रु0 2,03,81,209·74 विद्युत बिलों का निम्नलिखित ब्योरानुसार बकाया है:—

	संख्या	कुल राशि
1—बड़े उद्योग	18	1,39,69,274-58
2—लघु उद्योग/ मध्यम उद्योग	32	64,11,935-16

उपरोक्त बकाये को वसूल करने के लिये कंपनी प्रबन्धक द्वारा निम्न कार्यवाही की जा रही है।

1—उन सभी उपभोक्ताओं का जिन्होंने किसी मुकदमें के आधार पर न्यायालय से स्थगनादेश नहीं ले रखा है, विद्युत विच्छेदन कर दिया गया है।

2—उन सभी उपभोक्ताओं के विरुद्ध जिन्होंने किसी न्यायालय से स्थगनादेश ले लिया है, स्थगनादेश निरस्त कराने की कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम सभा रामपुर परगना पश्चिम राठ के ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा

98—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बीकापुर तहसील जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा रामपुर, परगना पश्चिम राठ के ग्राम समाज भूमिखण्ड नं0 193 में 4 बिस्वा 15 धूर जो लाखों की सम्पत्ति है का अनाधिकृत कब्जा श्री रामफेर तिवारी, निवासी अरियासी द्वारा लिया गया है? उसके सम्बन्ध में जिला अधिकारी उपमण्डलाधीश बीकापुर फैजाबाद को जानकारी होते हुए भी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा रही है? क्या दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करके ग्राम समाज की सम्पत्ति तत्काल खाली करायी जायगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

बीकापुर तहसील जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा रामपुर प्रताप परगना पच्छिम राठ के भूमि खण्ड नम्बर 193 क्षेत्रफल 4 बिस्वा 1 धूर पर श्री रामफेर तिवारी निवासी ग्राम अरियासी का कब्जा नहीं है। उक्त भूमि ग्राम समाज सम्पत्ति नहीं है बल्कि श्री भगौती पुत्र भरोसे निवासी संवरधीर की संक्रमणीय भूमिधरी के खाते की भूमि है। उक्त भूमि ग्राम सभा सम्पत्ति न होने के कारण बेदखली कराए जाने की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेखाधिकारी के पद पर सम्पन्न हुयी परीक्षा में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा साक्षात्कार समिति में हरिजन अधिकारी

99—श्री कृष्ण कुमार—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेखाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती किये जाने के क्रम में 26-8-84 को सम्पन्न हुयी परीक्षा में कितने हरिजन अभ्यर्थी सम्मिलित हुये, थे ? तद्नुसार भर्ती किये गये 38 अभ्यर्थी तथा प्रतीक्षा सूची के 12 अभ्यर्थियों में कितने हरिजन हैं ? यदि नहीं, तो आरक्षित पदों पर सामान्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शासन की ओर से कोई कार्यवाही करायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेखाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु 26-8-84 को सम्पन्न हुई परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनु0 जन जाति का कोई भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ । परिणाम स्वरूप चयनित तथा प्रतीक्षा सूची में उनका कोई अभ्यर्थी रखा जाना सम्भव नहीं था । वर्णित परिस्थितियों में किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

100—श्री कृष्ण कुमार—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में 26-8-84 को लेखाधिकारी के पद पर भर्ती के लिये हुई परीक्षा में तथा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेने वाली समिति में कोई हरिजन अधिकारी भी रखा गया था ? यदि हां, तो कौन ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में लेखाधिकारी पद पर भर्ती हेतु एक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 26-8-1984 को संचालित हुई थी । यह परीक्षा एक बाहर की स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा आयोजित कराई गयी थी और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कम्प्यूटर द्वारा हुई थी । अतः इस परीक्षा के संचालन में अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी भी अधिकारी को सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं था । तत्पश्चात अभ्यर्थियों का साक्षात्कार मार्च 1985 में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा किया गया जो निम्नवत थीं:—

1—सदस्य [विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के भाग 5(4) (बी) के अन्तर्गत नियुक्त] ।

2—सदस्य (वित्त एवं लेखा)

3—अध्यक्ष द्वारा नामित परिषद् के एक सदस्य ।

4—अध्यक्ष द्वारा नामित एक बाह्य विशेषज्ञ सदस्य (वित्त/लेखा/सम्प्रेक्षा क्षेत्र से)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में उपरोक्त स्तर का अनुसूचित जाति/जन जाति का कोई भी अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण उक्त चयन समिति में अनुसूचित जाति के अधिकारी को नामांकित किया जाना सम्भव न हो सका ।

वित्त अधिकारी भूमि विकास बैंक द्वारा प्रधान कार्यालय, लखनऊ के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अनियमितता करने संबंधी चपले की रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

101—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—54 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धक द्वारा जांच में कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाये गये तथा दोषी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु अब तक किसे-किसे नोटिस जारी कर दिया गया है ? दोषी पाये गये अधिकारियों को क्रमशः क्या-क्या दण्ड दिया गया है ? क्या मंत्री जी सारी कार्यवाही को तीन महीने के अन्दर पूरा कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0 द्वारा उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 68 (1) के अन्तर्गत मामलों की जांच हेतु एक कमेटी दिनांक 30-1-86 को गठित की गयी थी परन्तु कमेटी में नामित अधिकारियों के स्थानान्तरण के कारण कमेटी की रिपोर्ट देने की अवधि बढ़ा दी गयी है । कमेटी की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

कादराबाद फौजी कालोनी, विकास खण्ड अफजलगढ़, जिला बिजनौर में विद्युत सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव

102—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कादराबाद फौजी कालोनी, विकास खण्ड अफजलगढ़, जिला बिजनौर में एक विद्युत सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन अथवा स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त सब स्टेशन कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या उक्त क्षेत्र की विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार लाने हेतु उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति देंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

भूमि अधिग्रहीत की जा रही है । कार्य पूर्ण होने की निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा संचालित तापीय विद्युत गृहों में फ्यूल आयल एवं विद्युत उत्पादन का विवरण

103—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में प्रति माह राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संचालित तापीय विद्युत गृहों में कितना फ्यूल आयल प्रयोग किया गया और कितना विद्युत उत्पादन किया गया ? गिरते हुए उक्त फ्यूल आयल पर कुल कितना धन व्यय हुआ तथा इस खर्च को घटाने हेतु क्या-क्या उपाय किए गए अथवा किए जाने प्रस्तावित है ?

श्री सुनील शास्त्री—

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा संचालित तापीय विद्युत गृहों द्वारा वर्ष 1984-85 में प्रतिमाह प्रयोग किए गये फ्यूल आयल एवं विद्युत उत्पादन का विवरण संलग्न है ।

गिरते हुए उत्पादन एवं फ्यूल आयल की खपत में वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं :–

1–वर्ष 1984-85 में ओबरा व हरदुआगंज तापीय विद्युत गृहों की कतिपय इकाइयों का अग्निकांड के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त होना ।

2–उक्त विद्युत गृहों की रूस से आयातित इकाइयों के अत्यधिक पुराने होने के कारण ब्वायलर ट्यूब्स में बार-बार रिसाव के कारण उन्हें बार-बार स्टार्ट करने में फ्यूल आयल का प्रयोग ।

3–कोयले की खराब क्वालिटी ।

वर्ष 1984-85 में विभिन्न तापीय इकाइयों के परिचालन में लगभग 34.45 करोड़ रु0 फ्यूल आयल पर खर्च किए गए।

फ्यूल आयल के ऊपर होने वाले व्यय को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :–

1–विभिन्न तापीय इकाइयों का रिनोवेशन के उपरान्त मशीनों के होने वाले आउटेजस की संख्या में कमी आ जाने से फ्यूल आयल के प्रयोग में कमी आएगी।

2–ताप विद्युत गृहों में आपूर्ति किए जा रहे कोयले में गुणात्मक सुधार।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 209 पर)

जिला रायबरेली के ग्राम इचौली की बचत की भूमि हरिजनों में वितरित किये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

104–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का रायबरेली जिले के बछरावां परगना के ग्राम इचौली की बचत की भूमि में वितरित करने सम्बन्धी पत्रांक 280/86 दि0 25 अप्रैल, 86 उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। प्रश्नगत पत्र के सम्बन्ध में की गई जांच से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए :–

1–प्रश्न में उल्लिखित ग्राम के 121 पात्र व्यक्तियों को 17 बीघा 5 बिस्वा 17 बिस्वांसी गांव सभा की कृषि भूमि तथा तीन व्यक्तियों को 3 बीघा 4 बिस्वा 6 बिस्वांसी सीलिंग भूमि के पट्टे पूर्व में ही किये जा चुके हैं।

2–ग्राम का कुल क्षेत्रफल 4050 बीघा 13 बिस्वा 8 बिस्वांसी है जिसमें से 49 बीघा 7 बिस्वा 16 बिस्वांसी भूमि नवीन पती, जंगल, बंजर तथा ऊसर आदि के रूप में उपलब्ध है जो छोटे-छोटे टुकड़ों में अकृषि योग्य तथा सार्वजनिक प्रयोग की होने के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पट्टे पर उठाये जाने योग्य नहीं है।

इस प्रकार अब कृषिक पट्टा दिये जाने हेतु प्रश्नगत ग्राम में ग्राम सभा/सीलिंग की भूमि उपलब्ध नहीं है ।

105–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

बाढ़/अतिवृष्टि/जलप्लावन से उन्नाव जिले के कतिपय क्षेत्रों में कृषि दरों की स्थगित वसूली, वसूली में उत्पीड़क कार्यवाहियां रोकने के निर्देश

106–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री कृपया प्रश्नकर्ता के प्रथम सत्र 1986 के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न सं0 2 के उत्तर के संदर्भ में यह जानकारी देंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा, हिलौली, मौरावां व असोहा परगना क्षेत्रों में 90 फीसदी की

क्षति स्वीकार किये जाने के बावजूद रबी की फसल आने तक सरकारी देयों की वसूली क्यों स्थगित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वर्ष 1985 की बाढ़/अतिवृष्टि/जल-प्लावन से खरीफ की फसल को पहुंची हानि के कारण जिलाधिकारी, उन्नाव ने समस्त कृषि देयों की वसूली दिनांक 31-12-1985 तक स्थगित कर दी थी। प्रभावित खरीफ की भू-राजस्व की छूट के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। छूट प्रस्ताव में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली, प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय लिये जाने तक स्थगित रहेगी। भू-राजस्व के अलावा अन्य सरकारी देयों की वसूली, राज्य के वित्तीय संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, स्थगित नहीं की गई।

107–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दि0 29-2-86 पत्रांक 130 पर मा0 राजस्व राज्य मंत्री ने वसूली में सभी उत्पीड़क कार्यवाहियां रोकने के निर्देश दिये थे और जिलाधिकारी द्वारा वसूलियों के स्थगन को न मानने पर प्रश्नकर्ता ने दि0 5-3-86 को मा0 राज्य मंत्री जी, राजस्व को एक पत्रांक 151/86 दिया था ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नकर्ता के पत्रांक रहित पत्र दिनांक 28-2-1986 व 5-3-1986 प्राप्त हुए थे। पत्र दिनांक 29-2-1986 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। जिलाधिकारी, उन्नाव ने मार्च, 1986 में शासन को अवगत कराया था कि बकायों की वसूली के सम्बन्ध में किसी प्रकार के उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार की कोई शिकायत उनको नहीं मिली थी। इसकी जानकारी प्रश्नकर्ता की नियम संख्या 301 की सूचना के उत्तर दिनांक 10 मार्च, 1986 में उनको दे दी गई थी। जिलाधिकारी, उन्नाव ने भी अपने पत्र दिनांक 23-4-1986 द्वारा प्रश्नकर्ता को स्थिति से अवगत करा दिया था। वर्ष 1985 की बाढ़/अतिवृष्टि/जलप्लावन से खरीफ की फसल को पहुंची हानि के कारण जिलाधिकारी, उन्नाव ने समस्त कृषि देयों की वसूली दिनांक 31-12-1985 तक स्थगित कर दी थी। प्रभावित खरीफ की भू-राजस्व की वसूली की छूट के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। छूट के प्रस्ताव में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली, प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय लिये जाने तक स्थगित रहेगी। भू-राजस्व के अलावा अन्य सरकारी देयों की वसूली, राज्य के वित्तीय संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, स्थगित नहीं की गई।

108–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मा0 मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इतनी कार्यवाहियों के बावजूद वसूली न रोके जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने 19-4-86 पत्रांक 270/86 को राहत आयुक्त को व 2-5-86 पत्रांक 288 के द्वारा राज्य मंत्री राजस्व को पुनः लिखा था कि वसूलियां नहीं रोकी गयी हैं ? यदि हां, तो नियमानुसार वसूली न स्थगित किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जिलाधिकारी, उन्नाव ने मार्च, 1986 में शासन को अवगत कराया था कि बकायों की वसूली में किसी प्रकार की उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार की कोई शिकायत उनको नहीं मिली थी। इस

की जानकारी प्रश्नकर्ता को नियम 301 की उनकी सूचना के उत्तर दिनांक 18 मार्च, 1986 में उनको दे दी गई थी। जिलाधिकारी, उन्नाव ने भी अपने पत्र दिनांक 23-4-1986 द्वारा प्रश्नकर्ता को स्थिति से अवगत करा दिया था। वर्ष 1985 की बाढ़/अतिवृष्टि/जलप्लावन से खरीफ की फसल को पहुंची हानि के कारण जिलाधिकारी, उन्नाव ने समस्त कृषि देयों की वसूली दिनांक 31-12-85 तक स्थगित कर दी थी। प्रभावित खरीफ की फसल की भू-राजस्व की वसूली की छूट के प्रस्ताव में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली, प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय लिये जाने तक स्थगित रहेगी। भू-राजस्व के अलावा अन्य सरकारी देयों की वसूली राज्य के वित्तीय संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थगित नहीं की गई।

109-110—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[दिनांक 2-9-86 के अता0 प्र0 सं0 201-202 द्वारा उत्तरित]

उन्नाव जिले के हिलौली ब्लाक की साधन सहकारी समिति पारा के गोदाम निर्माण के संबंध में दिये गये आदेश

111—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के हिलौली ब्लाक की साधन सहकारी समिति पारा के गोदाम निर्माण के पारा में न बनने संबंधी आदेश, किसान कांग्रेस सेल, उ0 प्र0 के प्रार्थना पत्र पर मा0 मंत्री जी ने माह दिसम्बर, 85, जनवरी, 86 में किये थे ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश को सहायक निबंधक (सहकारिता) उन्नाव द्वारा न माने जाने की शिकायत प्रश्नकर्ता ने माह जनवरी, 86 में की थी, और जिलाधिकारी ने उन्नाव के सहायक अभियन्ता (विश्व बैंक परियोजना) को व सहायक निबन्धक (सहकारिता) को काम रोके रखने के आदेश दिये थे ? और सहायक अभियन्ता (विश्व बैंक) उन्नाव ने बी0 डी0 ओ0 हिलौली व अवर अभियन्ता (विश्व बैंक) को काम रोकने के लिखित आदेश 27-1-86 को दिये थे ? यदि हां, तो इतने शासकीय आदेशों के सहायक निबन्धक (सहकारिता) द्वारा न माने जाने व निर्माण जारी रखने का औचित्य क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां।

जी हां। सहायक अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना, द्वारा निर्माण कार्य रोकने के लिखित आदेश दिनांक 28-1-1986 को दिये गये थे। प्रशासक, साधन सहकारी समिति, पारा ने अपने पत्र दिनांक 11-2-86 द्वारा यह अवगत कराया था कि पारा में गोदाम निर्माण का लगभग आधा कार्य समाप्त होने को है और कार्य के रोक दिये जाने के कारण भवन निर्माण सामग्री, जो उक्त स्थान पर पड़ी हुई है, खराब हो रही है और उसे बचाना मुश्किल हो रहा है। जांच कराये जाने पर भी पारा में ही गोदाम निर्माण कराना उचित पाया गया था। उक्त स्थिति में जिलाधिकारी, उन्नाव को शीघ्र कार्य पूरा कराये जाने के आदेश दिये गये, जिसके अनुसरण में गोदाम का निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया।

साधन सहकारी समिति पहासा (उन्नाव) के भवन निर्माण में गबन एवं जांच

112—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति पहासा (उन्नाव)

के भवन निर्माण में भारी घपला हुआ है और भवन अभी से क्षतिग्रस्त होने लगा है? क्या इसी संदर्भ में पहासा न्याय पंचायत (जिला उन्नाव) के तमाम ग्राम प्रधानों का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र पत्रांक 302/86 दि0 9 मई, 86 मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं। टैक्निकल आडिट सेल से जांच कराये जाने पर गोदाम के प्लास्टर सनशेड, बीम व छत आदि में कतिपय त्रुटियां अवश्य प्रकाश में आई थीं।

जी हां।

पाई गई त्रुटियों के सुधार हेतु सहायक अभियन्ता (विश्व बैंक परियोजना), उन्नाव को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

आंगन बाड़ी योजना में ग्राम घरघटा, विकास खण्ड औरास, जनपद उन्नाव की कार्यकर्ता श्रीमती फूलमती देवी के भ्रष्टाचार के संबंध में कथित पत्र

113–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही आंगन बाडी योजना में ग्राम-घरघटा विकास खण्ड औरास, जनपद उन्नाव की कार्यकर्ती श्रीमती फूलमती देवी के भ्रष्टाचार के संबंध में क्षेत्रीय विधायक ने मार्च, 1985 के प्रथम सप्ताह में कोई पत्र लिखा है, यदि हां, तो उक्त शिकायतों के आधार पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

माननीय क्षेत्रीय विधायक का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

साधन सहकारी समिति, पारा के प्रशासक द्वारा सहकारी ऋण की चेकों पर हस्ताक्षर न करने विषयक शिकायती-पत्र

114–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सहकारिता मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि उनको उन्नाव जिले के ग्राम भाटनखेड़ा आदि के किसानों श्री गणेश आदि का साधन सहकारी समिति पारा के प्रशासक द्वारा सहकारी ऋण की चेकों पर हस्ताक्षर न करने विषयक शिकायती पत्र, सचिव द्वारा दी गई चेक की फोटो-स्टेट प्रति व प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र दि0 14-5-86 पत्रांक 317/86 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां।

ऋण का भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों को कर दिया गया है।

साधन सहकारी समिति सचिव परिषद् की मांगें तथा कृत कार्यवाही का विवरण

115–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ0प्र0 के साधन सहकारी सचिवों ने माह अप्रैल, के तीसरे सप्ताह में एक विशाल सम्मेलन/प्रदर्शन लखनऊ में आयोजित किया था? यदि हां, तो उनकी मांगों और समस्याएं क्या थीं? और उन्हें कहां तक पूरा किया गया है? क्या यह भी सही है कि दि0 17-4-86 को इस सम्मेलन में मा0 मंत्री जी भी शरीक हुए थे? यदि हां, तो क्या उन्हें समस्याओं की जानकारी दी गई थी? यदि हां, तब भी समस्याएं हल न किये जाने का कारण क्या है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां।

साधन समिति सचिव परिषद् की मांगों तथा उनके सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण संलग्नक में दिया गया है।

परिषद् के सम्मेलन में सहकारिता मंत्री 17-4-86 को शरीक हुए थे। उन्हें परिषद् द्वारा समस्याओं की जानकारी दी गयी थी।

कारण संलग्नक† में स्पष्ट किये गये हैं।

116—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

राज्य विद्युत परिषद् में घाटा

117—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-17 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण में होने वाली क्षति-पूर्ति उक्त तिथि तक कुल कितनी थी तथा उक्त क्षति के अतिरिक्त संदर्भित तिथि तक परिषद् को कुल कितना घाटा रहा?

श्री सुनील शास्त्री—

फिलहाल किये गये आकलन के अनुसार मार्च 1985 के अन्त तक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पर हुयी क्षति रु0 979·40 करोड़ है तथा इसी समय तक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को प्रारम्भिक लेखों के अनुसार रु0 804·55 करोड़ का घाटा था तो अब पुनरीक्षित लेखों के आधार पर रु0 760·98 करोड़ है।

जनपद मिर्जापुर स्थित ओबरा ताप विद्युत गृह में तेल में पानी मिलाकर पूर्ति किये जाने की दर्ज रिपोर्ट

118—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के छठे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-45 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तेल में पानी मिलाकर पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी टैंकर मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं फौजदारी की अन्य धाराओं के अन्तर्गत कोई मामला दर्ज कराया गया? यदि हां, तो मामले में कहां तक प्रगति हुई है? यदि नहीं तो ऐसे फौजदारी अपराध के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, उक्त कार्यवाही न करने के लिए कौन-कौन दोषी है तथा वह उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, मामले की प्रथम रिपोर्ट दिनांक 17-8-85 को पुलिस थाना ओबरा में अंकित करा दी गई थी। पुलिस द्वारा दी गई सूचनानुसार मुकदमा न्यायिक दण्डाधिकारी, रार्बटसगंज के न्यायालय में विचाराधीन है।

इलाहाबाद जिले तथा नगर में विधवाओं/विकलांगों को भरण-पोषण हेतु अनुदान

119—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि इलाहाबाद जिले तथा नगर में विगत दो वर्षों में कितनी विधवाओं एवं विकलांगों को पेन्शन अनुदान दिया गया तथा क्या इस वर्ष संख्या न बढ़ाने संबंधी कोई शासनादेश जारी किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इलाहाबाद जिले में विगत दो वर्षों में विधवाओं/विकलांगों को भरण-पोषण हेतु

†छापी नहीं गयी।

अनुदान दिया गया उनकी संख्या निम्न प्रकार है :–

वित्तीय वर्ष 1983–84	वित्तीय वर्ष 1984–85	इलाहाबाद नगर क्षेत्र	इला0 ग्रामीण क्षेत्र	कुल योग इला0 जिला
	निराश्रित विधवा			
129	112	241	762	2292 3054
	निराश्रित विकलांग			
22	62	84	284	539 818

शासनादेश सं0 3006/26–2–85–500(30)/84, दिनांक 7-11-85 में शासन के वित्त विभाग ने यह प्रतिबन्ध लगा दिया था कि वर्ष 85–86 में केवल उन्हीं विधवाओं को लाभान्वित किया जायेगा जो 84–85 में लाभान्वित हो रही थी ।

इलाहाबाद जनपद के ग्राम खनसेमरा में हरिजनों को कृषि योग्य भूमि वितरण में धांधली संबंधी पत्र की जांच

120–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा इलाहाबाद जनपद के शंकरगढ़ ब्लाक के खनसेमरा ग्राम में हरिजनों को कृषि योग्य भूमि वितरण में धांधली संबंधी मुख्य मंत्री को संबंधित ज्ञापन दिनांक 26-12-85 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या उक्त मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

शासन को प्रश्नकर्ता का उक्त विषयक पत्र दिनांक 24-12-85 न कि 26-12-85 प्राप्त हुआ था।

प्रश्नगत पत्र में की गई शिकायतों की जांच परगनाधिकारी, बारा जनपद इलाहाबाद द्वारा कराई गई किन्तु जांच आख्या में पूर्ण सूचनायें प्राप्त नहीं हुईं, जिन्हें एकत्र किया जा रहा है ।

मिर्जापुर के तहसील राबर्ट्सगंज के ग्राम पिपरी में श्री सरजू प्रसाद पाण्डेय को ट्रैक्टर न दिये जाने का कारण

121–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि जनपद मिर्जापुर की तहसील राबर्ट्सगंज के ग्राम पिपरी में दिनांक 5 मार्च 1986 को एक स्वराज ट्रैक्टर ट्राली सहित रु0 35100 में श्री सरजू प्रसाद पाण्डेय के नाम से नीलाम किया गया था और उसकी सेलडीड परगनाधिकारी, राबर्ट्सगंज द्वारा दिनांक 1-4-86 को बना दी गयी परन्तु ट्रैक्टर अभी तक उक्त श्री पाण्डेय को नहीं दिये जाने का क्या कारण है? क्या उक्त ट्रैक्टर अब भी उसके पूर्व मालिकों को परगनाधिकारी, राबर्ट्सगंज एवं कलेक्शन विभाग के लिपिक श्री दयाराम द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। श्री सरजू प्रसाद पाण्डेय को संग्रह अमीन ट्रैक्टर दिलाने हेतु सुपुर्दगार के यहां गये परन्तु सुपुर्दगार द्वारा उक्त ट्रैक्टर कहीं हटा दिया गया था, जिसके विरुद्ध दिनांक 6-4-86 को संग्रह अमीन द्वारा थाना राबर्ट्सगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। इसी मामले में बकायेदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका में न्यायालय ने ट्रैक्टर को याची के कब्जे से दिनांक 26-8-86 तक न लिए जाने के आदेश पारित किए हैं। चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी ट्रैक्टर अभी तक बरामद नहीं हो सका है इसलिए परगनाधिकारी राबर्ट्सगंज एवं संग्रह विभाग के लिपिक श्री दया राम द्वारा पंजीकों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

साधन सहकारी समिति चिताड़ी, जनपद बस्ती में प्रशासक एवं सचिव के विरुद्ध गबन की दर्ज रिपोर्ट

122–श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे शुक्रवार के लिए तिथांकित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि प्रशासक के साथ-साथ सचिव को भी दोषी पाया गया? यदि हां, तो पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट कब दर्ज करायी गई और सचिव और प्रशासक को पुलिस ने कब गिरफ्तार किया और कब उनको जमानत हुई और मुकदमा किस न्यायालय में विचाराधीन है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां।

दिनांक 16-9-84 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सचिव एवं प्रशासक अभी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। यह मामला विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) के विवेचनाधीन है। विवेचना पूर्ण होने पर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

123–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री कृपाल सिंह निवासी भिरावटी विकास क्षेत्र बीबी नगर, जनपद बुलन्दशहर का नलकूप का कनेक्शन पुनः जोड़ने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र

124–श्री किरन पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री अजगपाल सिंह निवासी भिरावटी विकास क्षेत्र, बीबी नगर जनपद बुलन्दशहर का नलकूप का अस्थायी कनेक्शन 4-6-86 को कटने पर 12-9-85 को पुनः कनेक्शन जोड़ने के लिए 15/-रसीद नं0 41/47258 द्वारा जमा करने के बाद प्रार्थना किये जाने पर अभी तक नहीं जोड़ा गया है? क्या यह भी सही है कि श्री कृपाल सिंह ने सहायक अभियंता गुलावटी के पास सभी आवश्यक कागजात जमा कर दिये हैं जिनको सहायक अभियंता गुलावटी ने पत्र संख्या 2436/आर--5/सी एल 211/12/85 द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम के पास भेज दिये हैं? यदि हां, तो कनेक्शन कब तक जोड़ दिया जायेगा?

श्री सुनील शास्त्री–

उपभोक्ता श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री अजबपाल सिंह निवासी भिरावटी, विकास क्षेत्र बीबी नगर जनपद बुलन्दशहर ने बोरिंग फेल होने के कारण अपने नलकूप का कनेक्शन अस्थायी रूप से काटने हेतु दिनांक 4-6-84 को 15/-रु0 जमा किया। अतः 15-6-84 को उक्त कनेक्शन काट दिया गया था। जब उपभोक्ता की बोरिंग सफल हो गई, उसने सहायक अभियन्ता को इसकी सूचना दी तथा कनेक्शन जोड़ने हेतु रसीद संख्या 28/198194 दिनांक 7-1-86 द्वारा 15/- रु0 जमा किया अतः दिनांक 8-1-86 को उपभोक्ता का कनेक्शन जोड़ दिया गया।

महरौनी में विद्युत सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव

125–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ललितपुर जनपद में 150 कि0 मी0 लम्बी विद्युत लाइनों का रख-रखाव ठीक से नहीं हो पाता है? यदि हां तो क्या मा0 मंत्री जी इस समस्या के समाधान हेतु महरौनी में एक विद्युत सब-स्टेशन स्थापित करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जनपद के सौरई रॉक फास्फेट प्रोजेक्ट को सुचारु रूप से विद्युत देने हेतु 66 के0 बी0 की विद्युत लाइन बिछाने का शासन का कोई विचार है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां, उपभोक्ताओं की असुविधाओं को दूर करने की दृष्टि से इसी वर्ष (86-87) महरौनी में 11 के0 वी0 स्कीप्रिंग सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। इसे वर्ष 1987-88 में 33/11 के0 वी0 सब स्टेशन में बदलने का भी प्रस्ताव है।

जी नहीं। सौरई रॉक फास्फेट प्रोजेक्ट की लगभग 12 मे0 वाट लोड की मांग है जिसे 66 के0 वी0 की लाइन से दे पाना संभव नहीं है। इसके लिये ललितपुर से 70 कि0 मी0 लम्बी 132 के0 वी0 लाइन का निर्माण करना होगा। इस लाइन तथा सब स्टेशन के निर्माण में लगभग 347 लाख रुपया खर्च होगा जिसे सौरई रॉक फास्फेट प्रोजेक्ट को वहन करना होगा।

अपर निदेशक तथा उपनिदेशक एवं प्रोजेक्ट मैनेजर आई0 सी0 एस0 के विरुद्ध शिकायती-पत्र

126–श्री मित्रसेन तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि अपर निदेशक तथा उपनिदेशक एवं प्रोजेक्ट मैनेजर आई0 सी0 एस0 के विरुद्ध दिनांक 13 मई, 1986 को विधान सभा सदस्यगण सर्वश्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय आदि (चार) का कोई संयुक्त शिकायती-पत्र मुख्यमंत्री को संबोधित शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मूल शिकायतें क्या थीं तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

शिकायती-पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है इसकी एक प्रति मा0 विधान सभा सदस्य से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

पत्र प्राप्ति पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

महाराणा प्रताप लघु माध्यमिक विद्यालय, कुर्मी पट्टी में हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति व अन्य मदों पर आवंटित की गई धनराशि

127—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि महाराणा प्रताप लघु माध्यमिक विद्यालय कुर्मी पट्टी के नाम पर फर्जी हरिजन प्राइमरी पाठशाला, कुर्मी पट्टी पो0—पथरदेवा जनपद-देवरिया को दिखाकर हरिजन छात्रों के छात्रवृत्ति व अन्य मदों के नाम पर अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है? यदि यह धनराशि श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसुभग सिंह, प्राध्यापक द्वारा प्राप्त की गई है तो वे कौन-कौन से हरिजन छात्र हैं जिन्हें यह धनराशि दी गई है ? यदि यदि नहीं दी गई है, तो धनराशि का विवरण क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

महाराणा प्रताप लघु माध्यमिक विद्यालय कुर्मी पट्टी पोस्ट पथरदेवा जनपद देवरिया फर्जी नहीं बल्कि एक स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय है छात्रों को दी गयी छात्रवृत्ति/पुस्तकीय सहायता व अन्य मदों पर आवंटित की गई धनराशि का विवरण निम्नप्रकार है:—

वर्ष	छात्रों की संख्या	धनराशि
1983-84	115	14,774
1984-85	15	1,630
1985-86	41	3,312

अप्रैल, 83 से जून, 84 तक अन्य मद में शुल्क क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 6,788.52 पैसे की धनराशि दी गई। उपरोक्त धनराशि प्रधानाध्यापक श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सुभग सिंह द्वारा जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी देवरिया की स्वीकृति के आधार पर वितरित किया गया। जिन छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गई है उसका विवरण विभाग के कार्यालय से संलग्न है।

128—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि उक्त फर्जी विद्यालय को हरिजन छात्रों के निमित्त वाचनालय, पुस्तकालय, अनाथालय, अल्पाहार संस्था के नाम पर भी अनुदान दिया जाता रहा है जबकि वहां पर ऐसी कोई संस्था नहीं है ? फर्जी रूप से उक्त संस्था के नाम पर लिये गये धनराशि की वसूली क्या श्री राजेन्द्र सिंह प्राध्यापक से की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

महाराणा प्रताप लघु माध्यमिक विद्यालय, कुर्मी पट्टी फर्जी संस्था नहीं है, क्योंकि इसे शिक्षा विभाग ने वर्ष 84-85 में स्थाई मान्यता दे रक्खी है। श्री राजेन्द्र सिंह प्राध्यापक से धनराशि की वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में हरिजन प्राइमरी पाठशाला नागरिया कला व उगनपुर में कार्यरत शिक्षकों के निष्कासन रोकने के संबंध में कार्यवाही

129—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में हरिजन प्राइमरी पाठशाला नागरिया कला उगनपुर में कार्यरत शिक्षकों को अवैध रूप से जिला हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक श्री जागनलाल मौर्य द्वारा निष्कासन करने का प्रयास किया जा रहा है ?

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री उक्त शिक्षकों के निष्कासन रोकने एवं कार्यालय लिपिक श्री मौर्य के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं,

नगरोदा कला व उगनपुर में नागरिया कला विद्यालय का प्रबन्ध सीधे जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी ही कर रहे हैं तथा उगनपुर का प्रबन्धक शिक्षा दलित समिति द्वारा किया जा रहा है । वरिष्ठ लिपिक श्री जागन लाल मौर्य के अधिकार क्षेत्र में किसी भी अध्यापक को निष्कासन का अधिकार नहीं है, अतः इनके द्वारा निष्कासन का प्रश्न नहीं उठता ।

ललितपुर जनपद में भूमि अर्जन कार्यालय में अभ्यर्थियों को लिये जाने का आधार

130–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ललितपुर जनपद में मुआवजा (भूमि अर्जन) कार्यालय में कार्यरत समस्त कार्मचारी जनपद ललितपुर के बाहर के हैं तथा पिछले दिनों जो 10 नियुक्तियां हुई हैं उनमें उक्त जनपद का एक भी व्यक्ति नहीं लिया गया न लिए जाने का क्या कारण है ? क्या जनपद के शिक्षित बेरोजगारों ने उक्त पदों के लिए आवेदन-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो जनपद की बेरोजगारी समस्या को देखते हुए इन बाहर के अभ्यर्थियों को लिये जाने का क्या आधार था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

सन् 1982 व 1984 में क्रमशः जनपद ललितपुर में भू-अर्जन हेतु उप भूमि अध्यापित अधिकारी (संयुक्त संगठन) की इकाई जनपद बांदा से स्थानान्तरित हुई और विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिंचाई) की यूनिट जनपद गाजियाबाद से स्थानान्तरित होकर ललितपुर में कार्यरत हुई । अतः उपरोक्त दोनों इकाई में कार्यरत समस्त कर्मचारी जनपद ललितपुर के बाहर से ही आये । बाद में दोनों इकाईयों में कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने के कारण जो रिक्तियां हुई उन पर संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 के अंतर्गत समयबद्ध कार्य की महत्ता को देखते हुए दिनांक 26-12-1985 को दिनांक 28-2-86 तक भू-अर्जन कार्य में अनुभव रखने वाले कर्मचारियों को तदर्थ नियुक्तियां की गईं, जो दिनांक 31-7-86 तक जारी रहीं । जनपद ललितपुर का कारण यह है कि भू-अर्जन के तकनीकी पहलुओं का ज्ञान रखने वाले किसी भी व्यक्ति ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। पहले से ही प्राप्त अनुभव वाले अभ्यर्थी ही प्रश्नगत पदों पर रखे गये । दिनांक 31-7-86 के पश्चात उपरोक्त तदर्थ नियुक्तियां समाप्त हो गई हैं ।

ललितपुर जनपद में चौथी तहसील खोलने का कथित प्रस्ताव

131–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ललितपुर जनपद में चौथी तहसील खोलने का शासन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त तहसील को कब तक किस स्थान पर बनाने का शासन का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील पुनर्गठन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में जनपद ललितपुर में किसी नयी तहसील के सृजन की संस्तुति नहीं की गई है ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खंड रानीपुर में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य बन्द किया जाना

132–श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या सहकारिता मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़-गाजीपुर राज मार्ग पर विकास खंड रानीपुर के ग्राम–सिरसा में कोल्ड स्टोरेज की नींव निर्माण हेतु तैयार की जा रही थी और जमीन दल-दल होने के कारण इक्सपर्ट अधिकारियों के जांच के बाद, उक्त कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का कार्य बन्द कर दिया गया । क्या उक्त कोल्ड स्टोरेज का निर्माण मऊ–सुल्तानीपुर राज मार्ग पर ब्लाक मुख्यालय रानीपुर की उपलब्ध भूमि पर किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जनपद आजमगढ़ के विकास खंड रानीपुर के स्थान चिरैयाकोट में जिला सहकारी फेडरेशन लि0, आजमगढ़ द्वारा एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कराये जाने हेतु खुदाई कराते समय नींव में पानी भर जाने पर निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया था और तत्पश्चात् तकनीकी जांच में विशेषज्ञों द्वारा उक्त भूमि अनुपयुक्त घोषित करने के फलस्वरूप निर्माण कार्य नहीं कराया गया ।

उक्त शीतगृह ब्लाक मुख्यालय रानीपुर की भूमि पर वर्तमान में निर्माण कराने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उक्त शीतगृह के संबंध में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अपनी स्वीकृति निरस्त कर दी गई है ।

इलाहाबाद के ऊर्जीकरण का अवरुद्ध कार्य दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

133–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के0 डी0 कालिया अधिशासी अभियंता नलकूप विद्युतीकरण खण्ड कानपुर ने अनाधिकृत रूप से अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए अपने पत्र संख्या 1275/टी0 ई0 डी0 (के)/डब्लू0 बी0/एस0 टी0 डब्लू0/फतेहपुर दिनांक 5-8-85 उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् आदेश संख्या 7246-जी0 ए0/एस0 ई0 बी0 13 (XIII) दिनांक 26-12-83 एवं आदेश संख्या 295-जी0 ए0/एस0 ई0 बी0-82-100 '6'/एन0जी0/73 दिनांक 19-2-85 का उल्लंघन किया तथा श्री एस0 एम0 जफर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता नलकूप विद्युतीकरण लखनऊ ने अपने पत्रांक 5583 ए0 सी0 ई0/डब्लू0 बी0/ई-2 दिनांक 22-11-85 द्वारा परिषद् के आदेशों का उल्लंघन एवं अवमानना की जिसके फलस्वरूप इलाहाबाद का विद्युतीकरण संबंधी विकास कार्य पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया ? क्या यह बात सही है कि विद्युत परिषद् के प्रश्नगत आदेशों द्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्रों का परिवर्तन विद्युत परिषद् के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी परिषद् के अधिकार क्षेत्र का अवैध अतिक्रमण करने वाले आदेश को निरस्त करके अवैध आदेश देने वाले अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं ।

उपखण्ड इलाहाबाद का कार्य संतोषजनक न होने के कारण प्रश्नगत आदेश कार्यहित में किए गए थे तथा प्रशासनिक कारणों से उपखण्ड, इलाहाबाद को नलकूप विद्युतीकरण खण्ड, बांदा से सम्बद्ध किया गया था । इलाहाबाद उपखण्ड के अधिकारी श्री एच0 एन0 कपूर द्वारा कार्य में रुचि न होने के कारण जनपद इलाहाबाद व ऊर्जीकरण का कार्य अवरुद्ध रहा तथा लक्ष्य न पूरा कर पाने के लिए श्री कपूर ही जिम्मेदार हैं ।

जनपद फैजाबाद के गांव सभा अतरौरा की राम बाबा बाजार का विद्युतीकरण

134–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में स्थित गांव सभा अतरौरा की रामबाबा बाजार के 17 लोगों ने 25 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से लगभग 3 वर्ष पूर्व विद्युतीकरण हेतु पैसा जमा किया था ? यदि हां, तो अभी तक उक्त बाजार का विद्युतीकरण न होने का क्या कारण है और यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां । रामबाबा बाजार का विद्युतीकरण जून, 1986 के अंतिम सप्ताह में कर दिया गया है ।

जनपद फैजाबाद के गांव सभा मिझौड़ा में बिजली के टूटे खम्भों को न बदले जाने की शिकायत

135–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में स्थित गांव सभा मिझौड़ा में कई बिजली के खंभे कई महीनों से टूट कर लटक गए हैं जिनमें किसी भी समय गम्भीर खतरा हो सकता है ? क्या यह भी सही है कि इस बात की शिकायतें जिला स्तर के विभागीय अधिकारियों से करने पर गांव में नए खंभे तो गिरा दिए गए हैं लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक लगाये नहीं गये ? यदि हां, तो दोषी लोगों को दण्डित करने तथा जर्जर खम्भों को बदलने का काम कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां । उक्त खम्भों को दिनांक 24-6-86 को समस्त आवश्यक कार्यवाही पूरी करके बदल दिया गया है ।

संग्रह अमीन, श्री रघुनाथ सिंह के विरुद्ध अवैधानिक रूप से रुपया वसूलने की शिकायत

136–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री अमर बहादुर चन्द निवासी ग्राम यशवन्तपुर तप्पा बभनौली परगना धुरियारपुर तह0 बांसगांव जनपद गोरखपुर के परगनाधिकारी बांसगांव जनपद गोरखपुर को सम्बोधित और राजस्व मंत्री को पृष्ठांकित दिनांक 18-6-85 के शिकायती प्रार्थना-पत्र जिसमें संग्रह अमीन श्री रघुनाथ सिंह के विरुद्ध अवैधानिक रूप से रुपया वसूलने के संबंध में शिकायत की गई थी, पर दिए गए माननीय राजस्व मंत्री के आदेश दिनांक 22-7-85 और उसी संदर्भ में संयुक्त सचिव (श्री रमेश चन्द्र दीक्षित) द्वारा जारी प्रपत्र संख्या 6268/1-7-85 का अनुपालन अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और आदेशों का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

शासनादेश संख्या–6268/1-7-85-राजस्व–7 दिनांक 7-10-85 के अनुपालन में श्री रघुनाथ सिंह संग्रह अमीन तहसील बांसगांव गोरखपुर का स्थानान्तरण उसी तहसील में दूसरे क्षेत्र पर परगनाधिकारी बांसगांव के आदेश दिनांक 6-2-86 द्वारा कर दिया गया एवं क्षेत्र का प्रभार अन्य अमीन को दिनांक 15-6-86 को दिला दिया गया तथा उपरोक्त मामले की जांच भी कराई गई । जांच में संबंधित अमीन को निर्दोष पाया गया ।

शासनादेश दिनांक 7-10-85 का अनुपालन हो जाने के कारण शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड हरनदीनगंज में स्थित साधन सहकारी समिति उरुवा वैश्य द्वारा आवश्यक उपभोक्ता सामग्री का वितरण

137–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड हरनदीनगंज में साधन सहकारी समिति उरुवा वैश्य द्वारा विगत कितने महीनों से उपभोक्ताओं को आवश्यक उपभोक्ता सामग्री का वितरण नहीं किया गया है? क्या सरकार समिति की आर्थिक स्थिति समेत वितरण की स्थिति के विवरण से सदन को अवगत करायेगी ।

श्री अरुण कुमार सिंह–

जनपद फैजाबाद में हरनदीनगंज नाम का कोई विकास खण्ड नहीं है और न ही उरुवा केश नाम की कोई साधन सहकारी समिति ही है परन्तु विकास खण्ड हरिग्टंनगंज में स्थित साधन सहकारी समिति उरुवा वैश्य द्वारा 38 माह से उपभोक्ताओं को आवश्यक उपभोक्ता सामग्री का वितरण नहीं किया गया है । 30 जून, 1985 को समिति की कुल परिसंपत्तियां रु0 5,22,298.55 तथा कुल दायित्व रु0 5,02,092.60 थे । समिति ने वर्ष 84-85 में रुपया 62,410.70 का ऋण वितरित किया तथा रु0 14,015.80 का लाभ अर्जित किया ।

श्री जय मंगल सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, आजमगढ़ के विरुद्ध गंभीर आरोपों की जांच

138–श्री विष्णु देव–

क्या राजस्व मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि श्री जयमंगल सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी जनपद आजमगढ़ की धांधली, भ्रष्टाचार, अनियमितता के विरुद्ध गंभीर आरोपों के साथ ही श्री राधेश्याम सिंह व श्री पतिराम यादव जिला मंत्री जनता पार्टी आजमगढ़ व श्री दयाराम भाष्कर भू0 पू0 विधायक का प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-8-84 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

श्री जय मंगल सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, आजमगढ़ को विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत कथित अनियमितताओं के लिए निलम्बित कर दिया गया है ।

श्री पुरन्दर प्रसाद त्रिपाठी, सहायक चक-बन्दी अधिकारी विकास खण्ड पल्हनी, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध दिये गये प्रार्थना-पत्र की जांच

139—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पुरन्दर प्रताप त्रिपाठी, सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र 13 (ए0 सी0 ओ0) विकास खण्ड पल्हनी तहसील सदर जनपद आजमगढ़ की धांधली, भ्रष्टाचार, अनियमितता के विरुद्ध आजमगढ़ जनपद के तहसील सदर ग्राम जाफरपुर के श्री राम बदन आदि का प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-5-85 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि श्री पुरन्दर त्रिपाठी के विरुद्ध श्री मोती लाल संयुक्त संचा-लक, चकबन्दी आजमगढ़ ने दिनांक 20-1-1986 को श्री आर0 एन0 भाटिया चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ को तथा जिलाधिकारी आजमगढ़ ने दिनांक 28-1-86 को श्री स्वर्णदास चकबन्दी आयुक्त लखनऊ को रिपोर्ट भेजी है जिसमें उनके विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, उनके विरु-द्ध शासन की ओर से क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

जी हां ।

श्री पुरन्दर प्रसाद त्रिपाठी सहायक चकबन्दी अधिकारी को निलम्बित किये जाने तथा विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारी नियुक्त किये जाने के आदेश चकबन्दी आयुक्त द्वारा पारित कर दिये गये हैं ।

श्री सफीउल्लाह, सर्वे लेखपाल गोरखपुर का निलम्बन

140—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री शफीउल्लाह सर्वे लेखपाल पेश-कार सर्वे नायब तहसीलदार गोरखपुर को सतर्कता विभाग द्वारा दिनांक 22-2-86 को उत्कोच (घूस) की धन-राशि 100 रुपया के साथ ही रंगे हाथ पकड़ा गया ? यदि हां, तो ऐसे अस्थायी कर्मचारी को सेवा मुक्त करने में क्या कठिनाई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

श्री सफीउल्लाह, सर्वे लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है । दण्ड के बारे में निर्णय आरोप सिद्ध होने पर ही हो सकेगा ।

141—श्री विष्णु देव—

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

142—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि सर्वेक्षण इकाई फैजाबाद गोरखपुर में कार्यरत सर्वे कानूनगों जीवनधर दुबे व सर्वे लेखपाल अम्बरीक धर दुबे अपनी नियुक्ति के समय डकैती व अपहरण के अभियुक्त थे और आज भी अम्बरीक धर दुबे के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा श्रीमान् दण्डाधिकारी गोरखपुर के न्याया-लय में विचाराधीन है ? यदि हां, तो इनकी उक्त पद पर सेवारत रखने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि सर्वेक्षण इकाई फैजाबाद गोरखपुर में सर्वेक्षण नायब तहसीलदार गोरखपुर के कार्यालय में उक्त जीवन धर दुबे व अम्बरीक धर दुबे के

सगे भाई शासनादेश के विरुद्ध अपने गृह जनपद में कार्यरत है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

प्रश्नगत कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में परिषद् को जांच के लिए आदेश दे दिये गये है ।

सर्वश्री जीवन धर दुबे, सर्वे कानूनगो एवं अम्बरीक धर दुबे, सर्वे लेखपाल का कोई सगा भाई सर्वे नायब तहसीलदार, गोरखपुर अर्थात् अपने गृह जनपद में नियुक्त नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक अभिलेख अधिकारी, फैजाबाद द्वारा की गयी लिपिक पद पर नियुक्ति

143–श्री विष्णु देव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश ने भूमापन एवं सर्वेक्षण इकाई फैजाबाद में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है इसके बावजूद सहायक अभिलेख अधिकारी फैजाबाद ने वरिष्ठता क्रम की भी उपेक्षा करके अपने सगे भतीजे की नियुक्ति लिपिक पद पर तथा 4 अन्य की नियुक्ति सर्वेक्षण कानूनगो के पद पर कर दी है ? यदि हां, तो इस अनियमित नियुक्ति को रद्द करके इसके लिये जिम्मेदार सहायक अभिलेख अधिकारी फैजाबाद को दण्डित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

यह सही है कि सहायक अभिलेख अधिकारी, फैजाबाद द्वारा अपने सगे भतीजे की दिनांक 1-11-85 को टंकक लिपिक के पद पर नितान्त अस्थायी/स्थानापन्न रूप से नियुक्ति की गयी थी जो त्याग पत्र के कारण दिनांक 26-7-86 को समाप्त हो गई ।

बांदा जनपद के ग्रामीण अंचल में बिजली आपूर्ति

144–श्रीमती विमला सिंह–

क्या मा0 ऊर्जा मंत्री जी को अवगत है कि गाजियाबाद जनपद के ग्रामीण अंचल की बिजली आपूर्ति शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक बंद करके अवैध रूप से फैक्ट्रियों को दी जाती है? यदि हां, तो क्या संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच कराकर उपरोक्त समय में ग्रामीण अंचल में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे और अवैध विद्युत आपूर्ति बन्द कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद जनपद के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण अंचलों को सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक तीन फेज विद्युत आपूर्ति करने का कोई प्राविधान नहीं है । केवल बत्ती एवं पंखे के लिये ही दो फेज विद्युत के उपभोग की व्यवस्था है । अतः सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक इन क्षेत्रों की बिजली बन्द करके अवैध रूप से वहां के अधिकारियों द्वारा फैक्ट्रियों को विद्युत दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । ग्रामीण क्षेत्रों में दो फेज विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सायं 6 बजे से दूसरे दिन प्रातः 6 बजे तक है । लेकिन यह विद्युत आपूर्ति भी उस समय नहीं हो पाती है जब विद्युत उपलब्धता मांग की अपेक्षा कम रहती

है। ऐसी परिस्थितियों में जांच किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर के अन्तर्गत परगना खंडासा में कार्यरत लेखपालों का स्थानान्तरण

145—श्री अकबर हुसैन बावर—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के सातवें शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-66 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वार्षिक स्थानान्तरण के समय किन-किन व्यक्तियों का स्थानान्तरण कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के सातवें शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0-66 के उत्तर में उल्लिखित समस्त 12 लेखपालों को इस वर्ष वार्षिक स्थानान्तरण के समय अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है।

ग्राम कलानी खुर्द, तहसील सदर, जिला गोरखपुर में गांव सभा की भूमि पर अनाधिकार कब्जा श्रीमती बशेराजी देवी के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

146—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम कलानी खुर्द (महौब) तह0 सदर जिला गोरखपुर में गांव समाज की भूमि नं0 26 में जो खलिहान हेतु है, उस पर जबरन कब्जा किया जा रहा है? यदि हां, तो उन लोगों पर कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम कलानी खुर्द (महोबे) तहसील सदर जिला गोरखपुर में गांव समाज की भूमि नं0 26 जो खलिहान (बंजर) के रूप में है पर कोई अनाधिकार कब्जा नहीं कर रहा है। इसलिए कानूनी कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

147—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 16-1-86 को बशेराजी देवी पत्नी तेजई सिंह का कोई आवेदन पत्र उन्हें दिया था? यदि हां, तो उस पर आज तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। दिनांक 16 जनवरी, 1986 को एक प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री महोदय को दिया गया था उसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी, गोरखपुर को भी मिली थी उस प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में जांच कराई गई। पत्र में उल्लिखित बातें निराधार पाई गयी।

देवरिया जिले के कप्तानगंज टाउन एरिया में हरिजनों को आवासीय पट्टा हेतु भूमि का आवंटन

148—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राज़स्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के कप्तानगंज टाउन एरिया में 36 हरिजनों को आवासीय पट्टा मिला था? क्या माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर भू-स्वामियों ने उसे बेच दिया है? क्या तत्सम्बन्धी सारे प्रमाण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? क्या मंत्री जी 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजनों के आवास हेतु चलाये जा रहे अभियान के पात्र 36 हरिजनों को अन्यत्र आवासीय जमीन देने की कृपा करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। देवरिया जिले के बसहिया उर्फ कप्तानगंज टाउन एरिया में भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 5-12-75

द्वारा 76 पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे हेतु भूमि आवंटित की गयी थी, जिसमें प्रश्न में उल्लिखित 36 पट्टों के मामले भी सम्मिलित थे। जी नहीं। अन्य भूमि के साथ उक्त पट्टों में गाटा संख्या-3807 रकबई 0.80 एकड़ भूमि की अध्याप्ति का मामला भी निहित था परन्तु उक्त भूमि की अध्याप्ति सम्बन्धी कार्यवाही उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त गाटे के भू-स्वामियों ने उक्त भूमि में से 0.60 एकड़ भूमि का विक्रय कर दिया था।

वास्तविक स्थिति ऊपर निवेदित है।

36 व्यक्तियों, जिनको आवंटित गृह स्थलों का कब्जा उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के कारण नहीं दिलाया जा सका, को आवास स्थल हेतु उपयुक्त भूमि आवंटित करने के लिए राजस्व परिषद् से जिलाधिकारी को निर्देश दिए गये हैं।

हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश की बैठक एवं मांगों पर कृत कार्यवाही

149—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 26-4-85 को हरिजन समाज कल्याण अधिकारी संघ, उत्तर प्रदेश की कोई बैठक तत्कालीन सचिव, हरिजन समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में हुई थी? यदि हां, तो उस बैठक में कोई मांग पत्र शासन को भेजा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश की बैठक तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 26-4-85 को नहीं बल्कि 26-8-85 को हुयी थी।

जी हां।

तत्कालीन सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में संघ द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के आधार पर लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री आर0 गोपाल, भूतपूर्व जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना, हल्दौर द्वारा ऊंची दरों पर पोषाहार क्रय करने का आरोप

150—श्री रणजीत सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 गोपाल भू0 पू0 हरिजन अधिकारी, बिजनौर जो बाल विकास परियोजना, हल्दौर के आहरण अधिकारी भी थे, द्वारा क्रय समिति की स्वीकृति प्राप्त किये बिने ऊंची दरों पर मनमाने ढंग से पोषाहार क्रय करके लगभग 4 लाख रुपये शासकीय धन का दुरुपयोग किया? क्या माननीया मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगी कि दोषी अधिकारी के विरुद्ध निर्गत आडिट रिपोर्ट के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री आर0 गोपाल भूतपूर्व जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी बिजनौर बाल विकास परियोजना हल्दौर बिजनौर के आहरण अधिकारी वित्तीय वर्ष 83-84 में दिनांक 3-4-83 से 1-7-83 तक तथा दिनांक 28-7-83 से 4-12-83 तक रहे। पोषाहार क्रय समिति की स्वीकृति उपरांत क्रय किया गया। अतः ऊंची दरों पर पोषाहार मनमाने ढंग से क्रय करने तथा शासकीय धन का दुरुपयोग करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्यकाल के दौरान कथित अधिकारी के विरुद्ध कोई आडिट रिपोर्ट निर्गत नहीं हुई। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री आर0 गोपाल तत्कालीन मण्डलीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच

151—श्री रणजीत सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 गोपाल तत्कालीन मण्डलीय अधिकारी, गोरखपुर की गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच भू0पू0 सम्परीक्षा अधिकारी से करायी गयी थी? यदि हां, तो उस जांच पर अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री आर0 गोपाल तत्कालीन मण्डलीय अधिकारी गोरखपुर को वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में आरोप पत्र दिया गया है । विभागीय अनुशासनिक जांच चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परगनाधिकारी, महाराजगंज, जनपद गोरखपुर द्वारा संग्रह अमीनों एवं चपरासियों की नियुक्ति में कथित अनियमितता

152—श्री रणजीत सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, महाराजगंज, जनपद गोरखपुर ने वर्ष 1985 में 92 तथा वर्ष 1986 में 28 संग्रह अमीनों एवं चपरासियों की नियुक्ति सेवा नियमावली के विपरीत किया है—क्या यह सच है कि नियुक्ति में उन्नाव, जौनपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ जैसे दूर जिलों के अभ्यर्थी तथा नियुक्ति अधिकारी के रिश्तेदार भी हैं ? यदि हां, तो इस अवैधानिक नियुक्ति को निरस्त कर नियुक्ति अधिकारी के विरुद्ध माननीय मंत्री जी कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1985 के अक्टूबर मास में 93 सामयिक संग्रह अमीनों एवं चपरासियों की नियुक्ति पिछले वर्षों में कार्य किये हुये सामयिक संग्रह अमीनों एवं चपरासियों में से उनके गुण व दोष के आधार पर चयन समिति द्वारा चयनित किए हुए व्यक्तियों में से की गयी थी। किसी नये व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गयी ।

वर्ष 1986 के जनवरी मास में परगनाधिकारी महाराजगंज द्वारा 25 सामयिक संग्रह अमीनों एवं 22 संग्रह चपरासियों की नियुक्ति की गयी थी। सामयिक संग्रह अमीनों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा किया गया था तथा चपरासियों का चयन साक्षात्कार द्वारा किया गया था । इन नियुक्तियों में किसी प्रकार का पक्षपात एवं अनियमितता नहीं बरती गयी थी। यह नियुक्तियां 30-3-86 तक के लिये की गई थीं। इन नियुक्तियों में उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ जैसे दूर जिलों के अभ्यर्थी एवं नियुक्ति अधिकारी के रिश्तेदार नहीं थे । जनपद जौनपुर के एक अभ्यर्थी को सीजनल संग्रह चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था ।

हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय देवरिया में सम्परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर अधिकारिय/कर्मचारियों का निलम्बन

153–श्री रणजीत सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन समाज कल्याण कार्यालय, देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 के लेखों की भू0 पू0 सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा कोई विशेष आडिट कराया गया है ? यदि हां, तो निर्गत आडिट रिपोर्ट पर कब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सवरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

सम्परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाये जाने पर निलम्बित किया गया –

1–श्री एन0 के धूसिया, तत्कालीन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया ।

3–राम बृक्ष प्रसाद, वरिष्ठ लिपिक ।

3–श्री सुदामा प्रसाद, वरिष्ठ लिपिक।

4–श्री केश्वर प्र/ाद, वरिष्ठ लिपिक।

5–श्री लल्लन राम, कनिष्ठ लिपिक।

6–श्री कृष्णानन्द पाण्डे, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर ।

7–श्री राम छबीला, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर ।

8–श्री राज बंशी, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर ।

9–श्री राम बाबू शर्मा, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर ।

10–श्री सन्न राम, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर ।

11–श्री श्री राम तिवारी, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर ।

उपर्युक्त क्रमांक 1 से 5 तक के अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप पत्र देकर जांच की कार्यवाही चल रही है । क्रमांक 6 से 11 तक के हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों के विरुद्ध काफी छानबीन के उपरान्त भी सम्परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर अनियमितताओं में कोई आरोप आयद नहीं हो सकने के कारण उन्हें बहाल कर दिया गया है और उन्हें देवरिया से हटा कर अन्य जनपदों में तैनात कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया के गैर मान्यता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों को फर्जी छात्रवृत्ति स्वीकृत कर घोटाला किये जाने संबंधी वर्ष रिपोर्ट

154–श्री रणजीत सिंह–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उक्त विशेष सम्परीक्षा अधिकारी ने देवरिया के तीन गैर मान्यता प्राप्त अस्तित्व विहीन कागज मात्र पर चल रहे संस्कृत महाविद्यालयों को फर्जी छात्रवृत्ति के रूप में क्षेत्रीय कल्याण सुपरवाइजरों की संस्तुति पर 1981, 1982, 1983 पर लवभग 6 लाख रुपये की शासकीय धन का घोटाला किया गया है ? इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं । सम्परीक्षा अधिकारी ने देवरिया के 4 गैर मान्यता प्राप्त अस्तित्व

विहीन संस्कृत महाविद्यालयों का फर्जी छात्रवृति रु0 6,17,953.00 वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में स्वीकृत कर घोटाला किये जाने संबंधी रिपोर्ट दी है। इस संबंध में यह धनराशि सुपरव इजरों की संस्तुति पर दिये जाने का उल्लेख नहीं है। केवल यह बताया गया है कि सुपर-वाइजर भी दोषी हैं। अतः दोषी पाये गये निम्नांकित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलम्बित किया गया:-

1-श्री एन0 के0 धूसिया, तत्कालीन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी।

2-श्री रामबृक्ष प्रसाद, वरिष्ठ लिपिक।

3-श्री सुदामा प्रसाद, वरिष्ठ लिपिक।

4-श्री केश्वर प्रसाद, वरिष्ठ लिपिक।

5-श्री लल्लन राम, कनिष्ठ लिपिक।

6-श्री कृष्णा नन्द पाण्डे, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर।

7-श्री राम छबीला, हरिजन कल्याण सुपर-वाइजर।

8-श्री राजबंशी, हरिजन कल्याण सुपर-वाइजर।

9-श्री राम बाबू शर्मा, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर।

10-श्री संतराम, हरिजन कल्याण सुपर-वाइजर।

11-श्री श्रीराम तिवारी, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर के ग्राम सभा कुरावन में भूमि पर अवैध कब्जे

155-श्री राम गोविन्द चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर के ग्राम सभा कुरावन में ग्राम समाज की कुल कितनी भूमि है ? ग्राम समाज व चकरोड आदि पर कुल कितने व्यक्तियों के अवैध कब्जे हैं ? किन-किन के खिलाफ 15-सी का मुकदमा चल रहा है ? क्या यह सही है कि भूमि संख्या 913 नवीन परती के रूप में ग्राम समाज की भूमि है जिस पर श्री रामदेव आत्मज सुकई अवैध रूप से भवन निर्माण करा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्ति के विरुद्ध 15 सी का मुकदमा कायम करके अवैध निर्माण हटाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य-

जनपद फैजाबाद तहसील बीकापुर की ग्राम सभा कुरावन में ग्राम समाज की कुल 333 बीघा 13 बिस्वा 12 धुर भूमि है। ग्राम समाज व चकरोड आदि पर कुल 16 व्यक्तियों के अवैध कब्जे हैं, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-122 बी सपठित 115 सी0 नियम के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया है। भूमि संख्या-913 क्षेत्रफल 2 बिस्वा 10 धुर नवीन परती के रूप में तथा क्षेत्रफल 2 बिस्वा 10 धुर अंसक्रमणीय भूमिधर के रूप में मृतक श्रीमती प्रभूदेई बेवा दुखी के नाम अंकित है। नवीन परती के रूप में अंकित 913 मि0 क्षेत्रफल 15 धुर पर श्री रामदेव आत्मज सुकई ने अवैध रूप से भवन निर्माण करा लिया है जिसके विरुद्ध 122 बी0 का मुकदमा बेदखली हेतु न्यायालय में विचाराधीन है।

ग्राम बराबां तहसील रामसनेहीं घाट जनपद बाराबंकी का गाटा संख्या 26/2 तथा 28 की मालियत संशोधन करने हेतु चकदार का प्रार्थना पत्र

156—श्री भगवान दीन कुशवाहा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न 145 के उत्तर के संदर्भ में क्या मा0 राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि गाटा सं0 26/2 का जो रकबा चक स0 230 में प्रदिष्ट किया गया है, मौके पर तालाब है और चकदार के मूल गाटा सं0 28 की भूमि से काम उपजाऊ है ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त दोनों प्रकार की भूमियों की समान मालियत अंकित की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या गाटा संख्या 26/2 की मालियत संशोधन करने हेतु चकदार का कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 10-5-85 को चकबन्दी अधिकारी रुदौली सं0 4 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम बराबां, पर0 रुदौली तह0 रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी का गाटा संख्या-26/2 क्षेत्रफल 3 बिस्वा जो चकदार सं0 230 के चक में प्रदिष्ट किया गया है, मौके पर तालाब नहीं है । यह सत्य है कि गाटा सं0 26/2 चकदार 230 के मूल गाटा 28/2 मि0 क्षेत्रफल 2-9-12 से कम उपजाऊ है परन्तु गाटा सं0 28/2 मि0 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी के समान है । गाटा सं0 26/2 क्षेत्रफल 3 बिस्वा, गाटा सं0 28/2 मि0 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी में शामिल है । गाटा सं0 28/2 मि0 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी तथा गाटा संख्या 26/2, 3 बिस्वा की मालियत 90 पैसे की दर से लगाई गई है तथा गाटा सं0 28/2 मि0 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा 12 बिस्वांसी जो अधिक उपजाऊ है, की मालियत 100 पैसे की दर से लगाई गई है । गाटा सं0 26/2 की मालियत संशोधित करने हेतु चकदार सं0 230 ने चकबंदी अधिकारी, रुदौली-4 के न्यायालय में समय-बाधिक आपत्ति दिनांक 6-5-85 को प्रस्तुत की है जिसपर अभी निर्णय होना है ।

157—158—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

159—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम रियांव, तहसील बांसगांव, जनपद गोरखपुर की सामान्य आबादी व हरिजन आबादी को पट्टों का आवंटन पात्र व्यक्तियों का नाम

160—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रियांव, पोस्ट रियांव, तहसील बांसगांव, जनपद गोरखपुर की सामान्य आबादी व हरिजन आबादी का आवंटन पट्टा कर दिया गया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

161—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा रियांव के किस नाम के व्यक्तियों को उपरोक्त आबादियों का पट्टा प्रदान किया गया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

आवंटियों की सूची संलग्न† है ।

†छापी नहीं गई ।

162–श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पट्टा पात्र व सही व्यक्तियों को देने के साथ पट्टा प्रदान करने की वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या पट्टा निरस्त करने के लिए उचित आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

पट्टा निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद में हरिजन समाज कल्याण अधिकारी व अन्य अधिकारियों के रिक्त पद

163–श्रीमती चारु शीला–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद में लगभग दो वर्षों से हरिजन समाज कल्याण अधिकारी का पद रिक्त है ? यदि हां, तो क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त अधिकारी की नियुक्ति करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जनपद मुजफ्फरनगर में जून, 1984 से रिक्त था जहां तक गाजियाबाद का प्रश्न है वह जनवरी, 1986 से रिक्त था ।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी मुजफ्फरनगर का पद स्थानान्तरण के फलस्वरूप तथा जनपद गाजियाबाद का पद अधिकारी के सेवानिवृत्त के कारण रिक्त रहा ।

जनपद मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

164–श्रीमती चारु शीला–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में कुछ अधिकारियों के स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने और कौन से पद हैं ? क्या विभागीय पदोन्नति देकर रिक्त स्थानों को भरने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

विभाग में निम्नांकित अधिकारियों के पद रिक्त हैं ।

क्र. सं.	पद नाम	पद संख्या
1–	संयुक्त निदेशक	1 पद
2–	विशेषज्ञा (महिला) कार्यक्रम	1 पद
3–	क्षेत्र अधिकारी	1 पद
4–	प्रोग्राम अधिकारी ग्रेड–2	2 पद
5–	जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी/योजना समन्वय अधिकारी	6 पद
6–	प्रवक्ता गोविन्द बल्लभ पंत राजकीय पालीटेकनिक लखनऊ	4 पद
7–	विशेष कार्याधिकारी जनजाति	1 पद
8–	प्रोवेशन अधिकारी	4 पद
9–	एकीकृत जनजाति परियोजना अधिकारी	3 पद
10–	बाल विकास परियोजना अधिकारी	53 पद

रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

पदों को शीघ्र भरने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के विरुद्ध जांच, बन्दोबस्त अधिकार की नियुक्ति

165–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच लम्बित है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

166–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या जनपद बाराबंकी में किसी बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

सहकारी बैंक, मथुरा में कार्यरत श्री हरिश्चन्द्र अग्रवाल आंकिक की पदोन्नति

167–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी बैंक, मथुरा में कार्यरत श्री हरिशचन्द अग्रवाल आंकिक की पदोन्नति तत्कालीन जिलाधिकारी, मथुरा ने दिनांक 20-2-82 द्वारा 1-5-82 के स्थान पर 28-7-69 से कर दी थी ?, यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्री हरिशचन्द अग्रवाल जो इस वर्ग के तीन कर्मचारियों रमेश चन्द्र गौतम, जगदीश प्रसाद माथुर व प्रकाश नारायन दीपक से जूनियर थे ? यदि हां, तो क्या सरकार गलत रूप से पदोन्नति देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

श्री हरिशचन्द अग्रवाल, आंकिक जिला सहकारी बैंक लि0, मथुरा, की पदोन्नति तत्कालीन प्रशासक/जिलाधिकारी मथुरा ने आदेश दिनांक 20-2-82 द्वारा 1-5-72 के स्थान पर 28-7-69 से की थी ।

जी नहीं । बैंक कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु उ0 प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल से कतिपय बिन्दुओं पर मार्ग दर्शन चाहा गया है अस्तु वरिष्ठता सूची के प्रकरण को अंतिम रूप दिया जाना है ।

जिला सीतापुर के ग्राम अरौं खमाजदपुर में नन्दन व उसकी पत्नी एवं बैलों को तार छू जाने से मृत्यु

168–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अवस्त, 84 में विकास खण्ड परसेंडी, जिला सीतापुर के ग्राम अरौं खमाजदपुर में नन्दन तथा उसकी पत्नी एवं 2 बैलों की बिजली का तार छू जाने से जो मृत्यु हुई थी उनके आश्रितों को अब तक बिजली बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि हां, तो कब तथा कितनी-कितनी सहायता दी गयी ? ऐसे मामलों में कुल कितनी-कितनी सहायता देय होती है ? यदि नहीं, तो कब तक दे दी जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम अमौनी, जिला बाराबंकी की हरिजन बस्ती में हरिजनों को आवास की सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी पत्र

169–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अमौनी, तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी की एक

हरिजन बस्ती में हरिजनों को 20 सूत्री कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए वहां के हरिजनों द्वारा शासन से मांग की गयी थी और इस सम्बन्ध में विधायक श्री मरगूब अहमद खां के संलग्न पत्र के साथ हरिजन समाज कल्याण मंत्री को दिनांक 8-8-85 को पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी और गरीब हरिजनों को आवास की सुविधा कब तक प्रदान की जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है।

170–श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

तमोली और बरई जाति को पिछड़ा वर्ग की सुविधाएं

171–श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तमोली और बरई जाति के लोग पिछड़ा वर्ग में आते हैं? यदि हां, तो इनको पिछड़ा वर्ग की सुविधाएं क्यों नहीं मिलती है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

तमोली जाति उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों की सूची में (हिन्दू वर्ग में) सम्मिलित है तथा बरई जाति उक्त सूची में सम्मिलित नहीं है ।

तमोली जाति के लोगों को उत्तर प्रदेश में पिछड़े जातियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं अनुमन्य हैं तथा बरई जाति के लोगों को उक्त सुविधाएं दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के तथा गौसियारी ग्राम भगौसा की चकबन्दी

172–श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के तप्पा गौसियारी ग्राम भगौता की चकबन्दी हो चुकी है? यदि हां, तो धारा 52 का प्रकाशन कब हुआ? अभी तक इस गांव से सम्बन्धित कागजात चकबन्दी विभाग में रखे रहने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद बस्ती की तहसील बांसी तप्पा गौसियारी में भगौता नाम का कोई ग्राम नहीं है। ग्राम का सही नाम भगौसा है जिसका जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 52(1) के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 4-8-79 को हुआ था। इस गांव से संबंधित कागजात चकबन्दी विभाग में रखे रहने का कारण उनमें से कुछ अभिलेखों का अपूर्ण होना है ।

173–श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम सभा सोहास जनूवी, विकास खण्ड उस्का बाजार बस्ती में गांव समाज की भूमि का पट्टा

174–श्री औसान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम सभा सोहास जनूवी विकास खण्ड उस्का बाजार तहसील नौगढ़ बस्ती में गांव समाज (भूमि प्रबंधक समिति) द्वारा (1) श्री राम चन्दर पुत्र छब्बू (2) विरेन्द्र पुष्पपरेन्द्र पुत्र जयराम (3) मु0 इदरीश पुत्र इनायततुल्लाह का पट्टा वित्तीय वर्ष 1981-82 व 1983 में किया गया है जबकि राम चन्दर फार्मेसिस्ट एवं जय राम वर्मा हेडमास्टर मिडिल स्कूल एवं

उनके लड़के पुष्पपरेन्द्र नाबालिग तथा इदरीश इनायतुल्लाह प्रधान के लड़के हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम समाज सोहास जनूबी द्वारा कोई पट्टा वित्तीय वर्ष 1981-82 व 83 में श्री रामचन्दर पुत्र छब्बू व वीरेन्द्र पुष्पेन्द्र पुत्रगण जयराम व मु0 इदरीश पुत्र इनायतुल्लाह के नाम नहीं किया गया है।

श्री हरीशंकर शुक्ला, लिपिक, तहसील बांदा द्वारा सरकारी धनराशि गबन किये जाने के विरुद्ध कृत कार्यवाही

175–डा0 बंगाली सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री हरीशंकर शुक्ला नामक स्याह नवीस तहसील बांदा जिला बांदा ने दिनांक 17-10-80 को सरकारी धनराशि 7978-75 अवैधानिक तरीके से निकाल कर गबन कर ली थी और जांच करने पर पुलिन के भय से दिनांक 15-11-80 को जुर्म की लिखित स्वीकारोक्ति करते हुए यह रकम उसने तहसील खजाने में जमा कर दी थी? विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारी की विवेचनानुसार उक्त लिपिक को गबन के गंभीरतम आरोप का दोषी मानते हुए दिनांक 15-4-85 को जिलाधिकारी, बांदा ने सेवा समाप्ति का कारण बताओ नोटिस दिया है? यदि हां, तो क्या इसके पूर्व लिपिक के विरुद्ध कबी तहसील में भी गबन करने संबंधी कागजात सदर खजाने के डबल लाक में अभी भी जमा है और उसमें लिपिक को सिवाय धन-राशि वापस जमा कर लेने के और दंड नहीं दिया गया था? क्या सरकार उक्त लिपिक के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

किन्तु श्री शुक्ला की सेवायें समाप्त करने के बजाय उनका वेतन 514 रु0 से घटाकर वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर 354 रु0 प्रतिमाह कर दिया गया।

ऐसा कोई अभिलेख जनपद कोषागार के डबल लाक में उपलब्ध नहीं है।

उक्त लिपिक के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा चुकी है।

ग्राम अहद, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के श्री शिवरतन का बंदोबस्त अधिकारी को संशोधित चक की पैमाइश तथा कब्जा दिलाने संबंधी प्रार्थना पत्र

176–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी मु0 खास चकबन्दी अधिकारी जगदीशपुर तथा सम्बन्धित कानूनगो तथा डी0 डी0 सी0 जिलाधिकारी सुल्तानपुर एवं चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ को सम्बोधित दिनांक क्रमशः 13-8-85, 19-8-85 5-9-85, 20-9-85, 5-11-85 रजिस्टर्ड तथा कार्यालयों में प्राप्त कराया गया ? श्री शिवरतन ग्राम अहद परगना जामों का प्रार्थना पत्र जिसमें प्रार्थी ने अपने मूल चक में बगैर उसे सूचित किए संशोधन करने तथा संशोधित चक की पैमाइश तथा कब्जा दिलाने की मांग की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त चकदार को अब तक कब्जा न दिलाये जाने व नाप न करने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम अहद, परगना गौराजामों तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में श्री शिवरतन लाल का बंदोबस्त अधिकारी चकबन्दी, मुसाफिरखाना को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-8-85 उप संचालक

चकबंदी एवं आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संबोधित करके प्रेषित किये गये अन्य प्रार्थना पत्रों के साथ प्राप्त हुआ है किन्तु अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 19-8-85, 5-9-85 20-9-85 तथा 5-11-85 नहीं प्राप्त हुये हैं बल्कि चकबंदी व डी0 डी0 सी0 को 27-9-85 को संबोधित पत्र एक साथ 15-2-86 को बंदोबस्त अधिकारी को प्राप्त हुये हैं ।

ग्राम अहद की पैमाइश आकार पत्र 23 के वितरण के पश्चात करने दी गई थी जैसा कि आवेदक के प्रार्थना-पत्र में भी उल्लेख किया गया है।

यह कहना सही नहीं है कि आवेदक को बगैर सूचित किये चक में संशोधन किया गया। वस्तुस्थिति यह है कि आवेदक ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के न्यायालय में अपील दायर की थी जिसकी अपील संख्या 1087 है और सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा पक्षों की उपस्थिति में दिनांक 9-5-84 को उसका निस्तारण किया गया और तदनुसार स्थल पर सीमांकन भी जुलाई 1984 में करा-कर कब्जा दिला दिया गया था।

जिला सुल्तानपुर, ग्राम मिश्रौली की भूमि श्री रामफेर सुत महादेव का नाम खारिज करके गांव सभा का नाम अंकित करने का आदेश

177—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुल्तानपुर की तह0 गौरीगंज में स्थित ग्राम मिश्रौली की भूमि जिसका रामफेर सुत महादेव नि0 ग्राम मिश्रौली असामी था, भूमि श्रेणी 3 में दर्ज थी, पर कोई फर्जी अमलदरामद करके उसे सीरदारी हक में परिवर्तित कर देने का प्रयास किया गया है? क्या इस फर्जी अमलदरामद को करने में सन्देहास्पद लेखपालों श्री विश्वनाथ शरण व छेदी प्रसाद को निलम्बित किया जा चुका है ? क्या परगनाधिकारी द्वारा फर्जी अमलदरामद को दुरुस्त करने का आदेश देने पर उसे दुरुस्त करके खारिज किया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

जी हां ।

परगनाधिकारी, गौरीगंज के दिनांक 11-6-86 के आदेशानुसार रामफेर सुत महादेव का नाम खारिज करके गांव सभा का नाम अंकित करने का आदेश कर दिया गया, जिसका अमलदरामद नामान्तर बही (र-6) में दिनांक 16-6-86 को कर दी गई है।

178—179—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

ग्राम मिश्रौली में चकबन्दी करते समय चक की पैमाइश में अनियमितता किये जाने की शिकायत की जांच

180—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री, उप संचालक चकबंदी सुल्तानपुर चकबंदी आयुक्त, लखनऊ को सम्बोधित ग्राम प्रधान ग्राम मिश्रौली तथा मोहम्मद युसूफ खां तथा मो0 इदरीश खां, रामलखन सिंह व वासुदेव सिंह आदि ग्राम उपरोक्त ब्लाक जगदीशपुर, तह0 मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर का दिनांक 28-11-85 का रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र जिसमें संबंधित ग्राम में चकबंदी करते समय सेक्टर, चकरोड का कुओं में पड़ना, आबादी, खलिहान, चारागाह, नाली आदि का ध्यान न रखकर

चकबंदी करने तथा कुछ बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या किसी अधिकारी ने मौके पर जाकर शिकायत की जांच की है? यदि हां, तो किस अधिकारी ने जांज की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

शिकायतों की जांच मौके पर चकबंदी अधिकारी द्वारा की गई। जांच में पैमाइश की त्रुटियां पाई गईं जिन्हें पुनः नपवाकर ठीक करा दिया गया है तथा शिकायतकर्ता तथा कृषकों को इससे अवगत भी करा दिया गया है। जांच में अन्य शिकायतें निराधार पाई गईं।

181–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 [196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित

182–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

सहकारी बैंक, बस्ती के प्रशासक द्वारा सेवाच्युत कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति-पत्र जारी किया जाना

183–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक बस्ती के प्रशासक द्वारा दिनांक 10-1-80 को जिन 20 लिपिक/कैशियरों को सेवा निवृत्त कर दिया गया था उनमें से तीन को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय के अनुसार पुनः कार्यभार दे दिया गया है? यदि हां, तो सामान आधार पर निकाले गये उपरोक्त 20 व्यक्तियों में से अन्य सभी को सेवा में कब तक ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जिन 20 कर्मचारियों को सेवाच्युत किया गया था उनमें से चार कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में नियुक्ति पत्र जारी किये गये थे। केवल तीन कर्मचारियों ने योगदान किया था और वे कार्यरत हैं।

शेष 16 कर्मचारियों में से 13 के मामले न्यायालय में लम्बित हैं। शेष 3 के मामले विचाराधीन हैं।

राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत संकलनकर्ताओं की संख्या, स्थायीकरण

184–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् के संकलनकर्ताओं की संख्या कितनी है? क्या सभी की सेवायें स्थायी कर दी गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि संकलनकर्ताओं के प्रोन्नति के क्या आसार हैं तथा ये कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं?

श्री सुनील शास्त्री–

राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत संकलनकर्ताओं की संख्या-4 है।

जी नहीं, केवल दो की सेवायें स्थायी हैं तथा शेष दो के स्थायीकरण का मामला परिषद् के विचाराधीन है।

वर्तमान में परिषद में कार्यरत संकलनकर्ताओं की प्रोन्नति संबंधी कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि इन संकलनकर्ताओं को कार्य की आवश्यकतानुसार एकाकी पदों पर परिषद् द्वारा नियुक्त किया गया था तथा इस काम हेतु उच्च पद का कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि इन संकलनकर्ताओं को दस वर्ष की सेवा करने के उपरान्त उच्चतर वेतनमान का लाभ अनु-

मन्य है। यह लोग न्यूनतम लगभग 9 वर्ष तथा अधिकतम 19 वर्ष से परिषद् की सेवा में कार्यरत हैं।

राजस्व परिषद् के लेखा संगठन में सहायक लेखाकारों एवं ज्येष्ठ लेखा लिपिकों के कुल पदों की संख्या, रिक्त पदों का विवरण, तीन मण्डलीय कार्यालयों का सृजन

185—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद् के लेखा संगठन में कितने पद सहायक लेखाकार और ज्येष्ठ लेखा लिपिकों के हैं और उनके विरुद्ध कितने-कितने कार्यरत हैं तथा कितने-कितने पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से और क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

राजस्व परिषद् के लेखा संगठन में सहायक लेखाकारों एवं ज्येष्ठ लेखा लिपिकों के कुल पदों की संख्या तथा रिक्त पदों की संख्या का विवरण निम्नवत् है:—

पद	कुल स्वीकृत संख्या पदों की	कार्यरत	रिक्त
सहायक लेखाकार	165	91	74
ज्येष्ठ लेखा लिपिक	34	34	-

सहायक लेखाकार के 49 पद शासनादेश दिनांक 14-10-85 द्वारा नवसृजित हुए थे। 18 पद पदोन्नति द्वारा, 3 पद मृत्यु हो जाने के कारण, 2 पद सेवा-निवृत्त होने तथा 2 पद प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण रिक्त हैं। इस प्रकार कुल 74 पद रिक्त हैं। यह रिक्तियां वर्ष 1977 से 1985 के मध्य भिन्न-भिन्न अवधियों में हुई है। परिषद द्वारा अधियाचन पत्र लोक सेवा आयोग को दिनांक 30 सितम्बर, 1985 को भेजा गया था। लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ जिज्ञासायें की गई जिसका समाधान परिषद् के पत्र दिनांक 24-7-86 द्वारा किया जा चुका है।

186—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि शासनादेश संख्या-51 9/83-(372) राजस्व-6, दिनांक 14 अक्टूबर, 1985 द्वारा वित्तीय वर्ष 1985-86 में राजस्व परिषद् के लेखा संगठन में 96 अस्थायी पदों का तथा तीन मंडलीय कार्यालयों का सृजन किया गया था? यदि हां, तो क्या नवसृजित मण्डलीय इकाइयों का सम्पादन और सभी पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। तीन नव मण्डलीय इकाइयां गढ़वाल कुमायूं तथा मुरादाबाद क्रमशः अप्रैल 86, मई 86 एवं जून 86 से कार्यरत हैं। फिलहाल इन इकाइयों में पुरानी इकाइयों से कर्मचारियों को स्थानांतरित करके कार्य चलाया जा रहा है। अभी सभी पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयन कर नियुक्तियां नहीं हुई हैं।

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा नियमावली का संशोधन

187—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा नियमावली 2 सितम्बर, 1978 सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के पृष्ठ संख्या 2477 से 2508 तक के मध्य प्रकाशित हुई थी उसे शासनादेश संख्या 124/4/82(75) राजस्व-6 दिनांक 16 अगस्त, 1982 के प्रस्तर-4 में उल्लिखित संलग्न के स्तम्भ-11 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में तथा शासनादेश संख्या व0 आ0

1-1802/दस-34-34 (एम)-83 दिनांक 11 अगस्त, 1983 के प्रस्तर 3 की अपेक्षानुसार सेवा नियमावली में अपेक्षित आवश्यक संशोधन हो गया तो संशोधित नियमावली का प्रकाशन कब हुआ? यदि नहीं, तो क्यों तथा प्रकाशन कब तक कर दिया जायेगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। उक्त नियमावली दिनांक 2-9-78 को प्रकाशित हुई थी। संशोधित सेवा नियमावली का आलेख्य नियमावली सेल अनुभाग को विधीक्षण हेतु भेजा गया था। नियमावली सेल अनुभाग द्वारा कुछ जिज्ञासायें की गई हैं तथा कुछ सुझाव दिये गये हैं। तदनुसार संबंधित पत्रावली में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा समस्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने व नियमावली सेल अनुभाग द्वारा अंतिम रूप से विधीक्षण हो जाने के पश्चात् इसके प्रकाशन की कार्यवाही हो सकेगी।

188–श्री अफजल अंसारी–

[दिनांक 4-9-86 को अता0 प्र0 सं0 192 द्वारा उत्तरित]

189–श्री अफजल अंसारी–

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील मुख्यालय पर परगनाधिकारी आवास गृह का निर्माण कार्य

190–श्री अफजल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील मुख्यालय पर परगनाधिकारी आवास गृह का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो तीन वर्ष में किन किन परगनाधिकारियों ने कितने-कितने समय तक उक्त आवास में निवास किया है? क्या वर्तमान समय में उक्त आवास खाली पड़ा है? यदि हां, तो कितने समय से और किन कारणों से?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

भवन में कतिपय कमियों के कारण राजस्व विभाग का स्थानांतरण नहीं हुआ है। इस कारण अपूर्ण आवास प्रारम्भ से ही खाली है और उसमें किसी परगनाधिकारी ने निवास नहीं किया है।

विकास खण्ड मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा शक्करपुर में स्थित पोखरी नं0 383 में मछली मारने के आरोपों की जांच

191–श्री अफजल अंसारी–

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा शक्करपुर में स्थित पोखरी नं0 383 में मछली पालन हेतु पिछले 10 वर्षों में कितने रुपया सालाना की दर से किस-किस के नाम पट्टा किये गये तथा किन-किन वर्षों का पैसा खजाने में जमा किया गया? क्या यह सच है कि पिछले 5 वर्षों में बिना पैसा जमा किये उक्त पोखरी से मछली मारी जाती रही है? क्या परगनाधिकारी के निर्देश के बावजूद इस वर्ष भी पुलिस तथा ग्राम प्रधान की साजिश से उक्त पोखरी की मछली मार ली गयी? तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है? उक्त गड्ढों में मछली डालने हेतु क्या उक्त गांव के हरिजनों, बिन्दों ने कोई प्रस्ताव गांव सभा के 8 सदस्यों से हस्ताक्षर कराकर परगना अधिकारी को दिया है--तो उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने में विलम्ब का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत पोखरी संख्या-383 का कोई भी पट्टा पिछले 10 वर्षों में नहीं किया

गया। मामले की स्थानीय जांच में प्रश्नगत पोखरी में पिछले 5 वर्ष में तथा इस वर्ष भी बिना पट्टा/लाइसेन्स/बिना रुपया जमा किए मछली मारने के आरोपों की पुष्टि हुई जिसके फलस्वरूप परगनाधिकारी द्वारा थानाध्यक्ष, नोनहरा को कानूनी कार्यवाही हेतु दिनांक 19 दिसम्बर, 85 तथा 25 जनवरी, 1986 को आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्नगत मड़ही में मछली डालने सम्बन्धी हरिजनों व बिन्दों के प्रस्ताव में अनियमितता पाये जाने पर उक्त प्रस्ताव को दिनांक 27-1-86 को अस्वीकृत कर दिया गया था। बाद में भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 16-5-86 के परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 17-5-86 को अनुमोदित किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत इस गड़ही का 10 वर्षीय पट्टा स्वीकृत किया गया।

192—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[दिनांक 7-2-86 को तारांकित प्र0 सं0 12 द्वारा उत्तरित]

श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री धन सिंह बिष्ट द्वारा दिया गया पत्र में शिकायतों की जांच

193—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री धन सिंह बिष्ट निवासी बार्ड नं0 3 खटीमा (नैनीताल के पत्र दिनांक 22-4-85 जिसकी उनके कार्यालय के पत्र अभ्यर्थना अनुभाग-1 सं0 सप्तक-313/34-1-85 दिनांक 3 मई, 1985 द्वारा आवश्यक जांच हेतु आयुक्त, कुमायूं मंडल को भेजा गया था, की जानकारी है? यदि हां, तो उस पत्र की शिकायतों पर अभी तक बिन्दुवार क्या जांच की गयी है और क्या जांच आख्या से श्रीमती बसन्ती देवी को भी अपरगत कराया गया है? यदि नहीं, तो अभी तक जांच न किये जाने के क्या कारण हैं और यह जांच कब तक पूर्ण कर दी जायेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

श्री धन सिंह के विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही के मामले में श्री प्रदीप भटनागर, परगनाधिकारी हल्द्वानी ने जांच प्रारम्भ कर दी थी परन्तु संबंधित विभागों से आवश्यक अभिलेख आदि विलम्ब से उपलब्ध होने के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी। अतः श्रीमती बसन्ती देवी को स्थिति से अवगत नहीं कराया जा सका। अब उक्त परगनाधिकारी के स्थानान्तरण के फलस्वरूप वर्तमान परगनाधिकारी हल्द्वानी श्री पी0एस0 कुटियाल को 20-8-86 के आदेश द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि जांच शीघ्र ही पूरी कर लें।

श्री धन सिंह को दिनांक 21-11-85 को सेवा में रख लिया गया है। विभागीय कार्यवाही के मामले में उन्हें 28-11-85 को आरोप पत्र दे दिया गया है जिसका उत्तर भी उन्होंने 13-12-85 को जांच अधिकारी को दे दिया है। सितम्बर 1986 के अन्त तक जांच पूर्ण हो जाने की आशा है।

स्वैच्छिक प्राइमरी पाठशालाओं और पुस्तकालयों को आवर्तक अनुदान सूची पर लाने का प्रस्ताव

194—श्री कनक सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 81-82 में 36 प्राइमरी पाठशालाओं को शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवर्तक अनुदान की सूची पर लिया

गया तथा 82-83 में 93 स्वैच्छिक प्राइमरी पाठशालाओं और पुस्तकालयों को आवर्तक अनुदान सूची पर लाने का प्रस्ताव हुआ था किन्तु 81-82 की 36 संस्थाओं को ही शत प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, शेष संस्थाओं की उसी की भांति सहायता न करने का क्या कारण है? सरकार कब तक शेष संस्थाओं को पूर्ण अनुदान प्रदान करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1981-82 में 36 नहीं बल्कि 34 प्राइमरी पाठशालाओं को जिन्हें पूर्व में अनावर्तक अनुदान मिलता रहा । शासनादेश संख्या–1890/26-1-82–9 (15)/79 दिनांक 31-3-86 द्वारा आवर्तक अनुदान की सूची पर लिया गया । वर्ष 1982-83 में 93 नहीं बल्कि 33 स्वैच्छिक प्राइमरी पाठशालाओं, 7 पुस्तकालयों तथा तीन छात्रावासों को 10,07,500 रुपये की धनराशि अनावर्तक सहायता स्वरूप दी गई, जिनके लिये आवर्तक सहायता हेतु प्रस्ताव था । वर्ष 1981-82 की 36 नहीं बल्कि 34 संस्थाओं को शासन की स्वीकृति के अनुसार आवर्तक अनुदान दिया जा रहा है। अब तक कि स्थिति यह है कि वर्ष 1982-83, 1984-85 एवं वर्ष 1985-86 में अनाभाव के कारण शेष संस्थाओं को अनुदान देना संभव नहीं हो सका है जिसके संबंध में कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

विधान सभा के भू0पू0 सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री बसन्त लाल, श्री सरजू प्रसाद त्यागी, श्री धनुष धारी पाण्डेय तथा श्री मन्नी लाल गुरुदेव के निधन पर शोकोद्गार

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, बहुत दुख के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि इस सदन के भूतपूर्व सम्मानित सदस्य इस सरकार के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी जी का निधन 8 अगस्त, 1986 को लखनऊ में हो गया। मान्यवर, उनका जन्म 1922 में चमोली जिले में हुआ था । उन्होंने अर्थशास्त्र में एम0 ए0 तक की शिक्षा प्राप्त की थी । उनका पूरा जीवन समाज सेवा में गुजरा । वह 1957 में सबसे पहले चुनाव लड़े थे और विजयी हुये थे। उसके बाद 1969, 1974 में सदस्य रहे। 1971, 73 में वह राज्य मंत्री भी रहे। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है 1976 में जब माननीय नारायण दत्त जी की सरकार बनी थी तो वह राज्य मंत्री हुये थे और मैं भी उनके साथ मंत्रि परिषद् में शामिल हुआ था। भंडारी जी का सारा जीवन एक खुली हुयी किताब था । उन्होंने समाज सेवा की, राजनीति सेवा की और साथ ही साथ पहाड़ के लिये, जिस जगह उनका जन्म हुआ था उस क्षेत्र की बहुत सेवा की। वह बड़ी अच्छी तबियत के व्यक्ति थे और हर वक्त मुस्कराते रहते थे । हर एक पर उन्होंने अपना न मिटने वाला नक्शा छोड़ा है । आज जब हम यह महसूस करते हैं कि वह हमारे बीच में नहीं हैं तो विश्वास नहीं होता है। लेकिन इस दुनियां से हर एक को एक दिन जाना है । नरेन्द्र सिंह जी बहुत जल्दी हम लोगों के बीच से चले गये। उनके बगैर हम बड़ी कमी महसूस करते हैं जिसकी पूर्ति होनी मुश्किल है । मैं निवेदन करता हूं कि हमारी ओर से और इस सदन की जो भावनायें हैं वह उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, श्री बसन्त लाल जी जो इस विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं उनका निधन अगस्त, 86 में हो गया । वह

सीतापुर जिले के कुसौली ग्राम के रहने वाले थे । 1957, 1967 में वह इस सदन के सदस्य चुने गये। 1969 में भी वह यहां के सदस्य रहे हैं । वह कांग्रेस सेवा दल के संगठक रहे हैं और उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिये बहुत कार्य किया था। उनके निधन से हम सब दुखी हैं। उनकी ऐसी उम्र नहीं थी जिसमें वह दुनिया से चले जाते । उनके निधन से हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। हमारा दल और सारा सदन मान्यवर, दुखी है ।

मान्यवर, श्री सरजू प्रसाद त्यागी इस आदरणीय विधान सभा के सदस्य थे । अगस्त, 86 में उनका स्वर्गवास हो गया। 1967 में सामान्य निर्वाचन में वह मोदी-नगर, मेरठ से निर्वाचित हुये । वह कुछ वर्षों तक विधान परिषद् के सदस्य भी रहे । वह बहुत ही अच्छे समाज सेवी कार्यकर्ता थे और उन्होंने अपने जिले में काफी समाजसेवा की थी । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। हम उनकी बड़ी कमी महसूस करते हैं।

मान्यवर, श्री धनुषधारी पाण्डेय जी इस विधान सभा के सदस्य 1952–57, 1957–62, 1967–68, 1969–74 तक रहे। उनका जन्म 1923 में हुआ था । वह एक लम्बी अवधि तक इस आदरणीय विधान सभा के सदस्य रहे। उनका राजनीतिक जीवन अत्यन्त सक्रिय रहा । आप स्वयं जानते हैं, यह इस बात का खुला सबूत है कि उनमें बहुत सी ऐसी विशेषतायें रही होंगी जिसके कारण वह सदन में बराबर आते रहे । आज वह हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से जीवन व्यतीत किया और जिस प्रकार से एक आदर्श सामने रखा, वह हम याद करते रहेंगे उनकी कमी हमेशा महसूस करते रहेंगे ।

श्री मन्नी लाल गुरुदेव जी का जन्म 1899 में जिला हमीरपुर के एक ग्राम में हुआ था। वह 87 वर्ष के थे । वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । वह इस सदन के 1952 से 1957 तक सदस्य रहे । वह जिला हमीरपुर के रहने वाले थे । उनके निधन से सिर्फ जिला हमीरपुर ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते आज पूरा भारतवर्ष दु:खी है। मान्यवर, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, जिन्होंने जंगे आजादी में हिस्सा लिया था, वे धीरे-धीरे हमारे बीच से चले जा रहे हैं । मान्यवर, स्वर्गीय श्री मन्नी लाल गुरुदेव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। जिन लोगों ने जंगे आजादी में हिस्सा लिया है, उनके बताये हुए रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए । मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी इस सदन की भावनाओं को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें और यह उनको बतायें कि यह सदन उनके गम में पूरी तरह से शरीक है और यह समझता है कि यह गम उनका ही नहीं है, नुकसान उनका ही नहीं है, बल्कि पूरे सदन का है ।

*श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस सदन के 5 भूतपूर्व सदस्यों के निधन के संबंध में दु:खद सूचना दी। श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री बसंत लाल, श्री सरजू प्रसाद त्यागी, श्री मन्नी लाल, श्री धनुषधारी पाण्डेय के निधन के बारे में हम सब लोग दु:खी हैं। मान्यवर, श्री बसंत लाल, सीतापुर, श्री सरजू प्रसाद त्यागी, मेरठ, श्री धनुषधारी पाण्डेय, बस्ती, श्री मन्नी लाल गुरुदेव, हमीरपुर और श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, चमोली के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहने वाले थे । मान्यवर, ये पांचों महानुभाव इस सदन में, इस प्रदेश की और समाज की सेवा करते रहे और इन पांचों महानुभावों के निधन से हम सारे इस सदन के लोग दुःखी हैं। इनमें माननीय सरजू प्रसाद त्यागी, से मेरा निजी रिस्ता रहा है । श्री सरजू प्रसाद त्यागी और मैं साथ-साथ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 1967 में चुनकर आया था । उसके बाद हम लोगों ने साथ-साथ काम किया। उसके बाद विधान परिषद् में भी सरजू प्रसाद त्यागी का और हमारा साथ रहा। उनके निधन से मेरठ, गाजियाबाद दोनों जिलों में एक इतने बड़े समाजसेवी और देश भक्त के चले जाने से बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। मान्यवर, उनके चले जाने से इस सदन को भी बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। इसी तरह से माननीय स्वर्गीय नरेन्द्र सिंह भंडारी जी, जो कि यहां पर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने इस प्रदेश की जो सेवा की है, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। मान्यवर, इन पांचों महानुभावों ने इस प्रदेश की सेवा की है। उनके निधन से हम लोग दुःखी हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल ने विधान सभा के 5 भूतपूर्व सदस्यों के निधन के बारे में जो संवेदना व्यक्त की है, उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, नरेन्द्र सिंह भंडारी हमारे प्रदेश में राज्य मंत्री के पद पर रहे और उन्होंने इस पद पर रह कर प्रदेश की सेवा की । वह पर्वतीय अंचल में मान्यवर, शिक्षण संस्थाओं के जन्मदाता थे। वह अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष भी रहे। मान्यवर, उनके निधन से एक अपूर्णनीय क्षति हुई है । इस अपूर्णनीय क्षति से हम सबको महान दुःख है। श्रीमन्, इसी प्रकार श्री बसन्त लाल जी हमारे विधान सभा के सदस्य रहे, जिन्होंने लखनऊ में रहकर स्मरणीय कार्य किये। उनके निधन से जो क्षति हुई, वह श्रीमन्, आज अपूर्णनीय है। इस प्रकार हमारे पुराने समाजवादी साथी रहे। यह मेरठ मंडल और प्रदेश में समाजवादी आन्दोलन में अनेक बार जेल गये। इन्होंने हमेशा गरीबों और मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी और विधान सभा तथा विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश की दोनों सभाओं में ओजस्वी भाषण दिया और जनता की सेवा की यह अविस्मरणीय है। इनके निधन से एक अपूर्णनीय क्षति हुई है। श्री धनुषधारी पाण्डेय जी ने अपने जीवन काल में देश और प्रदेश की सेवा की। इसी तरह श्री मन्नी लाल गुरुदेव जी ने अपने जीवन में गरीबों और किसानों के लिए लड़ाइयां लड़ी। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इनके शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनायें भेजने की कृपा करें।

श्री हरिश्चन्द्र, हरोश जी–

मान्यवर, मानवीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जिन भूतपूर्व सदस्यों के बारे में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है मैं उनसे अपने को और अपने दल भारतीय जनता पार्टी को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, इन सभी माननीय नेताओं ने अपने समय में समाज-सेवा का कार्य किया है और वे इसमें बहुत अग्रणी रहे हैं। इनके संघर्ष से हम आज भी प्रेरणा लेते हैं। श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी ने राज्य मंत्री के रूप में इस सदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के सदस्य के रूप में उनकी बहुत सेवायें हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जहां उनकी जन्म-भूमि है वहां भी उन्होंने बहुत सेवायें की हैं जो अनुकरणीय हैं। श्री बसन्त लाल जी ने भी गरीबों की बहुत सेवा की। श्री धनुषधारी पाण्डेय हमारे जिले बस्ती के थे उनकी सेवाओं से और उनके कार्य से हम सबको प्रेरणा मिलती है। श्री सरजू प्रसाद त्यागी और श्री मन्नी लाल गुरुदेव ने समाज सेवा में भाग लिया। यह उस समय राजनीति में आए जिस समय राजनीति का अर्थ केवल समाजसेवा था। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी और मेरे दल की सम्वेदनायें उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह–

मान्यवर, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री बसन्त लाल, श्री सरजू प्रसाद त्यागी, श्री मन्नी लाल गुरुदेव तथा श्री धनुषधारी पाण्डेय जी के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने व्यक्त किए हैं, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि मेरी तथा मेरे दल की सम्वेदनायें आप उस शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री बसंत लाल, श्री सरजू प्रसाद त्यागी, श्री मन्नी लाल गुरुदेव तथा श्री धनुषधारी पाण्डेय जी के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल ने व्यक्त किए हैं, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी सम्वेदनायें उस शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री बसन्त लाल, श्री सरजू प्रसाद त्यागी और श्री धनुषधारी पाण्डेय तथा श्री मन्नी लाल गुरुदेव के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने रखें हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। आज वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी सेवाओं को हम नहीं भूल सकते हैं इन्होंने प्रदेश की सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिया आज उनके निधन से हम सबको बहुत दुख है। नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं और मेरा दल उन भावनाओं के प्रति अपने आपको सम्बद्ध करता है और इन नेताओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ ही साथ मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं और मेरे दल की तरफ से संवेदना शोक संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष–

आज हमारे सामने जो 5 महान विभूतियां इस सदन की हस्तियां रही हैं और जिन्होंने बहुत लम्बे समय तक समाज की, प्रदेश की, गरीबों की, किसानों की सेवा की। श्री नरेन्द्र सिंह जी भंडारी का पर्वतीय क्षेत्र में काम हमेशा सराहनीय रहा और मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। दूसरे श्री बसन्त लाल जी, यह बड़े समाज सेवा और गरीबों के बड़े हमदर्द थे उनके साथ भी मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तीसरे सदस्य श्री सरजू प्रसाद त्यागी जी मेरठ के रहने वाले थे मैंने बचपन में उन्हीं के साथ रहकर राजनीति का सबक सीखा था। वे बड़े समाजसेवी और किसानों के बड़े हमदर्द

थे, हमेशा आन्दोलन करते रहते थे किसी मिल पर या किसी फैक्ट्री पर। चौथे धनुषधारी जी पाण्डेय साहब, जब मैं सदस्य था 1970 से 74 तक और वह भी सदस्य थे, उनके साथ रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज में एक जाने माने समाजसेवी और गरीबों के बड़े हमदर्द थे। गुरुदेव जी से सभी परिचित हैं। उन्होंने इस समाज की, प्रदेश की, देश की बड़ी सेवा की और उनके निधन से इस देश को और इस प्रदेश को भारी क्षति हुई है जिसकी क्षतिपूर्ति करना सम्भव नहीं। बहुत से ऐसे लोग पैदा होते हैं और जो समाज की सेवा करते हैं, उनका उद्देश्य केवल हमारे सामने रह जाता है।

जो भावनाएं संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता विरोधी दल, नेता जनता पार्टी और नेता सी0 पी0 आई0 एम0 और सी0 पी0 आई0 पार्टी और माननीय कौशिक जी ने जो शोक प्रकट किया है, उससे मैं अपने आपको और पूरे सदन को सम्बद्ध करते हुए उन महान आत्माओं को अपने सदन की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जो आपने भावनाएं व्यक्त की हैं उनको शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दी जायेंगी। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 2 मिनट तक मौन धारण करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए मौन खड़े हुए)

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। कल माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी . . .

श्री उपाध्यक्ष–

जब आज शुरू होगा तब देखा जायेगा।

थाना क्षेत्र लार, देवरिया में जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज व मनगढ़न्त मुकदमें दायर किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई :–

1–श्री गौरी शंकर भइया
2–श्री दीप चन्द्र सोनकर
3–डा0 शिवानन्द नौटियाल
4–श्री किरन पाल सिंह
5–श्री अचल सिंह
6–श्री किशोरी लाल सकलानी
7–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा

*श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, गत 25 अप्रैल, 1986 को देवरिया जनपद के लार थाने क्षेत्र में चोरी, डकैती, हत्या, बलवा तथा हरिजन पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में लीन पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन था। थानाध्यक्ष अवकाश पर होकर समानान्तर प्रदर्शन करवाया, असफल होने पर लाठी चार्ज करवाया जिसमें सैकड़ों को चोट आयी एवं दो की बांह टूट गयी। रेवती रमण सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल 3 मई को मुख्य मंत्री जी से मिला जिस पर उन्होंने मामले की जांच व 31 अपराधों की भी सी0आई0 डी0 जांच कराने का आश्वासन दिया जो आज तक नहीं हो सका।

14 जुलाई को अवकाशरत थानाध्यक्ष टी0 वी0 सिंह ने नायब दरोगा अम्बिका राय को 11 बजे दिन में गोली मारकर हत्या कर दी गयी। गोली मारते परिवार के लोगों, ने देखा। श्री राय ने इसके पूर्व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दे दिया था किन्तु मामले को दबवाया जा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है जिससे लोगों में काफी चिन्ता व्याप्त है । अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में इस लोक महत्व के प्रश्न पर मुख्य मंत्री जी से सी0 आई0 डी0 से जांच कराने तथा टी0 वी0 सिंह पर 302 का मुकदमा दर्ज करने की मांग करता हूं ।

महिला व पुरूष चिकित्सालय शाहगंज जौनपुर में चिकित्सकों की लापरवाही एवं भ्रष्टाचार से जनमानस में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दीप चन्द्र सोनकर–

महोदय, आपका ध्यान जनपद जौनपुर तहसील शाहगंज के पुरूष एवं महिला अस्पताल के चिकित्सकों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि चिकित्सा अधिकारियों द्वारा मरीजों के साथ सही व्यवहार न कर उनके द्वारा किसी बात की जानकारी करने पर उन्हें अशोभनीय शब्दों से डांटकर हटा दिया जाता है । पुरूष अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा जो दवाएं गरीब एवं निरीह मरीजों के लिए आती हैं उन्हें न देकर उसका दुरूपयोग किया जाता है । सफाई के नाम पर अस्पताल के चारों तरफ गन्दगी एवं मल मूत्रों का जमाव बना हुआ है जिससे चारों तरफ दुर्गन्ध बनी रहती है । महिला अस्पताल में महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रसूती से पीड़ित दर्जनों महिलाएं धन के अभाव के कारण मौत की शिकार होती हैं । चिकित्साधिकारी द्वारा उन्हीं मामलों में विशेष रूचि ली जाती है जिसमें वे मुंह मांगा पाती हैं । इस तरह से महिला अस्पताल के चिकित्सकों के प्रति क्षेत्र की जनता में असन्तोष व्याप्त होता जा रहा है । वहां की जनता ने लिखित ज्ञापन मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिलाधिकारी को दिया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के माध्यम से सदन से यह मांग करता हूं कि ऐ भ्रष्ट पुरुष एवं महिला चिकित्सकों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाय ।

पर्वतीय क्षेत्र में कृषि सेवा वर्ग-3 के 60 पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि सेवा वर्ग 3 की 60 पदों के लिए आयोजित की गयी परीक्षा की ओर शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता कृषि डिप्लोमा अथवा इण्टर कृषि रखी गयी थी किन्तु बाद में पर्वतीय क्षेत्र में कृषि डिप्लोमा प्राप्त जो कि 1979 से बेरोजगार हैं और शासकीय खर्चे पर प्रशिक्षण प्राप्त हैं, पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासी हैं, को वरीयता न देकर बी0 एस0 सी0 कृषि और एम0 एस0 सी0 कृषि को चयनित कर मैदानी क्षेत्रों से बुलाकर नियुक्तियां की गयी हैं साथ ही विज्ञप्ति 60 पदों में की गयी और नियुक्तियां 302 पदों पर की गयी हैं । इससे वहां की स्थानीय जनता में घोर असन्तोष व्याप्त हो गया है और इसके विरोध में पौड़ी में स्थानीय पत्रकार एवं नवयुवक 24.8.86 से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं । अतः मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुए निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त नियुक्तियों के कारण वहां स्थिति गम्भीर एवं विस्फोटक हो गयी है । यदि इस ओर तुरन्त कार्यवाही न की गयी तो वहां जन आन्दोलन बड़े पैमाने पर फैल जायेगा और जन धन की क्षति का भी खतरा पैदा हो जायगा ।

अतः यह स्थिति उत्पन्न न हो, इसका निवारण तुरन्त कर स्थानीय कृषि में डिप्लोमा धारकों एवं कृषि से इण्टर पास स्थानीय अभ्यर्थियों की उपरोक्त पदों पर तुरन्त नियुक्ति की मैं मांग करता हूं ।

थाना ककोल, बुलन्दशहर में स्थापित भीमराव अम्बेदकर की प्रतिमा को विखंडित किये जाने तथा प्रतिमा को तिरस्कार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किरन पाल सिंह–

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये कहना है कि जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत गांव बेयर थाना ककोल के हरिजनों ने 24 अगस्त को अपने यहां एक मैदान में बाबा भीमराव अम्बेदकर की प्रतिमा स्थापित की थी। बाद में गांव के कुछ अवांछनीय तत्वों ने थाना ककोल के बड़े दरोगा से मिलकर बाबा भीमराव अम्बेदकर की प्रतिमा को विखंडित कर दिया तथा जूतों की माला पहना कर जूतों से मूर्ति पर पिटाई की । इस घटना से समस्त क्षेत्र में बाबा भीमराव अम्बेदकर अनुयायी को घोर अपमान का सामना करना पड़ा। उक्त घटना के बारे में परगनाधिकारी सिकन्दराबाद से जब हरिजनों ने मुलाकात की तो परगनाधिकारी का व्यवहार भी उनके साथ अशोभनीय रहा । बेयर गांव के हरिजनों ने प्रधानमंत्री एवं मुख्य मंत्री को भी इस संबंध में ज्ञापन भेजकर न्याय की मांग की है । लेकिन अभी तक दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । समस्त हलके में तनाव व्याप्त है ।

अतः आपके माध्यम से सरकार से दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर बाबा भीमराव अम्बेदकर की मूर्ति को पुनः स्थापित कराने की मांग करता हूं।

सहकारी शीतगृह बिन्दकी रोड, फतेहपुर में आलू सड़ने के परिणाम स्वरूप क्षतिपूर्ण दिलाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अचल सिंह–

मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । मेरे जनपद फतेहपुर में बिन्दकी रोड स्थित सहकारी शीतगृह में सन् 1984-85 में कृषकों द्वारा रखा गया सम्पूर्ण आलू शीतगृह की यांत्रिक गड़बड़ी एवं गैस बन जाने से सड़ गया था । लगभग 500 कृषकों ने अपनी क्षतिपूर्ति हेतु जिलाधिकारी फतेहपुर के यहां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिससे जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश शीतगृह निनियमन अधिनियम 1976 की धारा 10-14-24-26-28-40 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये 135 रु0 प्रति कुन्तल के हिसाब से क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिनांक 30-6-86 को संबंधित शीतगृह के अधिकारियों को किया था परन्तु अभी तक किसी भी कृषक को एक भी पैसा क्षतिपूर्ति के रूप में नहीं दिया गया जिससे सम्पूर्ण कृषक भुखमरी के कगार पर है और उनमें अत्यन्त रोष व्याप्त है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाते हुये मांग करता हूं कि सम्पूर्ण कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान अविलम्ब कराने का कष्ट करें ।

निर्वाचन क्षेत्र, मन्सूरी, देहरादून में टी0ए0सी0 योजना के अन्तर्गत तटबन्ध बांध के निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किशोरी लाल सकलानी–

मैं आपकी आज्ञा से सम्मानित सदन के संज्ञान में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भयंकर बाढ़ से हजारों बीघा उपजाऊ भूमि एवं फसल छीद्रवाला, झबरा वाला, वूल्ला वाला निरन्जनपुर आदि कई ग्रामों की फसल नष्ट हो गई एवं उर्वरा भूमि बह गई है। राष्ट्रीय महत्व जैसे कार्यक्रम में लगाये गये सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत वृक्ष भी बाढ़ के लपेट में आ गये हैं । सरकार से अविलम्ब नदियों के तटबन्ध बांधने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के अन्तर्गत योजना स्वीकृति कराने की मांग करता हूं जिससे भय के वातावरण में जी रही ग्रामीण शान्ति की सांस ले सकें।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता श्री कैलाश यादव को थाना क्षेत्र अतर्रा बांदा में अराजक तत्वों द्वारा पिटाई के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा–

बांदा जनपद के अतर्रा कस्बा में थाना अतर्रा के निवासी नौजवान सभा के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता का0 कैलाश यादव को थानाध्यक्ष अतर्रा एवं सब इन्सपेक्टर के साथ 26-8-86 को अराजक तत्वों से सांठगांठ करके उनके होटल से अकारण पकड़कर घसीटते हुये थाने ले गये और थाने में अपमानित किया एवं निर्मम पिटाई करके छोड़ दिया और कहा कि भविष्य में नेतागिरी न करना । इस घटना से पूरे कस्बे में उत्तेजना और आक्रोश व्याप्त है । थानाध्यक्ष अतर्रा के गुण्डागर्दी, तानाशाही रवैये से आतंक एवं भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है । दिनांक 29-8-86 को थानाध्यक्ष अतर्रा के विरुद्ध विशाल प्रदर्शन किया गया, घेराव, धरना एवं हड़ताल की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं ।

अत: मैं मांग करता हूं कि थानाध्यक्ष अतर्रा का स्थानान्तरण करके पूरे प्रकरण की जांच सी0आई0डी0 से कराते हुये कठोर कार्यवाही की जाय ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है । मान्यवर, इस पीठ की गरिमा, महानता और सज्जनता के प्रति नतमस्तक होते हुए, मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। इस पीठ के प्रति कुछ कहने की इजाजत नहीं है।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आप सुन लें फिर निर्णय जो चाहे दें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

[X X X]

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें, कुछ नहीं लिखा जायगा ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सदन की भाषा हिन्दी है अतः यहां की सारी कार्यवाही हिन्दी में होती है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सदन की कार्यवाही हिन्दी में होना चाहिये ।

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप बैठें ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, गांधीजी की कुटिया में तीन बन्दरों की मूर्तियां रहती थीं, एक मुह बन्द बोलता नहीं था, दूसरा कान बन्द सुनता नहीं था और तीसरा आंख बन्द देखता नहीं था। फिर भी उन बन्दरों की मूर्तियों को सम्मान पूर्वक रखा जाता था ।

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

यह आपको शोभा नहीं देता।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरे सामने दो दिन से एक संकट है । यहां पर सत्ता पक्ष (कांग्रेस इ) है जिसके नेता श्री वीर बहादुर सिंह हैं और इधर लोकदल और विपक्ष के नेता श्री मुलायम सिंह हैं इसके बाद जनता पार्टी नेता कुंवर रेवतीरमण जी, उसके बाद बी0जे0पी0 नेता कल्याण सिंह जी फिर सी0पी0आई0 नेता रामचन्द्र बख्श सिंह, फिर शारदा प्रताप का ग्रुप फिर राम आसरे वर्मा जी का ग्रुप–इस तरह से तमाम पार्टियां और ग्रुप हैं । लेकिन, मान्यवर इस समय यहां एक नयी पार्टी "दमदमी टकसाल" बन गयी है । क्या यह "दमदमी टकसाल" राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की पार्टी है ? इस पर आप व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर कोई व्यवस्था की बात नहीं है ।

श्री शारदा प्रताप–

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो महत्वपूर्ण सूचनायें मानी जाती हैं उनको मापने का क्या मापदंड है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अध्यक्ष पीठ पर आसीन व्यक्ति के विवेक को चेलेंज नहीं कर सकते हैं । यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप स्थान पर बैठ जायं ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर पिछली बार 13 हजार प्रश्न स्वीकृत किये गये उसमें से केवल 6 हजार

नोटः–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए । यह जो सत्र चल रहा है उसमें अब तक 8 हजार प्रश्न प्राप्त हुए । अब तक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अन्तर्गत केवल एक हजार प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं। इस प्रकार 1986 के प्रथम सत्र में 7 हजार और द्वितीय सत्र में–7 हजार प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं । श्रीमन् जब यह बात की जाती है कि नियम के अन्तर्गत हमारे कितने अल्पसूचित प्रश्न होंगे, कितने तारांकित प्रश्न होंगे, तो उसमें जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत ऐसा श्रीमन् नहीं है कि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र से संबंधित समाज के हित में जो प्रश्न करते हैं उसका उत्तर प्राप्त न हो सके । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि माननीय सदस्यों का जो अधिकार है अपने क्षेत्र से संबंधित समाज के हित में प्रश्न करने का, उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकें । जब दो दिन पहले यह प्रश्न किया गया कि सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाय तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सदन के सामने कोई विचारणीय विषय नहीं है । मान्यवर, इस व्यवस्था के चलते पहले सत्र में 7 हजार और दूसरे सत्र में पुनः 7 हजार के ऊपर प्रश्न अनुत्तरित हो रहे हैं । इससे पूर्व भी लिखकर के ज्ञात करने की कोशिश की गयी कि जो प्रश्न अनुत्तरित हो जाते हैं उनके उत्तर कैसे प्राप्त किये जायं । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा जो प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का अधिकार है, उसकी आप रक्षा करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय पाण्डेय जी, जहां तक प्रश्नों का सवाल है, इसमें कहीं सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है । अब स्थिति क्या है एक आदमी एक दिन में ही 200 सवाल डाल देते हैं, जिसकी वजह से प्रश्नों की संख्या बेतहाशा बढ़ गयी है । 7 हजार 8 हजार हो गयी । अब इससे जो अपने क्षेत्रों का सवाल डालना चाहते थे, वे रह गये । इसी परिपेक्ष्य में नियम समिति द्वारा कुछ संस्तुतियां की गयी हैं, जो सदन में पेश भी हो गयी है । मैं समझता हूं कि सदन इसे स्वीकार कर लेगा तो आगे इसमें कठिनाई नहीं होगी । जो कठिनाई आपने महसूस की, उसी को महसूस करते हुए नियम समिति ने अपनी संस्तुतियां की हैं ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो हमारी नियमावली इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अल्प-सूचित प्रश्न शासन को भेजे जायेंगे, शासन उसका उत्तर दे या न दें। इधर प्रश्नों को टालने की प्रक्रिया बहुत तेज हो गयी है। उप सचिव, संयुक्त सचिव और यहां तक कि कई मामलों में जानकारी है सेक्शन आफिसर तक के स्तर के अधिकारी लिख कर के देते हैं कि यह प्रश्न टाल दिया जाय । मेरा निवेदन यह है कि जो नियमावली है और जो संविधान है, उसके मुताबिक मन्त्रि परिषद् ही जिम्मेदार है विधान सभा के प्रति, कार्यपालिका के उप सचिव और संयुक्त सचिव नहीं, लेकिन हो यह रहा है कि इस समय प्रश्न अनुभाग में शासन के द्वारा मंत्री अनुरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि सेक्शन आफीसर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी लिखकर भेज रहे हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को आप निदेश दें कि मंत्री के दस्तखत से जब तक लिखकर नहीं आयगा तब तक प्रश्नों के स्थगन की सूचना को अधिकृत नहीं माना जायगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

जहां तक टालने का सवाल है, मंत्रि-परिषद् तो टालती नहीं है । नियमों के अन्तर्गत रहते हुए, अगर कोई बात होती है या कमी रहती है या सूचना एकत्रित करनी होती है, तभी वे अनुरोध करते हैं कि निरस्त कर दिया जाय ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरी निश्चित जानकारी है कि मंत्री-गण के दस्तखत से नहीं आता है जबकि स्वयं मंत्री के दस्तखत से आना चाहिये । आप मेरे प्रश्न को समझने की कोशिश करें। मंत्री के दस्तखत से ही सवालों के बारे में अनुरोध या टिप्पणी आनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्रियों के दस्तखत से ही आ रहे हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप जानकारी करा लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्हीं के दस्तखत से आ रहा है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अभी मा0 शतरुद्र प्रकाश जी ने जो बात कही, क्या आपने जानकारी करा ली थी?

श्री उपाध्यक्ष–

जो उन्होंने दूसरी बात कही थी, उस पर मैं व्यवस्था देने वाला हूं । जैसे टालने वाली बात है, जो मंत्री के यहां से आते हैं, वह तो मंत्री के ही दस्तखत से आते हैं, लेकिन अनुरोध जो होता है टालने का कि निरस्त कर दिया जाय या तिथि बढ़ा दी जाय, वह कह रहे हैं कि सचिवों के दस्तखत से आ रहा है । अगर ऐसी बात होगी, तो मैं देख लूंगा नियमों में जैसा होगा, जो टालने वाली बात है, उसको देख लिया जायगा । अगर नियम में कमी होगी तो वह नियम समिति के सामने पेश कर दिया जायगा, संशोधित कर दिया जायगा जैसा नियम समिति चाहेगी ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

प्रश्नों के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

अतारांकित प्रश्न संख्या–6 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे यहां डुमरियागंज में छूट की खाद के लिये धनराशि आवंटित हुई । मैंने जानकारी चाही थी माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया कि जिन व्यक्तियों को छूट दी गयी, उनकी कापी सदन के पटल पर नाम और विवरण सहित रखने का कष्ट करें । उन्होंने लम्पसम भेज दिया कि इतना रुपया बांटा गया और सूची कार्यालय में देख लें । अगर मंत्री के हस्ताक्षर से मिल जाता तो गांव में जाकर वेरीफिकेशन कर लेते, अगर किसी ने घपला किया है अपराध किया है तो कार्यवाही करते । अगर इनके कक्ष में जाकर देखेंगे तो कार्य-वाही कैसे करेंगे। ऐसा उत्तर ये लगातार देते हैं। मेरा अनुरोध है कि मंत्रियों को निर्देशित करें कि सदन के पटल पर रखने की बात हो तो कक्ष में न कहा करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब सदन के पटल पर रखना हो तो कक्ष की बात नहीं होनी चाहिये ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, प्रश्नों का समय जो है वह बहुत थोड़ा है, जब प्रश्न होते हैं तो जो पुराने सदस्य हैं, वह भाषण करते हैं इधर से भी भाषण होते हैं और उधर से भी भाषण होते हैं, जो उत्तर है, वह आ नहीं पाता है । जिसके लिए आप या तो समय बढ़ा दीजिये और या फिर नये मा0 सदस्यों को अपनी बात कहने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मौका दीजिये । जब नये सदस्य खड़े होते हैं तो आप कह देते हैं कि भाषण आप दे रहे हैं प्रश्न करियेगा जबकि होता यह है कि पुराने सदस्य और सत्तापक्ष के लोग भाषण देते हैं । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस संबंध में आप नियम समिति को अपना सुझाव दे सकते हैं उसी को इसका अधिकार है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

सवाल यह है कि चाहे मंत्री बोल रहे हों या मा0 सदस्य उन्हें भाषण नहीं देना चाहिये सीधे-साधे प्रश्न करना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री तो पढ़ते हैं भाषण कहां देते हैं ?

श्री विनोद कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । पिछले चार दिनों से यह विधान सभा का मानसून सत्र चल रहा है । दो एक दिन और चलना है प्रदेश में ज्यादातर जनपदों में सूखे की स्थिति है । मेरे ही जनपद में 2 हजार एकड़ के लगभग कृषि योग्य भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है । मैंने नियम 301 के अंतर्गत आपको सूचना दी थी जिसे आपने अस्वीकार कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नियम 301 की सूचना को स्वीकृत करने के माध्यम क्या हैं। 32 सूचनाओं में से 7 सूचनाओं को आपने स्वीकार किया है लेकिन महत्वपूर्ण सूचना को आपने स्वीकार नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

नियमों के अन्तर्गत ही काम होता है

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

नियम 300 के अन्तर्गत मुझे 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्रथम सूचना श्री शारदानन्द अंचल की है जिसका जिस्ट यह है कि कहीं बिजली 24 घंटे मिल रही है तो कहीं 3 घंटे जिसमें कोई औचित्य का सवाल नहीं बनता है और कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, सुल्तानपुर, अमेठी, काशीपुर, रायबरेली में तो 24 घंटे बिजली की व्यवस्था आपने रखी है और पूर्वांचल में बिजली बिल्कुल नहीं मिल पाती है यह एक महत्वपूर्ण मामला है चूंकि आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री शारदानन्द अंचल सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री हर्षवर्धन जी की सूचना भी नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है फिर भी इस सूचना पर नगर विकास मंत्री से अनुरोध किया जा सकता है कि वह वांछित सूचना मा0 सदस्य को उपलब्ध करा दें ।

श्री हर्षवर्धन–

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न दिया और आपने यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि यह स्थानीय सीमित महत्व का है । मैंने लखनऊ नगर पालिका को एक पत्र लिखा कि इसकी जानकारी दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

नियमावली का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है जब नियमों के अन्तर्गत आता ही नहीं है तो फिर सुना कैसा जायेगा? मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग गलत परम्परा न डालें ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, आप कृपा करके मा0 सदस्य

हर्षवर्धन जी की बात सुन लें। जो आपका निर्णय होगा शिरोधार्य होगा । माननीय हर्षवर्धन जी का यह कहना है कि मैंने एक सवाल आपकी सेवा में भेजा । आपके यहां वह प्रश्न अस्वीकृत हो गया यह कहा गया कि वह एक स्थानीय सीमित महत्व का प्रश्न है और इसकी सूचना स्थानीय स्तर पर ली जा सकती है । उन्होंने प्रशासक नगर महापालिका को एक पत्र भेजा कि इसकी सूचना दी जाय । तो प्रशासक ने जवाब नहीं दिया । तब उन्होंने नगर विकास मंत्री जी को पत्र लिखा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर आपको लिखा। आपके यहां से माननीय मंत्री जी को पत्र गया है नगर विकास मंत्री को लेकिन फिर भी कोई सूचना नहीं दी गयी। इसके बाद जब कोई सूचना नहीं आयी तो बाध्य होकर आपको माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया है। आप ही इसे स्वीकृत करें तो इससे ज्यादा औचित्य का प्रश्न और क्या होगा? आपके निर्देशों की अवहेलना हो रही है और इतना महत्वपूर्ण प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है?

श्री हर्ष बर्धन–

[x x x]

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकलवा दिया जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय हर्ष वर्धन ने नियम 300 में एक औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति आपसे मांगी है। सैद्धान्तिक रूप से यह आ नहीं सकता है। माननीय सदस्य जो सूचना चाहते हैं इसका उत्तर उनको शासन से दिलवा दिया जायेगा, इसमें किसी होले-हवाले की बात नहीं है। उन्होंने यहां पर कुछ स्पष्ट आरोप लगाये हैं इस सदन के किसी सदस्य के बारे में यदि कोई बात कहनी है तो उसकी प्रतिलिपि पहले संबंधित सदस्य को देनी चाहिये, नहीं तो वह बात सदन में नहीं उठायी जा सकती है। सदन के किसी माननीय सदस्य के बारे में जो कोई बात कही गयी है उसको कार्यवाही से खारिज किया जाय।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय हर्ष वर्धन ने नियम 300 में जो प्रश्न उपस्थित किया, माननीय संसदीय कार्य-मंत्री ने आपको अपनी व्यवस्था देने से पहले ही आपसे निवेदन किया है। जबकि नियमावली में साफ लिखा है कि माननीय सदस्यों को कौन-कौन से नियमों का पालन करना चाहिये। उसमें साफ लिखा है कि किसको पत्र लिखा जायेगा और किसको नहीं लिखा जायेगा। पत्र लिखने के बारे में एक शिष्टाचार है आचार संहिता में और आपके द्वारा दिये गये करण में भी, तो उसी के अन्तर्गत पत्र लिखा गया फिर भी जवाब नहीं आया, तो उसके बारे में आपसे शिकायत की गयी है। अब उसको माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, वे तो आरोप को निकालने की बात कह रहे हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, पत्र का एक मजबून था। चूंकि वह पत्र एक मुख्य मंत्री की लड़की के बारे में था इसलिए उसका जवाब नहीं दिया गया?

नोट :–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

यहां लड़के या लड़की का प्रश्न नहीं है। मैं इसको देख लूंगा और कार्यवाही से निकलवा दूंगा। औचित्य के प्रश्न पर ही ये बोलें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

उसके जो कन्टेंट हैं, उनके बारे में नहीं उठाया जा सकता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय हर्षवर्धन जी ने ऐसा कोई असंसदीय शब्द नहीं कहा है, ऐसा कोई शब्द नहीं कहा है, जो संसदीय भाषा के अनुकूल न हो, जो आप कार्यवाही से निकालेंगे। माननीय सदस्य ने एक निश्चित बात कही है। अगर कोई माननीय सदस्य निश्चित बात कहता है, तो उसको कहने का अधिकार है और उसको कार्यवाही से आप निकलवा नहीं सकते हैं। यह सही है, आरोप लगाया है तो उसकी आपको जांच करानी चाहिये। कुमारी इन्दू सिंह को जो फ्लैट आवंटित किया गया है, उसका आधार क्या है?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपसे अनुरोध किया कि जो कुछ माननीय हर्षवर्धन जी ने कहा है, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह नियमावली को देखें। नियमावली में है कि अगर आरोप किसी सदस्य के बारे में होगा, जो इस सदन का सदस्य है, तो वह स्पष्टीकरण के लिए निवेदन कर सकेगा और उसके स्पष्टीकरण के बाद कार्यवाही से निकालने या न निकालने के निर्देश आप देंगे। जब नियमावली में व्यवस्था है, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को कहां से अधिकार मिल गया कि वह यह कहें कि माननीय सदस्य द्वारा कहे गये शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाये। जिस पर आरोप लगाया है, वह इसी सदन के सदस्य हैं और नेता सदन है, उन पर आरोप लगाया गया है, वह स्पष्टीकरण दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में नियमावली का समादर करते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के अनुरोध को अस्वीकार करें और नेता सदन की ओर से इस प्रकार का कोई अनुरोध आवे तो उस पर विचार करें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मुझे माननीय तिवारी जी से ऐसी आशा नहीं थी कि वह भी निष्पक्षता का दामन छोड़ देंगे। उनके पास नियमावली नहीं है, उसकी पुस्तक मैं उनको भिजवा दूंगा। नियमावली के पेज 82 पर नियम 289 को आप देखें उसमें साफ लिखा हुआ है, बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया- किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी हो जिसमें मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके। इसीलिए मैंने निवेदन किया।

श्री उपाध्यक्ष–

सवाल तो यह था कि पत्र नहीं मिला। उसके कन्टेंट्स पर विचार नहीं हो रहा है। मैं इस पर अपना निर्णय दे चुका हूं।

श्री मैनेजर सिंह–

आरोप था कि उत्तर नहीं मिल रहा है। इस आरोप को माननीय मंत्री जी

ने माना कि सूचना नहीं दी गयी है और वह सूचना को भिजवा देंगे। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

दीक्षित जी की सूचना है, वह अध्यक्ष के विचाराधीन है, इसलिए नियम 300 के अन्तर्गत नहीं उठायी जा सकती है। अगली माननीय तिवारी जी की सूचना है। इस पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा स्वीकार हो गयी है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, नियम 49 का सवाल नहीं है। नियमावली के अन्तर्गत 21 मार्च, 1986 को मैंने और कुछ दूसरे सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव दिया था और आपकी पीठ से निर्देश हुआ कि माननीय मंत्री जी वक्तव्य देंगे। पहली अप्रैल को माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आया और स्पष्टीकरण मांगा गया और उससे सदन सन्तुष्ट नहीं था और जो अधिष्ठाता थे वह भी सन्तुष्ट नहीं थे। और उन्होंने निर्देश दिया था कि सही तथ्यों की जानकारी इस वक्तव्य के माध्यम से नहीं दी गई है, इसलिए मैं इसे स्थगित करता हूं। उन्होंने शासन को भी निर्देश दिया था कि इस पर पूरी जानकारी कराकर फिर से सारे तथ्यों को सदन के सामने रखा जाय।

मान्यवर, इस तरह से आपकी पीठ से एक मामला लम्बित किया गया है। यह लम्बित प्रश्न का सवाल है। यह हमारा अधिकार है कि जिस प्रश्न पर वक्तव्य लम्बित हो चुका है उसको यहां पर दिया जाय। लेकिन इतने दिन सदन को चलते हो गये, वक्तव्य तो दूर रहा उसके बाद कई घटनाक्रम हो गये। 2 जुलाई को जनता विधान मंडल दल की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री को एक आरोप पत्र दिया गया था। मुख्य मंत्री जी ने उसका जवाब भी दिया है कि इस सम्बन्ध में 15 अधिकारियों को मुअत्तल किया गया है। छोटे-छोटे लोगों को, नायब तहसीलदार और इस स्तर के लोगों को किया गया है। जो बड़े आई0 ए0 एस0 अफसर हैं जिनका इन्वाल्वमेंट है जिनको मुख्य-मंत्री जी ने स्टेटमेंट में स्वीकार किया है, जिनके ऊपर सी0 आई0 डी0 की जांच आ गई है, परीक्षण करा रहे हैं, उस रिपोर्ट को यहां पर नहीं लाया जा रहा है।

मान्यवर, 9 जुलाई, 86 को धर्म सिंह रावत ने भी पत्र लिखा था उसके पेज तीन पर मद संख्या–4 पर यह कहा है कि विधान सभा को जो सूचना उन्होंने भेजी थी उसे सचिव ने कटवा दिया और विधान सभा में गलत सूचना दी गई । इस तथ्य के आने के बाद यह साबित हो गया कि इस सदन को महत्वहीन बनाने का प्रयास किया गया है यह एक गम्भीर मामला है । इसलिए मैं कहता हूं कि जो हमारा अधिकार है लम्बित वक्तव्य जिसे आपकी पीठ से निर्देशित किया गया था उसके सम्बन्ध में शासन का दायित्व है कि उस निर्देश को शिरोधार्य करते हुए अर्बन सीलिंग के सारे तथ्यों की जानकारी सदन को दे दें । इसीलिये मैं कहता हूं कि नियम 49 से यह कवर नहीं होगा। मान्यवर, शासन को इतना लेटी-च्यूड देंगे तो जो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं उन पर अंकुश नहीं लग सकेगा । मान्यवर, इन्होंने क्या किया 13 आई0 ए0 एस0 अफसर जिनके बारे में सी0 आई0 डी0 रिपोर्ट है, जिसे मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है उनको हटाया नहीं गया और 15 जो छोटे कर्मचारी हैं उनको बलि का

बकरा बना रहे हैं । इस तरह से भ्रष्टाचार के महारथियों को बचाने का प्रयास किया गया है । इसीलिए हमारे 24 जुलाई के आरोप-पत्र में आरोप लगाया गया है कि मुख्य मंत्री जी आजाद भारत के भ्रष्टतम मुख्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं । मुख्य मंत्री जी ने उसका जवाब दिया था। अवर आप उसे सदन में ले आते तो हम संतुष्ट हो जाते । इसीलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि सरकार इसी सत्र में सदन के सामने सारे तथ्य लाकर सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट प्रस्तुत करके तथा जो 313 बड़े लोग हैं जिनकी बड़े उद्योग स्थापित करने के नाम पर जमीनें छोड़ी गई हैं उसका खुलासा किया जाय ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह प्रश्न औचित्य के रूप में नहीं उठाया जा सकता है। माननीय सदस्य ने इसमें कहा है कि इस प्रश्न पर वक्तव्य दें। मान्यवर, जो आदेश आप उचित समझें दे सकते हैं लेकिन सरकार की कोई मंशा किसी भी दोषी व्यक्ति को बचाने या प्रोटेक्ट करने की नहीं है। जो दोषी है, उसको सजा दी जायेगी। यह कहना कि सरकार किसी आई0 ए0 एस0 अधिकारी को बचा रही है, यह ठीक नहीं है। जांच के आदेश दिये गये उस आदेश की सूचना माननीय सदस्यों को दी गई जिन्होंने पूछा था। उसमें पूरी कार्यवाही हो रही है। किसी प्रकार की कोई रियायत किसी अधिकारी के साथ नहीं की जा रही है। भ्रष्टाचार में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी, किसी को बख्शा नहीं जायेगा। माननीय तिवारी जी ने बड़ी खूबसूरती से औचित्य का प्रश्न रखकर दूसरी तरफ बात मोड़ दी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की कोई बात सरकार के सामने नहीं है, पूरी तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। यह प्रश्न औचित्य के प्रश्न के रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसके बारे में आप जो आदेश देना चाहें दे सकते हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैंने एक सवाल मूल में उठाया है जो आपकी पीठ से निर्देशित होकर लम्बित हुआ है। इस पर सरकार वक्तव्य क्यों नहीं देगी, औचित्य का प्रश्न कैसे नहीं उठता, मैं समझ नहीं पाया।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी को गांधी जी की बात तो नहीं कहूंगा क्योंकि उनके दल के लोगों के लिए गांधी जी की बात समझ से बाहर हो गयी है। लेकिन जिस राष्ट्रीय नेता का यह लोग नाम लेकर स्वच्छ प्रशासन कायम करने की बात कहते हैं उनके पूज्य नाना ने कांग्रेस के एक सदस्य को पार्लियामेन्ट से निकालने का प्रस्ताव किया था और उस समय पार्लियामेन्ट में सन् 51 में इस पर कोई नियम नहीं था उस समय पंडित नेहरू ने जो कहा वह मैं पढ़ देना चाहता हूं-लोक सभा डिबेट 24 सितम्बर, 1951 पेज 3201

वी आर डीलिंग विद दी कन्डक्ट आफ ए मेम्बर आफ दिस हाउस बट आफकोर्स ऐज आई सेड इन्डायरेक्टली, इट इन्वाल्वस अदर पीपुल आउट साइड टू सीक टू फ्राफिट बाई दिस काइन्ड आफ बिजनेस एण्ड सम टाइम्स आर दिस हाउस विल हैव टू कन्सीडर हाउ दे कैन चेक दीज एक्टीविटीज इन सो फार एज इट इज पासीबुल उन्होंने कहा था इस समय हम इस सदन में एक सदस्य के आचरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इनडायेरक्टली

इसमें सदन के बाहरी लोगों का भी चरित्र इनवाल्व है और ऐसी घटनायें भविष्य में भी हमारे सामने आ सकती हैं जब बाहर के लोग भी इस तरह के व्यापार में संलग्न होकर नफा कमाने की कोशिश करें मुनाफा कमाना चाहें तो किस तरह से चैक करें इस पर विचार करना होगा। आगे उन्होंने कहा–"आई मस्ट कनफेस दैट बैन दिस मैटर केम अप बिफोर मी इन दि अर्ली स्टेज फार सम लिटिल टाइम आई वाज नाट क्लियर इन माई माइन्ड एज टू ह्वाट स्टेप वी शुड टेक एण्ड आई टुक दि एडवाइस आफ दि आनरेबुल स्पीकर एज इट हैज प्रोसीडेड क्रेश फैक्ट्स हैव कम आउट एण्ड फाइनली फ्राम दि फैक्ट्स दैट दिस रिपोर्ट कन्टेन्स आई हैव मीन सरप्राइज्ड एट दि एक्सटेन्ट, शैल आई से आफ मिसरिप्रेन्टेशन टू मी ह्वेन आई फर्स्ट इन्क्वायर्ड इनटू दिस मैटर एण्ड दि फैक्ट्स नाऊ डिसक्लोज कन्डक्ट विच आई कन्सीडर हाइली डीरोगेटरी एण्ड हाइली आबजेक्शनेबुल"

श्री उपाध्यक्ष–

इसका हिन्दी भी कर दें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, कह रहा हूं।

उन्होंने कहा अरलियर स्टेज पर जब पहली बार मामला सामने आया मैं स्वयं दिमाग में साफ नहीं था कि इस मामले को कैसे ठीक किया जाय क्योंकि नियमों में कोई व्यवस्था नहीं थी । तो जैसा मैंने कहा उन्होंने स्पीकर से सलाह ली कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है इसको कैसे लिया जाय। उन्होंने कहा कि जब तथ्य सामने आये तो वह चौंकाने वाले थे। तथ्यों के बाद यह गम्भीर भ्रष्टाचार का मामला है । तो ऐसा कोई काम हो जो आगे के लिए गाइड लाइन बने ।

आई थिंक इट विल बी अनफारच्यूनेट फ्राम ए वेरिटी आफ पोइंट आफ व्यू मोर इस्पेशली विकाज दिस बीइंग द फर्स्ट केस आफ इट्स काइण्ड कमिंग अप बिफोर द हाउस इफ दि हाउस डज नाट प्रेस इट्स सिल इन सच मैटर्स इन क्लियर अनइम्बी वोअस एन्ड फोर्सफुल हर्मस देन डाउट्स में वेरी वेल एराइज इन द पब्लिक माइंड एज टू मेयर द हाउस इज वेरी डिफिनेट एवाउट सच मैटर्स आर नाट देयरफोर आई डू सब्मिट दैट इट हैज विकम ए ड्यूटी फार अस एण्ड एन आब्लीगेशन टू क्लियर प्रेसाइज डिफिनेट

तो उन्होंने कहा अगर इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों में हम स्पष्ट निश्चित और ठोस निर्णय नहीं लेते तो आने वाले जमाने में जनमत जो है वह इस सदन के बारे में तमाम शंकाएं व्यक्त करेगा, शंकाग्रस्त होगा। इसलिये यह हमारी ड्यूटी है, हमारे उपर आब्लिगेशन है कि भ्रष्टाचार के इस तरह के मामलों में हम निश्चित निर्णय लें ।

मैं कहूंगा कि हमारे संसदीय कार्यमंत्री हमारी बात माने लेकिन इस भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में आप अपने राजकुमार जिनके स्वच्छ प्रशासन की बात आप करते हैं तो उनके स्व0 नाना ने जो बात कही उस पर अमल करें और इस गंभीर मामले की टैकनलिटीज पर न जाकर खेद प्रकाश करें जो आपके निर्देशों के बावजूद आज तक स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं आया और सही तथ्यों को वह यहां नहीं लाये। मैं चाहता हूं कि वह घोषणा करें कि इसी सत्र में जो सदन की भावना है उसके अनुरूप उसे सदन में लायें ।

श्री मैनेजर सिंह–

इस सम्बन्ध में मैं यहां एक स्पष्टीकरण मंत्री जी से चाहता हूं। अभी इस सिलसिले में सदन को सूचित किया

गया था कि शासन की तरफ से जांच सी0 आई0 डी0 की हुई है, इसमें कुछ अधिकारी दोषी हैं और उनकी सूची भी दी गई थी, और अभी दो दिन पहले शासन की तरफ से आपके दमदमी टकसाल के मंत्री प्रमोद तिवारी जी ने यह कहा कि सी0आई0डी0 जांच तो इस मामले में अभी हुई ही नहीं है, कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। यहां मुखिया राजा साहब तो हैं ही नहीं दमदमी टकसाल के। उन्होंने यहां गलतबयानी की है। जबकि वास्तविकता यह है कि एक रिपोर्ट आई थी उसको शासन ने एक सवाल पर घुमाकर दुबारा सी0आई0डी0 को लौटाल दिया है। अभी दो दिन पहले कहा गया था कि सी0आई0डी0 रिपोर्ट इस मामले में आई ही नहीं। तो इस मुद्दे पर भी आप प्रकाश डाल दें।

श्री अम्मार रिजवी–

मैं माननीय तिवारी जी का बहुत ही अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कुछ बताया, कहा, वह हमारे सवर्गीय नेता के कथन को सदन के सामने रखा। जहां तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही करने का सवाल है, उसमें मैं समझता हूं कि तिवारी जी की जो राय है उसमें मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन जहां तक उसे औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की बात है, मैंने उनके बारे में अपनी आपत्ति जाहिर की है। इसे औचित्य का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता। यदि आप 300 का (2) देखें 'औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा', तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि 2-9-86 को तिवारी जी ने -------

श्री किरनपाल सिंह–

उन्होंने कहा था, जब उस समय नियम ही नहीं थे....

श्री अम्मार रिजवी–

वही कह रहा हूं। 2-9-86 को यह प्रश्न उठाया गया था, इसमें सदन में काफी प्रश्न पूछे गये थे। इसके बारे में जहां बताने का सवाल है, उस पर सरकार को किसी प्रकार की आशंका नहीं है, सन्देह और गुरेज नहीं है और मैंने उसी समय कहा था कि जिस समय तिवारी जी ने कहा था इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है, आप समय निर्धारित कर दें कल परसों किसी भी दिन, सरकार अपना वक्तव्य दे देगी। इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जितनी चिन्ता और फिक्र उनको है, उससे ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं उसे मिटाने की। जो नियमों की बात कही, स्वर्गीय जवाहरलाल जी ने जो बात कही, तो नियम इस समय यहां पर मौजूद हैं और नियमों के अन्तर्गत ही यहां हर सवाल उठाया जा सकता है, चाहे वह औचित्य का प्रश्न हो अथवा कार्य-स्थगन का प्रश्न हो अथवा अन्य कोई विषय हो। यहां पर एक बात आई है, मेरा फिर अनुरोध है कि जब भी आप मुनासिब समझें सरकार को निर्देश दें, हम वक्तव्य आदि सब देने को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें नियम 49 की चर्चा स्वीकार है और वक्तव्य अपेक्षित है उसे सरकार देने को तैयार है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया है, आप जो भी तिथि चाहें रख दें और उसके लिए इन्हें निर्देशित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष–

इसपर कार्य मंत्रणा समिति में तय हो जाएगा।

श्री मैनेजर सिंह–

इस पर तारीख आप आज कल में रख दें और यदि इधर समय न हो तो आप इसी महीने 30 तारीख को इसके लिए एक स्पेशल सेशन रख दें। एक स्पेशल सेशन हो जाए ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

चूंकि मेरा अभी नाम आया था, इसलिए मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं...

श्री उपाध्यक्ष–

आपका नाम तो आता ही रहेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मैनेजर सिंह ने मेरे लिए कहा कि मैं दमदमी टकसाल का मंत्री हूं। मैं उन्हें स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का केवल मंत्री हूं। जैसे मैनेजर सिंह के बारे में लोग उन्हें बाल कल्याण सरकार का मंत्री कहते हैं, वैसे वह मुझे भी समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राम सरन दास जी ने एक प्रश्न उठाया है । यह नियम 300 में नहीं आता है । यह माननीय बदन सिंह की सुरक्षा से संबंधित है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी को कैसे मालूम हुआ कि यह बाल कल्याण मंत्री हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह उनसे कक्ष में जाकर पूछ लीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य मेरे चेम्बर में आए थे उन्होंने बताया था ।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस है । इधर तो आप बैठे हैं और आपके सामने प्रमोद तिवारी बैठे हैं तो काम चले तो कैसे चले ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक तरफ आप हैं और एक तरफ हम हैं, बीच वाले श्री राम सरन दास जी हैं । (हंसी)

श्री राम सरन–

मान्यवर, आगरा जनपद में थाना फतेहपुर सीकरी में जब पुलिस जुल्म बढ़ने लगे तो, माननीय बदन सिंह जी जो उस वक्त वहां से विधायक थे और आज भी विधायक हैं, उस जमाने में 16 जून, 1984 को एक प्रदर्शन पुलिस जुल्म के खिलाफ हुआ जिसका नेतृत्व माननीय बदन सिंह जी ने किया । जब वह नेतृत्व कर रहे थे तो उन पर भयंकर लाठीचार्ज हुआ और उनकी हड्डियां तोड़ी गयीं। उस मामले को यहां पर उठाया गया था तो सरकार ने उस मामले को सी0आई0डी0 को सुपुर्द कर दिया। सी0 आई0 डी0 ने जांच की तो इस मामले में पुलिसकर्मी दोषी पाए गए । सी0 आई0 डी0 ने अपनी रिपोर्ट शासन के पास भेजी है । मुकदमा चलाने के लिए पुलिस कर्मियों के खिलाफ । शासन ने अभी तक मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी है । थाना फतेहपुर सीकरी के पुलिस कर्मियों को ज्ञान हो गया है कि मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं मिली है तो वह रोज-रोज माननीय बदन सिंह को धमकियां दिलवा रहे हैं । माननीय बदन सिंह को जान से मारने की । इनकी जान का खतरा उत्पन्न हो गया है, इनकी जान की सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं है । गवाहों पर दबाव डाला जा रहा है । यह इतने भयभीत रहते हैं कि सदन की जो कार्यवाही है उसमें अच्छी तरह से भाग नहीं ले पाते हैं । जिसकी जान का 24सों घंटे खतरा हो कि मेरी जिन्दगी बचेगी या नहीं तो वह सदन की कार्यवाही में कैसे अच्छी तरह से भाग ले सकता है । मान्यवर,

यह औचित्य का प्रश्न बनता है मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको उठाने की इजाजत दी जाय ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । कल जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तो आपकी एक व्यवस्था हुई थी । मान्यवर, वह व्यवस्था नियमों के अनुकूल नहीं थी। जब श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी ने अपने प्रस्ताव को वापस लेने की आज्ञा मांगी तो उसे प्रश्न बनाकर आपने सदन के समक्ष नहीं रखा । नियमों के मुताबिक यह कल होना चाहिए था । उसी समय प्रश्न उठाना चाहिए था, मैंने आपका ध्यान भी आकर्षित करने की कोशिश की थी । आप वह प्रश्न उठाएं । सदन उसकी अनुमति दे या न दे वह अलग प्रश्न है, लेकिन मान्यवर, वह नहीं हुआ, तो मेरा अब व्यवस्था का प्रश्न यही है कि कम से कम वह जो अनियमित काम कल हो गया है, वह अब तो आज नियमित हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, अनियमित नहीं हुआ है । वह नियमित था ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आपने स्वयं देखा होगा कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता। यह तो एक प्रशासनिक मामला है । शासन में आदेश पेंडिंग है, अभी नहीं गए हैं । इनको तुरन्त भेजवा दिया जायगा। लेकिन मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता ।

श्री उपाध्यक्ष–

ये पांचों जो प्रश्न औचित्य के रूप में आए हैं, उन्हें औचित्य का प्रश्न नियम 300 के अन्तर्गत न मानते हुए अस्वीकार करता हूं और जो निर्देश दे दिए गए, वे ठीक हैं ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय कौशिक जी ने जो आपत्ति उठाई है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

उस पर तो निर्णय सुरक्षित है । उस पर कोई बात नहीं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र (प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग) वर्ष 1986-87†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग) वर्ष 1986-87 को इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

नगरपालिका गोरखपुर, चुंगी नियमावली, 1985††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या–8636-बी/11-9-85-जी-4 (5)-83, दिनांक 24 जनवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित नगर महापालिका, गोरखपुर, चुंगी नियमावली, 1985 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गई।

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के वर्ष 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन†

गृह राज्य मंत्री (सुरेन्द्र सिंह चौहान)– मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के वर्ष 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 के कार्य-कलापों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदनों को सदन के पटल पर रखता हूं ।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक)†

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)– मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जनवरी, 1982 से 31 दिसंबर, 1982 तक की अवधि का) को, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 तक)

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)– मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जनवरी, 1983 से 31 दिसंबर, 1983 तक की अवधि का), को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जनवरी, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक)†

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)– मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जनवरी, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक की अवधि का), को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की का वार्षिक लेखा वर्ष 1983-84 एवं महालेखाकार का सम्परीक्षित वार्षिक लेखा†

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्राविधिक शिक्षा, रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की का वार्षिक लेखा वर्ष 1983-84 एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की के वर्ष 1983-84 का सम्परीक्षित वार्षिक लेखा को, नियंत्रक-महालेखा परीक्षाक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1983-84 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)– मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1983-84 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश

†छापा नहीं गया ।

†छापा नहीं गया ।

सरकार को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

बुढ़ाना काण्ड जांच आयोग की रिपोर्ट (31 जनवरी, 1986)††

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बुढ़ाना काण्ड जांच आयोग की रिपोर्ट (31 जनवरी, 1986) को ज्ञापन सहित कमीशन्स आफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कोटद्वार-पौड़ी, गढ़वाल जांच आयोग की रिपोर्ट††

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से कोटद्वार-पौढ़ी, गढ़वाल-जांच आयोग की रिपोर्ट को ज्ञापन तथा विलम्ब के कारणों सहित कमीशन्स आफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 की धारा 5 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नगर विकास, नगर विकास अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 222/नौ-2-86-3 (18) डब्लू0 एस0 आर0 85†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नगर विकास अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 222/नौ-2-86-3 (18)-डब्लू0 एस0 आर0-85 दिनांक 1 अप्रैल, 1986 को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 96 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नगर विकास, नगर विकास अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 530/9-2-86-119-81†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से नगर विकास नगर विकास-अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 530/9-2-86-119-81 दिनांक 17 मई, 1986 को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 96 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 जो विधान सभा द्वारा 1 सितम्बर, 1986 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 4 सितम्बर, 1986 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका विधेयक 1986

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1986 जो विधान सभा द्वारा 1 सितम्बर, 1986 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी

†छापा नहीं गया।
††छापी नहीं गयी।

संशोधन के 4 सितम्बर, 1986 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का अनुपूरक) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का अनुपूरक) विधेयक, 1986, जो विधान सभा द्वारा 2 सितम्बर, 1986 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 2 सितम्बर, 1986 को विधान परिषद् सचिवालय से प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के 4 सितम्बर, 1986 को वापस प्राप्त हो गया।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की छः चीनी मिलों को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

उक्त सूचना में उल्लिखित....

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय, पढ़ा हुआ माना जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

सदन की राय हो तो इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

(कोई आपत्ति नहीं हुई)

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री रामनाथ मुंशी–

[उक्त सूचना में उल्लिखित छः चीनी मिलों के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:–

बैतालपुर, देवरिया एवं बभनान स्थित चीनी मिलें

भारत सरकार ने 1978 में "द शुगर अण्डरटेकिंग्स (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमेंट) एक्ट, 1978" पारित करके इस प्रदेश की 5 चीनी मिलों को अपने नियंत्रण में लेकर उनमें कस्टोडियनन्स की नियुक्तियां की थीं। इन पांच चीनी मिलों को भारत सरकार ने सात वर्ष के बाद डी नोटीफाई कर दिया है। इन चीनी मिलों के भारत सरकार द्वारा टेक ओवर करने तथा डी-नोटीफाइई करने की तिथियां निम्नवत् हैं:–

क्रम-सं0	मिल का नाम	टेक-ओवर का दिनांक	डी-नोटीफिकेशन का दिनांक
1	2	3	4
1	अयोध्या शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर, बिलारी (मुरादाबाद) ..	2-12-78	2-12-85
2	राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लि0, लक्सर, (सहारनपुर) ..	2-2-79	2-2-86
3	श्री सीताराम शुगर कम्पनी, बैतालपुर (देवरिया) ..	27-12-78	27-12-85
4	देवरिया शुगर मिल्स लि0, देवरिया ..	27-12-78	27-12-85
5	सक्सेरिया शुगर मिल्स लि0, बभनान (गोण्डा) ..	13-3-79	13-3-86

†छापा नहीं गया । [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डी-नोटीफिकेशन के परिणामस्वरूप उक्त पांचों चीनी मिल उनके मालिकों को वापस की जानी थीं, लेकिन इनमें से केवल दो चीनी मिल, राजा का सहसपुर (मुरादाबाद) एवं लक्सर (सहारनपुर), के मिल मालिकों ने अपनी मिलों को वापस लिया। देवरिया, बैतालपुर (देवरिया) तथा बभनान (गोण्डा) की तीन चीनी मिलों के मालिकों ने इन चीनी मिलों को अभी तक वापस नही लिया है। यह ज्ञात हुआ कि इन तीनों मिलों के संबंध में मिल मालिकों तथा भारत सरकार के मध्य विवाद उच्च न्यायालय, बम्बई तथा कलकत्ता में चल रहा है। फलस्वरूप इन मिलों पर अभी भारत सरकार के नियुक्ति एक्स-कस्टोडियन्स मिलों की देख-भाल कर रहे हैं। भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि इन तीनों मिलों पर कृषकों के अवशेष गन्ना मूल्य तथा श्रमिकों के बकाया का भुगतान यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का प्रबन्ध करें।

वि बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लि0, वाल्टर गंज, जनपद-बस्ती

दि बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लि0, की जनपद बस्ती में दो चीनी मिलें हैं जिनमें से एक वाल्टर गंज में है तथा दूसरी बस्ती में स्थित है। इन चीनी मिलों की पेराई क्षमता क्रमशः 813 टी0 सी0 डी0 तथा 1500 टी0 सी0 डी0 है। इन दोनों चीनी मिलों के बीच की दूरी 8 कि0 मी0 है। दि बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लि0 से वर्ष 1980 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि वाल्टरगंज चीनी मिल को बस्ती चीनी मिल में विलीनीकरण करने की अनुमति प्रदान की जाये। शासन ने इस विलीनीकरण के प्रस्ताव को वर्ष 1980 में सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया, लेकिन यह प्रतिबन्ध भी लगाया गया कि बाल्टरगंज मिल तब तक चलायी जाये जब तक कि बस्ती मिल की बढ़ी हुई क्षमता बस्ती एवं वाल्टरगंज की सम्मिलित क्षमता के बराबर अथवा उससे अधिक न हों जाये तथा इसका तकनीकी परीक्षण कराकर इसे सुनिश्चित न कर लिया जाये। साथ ही यह भी शर्त लगाई गयी कि वाल्टरगंज मिल के बस्ती में विलीनीकरण के फलस्वरूप गन्ना उत्पादकों, श्रमिकों, इत्यादि के हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाये। लेकिन मिल मालिकों ने वाल्टरगंज तथा चीनी मिलों के विलीनीकरण के सम्बन्ध में उक्त प्रतिबन्धों का अभी तक पालन नहीं किया है, बल्कि मार्च, 1985 में उन्होंने वाल्टरगंज इकाई को तत्कालिक प्रभाव से बन्द करने की अनुमति मांगी जिसे शासन ने अस्वीकार कर दिया। इसके बावजूद भी मिल मालिकों ने इस मिल को पिछले पेराई सत्र में नही चलाया। अगले पेराई सत्र के लिए मिल मालिक से कहा गया है कि वह उस चीनी मिल का समय से चलाना सुनिश्चित करें। इस चीनी मिल के विरुद्ध गन्ना आयुक्त ने अवशेष गन्ना मूल्य, कमीशन एवं ब्याज की वसूली के लिए लगभग रु0 29.57 लाख का रिकवरी-सर्टीफिकेट भी जारी किया था और इस आधार पर जिलाधिकारी ने मिल की कुछ सम्पत्ति भी कुर्क की थी तथा "अकुपायर" के विरुद्ध वारण्ट गिरफ्तारी भी जारी किया, लेकिन बाद में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर वसूली की कार्यवाही स्थगित हो गयी है।

दि रत्ना शुगर मिल्स कं0 लि0 शाहगंज (जौनपुर)

इस चीनी मिल की समस्या यह है कि इस मिल को सेण्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया, जो मिल के बैंकर्स हैं, अब इसे वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि इस मिल की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है। मिल का कहना है कि पेराई सत्र 1984-85 के उपरान्त वह निरन्तर अपने बैंक से आफ सीजन ऋण प्रदान करने के लिये अनुरोध करते रहे ताकि श्रमिकों के वेतन और प्राविडेन्ट फण्ड का भुगतान तथा मिल की वार्षिक मरम्मत आदि करा सकें, किन्तु उनके बैंक ने मिल के मार्च, 1985 से ही सभी वित्तीय सहायता देना बन्द कर दिया और मिल के एकाउन्ट्स को "फ्रीज" कर दिया। बैंक की सहायता न मिलने के कारण यह चीनी मिल श्रमिकों के वेतन आदि तथा गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पाई। पेराई सत्र 1985-86 में मिल मालिक द्वारा मजदूरों से एक समझौता करके कुछ दिनों के लिए मिल को चलाया गया था और बैंक से भी कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त हो गयी थी। मिल पर बैंक का ऋण अधिक होने के कारण उत्पादित चीनी बैंक के स्टाक में रही और जितने दिन मिल चली, उतने दिनों की पूरी मजदूरी भी श्रमिकों को भुगतान नहीं हो पायी। इस मिल के विरुद्ध श्रमिकों के देयों की वसूली के लिए तथा किसानों के गन्ना मूल्य की वसूली के लिए रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, उ0 प्र0 कानपुर/उप श्रमायुक्त, वाराणसी तथा गन्ना आयुक्त, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। इस मिल की वित्तीय स्थिति में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है और मिल मालिक द्वारा बैंक से उक्त समस्या के निराकरण के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री आनन्द शुगर मिल्स, खलीलाबाद (बस्ती)

जहां तक उक्त चीनी मिल का सम्बन्ध है, इसके मिल मालिक "स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि0" इस मिल को एक अन्य पार्टी "खलीलाबाद शुगर मिल्स प्राईवेट लि0" को बेचना चाहते हैं और उन्होंने इस मिल के हस्तान्तरण के लिये शासन से अनुमति मांगी है। चूंकि इस चीनी मिल पर शासन तथा शक्कर विशेष निधि की जो देनदारियां हैं उनको भी विक्रेता द्वारा क्रेता को हस्तान्तरित करने का उल्लेख किया गया है, अतः शासन/निधि की इन देनदारियों की सुरक्षा हेतु परीक्षण किया जा रहा है और न्याय विभाग तथा वित्त विभाग के परामर्श से यथाशीघ्र अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

सरकार उक्त सभी चीनी मिलों की समस्याओं के प्रति पूर्णरूप से जागरूक है और इन चीनी मिलों से सम्बद्ध गन्ना कृषकों तथा श्रमिकों की कठिनाइयों को यथासम्भव दूर करने का प्रयास किया जायेगा।]

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, 3 मिलें है इन तीनों मिलों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में कहा गया है कि भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि इन तीनों मिलों पर कृषकों का अवशेष गन्ना मूल्य तथा श्रमिकों के बकाये का भुगतान यथा शीघ्र सुनिश्चित कराने का प्रबन्ध करें। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह अनुरोध कब-कब और किस रूप में किया गया तथा उसका परिणाम अब तक क्या आया है?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, भारत सरकार को पत्र भेजा गया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

भारत सरकार को पत्र कब भेजा गया?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, कदाचित यह 1985 में भेजा गया है। मान्यवर, मैं तिथि देखकर बता रहा हूं।

(व्यवधान)

मान्यवर जहां तक इन मिलों को चलाने का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने समय-समय पर भारत सरकार से पत्र व्यवहार किया है। जैसे ही वहां से कोई स्थिति स्पष्ट होगी उसकी सूचना सदन को दे दी जायेगी।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, इसको स्पष्ट करा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

आपके सवाल का जवाब आ गया है अब माता प्रसाद पाण्डेय जी सवाल करेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि यह सरकार जनकल्याण कारी सरकार है तो यह मिलें जिनमें जनता का हित निहित है, इन मिलों को बन्द करने से रोकने में और इसे इसी वर्ष चलाने में क्या हर्ज है जबकि इनके पास अपना खुद का एक निगम है जो चीनी मिलों को संचालित करता है तो ऐसी चीनी मिलों को जिन्हें मिल मालिकों ने चलाने से इंकार कर दिया है, का अधिग्रहण करके संबंधित कारपोरेशन को चलाने का आदेश देंगे ?

श्री रामनाथ मुंशी–

मान्यवर, तीन चीनी मिलें भारत सरकार के एक्स-कस्टोडियन की देखरेख में हैं जो मुकदमें में बंधी हुई है। भारत सरकार से प्रयास हो रहा है कि वह प्राइवेट लोग अपनी मिलों को लेकर चलायें इन तीनों मिलों के सम्बन्ध में मिल मालिकों तथा भारत सरकार के मध्य विवाद कलकत्ता तथा बम्बई हाईकोर्ट में चल रहा है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

श्री सीताराम शुगर कम्पनी, बैतालपुर, देवरिया, देवरिया शुगर मिल्स लि0 देवरिया, सक्सेरिया शुगर मिल्स लि0, बभनान (गोण्डा) पर 27-12-78 और 13-3-79 को कितना बकाया था और तब से कस्टोडियन्स पर कितना बकाया और बढ़ गया । मेरी जानकारी है कि यह निर्णय लिया गया है कि मिलों को मिल मालिकों को वापस कर दिया जाय और सरकार ने विशेष बेंच में मुकदमा दायर किया उसमें भी सरकार हार गई और 6 सितम्बर तक वापस करने की तारीख निश्चित की गई है तो क्या मिल-मालिकों को चीनी मिल वापस करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामनाथ मुंशी–

मान्यवर, बभनान में अवशेष गन्ना मूल्य 157.12 लाख रु0 और भारत सरकार के ऋण की बकाया की धनराशि 351.32 लाख रुपये हैं। अवशेष गन्ना मूल्य बैतालपुर का 38.89 लाख रुपये तथा केन्द्र सरकार का बकाया ऋण 3,47,53,000 रुपये है । आपने कहा कि इन कस्टोडियन्स के द्वारा मिलों को जब सरकार ने वापस कर दिया तो प्राइवेट मिलों से इसके लिए सम्पर्क स्थापित करना पड़ा । जनहित में यह प्रयास किया

जा रहा है कि यह मिलें मिल-मालिकों के माध्यम से चलवायी जायं ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मिल मालिकों को विशेष बेंच द्वारा 6 सितम्बर तक का समय दिया गया है, उसके अनुसार क्या आप कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामनाथ मुंशी–

मान्यवर, इसकी जानकारी करके अगर कोर्ट का ऐसा कोई फैसला होगा तो अवश्य उसका कार्यान्वयन किया जायगा ।

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इन चीनी मिलों की मरम्मत का कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ है । अगले पेराई सत्र में यह मिलें चल नहीं पायेंगी । अतः इन चीनी मिलों की मरम्मत का कार्य अविलम्ब शुरू करवाया जाय ?

श्री रामनाथ मुंशी–

मान्यवर, सरकार प्रयत्नशील है और मिलों की मरम्मत का जो कार्य है, चूंकि अदालत में तीन मिलों का मुकदमा चल रहा है । अवशेष तीन मिलों में दो मिलें मिल-मालिक चलाने के प्रयास में हैं । एक मिल शाहवंज की समस्या ऋण के कारण त्रस्त है क्योंकि बैंक ने ऋण देना अस्वीकार कर दिया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

ज्यादा चीनी होती है तो कड़ुआहट आ जाती है। ज्यादा सवाल न करायें नहीं तो कड़ुआहट आ जायेगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

पोलिसी मैटर पर स्टेट मिनिस्टर से जवाब दिला रहे हैं जो केबिनेट की बैठक में जाता ही नहीं है । यह सही उत्तर नहीं दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 6-6 मिलों के साथ लाखों लोगों के जीवन मरण का सवाल जुड़ा हुआ है। मंत्री जी उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं । जनहित में संसदीय कार्य मंत्री इसकी जिम्मेदारी लें या कोई दूसरा मंत्री जवाब दे । अगर आज उत्तर न दे पायें तो 9 तारीख को लगा दें। मंत्री जी ने तीन मिलों का उल्लेख किया और कहा कि यह न्यायालय में विचाराधीन है । पता नहीं 6 महीने या साल भर लगे, सितम्बर हो क्या, अक्टूबर-नवम्बर में गन्ना कटेगा । न्यायालय का बहाना लेकर लाखों लोगों की जिन्दगी के साथ सत्ता पक्ष क्या काम करना चाहती है? मान्यवर, वक्तव्य में रत्ना शुगर मिल के बारे में लिखा गया है। इस मिल के विरुद्ध श्रमिकों के देयों की वसूली के लिए तथा किसानों के गन्ना मूल्य की वसूली के लिए रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, उ0 प्र0 कानपुर/उप श्रमायुक्त, वाराणसी तथा गन्ना आयुक्त उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा वसूली प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं । मान्यवर, वसूली का प्रमाणपत्र जारी कर दिया । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रत्ना शुगर मिल के प्रबंधकों ने बैंक से कौन सा समझौता किया है।

श्री उपाध्यक्ष–

सवाल अहम है और आप लोग उत्तेजित भी हैं । मैं समझता हूं कि पौन घंटे की चर्चा 9 तारीख को हो जाय तो अच्छा है ।

श्री मनोहर लाल–

जितनी मिलें हैं उतने घंटे ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

कम से कम दो घंटे की चर्चा निश्चित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष–

इस समय तो मैंने अपना निर्णय दे दिया । उस वक्त देख लिया जायेगा।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैंने नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की सूचना दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सूचना आ गई है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री किरन पाल सिंह, श्री कल्यान सिंह, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री मैनेजर सिंह, श्री शफीकुर्रहमान बर्क, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी और श्री कौशिक रमाशंकर की जिला बुलन्दशहर में 18-7-86 को पुलिस द्वारा गोली चलाने के बारे में है । दूसरी श्री राम गोविन्द चौधरी की शरबत की बोतल में स्वास्थ्य के लिये हानिकारक पदार्थों के प्रयोग के बारे में है, तीसरी सूचना श्री राम आसरे वर्मा, डाक्टर अच्युतानंद तिवारी, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री रामपाल वर्मा व श्री हरि शंकर तिवारी की प्रदेश में जानलेवा होम्योपैथिक दवाओं की सप्लाई के बारे में, चौथी सूचना श्री बलराम यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री रामजनम और श्री फागू चौहान की आजमगढ़ जिले की शारदा सहायक नहरों से पानी न मिलने के कारण परेशानी के बारे में, पांचवीं सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रदर्शन के बारे में, छठी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की आवास विकास परिषद् द्वारा निर्बल वर्ग के लोगों के लिये निर्मित भवनों की कीमतों में वृद्धि के बारे में, सातवीं सूचना श्री राम सरन की प्रदेश में आतंकवादियों के गतिविधियों के बारे में, आठवीं सूचना श्री मोहम्मद आजम खां की कटरा चांद खां, बरेली शहर में शराब की दुकान हटाए जाने के बारे में आन्दोलन के सम्बन्ध में है । यह सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित की भी है। दसवीं सूचना श्री शारदा प्रताप की आंगनवाड़ी केन्द्रों में भ्रष्टाचार के बारे में, ग्यारहवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की फैजाबाद में पांच व्यक्तियों की हत्या के बारे में, बारहवीं सूचना श्री मनोहर लाल की डी0 ए0 वी0 कालेज कानपुर के छात्रों को रासुका में बन्द किये जाने के बारे में, तेरहवीं सूचना श्री बुनियाद हुसैन अंसारी की सीतापुर जिले में असामाजिक तत्वों के आतंक के बारे में, चौदहवीं सूचना श्री विष्णु देव की लार थाना, जनपद देवरिया में जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बारे में, पन्द्रहवीं सूचना श्री अचल सिंह की फतेहपुर के थाना जहानाबाद के अन्दर ग्राम प्रधान की हत्या के बारे में, सोलहवीं सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की बांदा जनपद के वन निगम के मजदूरों को मजदूरी मिलने के संबंध में, सत्रहवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव और श्री जवाहर सिंह यादव की विधान सभा, विधान परिषद् के वेतन भत्ते के बारे में, अट्ठारहवीं सूचना श्री राज किशोर सिंह की टेहरी जनपद में बादल फटने से 13 व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में, उन्नीसवीं सूचना श्री अशोक बाजपेयी की प्रदेश के पत्रकारों के साथ पुलिस के अभद्र व्यवहार के बारे में, बीसवीं सूचना श्री राम सजीवन, श्री रामचन्द्र बख्श सिंह और

श्री मित्रसेन की दस्यु उन्मूलन के नाम पर पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ के बारे में, इक्कीसवीं सूचना श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी की प्रदेश में जलकर, भवनकर आदि की वृद्धि के बारे में, बाइसवीं सूचना श्री हर्षवधन, श्री गौरीशंकर भइया, श्री रणजीत सिंह, श्री प्रभात सिंह और श्री जमुना प्रसाद सभी को गोरखपुर जनपद में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के बारे में, तेइसवीं सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश की ददुआ गिरोह द्वारा इलाहाबाद में आतंक के बारे में, चौबीसवीं सूचना श्री शारदानंद अंचल की रोडवेज विभाग में करोड़ों के घुटाले के बारे में और पच्चीसवीं सूचना श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी और डा0 बंगाली सिंह व श्री जसवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ में सलेमपुर परियोजना की स्थापना में विलम्ब के बारे में है।

26वीं सूचना श्री भोपाल सिंह की बखावन मेरठ में असामाजिक तत्वों द्वारा दंगा भड़काने की कोशिश के सम्बन्ध में है। 27वीं सूचना श्री महेन्द्र सिंह भाटी की प्रदेश की 450 एकड़ भूमि के दिल्ली में जाने के संबंध में है। 28वीं सूचना श्री अकबर हुसैन बाबर की पर्वतीय क्षेत्र में विदेशी शक्तियों के षड़यंत्र के सम्बन्ध में है। पहली सूचना के संबंध में श्री किरन पाल सिंह को मैं बुला रहा हूं।

(श्री किरनपाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, आज 28 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। 28 लोग और इससे सम्बन्धित अन्य सदस्य 2 घंटे तक इन्तजार में रहते हैं कि हम लोगों का कब नम्बर आयेगा। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप यह बता देंगे कि किन-किन की सूचना आपने स्वीकार की है ताकि बाकी लोग दूसरे काम कर लें।

श्री उपाध्यक्ष–

हाउस में आप पूरे दिन के लिये आये हैं। जिस समय जिसका नम्बर आयेगा, उस समय पता चल जायेगा।

*श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, बुलन्दशहर में गत माह 16 तारीख को दिन दहाड़े शहर में 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई। वैसे तो बुलन्दशहर में इधर कुछ अपराधों की बाढ़ सी रहती है। पुलिस प्रशासन और सत्ता पक्ष की मिली भगत से अपराधी खुले आम घूमते हैं। दिन में 4 लोगों की हत्या होने के बाद स्वाभाविक था कि जनता में रोष हुआ और जनता अपराधियों को पकड़वाने के लिये और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के विरोधस्वरूप प्रदर्शन के लिये आयी। 18 तारीख को पुलिस प्रशासन ने उनको शहर से बाहर रोका, जबकि दफा 144 भी नहीं लगी हुई थी। उसके बाद शहर के कुछ लोग आये। उसमें श्री हरी शंकर अग्रवाल जो व्यापार मण्डल के सचिव थे, पुलिस की मार से बेहोश हो गये उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां साढ़े ग्यारह बजे दिन में बुलन्दशहर के अस्पताल में डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर के बाद पूरे शहर में एक सनसनी सी फैल गयी और सारे बाजार बन्द हो गये लोग अस्पताल की तरफ दौड़े। लोगों ने अस्पताल के सामने श्री अग्रवाल की लाश के सामने रोष व्यक्त किया। वहां शरारती तत्वों ने एक तरफ से पत्थर फेंके, जो बाद में बन्द किये गये, वे लोग कांग्रेस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आई0 के युवक निकले। उस स्थिति से उत्पन्न हुए रोष के फलस्वरूप जो पत्थर-बाजी आदि हुई उसे नियन्त्रित करने के लिये पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसूगैस नहीं छोड़ी अपितु सीधे फायरिंग शुरू कर दी, भीड़ पर। फायरिंग हवा में भी नहीं की उन लोगों पर कर दी। 100 से ज्यादा राउन्ड गोली चलायी गयी। 8 स्थानों पर एक ही वक्त फायरिंग की गयी। जनता आंदोलित थी, पत्थरबाजी कर रही थी, आग लगा रही थी। पुलिस के एक आदमी ने अस्पताल के बाहर खड़ी जीप पर स्वयं आग लगायी जब उसका वहां उपस्थित फोटो-ग्राफर ने फोटो खींचा तो बाद में उस फोटो-ग्राफर का कैमरा छीन लिया। इन सब कार्य-वाही को फायरिंग को जस्टिफाई करने के लिये प्रशासन ने तुरन्त शहर में कर्फ्यू लगा दिया जो लगातार तीसरे दिन तक जारी रहा। जबकि वहां पर कोई साम्प्रदायिक या दूसरा तनाव नहीं था। जनप्रतिनिधियों ने भी कहा कि बुलन्दशहर में कोई तनाव नहीं है, साम्प्रदायिक तनाव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कर्फ्यू जारी रहा, उस दौरान भी जनता को तरह-तरह से प्रताड़ित और आतंकित किया गया। अब तक कई घायल लोगों का उपचार चल रहा है। मान्यवर, मृतकों को भी अभी तक कोई समुचित मुआवजा नहीं मिला है।

मान्यवर, एक तरफ तो सत्ता पक्ष के लोग यह कहने लगे कि फायरिंग ठीक हुई और तमाम विरोध पक्ष के लोग इस घटना का विरोध करने लगे। प्रशासन से सत्ता पक्ष के लोगों ने परमीशन भी नहीं दोने दी। यहां तक आतंक मचाया कि निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलायी गयी और कई लोग घायल हो गये हैं। अंग्रेजों के जमाने में भी पहले लाठी चार्ज होता था फिर आंसू गैस फिर गोले छोड़े जाते थे तब जाकर कहीं गोली चलाई जाती थी। लेकिन बुलन्दशहर में जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने निर्दोष लोगों के ऊपर सीधे गोलियां चलायी, बगैर किसी लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े हुये यह इतिहास में एक बेमिसाल घटना है। आज सारे बुलन्दशहर की जनता की मांग है कि इस महत्वपूर्ण घटना की न्यायिक जांच करायी जाये ताकि निर्दोष लोगों को अलग किया जा सके और दोषी लोगों को अलग किया जा सके।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, कार्य-स्थगन के प्रस्ताव में जिस गम्भीर घटना को माननीय श्री किरनपाल सिंह जी ने सदन में प्रस्तुत किया है उस पर मैं बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। सिद्धांतत: लोकतंत्र का यह तकाजा है, हर कोई इसको मानता भी है कि बिना किसी उत्तेजना और अकारण पुलिस लोगों के ऊपर गोली चला देती है और उनकी जान ले लेती है तो उस पर न्यायिक जांच करवाना बहुत ही मामूली सी बात है। उसकी तत्काल घोषणा होनी चाहिए और जो पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनको भी निलम्बित कर दिया जाना चाहिए। बिना किसी चेतावनी, पहले न लाठी चार्ज किया और न ही आंसू गैस छोड़ी और पुलिस ने निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चला दी। इसलिये मेरा कहना है कि आप इस पर न्यायिक जांच करायें और जो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको तुरन्त निलम्बित कीजिये। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनायें हो रही हैं। जनता में आक्रोश है अभी कुछ दिन पहले मुरादा-बाद में एक डाक्टर श्री मेहरोत्रा को उनके क्लीनिक पर मार दिया गया। मुरादाबाद की जनता ने आक्रोश प्रकट किया। मेरा कहने का मतलब है कि आज इस प्रकार की बहुत सी घटनायें हो रही हैं लेकिन शासन सोया हुआ है। प्रशासन बिल्कुल ठप्प हो गया है पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मे-दारियों का निर्बहन नहीं कर पा रहा है इसलिये आप इस पर निर्णय दें।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, यह जो प्रश्न यहां पर उपस्थित हुआ है इसके बारे में कम से कम आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है स्वयं भी आप इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी है। जब मैं वहां पर गया था तो आप भी वहां पर थे दो तीन बातें मैं रखना चाहता हूं। 16 जुलाई को प्रमोद मांगलिक के घर के चार व्यक्ति मार दिये गये। 18 तारीख को मातम पोशी करने के लिये आये हुये थे कुछ लोग दलकौर से बगैर 144 लगाये हुये उन्हें रोक दिया गया और हरीशंकर अग्रवाल को राइफल से एक दरोगा द्वारा चोट मार दी गयी और उसकी मृत्यु हो गयी और उसके बाद अस्पताल में भीड़ एकत्रित हो गयी जो नियंत्रित थी इसके बावजूद भी डी0एम0 और एस0पी0 ने गोलियां चलाई और कौशिक नाम का एक नौजवान उस घटना में मर गया। मैं उस घटना की प्रत्यक्ष जानकारी करने बुलन्दशहर गया था। पागलपन में पुलिस ने बेतहाशा गोलियां चलायीं। अस्पताल के अन्दर और पोस्ट आफिस में काम कर रहे कई लोग घायल हो गये मैं समझता हूं कि इस घटना की जितनी निन्दा की जाये बहुत कम है। जब इन दिवंगत आत्माओं के लिये शोक सभा का आयोजन किया गया था तो वहां के प्रशासन ने यह शोक सभा आयोजित नहीं होने दी। दोनों पुलिस चौकियों में केवल डेढ़ सौ फिट का फांसला है दोनों तरफ से जनता को ऐसा घेर लिया गया और इस तरह से गोलियां चलायी गयी। जैसा कभी हमने इतिहास में जलियांवाला बाग काण्ड के बारे में पढ़ा था। मैं तो कहूंगा कि यह एक प्रकार से जलियांवाला बाग का काण्ड था।

लोगों ने बाजार को बन्द करके आक्रोश को व्यक्त किया है। जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम कहना चाहते है कि इस सारे प्रकरण की जांच के लिये जुडिशियल इन्क्वायरी सैट कर दें। यह इतनी छोटी बात है जिसको मानने में इनको परहेज नहीं करना चाहिये। दूध का दूध और पानी का पानी हो जायगा। इसमें डी0एम0 और एस0पी0 पर आरोप है, दरोगा तो छोटा अधिकारी है। कोई भी एजेन्सी डी0एम0 और एस0 पी0 के खिलाफ सही रिपोर्ट नहीं दे सकेगी। जनता में शासन के प्रति विश्वास जमा रहे, इसलिये यह आवश्यक है कि इस सारे प्रकरण की जांच के लिये जुडिशियल इन्क्वायरी बिठायी जाय। धारा 302 के मुल्जिम वहां के डी0एम0 और एस0 पी0 हैं जिन्होंने खड़े होकर गोली चलवाई है। डी0एम0 कहते हैं कि मौके पर मौजूद नहीं था, एफ0 आई0 आर0 में लिखा है कि डी0एम0 मौके पर मौजूद थे और उन्होंने ही एस0पी0 को आदेश दिया। उन्होंने समाचार-पत्रों में कहा है कि मौके पर नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि आंसूगैस क्यों नहीं छुड़वाई तो पहले दिन वह कहते हैं कि छुड़वाई थी, दूसरे दिन कहते हैं कि लोगों ने आंसूगैस छोड़ने वाली गाड़ी को ही वहां तक नहीं पहुंचने दिया और तीसरे दिन कहते हैं अश्रुगैस के गोले ही नहीं थे। डी0 एम0 का निलम्बन तुरन्त होना चाहिये, एस0पी0 का ट्रांसफर कर दिया है लेकिन ट्रांसफर कोई सजा नहीं है, उसको सजा मिलनी चाहिये। जुडिशियल इन्क्वायरी के द्वारा जांच करायी जानी चाहिए, मृतकों के परिवार के लिये कम से कम एक-एक लाख रु0 आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाना चाहिये।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बुलन्दशहर का मामला बहुत ही गम्भीर है। यह

गोली अनावश्यक चली है, यह प्रशासनिक गुण्डागर्दी का एक नमूना है । गृहमंत्री जी बैठे हुए हाथ मल रहे हैं, आप देखिये, यदि नहीं देखेंगे तो यह अधिकारी आपकी सरकार को ही ले बीतेंगी । बुलन्दशहर की शान्त जनता पर गोली चलाई गयी, निर्मम हत्या हुई, जनरोष पैदा हुआ और लोग सहानुभूति में आये उनको आने से रोक गया और जब वहां के प्रतिष्ठित व्यापारी ने देखना चाहा कि क्यों रोका गया है तो उस व्यक्ति को बन्दूक के बट से मारा गया। जब वह गाड़ी पर सवार होकर वापस आना चाहता था, उसको जान से मार दिया गया । सारी पार्टियों के लोगों ने वहां धरना दिया । वहां के कलेक्टर और एस0पी0, इन दो आदमियों के गैर जिम्मेदाराना कार्यों के कारण यह काण्ड हुआ । शासन ने इसको हल्केपन से लिया है । मैं मांग करना चाहता हूं कि जुडिशियल इन्क्वायरी हो और इससे पहले कलेक्टर, जो बदतमीज है और नालायक है, उसको मुअत्तल किया जाय और उस बदमाश कप्तान को निलम्बित किया जाय । पता नहीं ये कहां-कहां से चुनकर जिलाधिकारी बनाते हैं । इसी प्रकार बनारस जैसे जिले का जिलाधिकारी एक कोई कुमार है, उसको बना दिया गया, पता नहीं कहां से ले आये, यह मैं नमूना दे रहा हूं कि जहां के लोकपति त्रिपाठी जी हैं, वहां का भी जिलाधिकारी ऐसा ही है। छांट-छांट कर जिलाधिकारी बनाये जा रहे हैं। ऐसा ही एक जिलाधिकारी बुलन्दशहर के लिये बनाया गया है। मैं आपसे मांग करता हूं कि वहां के जनरोष को देखते हुए, जो निर्दोष लोगों की वहां हत्या हुई है उसको देखते हुए मैं आपसे जुडीशियल इनक्वायरी की मांग करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप स्वयं वहां के हालात को जानते हैं, आप ही शासन को निर्देशित कीजिये कि इस जघन्य घटना की जुडीशियल इन्क्वायरी करावें।

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

बुलन्दशहर में जो प्रकरण हुआ है और जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने सूचना दी है, उसके सम्बन्ध में मैं दो-तीन बातें ही कहना चाहूंगा कि यह घटना 16 जुलाई की है। उसके बारे में रिपोर्ट लिखायी गयी कि उस दिन चार भाइयों की हत्या हुई। जांच के लिये उसी दिन कलेक्टर और एस0 पी0 मौके पर पहुंच गये और तुरन्त उन्होंने जांच के आदेश दिये। दूसरे दिन यानी कि 17 जुलाई को....

श्री करनपाल सिंह–

जांच के आदेश कैसे हुए ? उस दिन तो केस रजिस्टर हुआ, उसमें जांच के आदेश क्या दिये ? मंत्री जी गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

यह जघन्य अपराध था, वहां पहुंचने के बाद कलेक्टर ने घटना की जांच किये जाने के लिये कड़े आदेश दिये कि मुलजिमों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाय । 17 तारीख को काफी आदमी इकट्ठा हुए, वे जुलूस निकालना चाहते थे। उनकी भी यही मांग थी कि मुल्जिमों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाय । 18 तारीख को दनकौर कस्बे से लगभग पांच हजार व्यक्ति जुलूस बना कर आ रहे थे। किसी प्रकार की शान्ति न भंग हो जाय, प्रदर्शन करने वाले लोगों में कोई अराजक तत्व न शामिल हो जाय जिससे कि किसी प्रकार का उपद्रव न हो

जाय, इसलिये उसको रोका गया। जब जुलूस शान्तिपूर्वक रुक गया तो उसके बाद कुछ नौजवान बस में बैठक कर वापस जाने लगे, उनको जाने दिया गया। इस बीच में बस से फिसल कर एक युवक के पैर में काफी चोट आ गयी।

श्री मैनेजर सिंह–

यही तो बात है। इसीलिये मैं कहता हूं कि जुडीशियल इन्क्वायरी करायी जाय। वह फिसला नहीं था बल्कि बन्दूक की बट से मारा गया था।

श्री गौरी शंकर भैया–

दरोगा ने उसे बन्दूक के कुन्दे से मारा और आप कह रहे हैं कि फिसल कर गिर गया?

श्री उपाध्यक्ष–

उनको अपनी बात कह लेने दीजिये, कोई बात हो तो बाद में पूछ लीजियेगा।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

वह फिसल कर गिरा या चोट लगी या कुन्दे से मारा गया। इसी संदिग्ध अवस्था के ही कारण एस0 आई0 के खिलाफ रिपोर्ट लिखायी गयी और उसे निलम्बित कर दिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। दूसरी बात आपने कही कि कलेक्टर ने गोली चलाने के लिये आदेश दिया। कलेक्टर से वरिष्ठ अधिकारी कमिश्नर होता है, उस अधिकारी को कलेक्टर के विरुद्ध जांच के आदेश दिये गये हैं। और उनको यह आदेश दिया गया है कि 7 सितम्बर तक रिपोर्ट शासन के पास आ जानी चाहिये। आज 5 तारीख है, उनकी रिपोर्ट आ जानी चाहिये, ऐसी मैं आशा करता हूं। यदि कमिश्नर की रिपोर्ट पर आप संतुष्ट न होंगे तो निश्चित रूप से मैजिस्टीरियल जांच करा ली जायेगी।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर–

कमिश्नर की जांच के बाद मजिस्टीरियल जांच की बात करते हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कमिश्नर की रिपोर्ट से संतुष्ट न होंगे तो मजिटीरियल जांच करा ली जायेगी। डिवीजनल लेविल पर कमिश्नर से बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता है। मजिस्ट्रेट का मतलब है, एस0 डी0 एम0। इसलिए जुडीसियल इन्क्वायरी की मांग की गयी है। अगर कमिश्नर की जांच से संतुष्ट न हुये तो एस0 डी0 एम0 से जांच करा लेंगे। मान्यवर, माननीय कल्यान सिंह जी मौके पर गये थे, मधु दन्डवते और दो एम0 पी0 की टीम वहां पर गयी थी। हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्र शेखर भी गये थे और दूसरी पार्टियों के लोग भी गये थे, उन सभी की एक रिपोर्ट है। उसमें है कि एक सिपाही की राइफल लेकर उसके कन्दे से एक दरोगा ने हरीशंकर को मारा था वह व्यापार मंडल के सेक्रेटरी थे, हरी शंकर अग्रवाल और जब उनको उस हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, तो उनको वहां पर मृत पाया गया। मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस को किस सीमा तक निरंकुश बना रहे हैं। प्राइमाफेसाई आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको माना, कि उसने मर्डर किया है इसीलिये दफा 302 में उसको गिरफ्तार किया है। जब इतना ग्रीवियस आफेन्स हो गया है, फिर भी जुडीशियल इन्क्वायरी की बात नहीं मानेंगे तो कब मानेंगे। आप मानते हैं कि फायरिंग हुई, तो फायरिंग के पहले चेतावनी दी जाती है, फिर आंसू गैस चलायी जानी चाहिये और फिर भी जब कन्ट्रोल न हो तो लाठी चार्ज किया जाता है और उसके बाद फायरिंग की जाती है।

आपकी पुलिस इतनी वायलेंट हो गयी कि तीन दिन तक बुलन्दशहर को कर्फ्यू में रखा, तो यह सारी स्थिति है और ऐसी स्थिति में हम जुडीशियल इन्क्वायरी की मांग करते हैं । मान्यवर, इससे अधिक और कौन सी ग्रीवियस बात होगी । मान्यवर, मैं नहीं कहता कि किस जज से इन्क्वायरी करायें । आप अपने मन में जज से इन्क्वायरी करायें, भगवान के नाम पर रहम करके इन्क्वायरी करायें । कमिश्नर की रिपोर्ट से सन्तुष्ट न हों तो फिर आप एस0 डी0 एम0 से जांच करायेंगे । भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि इस तरह का जवाब न दें ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है, फायरिंग हुई और बिना चेतावनी के हुई, लोग मरे और पुलिस ने जिस तरह से बन्दूक के कुन्दे से मारा और सम्मानित सदस्यों ने कहा कि डी0 एम0 के आदेश से फायरिंग हुई और फायरिंग से लोग मरे और जघन्य घटना हो जाती है । कमिश्नर भी प्रशासनिक अधिकारी है और डी0 एम0 और एस0 पी0 भी प्रशासनिक अधिकारी हैं । शहर में 3 दिन तक कर्फ्यू लागू कर दिया और लोगों में असंतोष है और भय उत्पन्न हो गया है । वहां पर तनाव का वातावरण है । कमिश्नर की इन्क्वायरी प्रशासनिक है और किसी भी कीमत पर इस शर्मनाक घटना के सही तथ्यों को उजागर नहीं होने देगी। इसलिए एक मात्र हल यही है कि इसके ऊपर जुडीशियल इन्क्वायरी कराने की घोषणा सरकार करे ।

श्री राम सरन–

मान्यवर, इससे ज्यादा गम्भीर मामला और क्या हो सकता है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पास त्रिपाठी जी अच्छे सलाहकार बैठे हैं, कोई अच्छी व्यवस्था वे करायेंगे । यह गम्भीर मामला है । कोई हिचक सरकार के सामने नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर को तो हम जानते हैं, कलेक्टर और एस0 पी0 के खिलाफ वह रिपोर्ट दे देगा क्या । इसलिये मेरा और पूरे विरोध पक्ष का आपसे नम्र निवेदन है कि इसमें जुडीशियल इन्क्वायरी के सिवाय और कोई दूसरा चारा है ही नहीं ।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

माननीय सदस्य मेरी बात सुन लेते तो मैं समझता हूं कि वे संतुष्ट हो जाते ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, यह बड़ा गम्भीर मामला है । हम जुडीशियल इन्क्वायरी की मांग कर रहे हैं । उसके दो-तीन कारण हैं । मैं उन्हें दो-तीन वाक्यों में कहना चाहता हूं । पहली बात यह है कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हरिशंकर अग्रवाल की मौत फिसलने से हुई है और दूसरी ओर कहते हैं कि जिसने उसको 302 का मुल्जिम दिखाकर जेल भेज दिया। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि वह मारा गया है। कमिश्नर की कोई हैसियत नहीं है कि वह आपके इस वर्जन के बाद कोई अन्य बात कह दे । दूसरी बात यह है कि कमिश्नर वहां से होकर आये हैं और उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है । जो कमिश्नर का आचरण है, वह सारा इस बात को साबित कर रहा है कि वह भी शासन को और प्रशासन को बचाने की कोशिश में लगे हुये हैं । जनहित में और प्रशासनिक दृष्टि से, जनता में आपकी छवि बनी रहे शासन पर जनता

का विश्वास बना रहे इसलिये आप अविलम्ब जुडीशियल इन्क्वायरी कराने की घोषणा करें । आप कहते हैं कि 7 तारीख को उनकी रिपोर्ट आयेगी तब देखेंगे । तो इस समय घोषणा करने में और उस समय घोषणा करने में क्या दिक्कत है । . . .

(व्यवधान)

(श्री गौरी शंकर भइया के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अब हो गया, मंत्री जी का जबाब आने दें । उन्हें सुन लें ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिसके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 हुई, वह जेल भेज दिया गया और वह निलंबित है । दूसरी बात यह है कि कलेक्टर ने गोली चलवायी है, इसकी जांच हो रही है । मैंने आपसे यह भी निवेदन किया कि 7 तारीख तक कमिश्नर की रिपोर्ट आ जाय, केवल 6 तारीख का दिन बाकी है तो अगर 7 तारीख को कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद आपको संतोष नहीं होगा तो न्यायिक जांच, जुडीशियल जांच करायी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर–

उनका निलंबन होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

जांच के बाद होगा ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

जांच के बाद निलम्बन थोड़े ही होगा। अधिकारीगणों का निलम्बन अति आवश्यक है । निलम्बन तो जांच से पहले होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब तो बात तय हो गई । . . .

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर–

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह थी कि ऐसी स्थिति में जब जनता के ऊपर अन्धाधुन्ध गोलियां वहां पर चली हैं जिससे यह घटना हुई है तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो मौजूद अधिकारी थे उनको निलंबित किये बिना जांच होती है तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा । सजा देने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने कह दिया, रिपोर्ट आ जाने दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जांच रिपोर्ट आ जाय उसके बाद देख लेंगे ।

श्री कल्यान सिंह–

हमें अपने गृह मंत्री जी की नीयत पर लेशमात्र कोई संदेह नहीं है । आपने दो दिन की बात की है। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि 7 ता0 कमिश्नर की रिपोर्ट आयेगी उसके पश्चात आपने कहा कि हम लोग संस्तुष्ट नहीं होंगे तो जुडिशियल इनक्वायरी करा देंगे । तो क्या जो रिपोर्ट आयेगी उसे आप 8 तारीख को सदन के पटल पर रखेंगे और फिर कहेंगे कि आप संतुष्ट हैं या नहीं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

परीक्षण के बिना कैसे कहेंगे ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, यह कमिश्नर की रिपोर्ट को हाउस में कब पेश करेंगे और कब जानेंगें कि हम संतुष्ट हैं या नहीं ? और कब जुडिशियल इनक्वायरी के आदेश करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने कहा कमिश्नर की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होगें तो जुडिशियल इनक्वायरी करेंगे तो कब हम सहमत होंगे कब सदन में रखेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोंगों से, बुला कर, बात कर ली जायेगी ।

श्री शारदा प्रताप–

7 ता0 से पूर्व डी0 एम0 और एस0 पी0 को निलम्बित होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम सरन–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । हम लोग आपकी इस रिपोर्ट को देखकर कब संतुष्ट होंगे वह समय बता दें, कब हम आपकी बात मानेंगे । यह क्या आना-कानी हो रही है ।

(व्यवधान)

आप कुछ एलान करने जा रहे थे माननीय मंत्री फिर क्यों रोक दिया, आप जुडिशियल इनक्वायरी का एलान करने जा रहे थे ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, एक प्रक्रिया है । कमिश्नर की जब रिपोर्ट आयेगी तो उसका परीक्षण होगा हम माननीय अध्यक्ष जी को अवगत करा देंगे और वह सम्मानित नेतागणों को बुलाकर उस सूचना को दे देंगे उसके बाद जो चाहेंगे जांच करा देंगे ।

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

आपका यह कहना कि हम लोग रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होंगे तो जुडिशियल इन्क्वायरी करायेंगे । इसका मतलब यह हुआ कि रिपोर्ट सदन में आयेगी और इसका मतलब यह नहीं है कि माननीय नेताओं को बुला कर उसके अर्थ बता दें । आप हमारे अधिकारों की रक्षा करते हुये उन्हें आदेश दें । उन्होंने सदन में कहा है और वह रिपोर्ट सदन में आनी चाहिए । माननीय नेताओं को सूचना देने का कोई अर्थ नहीं है जब तक रिपोर्ट सदन में नहीं आयेगी । अन्यथा बड़ा भारी कुठाराघात हमारे अधिकारों पर होगा । आप मंत्री जी को आदेश दें कि रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करें ।

श्री राम सरन–

माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में आ चुके है मुख्य मंत्री जी से कहलवा दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आने पर ही बात होगी ।

श्री किरन पाल सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय गृहमंत्री जी ने यह कहा कि मेरठ के कमिश्नर उस कांड की जांच करेंगे और वह 7 ता0 को देंगे । उससे अगर विपक्ष के लोग, जो जुडिशियल इनक्वायरी की मांग कर रहे हैं संतुष्ट नहीं हुये तो जुडिशियल इनक्वायरी करा देंगे ? तो आप प्रक्रिया निर्धारित कर दें कि हमारी संतुष्टि जानने का क्या तरीका होगा । आपको क्या पता कि हम संतुष्ट होंगे या नहीं । आप तय कर दें कि वह 9 तारीख से पहले-पहले इसे हाउस में लायेंगे । हम संतुष्ट हो जायेगें तो मांग नहीं करेंगे, वरना संतुष्ट नहीं होंगे तो हम मांग करेंगे और गृहमंत्री जी उसे स्वीकार कर लेंगे

(व्यवधान)

आपने रिपोर्ट के परीक्षण की जो बात कही है, यह बात आपको नहीं मंत्री जी को कहनी चाहिए थी . . .

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैया–

माननीय मुख्य मंत्री जी हाउस में आ गये हैं, वह इस पर कुछ कहना चाहते हैं, आप इस पर उनसे कहलवायें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

शासन उसको देखेगा, बिना देखे वह कैसे करेगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

यह आप कहेंगे या शासन कहेगा । यह कहना उस पद पर बैठे आपको शोभा

(व्यवधान)

नहीं देता है । हमारी मांग है कि बुलन्दशहर के लोगों पर बिना किसी प्रोवोकेशन के यह जो निर्मम कार्यवाही हुई है, जिस पर कलेक्टर कुछ करता धरता नहीं है, उसकी आप जुडिशियल जांच करायें। उसने हमसे स्पष्ट बताया है और कहा है कि हमारे पास इस बात के लिखित आदेश हैं कि इफेक्टिव फायरिंग हो । उसने हमें बताया है कि उसके पास लिखित आया है कि जहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े, अनलाफुल मांसस हो वहां पर इफेक्टिव फायरिंग की जाए, हवा में फायरिंग न की जाय।

(व्यवधान)

वहां पर दो राउन्ड से ज्यादा गोलियां चली हैं । आप कहते हैं कि कमिश्नर जांच कर रहे हैं ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े बोलते रहे) इसमें हर हालत में जूडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए।

श्री कौशिक रमाशंकर–

माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आज 5 तारीख है तथा केवल 6 तारीख बीच में हैं, 7 तारीख की रिपोर्ट आ जाएगी । उस रिपोर्ट से आपकी संतुष्टि नहीं होगी, तो हमें सन्तुष्ट न होने पर जूडिशियल इंक्वायरी करा लेंगे, एक दिन के लिए रुक जाइये। उनके कहने का निश्चित मतलब यह था कि उन्होंने सदन को आश्वस्त किया था कि 7 तारीख तक यह रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, उस तिथि तक सन्तोष कीजिए और हमने यह ठीक समझा कि 8 तारीख को हमें मालूम हो जाएगा कि कमिश्नर की रिपोर्ट क्या है। लेकिन मान्यवर, आप बीच में उलझा दिया यह कहकर कि परीक्षण होगा। गृह मंत्री जी आपने कहा कि मर्यादा की रक्षा करें और वह 8 तारीख को कमिश्नर की रिपोर्ट का लिस्ट सदन में घोषित कर दें। यह एक छोटी बात है।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जहां तक समझ पाया हूं–गृह मंत्री जी ने जो कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद आपकी सन्तुष्टि . . . तो उसका तात्पर्य आपसे (श्री उपाध्यक्ष) से है। क्योंकि जो हम सम्बोधित करते हैं, पीठ को सम्बोधित करते हैं। तो गृह मंत्री जी ने जो सन्तुष्ट न होने की बात कही है, इससे मतलब सदन से है या पीठ से है, यह आप बता दें . . . (व्यवधान)

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि कमिश्नर इन्क्वायरी कर रहे हैं। उनसे 7 तारीख तक रिपोर्ट मांगी गयी है। आप स्वयं जानते हैं, सब

सम्मानित सदस्य विद्वान हैं कि जब कमिश्नर की रिपोर्ट आयेगी तो बिना परीक्षण के आगे कार्यवाही नहीं हो सकती है। परीक्षण अवश्य होगा और हम उस रिपोर्ट से माननीय अध्यक्ष को अवगत करा देंगे। (शोर) अगर वह संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे की कार्यवाही पर विचार किया जायगा।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने एक मिनट पहले स्पष्ट कहा था कि जो रिपोर्ट आयेगी तो आपको अवगत करा देंगे। माननीय अध्यक्ष को अवगत करा देंगे। माननीय अध्यक्ष नेताओं को बुलाकर बैठक कर लेंगे और निर्णय हो जायगा, संतुष्ट नहीं होंगे लोग तो जुडीशियल इन्क्वायरी हो जायगी। मैं तो इस राय का हूं कि सदन में न आये। जैसा कि गृह मंत्री जी ने अभी कहा है, माननीय अध्यक्ष नेतागण को बुला लें और रिपोर्ट पर विचार हो जाय, नेतागण संतुष्ट न हों तो जुडीशियल इन्क्वायरी की घोषणा कर दें। मैं तो इस राय का हूं कि इसको अपोजीशन के लोगों को मानना चाहिये।

श्री कल्याण सिंह–

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मुझे गृह मंत्री जी की नीयत पर कोई संदेह नहीं है। हमारे मित्र माननीय राम आसरे वर्मा जी ने टोका था कि अगर आपको उनकी नीयत पर संदेह नहीं है तो मेरे बारे में विचार करना पड़ेगा। मैं संशोधन कर दूं मैंने उनकी नीयत पर भरोसा कर लिया था। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि "आप लोग" संतुष्ट नहीं होंगे, "आप लोगों" का मतलब है विपक्ष के लोग। फिर आप कहते हैं कि माननीय अध्यक्ष संतुष्ट नहीं होंगे। आप एक मिनट के अन्दर दूसरी बात कहते हैं। एक मिनट के अन्दर उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री इतने विरोधाभास की बातें करेंगे, अपने ही कथन को इस प्रकार काटेंगे तो मान्यवर, मुझे क्षमा किया जाय, फिर किसी की भी नीयत पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम 7 तारीख को रिपोर्ट मंगवा लेंगे और यह भी कहा कि एक दिन बाकी रह गया है। हमको ऐसा लगा कि वह सब लोगों की भावनाओं को समझते हुए गम्भीरता से मामले को ले रहे हैं। आज 5 हो गयी है, कल 6 तारीख है और 7 को रिपोर्ट आ जायगी। अगर "आप लोग" अर्थात् विपक्ष के लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो जुडीशियल इन्क्वायरी करायेंगे। लेकिन अब कहते हैं कि उनकी मंशा यह थी कि अध्यक्ष जी को रिपोर्ट दिखा देंगे। मान्यवर, पिछली कार्यवाही देख ली जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं। यह मामला काफी गम्भीर है। 2-2 हत्यायें पुलिस ने की हैं। डी0 एम0 के आदेश से गोली चली है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप हत्याओं की बात न करें। घटना पर न जायं।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, एक वाक्य में वह कह दें कि डी0 एम0 और एस0 पी0 को निलम्बित किया जायगा और सारे मामले की जुडीशियल इन्क्वायरी होगी और पुलिस ने जो जीप जलायी है और लोगों पर फर्जी केस कायम किया है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी तथा निर्दोष नागरिकों के विरुद्ध फर्जी केस वापस ले लिए जायेंगे।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राम गोविन्द चौधरी, छोड़िये इसे। व्यवस्था का प्रश्न न उठाइये। इस वक्त कुछ मत कहिये।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे कि आप सब अगर संतुष्ट हो जायेंगे। मान्यवर, हमारी नियमावली में लिखा हुआ है, आप का मतलब पीठ से है। आप अगर कहा होता तब तो ठीक था, लेकिन मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी बुजुर्ग आदमी हैं, जब वह यह कहें कि आप सब अगर संतुष्ट हो जायेंगे, तो यह बहुबचन हो गया। मान्यवर, कार्यवाही मंगा कर देख लीजिए, अगर आप सब न हों, तो हम मानने के लिए तैयार हैं। मान्यवर, जब माननीय गृह मंत्री ने आप सब शब्द कह दिया है, तो मेरा आपसे कहना है कि उसी में दो-तीन बातें बढ़ा लें, वह रिपोर्ट जब भेजेंगे, तो सारे विपक्ष के लोग बुला लिये जायेंगे, तब उसके बाद आगे कार्यवाही बढ़ायेंगे। जब एक बात तय हो गयी कि सारे विपक्ष के नेताओं को संतुष्टि नहीं होगी, तो न्यायिक जांच करा ली जायगी...

(व्यवधान)

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जब माननीय गृह मंत्री ने आप कहा है, तो उसका मतलब आपसे है, पीठासीन अधिकारी से है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

उन्होंने आप नहीं कहा है। उन्होंने यह कहा है कि आप सब संतुष्ट हो जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, आप और आप सब से मतलब पीठ से होता है। आप सबका मतलब केवल विपक्ष के नेताओं और अन्य से नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि कमिश्नर की रिपोर्ट से अगर आप सब संतुष्ट नहीं होंगे, तब जो जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग कर रहे हैं, हम जुडिशियल इन्क्वायरी मान लेंगे। उसकी मांग मान्यवर, अपोजीशन की तरफ से थी, ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से नहीं थी, माननीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर कमिश्नर की रिपोर्ट से आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे, तो आप जो जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग कर रहे हैं, उसको हम मान लेंगे। यह मान्यवर, बिल्कुल स्पष्ट है।

(व्यवधान)

श्री राम सरन–

मान्यवर, गृह मंत्री मौजूद हैं, मुख्य मंत्री भी मौजूद हैं।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप कार्यवाही मंगवाइये।

(घोर व्यवधान)

श्री राम सरन–

मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं, हम तो यह चाहते हैं कि न्याय मिले जनता को। हम कोई आप से बुरा काम कराना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वहां की जनता को न्याय मिले। आप न्याय दिलाने में सक्षम हैं, हम तो सक्षम हैं

नहीं। कोई जज आप बैठावेंगे, वही तो जांच करेगा। कमिश्नर से नहीं, कलेक्टर से नहीं, किसी सेक्रेटरी से नहीं, किसी जज से जांच कराना है। तो आप किसी जज से जांच करा लीजिए, आपकी छुट्टी है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

जब रिपोर्ट आ जायगी, तब जैसा निर्णय होगा, हो जायगा। उन्होंने जुडिशियल इन्क्वायरी के लिए मना तो नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, आपके निर्णय के बाद व्यवस्था नहीं हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

दो दिन बाद जब रिपोर्ट आ जाए तभी बात कर लीजिएगा। अब इस पर व्यवस्था न उठायें मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

सुनायें, क्या सुना रहे हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं यह व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रभाव में आकर...

श्री उपाध्यक्ष–

मैं नहीं सुनूंगा, कोई प्रभाव में आकर नहीं, आप प्रभाव की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

किरनपाल सिंह जी आप बैठें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था माननीय मुख्य मंत्री जी के आने के पहले, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था उसको बदलने का कोई कारण नहीं है। माननीय लोकपति त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं यह प्रतिष्ठित मंत्रियों में हैं यही खड़े होकर कह दें कि इनकी भावना क्या थी, इनके मन में क्या था?

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने [xxx]

(व्यवधान)

श्री राम सरन–

मान्यवर, लोकपति जी से कहला दीजिए...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि माननीय मंत्री जी ने जो सदन में कहा था, वह यह था कि जब रिपोर्ट आ जाएगी तो आप उसको एक दिन बाद देख लेंगे, लेकिन अब इस बात को छोड़ दीजिए। मान्यवर, वह रिपोर्ट आपके पास 7 या 8 तारीख की शाम तक आ

नोट : [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जाएगी आप फिर विरोधी दल के नेताओं को बुला लीजिएगा और उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में पूछ लीजिएगा यदि हम संतोष व्यक्त करते हैं तो ठीक है अगर नहीं करते हैं तो मंत्री जी ने जैसा कहा है इन्क्वायरी बैठा दी जायेगी। ।

(व्यवधान)

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

मान्यवर, जैसा सम्मानित सदस्यों ने कहा कि पहले ही से नहीं गृह मंत्री जी की जो भावना थी, जो आपकी इच्छा है उस आधार पर, एक उच्च अधिकारी के द्वारा जांच हो रही है। जो जांच रिपोर्ट आयेगी वह आपके, आपका मतलब सदन से है, उस पर आपने एक निर्णय दे दिया है। आपका मतलब माननीय तिवारी जी कहते हैं कि उसको मैंने उठाया था तो मान्यवर, कोई भी विषय इस सदन के अन्दर किसी भी सदस्य के द्वारा संज्ञान में ला दिया जाता है तो वह सदन की चीज हो गयी है। आपका मतलब सदन के संतुष्ट होने का है तो जो रिपोर्ट आयेगी वह सदन के संतुष्ट होने के लिए है। मेरा निवेदन यह है कि जांच हो रही है, जांच हो जाने दीजिए।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी सहकारिता मंत्री जी ने जो कहा है कि सदन में जो चीज उठी है वह सदन की सम्पत्ति हो गयी। गृह मंत्री जी ने कहा है कि कमिश्नर की रिपोर्ट आयेगी, उसके माने है सदन में रखी जायेगी और उसके आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, जो निर्णय आपका हो गया, वह हो गया।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, सहकारिता मंत्री ने जो बात कही है कि यह सबका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मंत्रिपरिषद् का । जो मंत्री जी ने बात कही है मैं उसे सरकार का बयान मान रहा हूं और अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। सामूहिक उत्तरदायित्व का जो प्रश्न है, माननीय मंत्री जी ने एक बात कही है मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

किरन पाल जी, आप कितनी बार व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे ?

(श्री अम्मार रिजवी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, जब एक बार इसको समाप्त कर चुके तो मंत्री जी को क्यों बुलवा रहे हो । मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इधर विपक्ष के सदस्यों ने यह तय किया है कि हाउस को एडजर्न करने के लिए फ्लोर पर नहीं जायेंगे लेकिन मान्यवर, कुछ सीमा होती है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह आप हमको क्या सुना रहे हैं?

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं यह कहता हूं कि जो कार्यवाही में आया है यदि मंत्री जी ने कहा है, जो गृह मंत्री जी ने कहा है

उसका सम्मान होना चाहिए जो मंत्री जी ने पहले कहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

जो कार्यवाही में है, उस पर अमल होगा।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यहां गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए कोई इन्होंने ठेका ले रखा है। मान्यवर, सीधी सी बात है कमिश्नर की जांच हो रही है, कमिश्नर की जांच रिपोर्ट आयेगी हो सकता है हम संतुष्ट ही जायं, हो सकता है न हों।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें।

(घोर व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायगा।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप के निर्णय दे देने के बाद क्या उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है और उसे लिखा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायगा। मैं कार्यवाही देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं वे क्यों नहीं स्थिति स्पष्ट कर देते?

श्री रमा शंकर कौशिक–

मंत्रि परिषद् के एक सदस्य ने एक बात कह दी और उसको हम लोगों ने स्वीकार कर लिया फिर आप आगे क्यों नहीं बढ़ते ?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रकरण समाप्त हो गया है मैं कोई रूलिंग नहीं दूंगा।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, इस पर तो व्यवस्था दे दें कि श्री अरुण सिंह मुन्ना ने एक बयान दिया और वह पूरे मंत्रि मण्डल की जिम्मेदारी होती है उस सामूहिक जिम्मेदारी के तहत जो बात कही गयी उस पर आप अपनी रूलिंग दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई रूलिंग नहीं दूंगा।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, आप कोई जवाब तो दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

जवाब हो गया। उन्होंने जवाब दे दिया इसके बाद उस पर आगे विचार कर लिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

चार आदमी खड़े हैं व्यवस्था कैसे उठेगी ?

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, आपकी पीठ से सदन का संचालन होता है। अभी जैसा कि कौशिक जी ने और मित्रसेन जी ने कहा कि कैबिनेट के एक मंत्री ने सदन में एक बात रखी।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–
दो दिन बाद देख लीजिएगा।

श्री राम नरेश यादव–
मान्यवर, गृह मंत्री जी का एक बयान आया था बयान चलेगा या जो कैबिनेट के दूसरे मंत्री का बयान आया है उसके आधार पर माना जायगा जो कि बाद का बयान है ? गृह मंत्री ने एक बात कही और फिर अपनी बात से मुकर गये और मुख्य मंत्री के दबाव में आकर दूसरी बात कह दी और मंत्रिमण्डल के एक सदस्य ने दूसरी बात कह दी तो आपको इस पर व्यवस्था देनी होगी। पहले का बयान सही है या बाद का बयान सही है।

श्री उपाध्यक्ष–
मैं देख लूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–
[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–
मैं व्यवस्था दे दूंगा।

श्री खान गुफरान जाहिदी–
आपका फैसला होने के बाद जो चीज बोली जा रही है वह लिखी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–
कोई चीज नहीं लिखी जायेगी। आप व्यवस्था उठाते रहिये मैं बैठा हूं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–
[x x x]

श्री मित्रसेन–
[x x x]

श्री खान गुफरान जाहिदी–
आपकी अनुमति के बिना जो बोल रहे हैं वह लिखा जायेगा?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–
नहीं लिखा जायेगा।

श्री राम सरन–
गृह मंत्री झूठा बयान देते हैं। ऐसे गृह मंत्री से हम आजिज हैं, इसलिये हम अपने दल के साथ सदन का त्याग करते हैं।

(लोक दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री कल्याण सिंह–
व्यवस्था का सवाल है। एक तो गृह मंत्री ने थोड़े से अन्तराल में दो बातें कह दी, उसके बाद सहकारिता मंत्री ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए दूसरी बात कह दी। उन्होंने कहा कि आप संतुष्ट हो जायेंगे तो रिपोर्ट सही मानी जायेगी नहीं तो जुडीशियल इंक्वायरी हो जायेगी और आपकी उन्होंने परिभाषा कर दी की आपके माने सदन से है। हम चाहते हैं कि कमिश्नर की रिपोर्ट सदन में आ जाय। मैं इस विषय पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। गृह मंत्री एक बात कहते हैं और सहकारिता मंत्री दूसरी बात कहते हैं। दोनों कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। सरकार में दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। हम व्यवस्था चाहते हैं कि इस सदन में जो गृह मंत्री जी ने कहा था वह माना जायगा या सहकारिता मंत्री ने जो कहा था, वह माना जायगा। चूंकि दोनों बातों में बहुत विरोधाभास है, इसलिये दोनों महत्वपूर्ण नहीं हो सकतीं।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

एक तो कम महत्वपूर्ण होगी ही। आप व्यवस्था दे दें कि दोनों में से किस मंत्री का कथन सही माना जायगा।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब वरिष्ठ लोग हैं। आपने बहुत देर से अपनी बात कह ली। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। प्रोसीडिंग आपके सामने है। अभी कल का दिन है। फिर मैंने सारी बातें सुन भी नहीं रखी हैं, कोई बात कहना भी चाहूं तो कैसे सुन सकता हूं?

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, आप इससे सम्बन्धित कार्यवाही को अपने हाथ में ले लें, अन्यथा कार्यवाही बदल दी जायगी। गृह मंत्री जी ने तीन तरह की बातें कही हैं। पहले कहा कि आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो जुडीशियल कार्यवाही की जायगी। फिर कहा कि अध्यक्ष जी को रिपोर्ट दूंगा तो वह मा0 नेताओं को बुला लेंगे और उस पर विचार किया जायगा, वह भी कार्यवाही में होगा। तीसरी बात उपाध्याय जी जैसे वकील ने ऐसी जिरह कराई कि मंत्री जी फिसल गये और वह अपनी पिछली दो बातों से फिसल गये। हमारी मांग है कि आप कार्यवाही को अपने हाथ में ले लें।

श्री उपाध्यक्ष–

कार्यवाही कभी बदली नहीं जाती है। आपको इतना तो विश्वास होना चाहिए। इतना अविश्वास होगा तो कैसे काम चलेगा? संसदीय प्रणाली में इतना भी एकीकरण नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा?

श्री मैनेजर सिंह–

लगता है कि आप भी चाहते हैं कि लीपा-पोती हो जाय। मेरी आपत्ति है। कि कार्यवाही बदल जायेगी। आप उसको मंगाकर सुरक्षित कर लें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप चारों वरिष्ठ सदस्य हैं किसी बात की सीमा होनी चाहिये।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, इस विवाद को समाप्त करने के लिये मैं एक सुझाव देता हूं। मा0 गृह मंत्री जी की मंशा थी कि कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर बात कर ली जाय। सवाल यह है कि बात कहां हो? मेरा सुझाव है कि जो इनकी मंशा थी कि रिपोर्ट से संतुष्ट न होने पर जुडीशियल इन्क्वारी करा ली जायगी। मेरा सुझाव यह है कि जब रिपोर्ट आ जाय 8 तारीख को, आपके यहां या माननीय अध्यक्ष के यहां पहुंच जाये तो उसमें माननीय अध्यक्ष बुलाकर बात कर लें ताकि बात खत्म हो।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, अब आप बैठें। माननीय रामगोविन्द चौधरी जी आपको क्या कहना है?

*श्री रामगोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैंने नियम 56 में सूचना दी है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है प्रदेश के करोड़ों लोगों की जान को इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह तात्कालिक महत्व की सूचना है। मान्यवर, कल हम को एक थम्स अप की बोतल मिली। मैं आपको बोतल दिखाता हूं। इस बोतल को मैं आपके पास भिजवा दूंगा। मान्यवर, इसमें बिल्कुल जहर जैसी चीज

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भरी हुई है। इसकी सील, और मोहर बिल्कुल दुरुस्त है । कानपुर में जय-हिन्द बाटलिंग कम्पनी है जो थम्स अप और लिम्का की बाटलिंग करती है । बाटलिंग करते समय इसमें ऐसे पदार्थों को भर दिया है जिसके पीने से लोगों की जान को खतरा हो गया है। मान्यवर, पुरुष और प्रौढ़ लोग तो जब इसे खरीदने जायेंगे तो जान जायेंगे कि इसमें क्या चीज है लेकिन जब-जब छोटे-छोटे बच्चे जायें और इस तरह की थम्स अप लेंगे तो उससे जान को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य विभाग की यह सब जानकारी में होने पर भी उनकी सांठ-गांठ से यह सब चल रही हो रही है। मान्यवर, 25 जुलाई को लखनऊ से निकलने वाले दैनिक "दि पायनियर" में इसी तरह के एक लिम्का का जिक्र किया गया है कि यह स्वास्थ्य के लिये खतरनाक है उसमें भी ऐसा ही पेय पदार्थ पाया गया जिसके पीने से जान माल का खतरा उत्पन्न हो सकता है। मान्यवर, होना तो चाहिये था कि तत्काल उसका संज्ञान लेकर ऐसे पेय पदार्थों को बेचने से रोका जाता लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया उस कम्पनी पर। कल यह बोतल फिर मार्केट में मिली है जिसमें पेय पदार्थों को बेचने से रोका जाता हुई है। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने दो मिनट के अंतराल में दो तरह के बयान दिये । यह आशंका है कि स्वास्थ्य विभाग जन संख्या को कम करने के लिये नसबंदी के अलावा क्या कोई इस तरह का दूसरा तरीका अपना रहा है ताकि प्रदेश की जन संख्या कम हो जाय? मान्यवर, ऐसा भी प्रतीत होता है कि इस सरकार को कम्पनी के मालिकों से बहुत चंदा मिला है चुनाव में तब ही यह उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कोई लालच दिया हो ताकि कोई कार्यवाही नहीं कर पाये और जन संख्या नियंत्रण के अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लें। मान्यवर, इससे तात्कालिक और निश्चित मामला कोई और दूसरा नहीं हो सकता है मैं चाहूंगा कि इस पर सदन की शेष कार्यवाही को रोककर तत्काल चर्चा करायी जाय। मान्यवर, अगर इस प्रदेश में जनता ही नहीं रहेगी तो यह सदन नहीं रहेगा हम भी नहीं रहेंगे। यह अत्यन्त आवश्यक और तात्कालिक मामला है इस पर तुरन्त चर्चा की मांग करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिज्वी)– मान्यवर, माननीय राम गोविन्द जी ने एक बोतल के संबंध में सूचना दी है। मैं आभारी हूं जो बोतल के संबंध में उन्होंने सूचना दी है। जब यह हाथ में बोतल लिये हुए थे मैं सोच रहा था कि कल इस तरह से अाबकारी के ऊपर जो उन्होंने अपना संशोधन का प्रस्ताव रखा था अगर उसे वह आज की तरह से रखते तो बहुत अच्छा लगता। यह कार्य स्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता लेकिन यह बात जरूरी है कि यह चिंता का विषय है इस तरह की खाने-पीने की चीजों में अगर मिलावट होती है तो उसे सख्ती से निपटना चाहिए और उस पर रोक लगानी चाहिए। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पूरी शिकायत की जांच होगी और विशेष रूप से इन कम्पनी की जांच की जायेगी। यह कार्यस्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता है, लेकिन इस मामले पर कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे प्रदेश में आंखों को फोड़ने का एक जागरूक षड़यन्त्र किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुरादाबाद की एक घटना सदन के सामने आयी थी। उसे अभी हम भुला भी नहीं पाये थे कि एक ऐसी दवा पूरे प्रदेश में सप्लाई की गयी जिसे यूफो-रसिया होम्योपैथिक की आंखों की दवा है जिसके कुछ नमूने मेरे पास हैं उनमें फंगस, कीड़े और कुछ तो खाली शीशियां हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय है अगर इसका प्रभाव पड़ा तो मैं समझता हूं कि सारे प्रदेश की जनता इस सत्ता की नजरों के बराबर पहुंच जायेगी। यह दवा दिल्ली की एक कम्पनी द्वारा बनायी जाती है। जिसका नाम आर0 के0 भन्डारी होम्यो प्राइवेट लि0 नई दिल्ली है। यहां से पचास लाख रुपये की यह दवा सप्लाई की गयी है। इसी फर्म से एल्कोहल भी सप्लाई किया गया है जो एल्कोहल का स्टैण्डर्ड इतना ज्यादा गिराकर यह कम्पनी सप्लाई कर रही है जिससे होम्योपैथिक दवाओं की शुद्धता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। यूफोरसिया और एल्कोहल यह दोनों मसलें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जनसाधारण के जीवन से जुड़े हुए हैं इसलिए मान्यवर, आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस पर आप इस काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार करें।

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मान्यवर, आज इस सदन में विद्वता का एक नया उदाहरण आया कि विज्ञान बदल रहा है। आज तक तो हमने सुना था कि समाज बदलता है लेकिन आज मालूम पड़ा कि अंकगणित भी बदलती है। दो धन दो चार होगा, लेकिन कोई भी विज्ञान यह नहीं कहेगा कि दो धन दो तीन होता है। आज मा0 श्री राम आसरे जी ने यह सिद्ध किया कि दो धन दो तीन होता है। मान्यवर, एक बात तो मैं यह बता दूं कि एल्कोहल में फंगस नहीं आती है यह विज्ञान का अकाट्य सिद्धान्त है। यह आंखों की दवा सिर्फ उ0 प्र0 के सचिवालय में ही वितरित नहीं होती उ0 प्र0 सचिवालय में तो केवल एक हजार सीसीयां आयी थीं जिसमें से 980 वितरित हो चुकी हैं। दो सीसीयां मुझे वहां पर मिलीं वह मैं इस सदन के सामने ले आया हूं। यह दवाइयां सारे देश में प्रयोग की जाती हैं। पूरे प्रदेश में इस समय लगभग 14 लाख के करीब मोतिया बिन्दु के मरीज है। 14 लाख मोतियाबिन्दु के मरीजों में कम से कम एक लाख लोग इस दवा का प्रयोग करते होंगे। यह कहा जाता है कि अगर मोतियाबिन्द में इसका प्रयोग किया जाय तो मोतियाबिन्द काट देती है। आज तक किसी भी व्यक्ति की आंख फूटने या रोशनी जाने की शिकायत नहीं आयी है। एक शिकायत है कि–

(एक पत्र दिखाते हुए)

इसे मैं आपकी सम्पत्ति बना रहा हूं। एक संघ है उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा संघ, जिसका मुख्यालय हमारे मित्र के कक्ष में है। हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, उनके कक्ष में है। प्रश्न ऐसा आया जिससे सही बात आयी। इतिहास बदल सकता है, यह कहा जा सकता है कि अकबर बादशाह ने यह नीति चलायी, जिसकी परम्परा राजा टोडरमल ने डाली और उसी पर यह सरकार चल रही है, यह बिन्दु विचार का हो सकता है, लेकिन एल्कोहल से सम्बन्धित दवा है, इसमें यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिन्दु नहीं आयगा। इसमें जो काला-काला पदार्थ है, तो भारत सरकार का होम्योपैथिक दवा की जांच का एक संस्थान है, शोध संस्थान है। मैं इस शीशी को और जितनी शीशियां हों दे दीजिये, मैं भारत सरकार के शोध संस्थान को दे देता हूं, जो रिपोर्ट आयगी आपके पास भी भेज दूंगा और माननीय राम आसरे जी के पास भी भेज दूंगा।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैंने नियम 56 के अन्दर जो सूचना दी है, आजमगढ़ जनपद और फैजाबाद के 30 लाख लोगों को प्रभावित करने वाली सूचना है। इस समय पूरा प्रदेश सूखे से प्रभावित है। आजमगढ़ सूखे से प्रभावित है। वहां शारदा सहायक की नहरों से सिंचाई होती है। पिछली बार जब नहर बन्द थी, इस जिले को पानी नहीं दिया गया और इस समय पिछले 20 दिनों से पानी नहीं मिल पा रहा है। प्रमुख अभियंता और मुख्य अभियंता से मिला तो उन्होंने कहा कि पानी सुल्तानपुर और रायबरेली को देना है। माननीय सिंचाई मंत्री जी अभी कहेंगे कि पानी दिया जा रहा है, तो मेरे पास खरीफ फसल का रोस्टर है। इसमें दिखाया गया है कि दोहरी घाट, निजामाबाद राजबहा, जहांगीरगंज राजबहा, पिण्डोरिया माइनर तथा इन्हीं से सम्बन्धित अन्य शाखाओं में भी सींचने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण सूखे के इस कठिन क्षण में किसान असहाय हो गया है। अगर इन नहरों की स्थिति आज देख लें और 8 और 9 को हाउस चलेगा, तब देख लें, तो आपको पता चल जायगा कि पानी पहुंच रहा है या नहीं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के पानी पर राजनीतिक दबाव के आधार पर पानी का बंटवारा नहीं होना चाहिये। आजमगढ़ और फैजाबाद में जो रजबहे के द्वारा पानी पहुंचता है, वहां जून-जुलाई के महीने से पानी नहीं गया। मेरी मांग है कि आज जो पूरा आजमगढ़ सूखे से प्रभावित है, वहां पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

श्री उपाध्यक्ष–

अब 3.45 होने को हैं, 5 बजे तक का समय है। आज असरकारी बिजनेस है, उसको ले लें और भी काम हैं मैं सबको अब निर्णय सुनाये देता हूं।

(कई मा0 सदस्यों द्वारा बोलने के लिये अनुरोध करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, दिन तो आपका है, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप यह भी देखिये कि और भी बिजनेस आपका ही है। पांच बजे आपका असरकारी दिवस खत्म हो जायेगा।

श्री कल्यान सिंह–

अब तक तो एक सदस्य बोल लेते आप दो-दो मिनट का समय दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

आप घड़ी को भी देखिये। पांच बजे असरकारी दिन खतम हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री राम सरन–

सबसे ज्यादा तो आप ही बोलते हो।

श्री उपाध्यक्ष–

अच्छा, ठीक है, चलिये।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्र में असन्तोष व्याप्त है।

श्री बलराम यादव–

सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं, मेरी सूचना बहुत महत्वपूर्ण और तात्कालिक है। आप उनसे हमारी बात का उत्तर दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष–

यह कैसे हो जायेगा? तात्कालिक कैसे हो गयी? जब तक मैं मंत्री जी से कहूंगा नहीं, कैसे वह अभी आपको उत्तर दे देंगे?

श्री बलराम यादव–

सिंचाई मंत्री बैठे हुए हैं, आखिर आपको क्या दिक्कत है उनसे उत्तर दिलवाने में?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

मान्यवर, सिंचाई के मामले में कहीं भेदभाव नहीं प्रतीत हो रहा है। आजमगढ़ को पानी दिया गया है दरियाबाद में भी पानी दिया गया है। मैं सुनिश्चित करा लूंगा कि आजमगढ़ में पूरा पानी दिया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्र में क्षोभ व्याप्त है। जगह-जगह पुलिस के द्वारा अवरोध उत्पन्न करने के कारण, कानपुर में पुलिस ने मारपीट की है इस कारण से तथा इसी प्रकार सभी नगरीय क्षेत्र में जल-कर और भवन-कर में जो वृद्धि कर दी गयी है, सड़कें टूटी-फूटी पड़ी हैं, सफाई का कहीं नाम नहीं है, गन्दगी का ढेर है, सीवर जाम हैं और असेसमेंट जारी है। इस कारण से नगरीय जीवन त्रस्त हो रहा है और नागरिकों में क्षोभ व्याप्त हो गया है। इसी क्षोभ के प्रदर्शन में नागरिकों ने पूरे उत्तर प्रदेश में आज हड़ताल कर दी है जिसके कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में चुनाव न कराने का जैसा सरकार ने फैसला कर लिया है जिसके कारण यह स्थिति पैदा हो गयी है। कहा जाता है कि लोकतन्त्र में जनता का राज्य, जनता के द्वारा और जनता के लिये है। लेकिन इस समय सभी स्थानीय निकायों में राज्य अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा ठेकेदारों के लिए है। अधिकारियों का राज्य कर्मचारियों के द्वारा ठेकेदारी के लिए है। पूरे नगरीय जीवन में परेशानी पैदा हो गयी है जानबूझ कर शासन चुनाव नहीं करा रहा है, अधिकारी लूट रहे हैं, ठेकेदारों के मजे हैं। प्रदेश में शासन की स्थिति यह है कि पुलिस मनमानी कर रही है, बिजली में कटौती की जा रही है, बनारस धंस रहा है, गोरखपुर डूब रहा है, बांसी और मेंहदवाल टाउन एरिया में जीवन दूभर हो गया है। कूड़ा-करकट जमा है, लोगों का स्वास्थ्य गिर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो शासन की छवि पैदा हुई है उसी के प्रतिफल में आज पूरा उत्तर प्रदेश बन्द है। उत्तर प्रदेश के जन-जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं आपसे मांग करता हूं कि आज सब काम रोक करके इस विषय पर चर्चा करा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं सबको बुलाऊंगा, मैंने मन बना लिया है। अब बोलने का समय आप ही लोग तय कर लें, तब बोलें। मैं सबको मौका दूंगा।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और सन-सनीखेज समाचार सदन में लाना चाहता हूं। मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर गरीबों को मकान देने की योजना बनायी है। जिस आदमी को 350 रुपया मासिक मिलता है, उनको बनाकर मकान आप देंगे और उन मकानों की कीमत आपने 22 हजार रुपया रखी है और इस धनराशि को अब आपने बढ़ाकर 28 हजार रुपया कर दिया है और 180 किश्तों में उसका भुगतान आप लेंगे और अब इस धनराशि को बढ़ाकर 54 हजार रुपया कर दिया गया है। 350 रुपये आमदनी वाले व्यक्ति के लिये यह असंभव है कि वह इतनी बड़ी धनराशि दे सके। जो किश्त आपने बनायी है, वह 269 रुपये की है। आप ही बतायें कि 350 रुपये पाने वाला एक गरीब व्यक्ति किस प्रकार से 269 रुपया दे पावेगा। मान्यवर, उन मकानों की हालत यह है कि उनमें एक कमरा है, उसकी फर्श भी नहीं है, चार इंच मोटी दीवाल है, छप्परनुमा छत है, उनमें किवाड़ नहीं है और चौखट नहीं है, तो यह दशा उन मकानों की है, जिनकी कीमत परिषद् 54 हजार रुपये ले रही है। इस सरकार ने उन गरीबों को लूटा है और उनको धोखा दिया है। उनसे जबरदस्ती धन की वसूली की जा रही है। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मसला है। यह गरीब जनता के साथ विश्वास घात है। यह सरकार 54 हजार रुपया उन मकानों का वसूल कर रही है और जो करार परिषद् के साथ हुआ था उसको उसने ताक पर रख दिया है। मेरा निवेदन है कि जो परिषद के साथ उनका करार हुआ है, उसको तोड़ा न जाये और इस सरकार को आप इंगित करें और आदेश दें कि उन गरीब लोगों को मकान 28 हजार रुपये में ही दिया जाये और उससे एक भी पैसा अधिक न लिया जाये। आप इस पर चर्चा करा दें, यह बड़ा गम्भीर मसला है।

*श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं बांदा जिले में जो सरकार का दस्यु उन्मूलन चल रहा है, उसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, ददुआ डाकू को पकड़ने के लिये हमारी सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, और उसके नाम पर और लोगों को परेशान किया जा रहा है। बांदा जिले में 300 आदमियों को जेल में भेज दिया गया है, ददुआ कुर्मी है और बैकवर्ड लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहां के गांवों में पुलिस ठहरी है। पुलिस घरों में घुस जाती है और उनकी बहू बेटियों की इज्जत उतारती है और उनको बेइज्जत करती है। पुलिस ने रैपुरा थाने के बद्री और छोटेदिया को गोली से उड़ा दिया और थाना कवीं के समता चमार को गोली मार दी, तो मान्यवर, निरपराध लोगों को गोली मारी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप किस सूचना पर बोल रहे हैं?

श्री मित्र सेन–

मान्यवर, जो निरपराध लोग हैं उनको मारा जाता है। वह लोग बेइज्जत हो रहे हैं, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। गांव से निकल कर लोग बाहर जा रहे हैं। इसलिये मान्यवर, ऐसे गम्भीर मसले पर आप सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करायें।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो मसला श्री मित्रसेन जी ने उठाया है, वह बहुत ही अहम मसला है। इलाहाबाद में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने सुन लिया है, समय का ध्यान रखें, 4 बज गये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

जब यह मसला उठा है, तो शासन की मंशा आ जानी चाहिये। आप निर्देश तो दे दें।

श्री मित्रसेन–

इसका असर सारे प्रदेश पर पड़ रहा है। चारों ओर लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसे सदन नहीं चल सकता है। आप बैठें। मैंने शुक्ला जी को बुला लिया है।

श्री राम आसरे वर्मा–

शासन की मंशा आ जाये। आप निर्देशित कर दें।

श्री मित्रसेन–

[***] वहां की जनता को सताया जा रहा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(श्री शारदा प्रताप का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य–

मान्यवर, मित्रसेन जी ने कहा है कि [x x x] पनाह ले रहे हैं . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कार्यवाही देख लूंगा और कोई ऐसी बात होगी तो उसे निकाल दूंगा।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पुष्टाहार योजना चलाई है। इस हेतु बाल विकास परियोजनायें चल रही हैं, आंगन-बाड़ी की योजना चल रही है। मान्यवर, पिछले सत्र में लखनऊ जनपद के लिये 96 लाख रुपया दिया गया था जिसके अन्तर्गत हरिजन कल्याण एवं बाल विकास योजना के तहत पौष्टिक आहार की वस्तुएं रखने के लिये कुछ कन्टेनर्स क्रय किये गये थे। उसके लिये बाल विकास परियोजना के प्रोग्राम अधिकारी, लखनऊ, जिला पंचायत राज अधिकारी और सरोजिनीनगर पंचायत उद्योग के अध्यक्ष एवं सचिव तथा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की साजिश से कन्टेनरों की सप्लाई हुई है। एक आंगनबाड़ी में 6 कन्टेनरों की सप्लाई होनी थी। इस प्रकार एक ब्लाक में 600 होने चाहिये थे। लखनऊ में 9 ब्लाक हैं इसलिये यहां पर 5400 कंटेनर सप्लाई होने थे। एक कंटेनर की कीमत 120 है जब कि उसकी कीमत इन्होंने 328 रुपया लगाई है। मान्यवर, बाल विकास परियोजना में 28 गेज की चादर लगाई गई है और पंचायत उद्योग ने 22 गेज की चादर लगाना बताया है, वह देखने की बात है। इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह एक अहम प्रश्न है। इसकी गम्भीरता को देखते हुए आप कार्यवाही रोक कर इसमें चर्चा करा दें।

डाक्टर बंगाली सिंह–

मान्यवर, अलीगढ़ में सलेमपुर परियोजना स्थापित करने के संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में तथा

नोट:–[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय मुख्य मंत्री ने भी इसको स्थापित करने के बारे कहा था । 13 तारीख को मुख्य मंत्री जी ने अलीगढ़ में एक जनसभा में कहा था कि सलेमपुर योजना हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी योजना है जो कि लगभग साढ़े बारह करोड़ रुपये की है । सन् 1980 में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जब मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने भी जनता के सामने यह बात कही थी कि इस योजना को लागू किया जायेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस योजना से वहां के कई जिलों का विकास होगा। अतः मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोककर आप इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करा दें।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मैं आज आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से लेकर नैनीताल के तराई तक इस तरह से आतंकवादियों ने अपना आतंक छा दिया है कि वहां के लोगों में अपनी जीवन रक्षा के लिये बहुत ही भय फैल गया है । श्रीमन्, बैंक डकैतियां पड़ना, निरीह जनता को मारा जाना, हथियार छीनना आदि इस एरिया में रोज की घटना हो गई है। शिवालिक की पहाड़ियों में, जमुना के किनारे से लेकर नैनीताल तक पूरा इलाका आतंकवादियों से छाया हुआ है । सहारनपुर की नकुड़ तहसील में एक दिन एक जीप में कुछ लोग बैठे और उसमें माइक लगाकर सरेआम यह एलान करते रहे हैं कि घबराना मत हमारे पास बहुत बड़े-बड़े हथियार हैं और यू0 पी0 के लोगों से डरने की बात नहीं है । इस तरह से जमुना के किनारे आतंकवादियों के डेरे पड़े हुये हैं । इससे वहां के लोगों में भयावह स्थिति पैदा हो गई है । थानों पर, रेलवे स्टेशन पर एलान कर रहे हैं । रेलवे स्टेशन के पास एक सुबह पुलिस वालों ने उनके पीछे एक जीप लगा ली, उन्हें कुछ अन्देशा हुआ । उनके पास बड़े-बड़े मस्कट और हथियार पकड़े जा रहे हैं । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार इस पूरे एरिया की पब्लिक को भगवान के रहम करम पर छोड़ देती है तो फिर क्या कहूं अन्यथा इसका तत्काल कोई प्रबन्ध करना चाहिये । मैं विधायक हूं हम लोग ट्रेनों में सफर करते हैं तो हमारी जान को भी खतरा हो जायेगा क्योंकि हमने यह मामला यहां उठाया है । हो सकता है दो चार महीने में हमें भी शिकार बना दें । मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को पंजाब न बनने दो । आपकी कृपा से वे सारे इलाके में बेरोकटोक घूम रहे हैं और आप सत्ता के नशे में किसी को पकड़ नहीं पा रहे हैं । मैं चेतावनी देता हूं यहां पर संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसका कोई ऐसा समुचित इंतजाम किया जाय कि आतंकवादी हमारे प्रदेश में न घुसें । हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है जहां पर वह छुप सकते हैं और फिर नैपाल का बार्डर मिला हुआ है । इस प्रदेश को आतंकवादियों से बचाईये । मैं मांग करता हूं कि आज इस पर सदन की शेष कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय ।

श्री अम्मार रिजवी–

उपाध्यक्ष जी, माननीय राम सरन दास जी ने एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया है । सरकार इससे पहले भी पूरा प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार के असामाजिक तत्व यहां न पनपने पायें चाहे वह आतंकवादी हों या चाहे किसी प्रकार के और असामाजिक तत्व हों । उस प्रयास में और तेजी लाई जा रही है कि यहां

शांति व्यवस्था कायम रहे । बाहर से किसी तरह की घुसपैठ यहां न हो सके । मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इसका पूरा प्रयास करेगी और कर रही है कि किसी प्रकार के आतंकवादी या असामाजिक तत्व यहां न आ सकें और उस पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जायेगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सीतापुर के थाना सकरन, रेवसा, थानाथान, गांव तम्बौर, खैराबाद, मछरेठा, थाना महौली आदि की ओर दिलाना चाहता हूं जहां पर अराजकतत्व स्वच्छंद घूम रहे हैं जिससे जनता में भय और आतंक व्याप्त हो रहा है जिस तरह से जंगल में आदमी जाता है तो उसे खतरा पैदा हो जाता है कि किसी तरफ से भेड़िया आकर खा न जाय, सांप डस न जाय या कोई खूंखार जानवर चीर न डाले इसी तरह से यहां पर भी चलना मुश्किल हो गया है कि पता नहीं किस ओर से गोली या हथगोला न आ जाय। अभी तारापुर, सैदापुर में दिन दहाड़े डकैती पड़ी 10 अगस्त की बात है बिलहौर के रहीम-अली रसूल अहमद के यहां डकैती पड़ी वे थाने में रिपोर्ट लिखाने गये तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी उसे थाने वालों ने मार कर भगा दिया। वह रिपोर्ट लिखाने का बराबर प्रयास करता रहा तो 21 ता0 को उसकी रिपोर्ट लिखी गयी नामजद रिपोर्ट लिखी गयी लेकिन वह डकैती के बजाय चोरी में दर्ज की गयी। बदमाश पकड़े जाने के बाद वे छोड़ दिये गये। थाने से छूट जाने के बाद वह उनके घर पर आ गये और उसकी बहू को उठा कर ले गये और कहने लगे कि तुम हमारे ऊपर डकैती में मुकदमा कराना चाहते हो। थाने में हमारा असर है कि तुम्हारा बताओ हमें पुलिस ने छोड़ दिया है हमें यहां के बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है, राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है तुम हमारे खिलाफ डकैती में रिपोर्ट नहीं लिखा सकोगे । यह कह कर वह उसकी बहू को उठा ले गये और उसके साथ 8, 10 लोगों ने रेप किया। तो यह कितने शर्म की बात इस सरकार के लिये है और उस औरत को बेहोशी की हालत में छोड़ कर चले गये । वे लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं किये गये हैं। बल्कि घूम रहे हैं।

सकरारा में इसी तरह की घटना एक हरिजन मैकू के यहां हुई, बदमाश उसे पकड़ कर घर से बाहर ले आये और उसे खूब मारने लगे जब उसकी आवाज उसकी बीबी ने सुनी तो वह बाहर आई और कहने लगी कि इन्हें मत मारिये इसके बदले मुझे मार डालिये और मेरे पति को छोड़ दीजिये। वह चिल्ला कर बचाती रही और कहती रही कि अल्लाह के वास्ते, खुदा और भगवान के वास्ते छोड़ दीजिए। इस पर उन मुलजिमों ने उनको छोड़ दिया लेकिन उसकी बीबी को उसी वक्त जान से मार डाला। वह हरिजन थी, इसलिए उसकी पुकार को आज तक पुलिस ने नहीं सुनी। उसी प्रकार लोने के यहां डकैती पड़ी (व्यवधान) डकैती कायम है, बदमाश घूम रहे हैं पकड़े नहीं जाते जबकि मुद्दई की मुल्जिमों से कोई रंजिश नहीं है, न गवाहों की रंजिश है।

श्री उपाध्यक्ष–

इस तरह सब लोग बोलना चाहेंगे तो कैसे चलेगा? अब आपको ज्यादा इजाजत नहीं है। आप कैसे बोल रहे हैं?

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

यह बड़ी गम्भीर और दर्दनाक घटना है और आप कहते हैं कि बात खत्म कर दीजिए । जब तक पुलिस का आतंक नहीं खत्म होगा तब तक बात कैसे खत्म हो सकती है? सरकार इस पर क्यों पर्दा डालना चाहती है? जब तक ऐसी घटनाओं पर कन्ट्रोल नहीं लगाया जाएगा, यह घटनायें और ज्यादा बढ़ती जायेंगी। आपकी तरफ के मेम्बर गंगा स्वरूप भटनागर जी यहां बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, उनका हिलता हुआ सिर इस बात की गवाही दे रहा है कि मैं जो कह रहा हूं वह सही है (व्यवधान) यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है (व्यवधान) देखिए संसदीय कार्य मंत्री जी इसका उत्तर देने जा रहे हैं।

(श्री अम्मार रिजवी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप काहे खड़े हो रहे हैं ?

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

आप उनको क्यों रोकना चाहते हैं, कहने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

कहना चाहते हैं तो कहें ।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय सदस्य ने एक हरिजन हत्या और अन्य विषयों पर बात कही। मैं इस पर किसी उच्चाधिकारी से जांच कराकर देखूंगा कि इसमें क्या कार्यवाही हो सकती है।

श्री राज किशोर सिंह–

माननवर, 17 जुलाई को टिहरी जनपद में भारी वर्षा होने, बादल फटने और भूस्खलन से 13 व्यक्ति मर गये हैं। इसके अलावा भीषण वर्षा में बहुत से लोग नदी में बह गये। कई लोग लापता हो गये हैं। इसके कारण से टिहरी जनपद की सारी कृषि योग्य भूमि चौपट हो गई है और फसलें नष्ट हो गई हैं। सड़कें टूट फूट गई हैं और कट कर बह गई हैं। सारे टिहरी अंचल ही नहीं पहाड़ों पर, और जंगलों में भी भूस्खलन से काफी क्षति हुई है। **इससे बहुत से गांव कटकर अलग-अलग** पड़ गये हैं, उनका दूसरों से सम्पर्क समाप्त हो गया है। वहां की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। मैं समझता हूं वहां की घटना पर आप यहां पर चर्चा कराइये, सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की जाय ।

श्री अम्मार रिजवी–

इस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अब सबको समय दे रहा हूं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है?

*श्री अवधेश प्रसाद–

अभी बस्ती जनपद के करहा क्षेत्र में पुलिस ने जिस तरह 11 लोगों की हत्या की है, उसी तरह उससे लगे हुए फैजाबाद जनपद में जो बीकापुर तहसील है, उसमें एक गांव परसूई है। उस गांव के तीन सगे भाइयों सहित पांच लोगों की पुलिस ने हत्या कर दी और पुलिस ने दिखाया कि यह लोग बहुत बदमाश थे। उसने इसके सम्बन्ध में फर्जी मुठभेड़ की घटना बनाई है। पुलिस ने जहां मुठभेड़ की बात कही है, उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बारे में मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस के लोगों को कोई खरोंच तक नहीं आयी है। मैंने घटनास्थल पर जाकर स्वयं देखा है। उसको देखने से वहां की परिस्थितियां बताती हैं कि मुठभेड़ नाम की कहानी बिलकुल फर्जी है । हो सकता है कि क्रिमिनल्स हों, लेकिन रूल आफ दि ला में कानून और व्यवस्था का राज चलेगा और कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई बदमाश है तो पुलिस द्वारा उसको मार दिया जाय इस प्रकार की अगर नीति चली तो लोगों को पुलिस को सबक सिखाना होगा । उसे सबक हमारे हिन्दुस्तान के लोगों को सिखाना पड़ा है तो इससे सरकार को सबक लेना चाहिये। पुलिस के हाथ में इस तरह के जो हथियार दिये जा रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाय। फैजाबाद जनपद में इस तरह से पिछले दिनों 3-3 लोगों की हत्यायें की गयी हैं। सुरेश मिश्रा को थाने के अन्दर जलाया गया है। एक व्यक्ति को थाने के अन्दर और जलाया गया। एक असगर नाम का 80 साल का फकीर था। उसको मारा गया। सरकार ने उसकी मैजिस्टीरियल जांच करवायी । जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फर्जी मुठभेड़ है पुलिस के लोग 302 के मुलजिम हैं। लेकिन सरकार ने आज तक पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी। फाइल गृह मंत्रालय में पड़ी है। पुलिस के लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया। मान्यवर, मैं इस मामले में सी0 बी0 आई0 से इन्क्वायरी कराने की मांग करता हूं और यह भी मांग करता हूं कि इस गम्भीर और अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्य-वाही रोककर चर्चा करायी जाय ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, प्रक्रिया यह है, जो आपको कार्य-स्थगन की सूचनायें प्राप्त होती हैं उनमें आप कुछ स्वीकार करते हैं और हमें भेजते हैं। बहुत सी सूचनायें ऐसी होती हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, उनके बारे में जवाब देने में या सूचना मंगाने में कठिनाई होगी। जो उन्होंने कहा है मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, मैं इस गम्भीर अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को लगातार 5 दिन से दे रहा हूं। आपने आज स्वीकार किया है इसलिये आपको धन्यवाद दे रहा हूं। मेरठ जनपद में पुरवा महादेव का एक प्रसिद्ध मन्दिर है जिस पर लाखों श्रद्धालु शिवरात्रि के त्योहार पर जल चढ़ाते हैं और हरिद्वार से कांवरियों के रूप में जल लेकर आते हैं। ये कांवरिये बरनावा क्षेत्र से गुजरते हैं। 2 तारीख का वाकया है। वे लोग बरनावा क्षेत्र से गुजर रहे थे तो किसी असामाजिक तत्व ने एक झोले में कुछ अवांछनीय सामग्री किसी कांवरिये को दे दी। स्वाभाविक था कि उसके रोष प्रकट करने पर पांच हजार कांवरिये इकट्ठा हो गये। वहां पर डी0 आई0 जी0, मेरठ भी पहुंच गये। पुलिस के लोगों ने वहां पर उनके रोष को सुनने के बजाय डी0 आई0 जी0, मेरठ ने उन कांवरियों पर लाठीचार्ज करवा दिया। कांवरिये, हिंडन नदी और कृष्णा नदी की तरफ भाग गये। कांवर वहां पर रखी रह गयीं। उनको मारा गया। हम लोग भी वहां पर पहुंचे। डी0 आई0 जी0 मेरठ ने साम्प्रदायिक भावना को भड़काने के लिये कांवरियों पर लाठी चार्ज किया । मान्यवर, आप

खुद पता कर लें, मेरठ के जितने विधायक हैं उनसे पूछ लें, वहां पर कोई साम्प्रदायिक भावना का कोई सवाल नहीं था क्योंकि बरनावा दोनों समुदायों का गांव है वहां पर कोई वारदात 2 तारीख को नहीं हुई। डी0 आई0 जी0 3 तारीख से 5 तारीख तक चुप रहे और 6 तारीख को सत्तापक्ष के लोगों से मिलकर लोगों के नाम लिखवाये और पूरे क्षेत्र को रात को घेर लिया और अनेक बुद्धिजीवियों, प्रधानाचार्य, कर्मचारियों, किसानों को पकड़ लिया गया और उनको थाने पर ले जाकर पीटा गया और डी0 आई0 जी0 ने उनको जेल भिजवाया। जेल में सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उनको यातनायें दीं, उनको जूतों से पीटा गया। स्वामी जी जो 3-3 घंटे प्रवचन करते हैं, रामायण का प्रवचन करते हैं उनको पीटा गया। यह अत्यन्त गम्भीर और अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल है इस पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करायें और इसकी उच्चस्तरीय जांच सी0 आई0 डी0 से नहीं बल्कि विजीलेंस से करायी जाय ।

*श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन व शासन के संज्ञान में लाते हुए यह कहना चाहता हूं कि विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोगों की साजिश से रोडवेज विभाग में करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है । राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस 3 रु0 50 पैसे प्रति-किलो मीटर खर्च पर चलती है, जब कि प्राइवेट अन्डरटेकिंग बसें दो रु0 प्रति किलो मीटर खर्च पर चलती हैं । 75 प्रतिशत प्रदेश की सड़कें रोडवेज के अन्तर्गत हैं, जिनके पास केवल 6 हजार बसें हैं। केवल 25 प्रतिशत सड़क 9 हजार बसें प्राइवेट तौर पर चलती हैं। किसी भी सरकारी बसों में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं है । इन सब चीजों में करोड़ों रुपये का घोटाला है । सरकारी बसें तीन वर्ष चलने के बाद समाप्त हो जाती है और प्राइवेट बस वाले तीन वर्ष बस चलाने के बाद दूसरी बस खड़ी कर लेते हैं । उक्त विभाग में मंत्री से लेकर सन्तरी तक करोड़ों रुपये का घोटाला कर रहे हैं । यह जनता की गाढ़ी कमाई मौज मस्ती के लिए खर्च की जा रही है। लेकिन बसों में स्टैपनी भी नहीं रखा जाता, जिससे पंचर होने पर कई-कई दिनों तक सड़क पर खड़ी रहती है । इस घोटाले से जनता में भारी असंतोष एवं क्षोभ व्याप्त है। रोडवेज बस उपभोक्ता आन्दोलन की तैयारी कर रहे हैं । अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाते हुए लोक हित में सदन का सारा कार्य रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय ताकि इस घोटाले का पर्दाफाश हो सके ।

श्री अचल सिंह–

मान्यवर, जनपद फतेहपुर के थाना जहानाबाद के थानाध्यक्ष श्री सुखसागर शुक्ला ने उसी थाने के अन्तर्गत ग्राम प्रधान हरिश्चन्द्र उत्तम की हत्या दिनांक 6-5-86 को करा दी । घटना स्थल पर मैं व गांव के सभी लोग एकत्रित होकर इस घटना की रिपोर्ट सुखसागर शुक्ला के नाम दर्ज कराने की मांग की और उसकी जांच सी0 आई0 डी0 से कराने की मांग की । घटना स्थल पर पहुंचे एडिशनल एस0 पी0 व सी0 ओ0 ने अविलम्ब थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करने का आदेश दिया और उसकी जांच सी0 आई0 डी0 से कराने का आश्वासन दिया । परन्तु 15 दिन बाद उक्त दरोगा दूसरी जगह थानाध्यक्ष बना दिया गया और आज तक इसकी सी0 आई0 डी0 जांच नहीं कराई जा रही है । मैंने एक महीने पहले भी गृह सचिव को लिखकर इसकी सी0 आई0 डी0 जांच कराने की मांग की थी । क्षेत्र समिति, देवेमई के सभी सदस्य सी0 आई0 डी0 की मांग को लेकर अभी तक होने वाली बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे बीस सूत्रीय कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहा है । यह भी सुनने में आया है कि उक्त दरोगा इससे पूर्व जनपद देवरिया में कार्यरत थे और वहां भी इनके ऊपर एक हत्या का मुकदमा कायम है। इन्हें वरिष्ठ स्वजातीय अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होने की वजह से कोई कार्यवाही नहीं हुई । अतः मैं मांग करता हूं कि उक्त घटना की जांच सी0 आई0 डी0 से कराई जाय और सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराई जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि सभी नियम 56 की सूचनाएं सुन ली गयीं और उसका निराकरण हो गया और सभी को अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमारी अपेक्षा रहती है कि आप पीठ पर हैं, तो आप पर न सरकार का दबाव पड़ेगा और न हमारा दबाव पड़ेगा, क्योंकि 4 बजकर 15 मिनट तक कार्य-स्थगन की सूचनाएं आप ले रहे हैं। मान्यवर, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह मेरी और सदन की अपेक्षा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कार्यवाही उठा कर देखिये, कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है।

(व्यवधान)

आज गैरसरकारी दिवस है। मैंने बार-बार कहा कि मैं निर्णय दे रहा हूं, लेकिन लोग खड़े होते जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

लोक सभा एवं विधान सभा के निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु संकल्प (क्रमागत)†

श्री सरदार सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो संकल्प है, वह लोकतंत्र को जिन्दा रखने के लिए एक पवित्र संकल्प है ।

मान्यवर, 26 जनवरी, 1950 को हमने अपने पवित्र संविधान को अंगीकार किया था । मान्यवर, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव का महत्व निर्भीक और निर्विवाद है, लेकिन क्या यह चुनाव निर्भीक और निर्विवाद रह सकेंगे इस पर प्रश्नचिन्ह लग गया है । काले धन का प्रयोग बूथों पर कब्जा, सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग, आकाशवाणी और टेलीविजन का दुरुपयोग तथा असामाजिक तत्वों का प्रयोग निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव में बाधा पहुंचाने लगा है । यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं । चुनाव आयोग जो हमारा स्वतंत्र निकाय है उस की 1984-85 की रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहूंगा। आयोग इस बात पर बल देना चाहता है कि यदि समय से प्रभावी कदम नहीं उठाये गये और प्रशासनतंत्र निर्वाचन के निर्भीक व निष्पक्ष ढंग से संचालन के प्रति प्रतिबद्ध व दृढ़ संकल्प नहीं होता, तो सुनिश्चित करना कठिन होता जायेगा

†17 फरवरी, 1986 से

कि निर्वाचन परिणाम निर्वाचक की मत-पेटी द्वारा अभिव्यक्त की गई मंशा को प्रतिबिंबित करते हैं । मान्यवर, यह 1985 की रिपोर्ट है ।

मान्यवर, आयोग ने मतदान केन्द्रों पर बढ़ते हुए अवैध आधिपत्य के संदर्भ में अपनी यह आशंका भी व्यक्त की है कि यह रोग स्थानीय नहीं रह पायेगा । आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि "यद्यपि इन कुकृत्यों के विरुद्ध शिकायतें कुछ राज्यों के सीमित क्षेत्रों से ही आती हैं, किन्तु सोचने की बात यह है कि ये (कुकृत्य) निर्भीक और निष्पक्ष चुनावों को ही दूषित नहीं करते, निर्वाचक गण के निर्बल वर्गों में भय का संचार भी करते हैं । साथ ही यह अन्य राज्यों व क्षेत्रों के असमाजिक तत्वों को भी इस प्रकार के कुकृत्यों में लिप्त होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ।" मान्यवर, यह आयोग की रिपोर्ट है जो आयोग स्वतन्त्र निकाय है। महोदय आप जानते हैं कि प्रथम तीन चुनाव शान्ति से हुए लेकिन उसके बाद से काले धन के प्रभाव से और सत्तापक्ष द्वारा सरकारी तत्व का दुरुपयोग करने से हमारा आयोग भी भयभीत होने लगा। मान्यवर, आयोग ने भी महसूस किया है और अपनी रिपोर्ट में आयोग ने चिन्ता व्यक्त की है । आयोग जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चुनाव कराना चाहता है और जो आदेश अधीनस्थ अधिकारियों को देता है, वह अधिकारी उसका पालन ठीक से नहीं करते हैं । मान्यवर, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि "तीसरे आम चुनाव की रिपोर्ट में आयोग ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया था कि दंगा फसाद या हिंसा से मतदान कराने की कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ी । बड़े खेद की बात है कि शांतिपूर्ण मतदान का यह रेकार्ड पिछले चुनाव में टूट गया ।"

मान्यवर, आप जानते हैं पिछले विधान सभा चुनावों में जो हमारे वहां के उम्मीद्वार थे श्री मिश्रा जी, उन्होंने बार-बार अनेक शिकायतें की लेकिन वहां अधिकारियों का असामाजिक तत्वों का इतना आतंक था कि कुछ नहीं हुआ। जिलाधिकारी, पुलिस के एस0 पी0 और जितने भी अधिकारी थे सबने चुनाव प्रचार में खुलकर भाग लिया। जो पिछले 1984 में संसद के चुनाव हुए उसमें 10 प्रतिशत से भी अधिक मतदान केन्द्रों से शिकायतें आईं। तो मान्यवर, यह एक गम्भीर मामला है। आयोग के जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे श्री त्रिवेदी जी और श्याम लाल शकधर, इन्होंने साफ स्पष्ट शासन से यह शिकायत की कि वर्तमान प्रणाली को बदला जाय और इसमें परिवर्तन किया जाय। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमारा लोकतंत्र डूब जायेगा, जिन्दा नहीं रहेगा। एक संयुक्त समिति ने केन्द्र सरकार को 1971 में रिपोर्ट दी लेकिन केन्द्र सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद जय प्रकाश जी का आन्दोलन चला उसमें उन्होंने अपनी मांगों के साथ में निष्पक्ष चुनाव कराने की भी मांग की थी। (इस समय 4 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगवती सिंह विशारद पीठासीन हुए) जय प्रकाश नारायण जी ने कांग्रेस फार डेमोक्रेसी में तारकुण्डे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट दी लेकिन शासन की उदासीनता के कारण उस रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं हुआ।

मान्यवर, यह सरकारी पक्ष शासनतंत्र का खुलकर प्रयोग करेंगे, काले धन का खुलकर प्रयोग करेंगे, जो संचार के साधन

हैं उसका खुलकर प्रयोग करेंगे, असामाजिक तत्व और पुलिस एक होकर शासन के पक्ष में मतदान करायेंगे तो कोई भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं यह संकल्प लाया हूं। मैं अपने माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि अब इस पर विवाद की बात नहीं है। आप एक मत से पास करें और केन्द्र सरकार से संस्तुति करें कि चुनाव का कार्य कार्यपालिका के अधिकारी करते हैं जो रिटर्निंग आफिसर हमारे कलेक्टर हैं, हमारे परगनाधिकारी होते हैं उनके स्थान पर जिला जज न्यायिक मैजिस्ट्रेट, जुडीशियल जज काम करें और सारा कार्य उनके अन्तर्गत आ जाय तभी यह निष्पक्ष चुनाव सम्भव है। इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे चुनाव में जो चुनाव के खण्ड हैं उस पर नियंत्रण किया जाय और सरकारी घोषणा से जो सभी पार्टियों को जो मान्यता प्राप्त पार्टी है उनको बराबर पैसा दिया जाय। जितने भी गलत काम हमारी वर्तमान सरकार कर रही है जिससे उनको रोका जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुधार की बात आगे करूंगा अपने सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, कि बिना किसी पक्षपात के मेरे संकल्प का अनुमोदन करें और केन्द्र सरकार को यह अपनी सबल संस्तुति भिजवायें कि जल्द से जल्द हमारी जो चुनाव प्रणाली है उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाय। धीरे-धीरे वर्तमान प्रणाली में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है असामाजिक तत्व पनपते जा रहे हैं। एक सच्चा लोकतंत्र इस देश/प्रदेश में पनपे इसके लिए आवश्यक है कि इसमें परिवर्तन किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो हमारे माननीय सदस्य सरदार सिंह ने संकल्प रखा है कि विधान सभा में या संसद में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जुडीशियरी को लाया जाय यह बात मुझे नितान्त मजाक की लग रही है। जहां तक सवाल जुडीशियरी को लाने का है, यह हमारे भाई ने कैसे सोचा, यहां जुडीशियरी को भी राजनीति में लाना चाहते हैं? जहां तक आपका कहना है कि जुडीशियरी को चुनाव में लाया जाय तो यह खामाखाह जुडीशियरी को घसीटना होगा। तो मेरा अनुरोध यह है कि जो संकल्प रखा गया है इससे मैं बिलकुल एग्री नहीं करता हूं। जो केस हमारे पेन्डिंग हैं जुडीशियरी उनको देखे। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जो वैकेन्सीज जज की हैं, उनको पूरा करें और जो कार्य है जुडीशियरी के उनको पूरा करायें। माननीय सदस्य सरदार सिंह ने जो संकल्प रखा है, उस बात से हम और हमारे सदस्यगण बिल्कुल एग्री नहीं करते और जो हमारे यहां प्रशासनिक तंत्र हैं, उसने जो भी कार्य कलाप किये, उससे आप भी जीतकर आये हैं और हम भी जीतकर आये हैं इसलिए आपने प्रशासनिक तंत्र पर जो आरोप लगाये वह बिल्कुल निराधार हैं और दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि पार्टियों से पैसा मांगा जाय तो पार्टियां कहां से पैसा लाकर देंगी आप जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वह भी निराधार हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया वह बिल्कुल निराधार है और उस पर विचार करना ही निरर्थक है।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मान-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नीय सरदार सिंह बहुत ही चार्मिंग सदस्य हैं इस विधान सभा के और मेरी इच्छा तो नहीं थी विरोध करने की लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत संकल्प का मुझे विरोध करने की जरूरत महसूस हुई। यह बहुत ही भ्रामक और मिसकन्सीव्ड संकल्प प्रस्तुत किया गया है। इस पर हमारे संविधान निर्मात्री समिति में बहुत जोरदार बहस हुई और शुरू से यह बात थी कि एक स्वतंत्र आयोग गठित किया जाय क्योंकि चुनाव का निष्पक्ष होना बहुत ही आवश्यक है और अगर यह निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में आ जायेगी। एक भी व्यक्ति कहीं भी अगर स्वतंत्र रूप से वोट न दे पाये तो उसको वोट देने से रोका जाय तो इससे बड़ा कोई क्राइम हो नहीं सकता, कोई जुर्म हो नहीं सकता। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और यह प्रक्रिया हमारे ऊपर है, हम पर निर्भर करती है, पब्लिक ओपिनियन पर निर्भर करती है कि हम कैसे अपने को संचालित करते हैं, यह इस पर डिपेन्ड करता है। अगर माफिया गिरोह के द्वारा कोई वोट देने की जबरदस्ती करता है तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था बिल्कुल डगमगा जायेगी और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। संविधान के 234 आर्टिकल में यह व्यवस्था की गई है कि एक स्वतंत्र कमीशन हो और कमीशन की व्यवस्था करने के बाद यह भी व्यवस्था की गई कि उनका जो स्तर होगा वह एक सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होगा और उनका वही स्टेटस होगा। उसी तरह स्वतंत्र होने की व्यवस्था है और उसी तरह आज तक उन्होंने स्वतंत्रतापूर्वक कार्य किया है। यह जो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई वह कनेडियन एक्ट के मुताबिक करीब-करीब उसी पर आधारित है और उससे प्रभावित होकर डा0 अम्बेदकर आदि ने उसको रखा। आपने एक बात यह कही कि इसमें जजेज को लाया जाय। मेरा आपसे अनुरोध है कि चुनाव के समय इसमें बहुत बड़े स्टाफ की जरूरत है, बहुत बड़े स्टाफ की आवश्यकता होती है और चुनाव के समय क्लर्क से लेकर नीचे तक के सब कर्मचारी मातहत होते हैं एलेक्शन कमिश्नर के। वह किसी और के मातहत नहीं होता है। कार्यपालिका के मातहत नहीं होता है। वह चुनाव आयुक्त के मातहत होता है। अगर एक पर अविश्वास करेंगे तो सारे स्टाफ पर अविश्वास कर सकते हैं। इतना स्टाफ अलग से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह सम्भव नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। दूसरी बात सम्मानित सदस्य ने कही न्यायपालिका के बारे में। मैं कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका को इसमें लाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दिक्कत पड़ जायेगी, जिससे हम स्वतंत्रता की उम्मीद करते हैं, उस पर धब्बा लग जायेगा। इसलिए इसको अलग रखने की आवश्यकता है। दोनों का काम अलग है। अगर किसी जज को ला दिया जाय तो वही चार्ज आप फिर लगायेंगे। दुनिया में जहां ऐसी व्यवस्था है अमेरिका में प्रेसीडेन्ट सीनेट के एप्रूबल से नियुक्त करता है। इग्लैण्ड और कनाडा में भी यही व्यवस्था है। न्यायपालिका का लेशमात्र संबंध नहीं है। जज क्या काम करेगा और स्टाफ कहां से आयेगा। ऐसा नहीं है कि वह फरिश्ता होता है। यहां भी ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं इसका उदाहरण 77 में मिला सरकार होते हुए सरकार बदल गई, 80 में सरकार होते हुए सरकार बदल गई। एक बात जो आपने कही उस पर ध्यान देने की

आवश्यकता है। चुनाव स्वतंत्र रूप से कराने की जिम्मेदारी हमारे आचरण पर है। हमारा अफसर के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिये, चुनाव कैसे निष्पक्ष रूप से हो यह हमारे आचरण पर निर्भर करता अगर यह प्रयास होगा कि हमको किसी न किसी तरह से फेयर आर फाउल चुनाव जीतना है तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता है। चाहे आप खुदा के फरिश्ते को भेज दें। मैं निवेदन करूंगा कि न्याय-पालिका इसमें नहीं लाना चाहिये।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं अभी माननीय लाल प्रताप सिंह के भाषण को सुन रहा था। वैसे इस संकल्प पर मेरी बोलने की इच्छा नहीं थी लेकिन तथ्यों को इतना तोड़ मरोड़ के रखा गया कि मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। जिस समय संविधान बन रहा था इलेक्शन कमीशन के बारे में बहस हो रही थी काटजू ने मत व्यक्त किया था कि चुनाव संचालन का पूरा तंत्र चुनाव आयोग के अन्तर्गत होना चाहिए। लेकिन यह समझा गया कि चुनाव तो 5 साल में होंगे, इसलिए इतना बड़ा स्टाफ का खर्चा उचित नहीं होगा। उसमें यह कहा गया कि चुनाव आयुक्त जब चुनाव की बात करेंगे तो सरकार पूरी मशीनरी की व्यवस्था करेगी। उस समय हमारे संविधान के निर्माताओं के मन में यह आशंका नहीं थी कि हिन्दुस्तान में जिसके हाथ में सत्ता जायेगी वह हर तरीके का इस्तेमाल करेगा। जिसमें वह जानबूझकर नौकरशाही का ऐसा प्रयोग करेंगे यह आशंका नहीं थी, लेकिन ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिसमें कमीशन ने कहा कि चुनाव कराना है, लेकिन जैसा कि बहुगुणा जी के निर्वाचन क्षेत्र में हुआ था, सरकार ने कह दिया कि अभी हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं हैं। या यह कह दिया कि अभी अमुक कठिनाई है। सरकार नौकरशाही की मशीनरी देने के लिये तैयार नहीं है, इसलिए तारीख बढ़ाई गयी। जबकि कहा यह गया था कि जब भी इलेक्शन कमीशन मांग करेंगे, पूरा प्रशासन तंत्र उनके हवाले करके चुनाव कराए जाएंगे दूसरे जुडीशियरी की बात की जा रही है, तो इसमें भ्रांति नहीं है कि आज के वर्तमान व्यवस्था में शासन के प्रति कितनी शिकायतें आप स्वयं और सभी मा0 सदस्य समय-समय पर संदेह व्यक्त करते हुए निष्पक्ष चुनावों के प्रति आशंका व्यक्त कर चुके हैं और ज्ञापन दे चुके हैं। सभी इस बात को समझते हैं कि बहुत सी शिकायतें हैं। इलेक्शन कमीशन भी इससे सहमत है। सन् 52 के चुनाव में यह बात नहीं थी, लेकिन आज के चुनावों में इलेक्शन कमीशन की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाते हैं। ये पर्यवेक्षक जुडीशियरी के लोग ही होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज आदि होते हैं। लेकिन पर्यवेक्षकों को अधिकार कोई नहीं होता है। एक बार ऐसे ही पर्यवेक्षक के पास मैं एक शिकायत लेकर गया तो उन्होंने कहा कि आप शिकायत दे दीजिए, मैं उसको इलेक्शन कमीशन को दे दूंगा। आज एक बार यदि चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाय तो चुनाव कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि बिना इलेक्शन पिटीशन के यदि गलत परिणाम घोषित किया गया है तो उस पर अंकुश लगाया जा सके। इलेक्शन पिटीशन पर 4-5 साल मुकदमा चलेगा, तब निर्णय होगा। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसी सब के कारण आज इलेक्शन पर्यवेक्षक रखे जाने की व्यवस्था भी पंगु

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो गयी है । लोगों में वर्तमान व्यवस्था के प्रति आशंका उत्पन्न हो गयी है । इसलिए सरदार सिंह जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है । उन्होंने कहा है कि केवल निर्वाचन अधिकारी के पद जुडीशियल व्यक्तियों को दिये जायं ।

मान्यवर, एक-एक जिले में, मेरे सीतापुर जिले में 9 विधान सभा क्षेत्र हैं। उसमें 9 उप निर्वाचन अधिकारियों की जरूरत होती है । इसमें 9 जुडीशियल लोगों को नियुक्त कर लिया जाय, बाकी मशीनरी को सरकारी तंत्र से ले लिया जाय । हर जिले में जो डी0 एम0 होते हैं, वही चुनाव अधिकारी होते हैं । यह बात अलग है कि वे अपने अधिकार का वितरण करके उसे ए0 डी0 एम0 या एस0 डी0 एम0 को दे देते हैं । वह चुनाव अधिकारी के रूप में परमानेंट रूप से काम करता है । इस पद को किसी जुडीशियरी के व्यक्ति को दिया जाय या किसी स्वतंत्र व्यक्ति की नियुक्ति की जाय या जुडीशियरी के ही किसी व्यक्ति को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाय । मैं यह मानता हूं कि मनुष्य दोषों से भरा होता है । कोई भी आदमी गलत काम कर सकता है जिससे व्यवस्था के प्रति आशंका उत्पन्न हो सकती है । लेकिन फिर भी आज हिन्दुस्तान में कार्यपालिका के मुकाबले न्यायपालिका का निर्णय अधिक निष्पक्ष है । भारत और उत्तर प्रदेश की जनता की इसी भावना को लेकर कि चुनाव व्यवस्था के प्रति आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, इसीलिये यह आवश्यक है कि चुनावों में कार्यपालिका के स्थान पर न्यायपालिका के लोग लिए जायं। जहां तक मुझे विधिशास्त्र की जानकारी है चुनाव में राजनीति में न्यायपालिका को घसीटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता । मजिस्ट्रेट स्वतंत्र होता है । जब पर्यवेक्षक बनाकर काम लेते हैं तो उसे चुनाव अधिकारी बनाकर काम लें । इसलिए मैं सरदार सिंह जी के सुझाव का समर्थन करता हूं और अपनी बात पर पुनः बल देना चाहूंगा कि न तो इसमें कोई विधि सम्मत बात है और न ही न्यायपालिका के सम्मान के प्रति कोई बात है । आज चुनाव में धांधली हो रही है । उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम घोषित हो गये, परिणाम बदल दिया गया, था लाइट चली गयी । यह सब जो हो रहा है, हो सकता है शायद जुडिशियरी के हाथ में व्यवस्था आ जाने के बाद कोई रास्ता निकल आये । इसी के साथ मैं माननीय सरदार सिंह के संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री बद्री सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । माननीय श्री सरदार सिंह जी द्वारा यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं । मैं सम्मानित सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात से जरूर सहमत हो जायं । जहां तक चुनाव में न्यायपालिका को लाने की बात सम्मानित सदस्य ने रखी है, मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय सरदार सिंह जी निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे कि उनका जो चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों ने कराया है, ईमानदारी से कराया है और वे आज यहां सदन में हैं । इस बात का निश्चित मत है कि चुनाव जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कराया गया, सही और ईमानदारी से कराया गया ।

इस संकल्प को लाने के साथ-साथ जो विचार व्यक्त किया गया है, मैं उधर के बैठे साथियों से अनुरोध करता हूं कि

जुडिशियरी को इसमें लाने की जो बात कही गयी है चुनाव प्रक्रिया में, जुडिशियरी को इसमें लाना उचित नहीं होगा। जुडिशियरी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाय। इसी के साथ मैं प्रस्तुत संकल्प का विरोध करता हूं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसे क्लासे अप कर दें । इसके बाद कारपोरेशन वाला जो है वह काफी महत्व का है ।

(श्री राज किशोर सिंह के खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो कार्य मंत्रणा की सिफारिश है जितने समय की उस तक जारी रखे । इस पर वोट लेने के बाद अशोक बाजपेयी जी का जो संकल्प है, उसे प्रस्तुत करवा दें ताकि वह बना रहे ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, जो माननीय सरदार सिंह जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । मुझे खेद है कि उधर के माननीय सदस्य इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं । सरकार कहती है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए इस बारे में सरकार बहुत ढोल पीटती है लेकिन अब तक निष्पक्ष चुनाव होते नहीं हैं यह अनुभव है । यह जो उधर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बैठे हैं वह निष्पक्ष चुनाव के जरिये नहीं आये हैं बल्कि बूथों पर जबरदस्ती कब्जा कर वोटों की चोरी कर यहां विराजमान हैं वरना यहां पर मूर्तियां दिखायी नहीं पड़ती । इसलिए वे वकालत करते हैं कि जुडिशियरी नहीं आनी चाहिये जुडिशियरी आने से लाभप्रद नहीं होगा। अनुभव यह बताते हैं कि अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किये गये हैं उन्होंने सरासर बेइमानी की है। बेइमानी वहीं वे नहीं करा पाये हैं जहां विपक्ष के लोग काफी मजबूती के साथ डटे रहे वरना हर जगह प्रयास हुआ हम लोगों के क्षेत्रों में हर जगह प्रयास किया लेकिन उसका मुकाबला किया गया। यह जो डी0 एम0 होता है, जो मुख्य चुनाव अधिकारी है। उसके मातहत एस0 डी0 एम0 होता है और तहसीलदार होता है उनके ऊपर सत्ता का प्रभाव पड़ता है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। वह इनके इशारे पर चलता है इसके खिलाफ एक इंच भी नहीं जाता है। ऐसे अधिकारी को कभी भी निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। एस0 डी0 एम0 तो और गये गुजरे होते हैं उनके संबंधों के बारे में क्या बखान करूं इनका संबंध ऐसे लोगों व तत्वों से होता है और कांग्रेस के लोगों से होता है जिनका इनके ऊपर हमेशा प्रभाव रहता है यह उनके हाथ की कठपुतली बने हुये रहते हैं। अगर एक तहसीलदार निर्वाचन अधिकारी हो जाये जो हमेशा घूस लेता रहता है ऐसे घूसखोर निर्वाचन अधिकारी से निष्पक्षता की आशा कैसे की जा सकती है। उनके नीचे जो गिनती करने वाले होते हैं वह गिनती में बदमाशी करते हैं ।....

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। जब 1979 में इनकी हुकूमत थी और उस समय जब चुनाव हुये थे तो यह क्यों हार गये थे।

श्री राज किशोर सिंह–

आप लोग जिस तरह से यहां पर आये हैं उसके बारे में अपने दिल से पूछिये नहीं तो डाक्टर संजय सिंह से पूछिये सारा जग जानता है अखबारों में आ गया। खैर यह बात अब कहने की नहीं है।

जब भी कोई ऐसा मामला इस सदन में उठाया जाता है तो हम हमेशा मांग करते जूडिशियली की। प्रत्येक जिले में जूडिशियली का प्रर्याप्त स्टाफ है उनको इस चुनाव में पूरा लगाया जा सकता है इसमें एतराज की कोई बात नहीं है। माननीय सरदार सिंह जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि संसद और विधान सभा के चुनाव जूडिशियरी के मातहत और उनके इंतजाम के तहत सारी चुनाव की क्रिया सम्पन्न होनी चाहिये, का हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने इसको समझा नहीं। चुनाव में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पर्यवेक्षक बनाया जाता है उनकी ड्यूटी लगाई जाती है । 1977 में वाई0 बी0 चौहान ने संसद में भाषण दिया था...

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सरदार सिंह जी, आप अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करें ।

श्री सरदार सिंह–

1977 में माननीय नेता विरोधी दल जब नारायण दत्त तिवारी जी यहां पर थे उन्होंने भी उस समय इस बात की मांग की थी । इन्दिरा जी ने भी पार्लियामेन्ट से बाहर इस बात की मांग की थी और यह आप 1984-85 की चुनाव आयोग की रिपोर्ट देखें, जो कि एक स्वतंत्र निकाय है, आर0 के0 त्रिवेदी साहब ने और 1980 में शकधर साहब ने स्पष्ट कहा है कि अगर चुनाव प्रणाली को नहीं बदला गया तो लोकतंत्र डूब जायगा । एम0सी0 छागला साहब ने कहा है कि सत्ता के लोग जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं बल्कि काले धनपतियों और कुबेरपतियों के प्रतिनिधि हैं । श्री वी0 वी0 गिरि साहब ने कह दिया कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग कुबेरपतियों की तरफ झांकते हैं और पार्लियामेन्ट और विधान सभा में आते हैं और जिस तरह से इण्डियन एयर लाइन्स के विमानों का प्रधान मंत्री प्रयोग करते रहे हैं और मुख्य मंत्री सरकारी पैसे से चुनाव प्रचार करते रहे हैं, तो इससे लोकतंत्र नहीं चलेगा । इसलिए अभी समय है, मेरा निवेदन है कि मेरी बात को सही मानें, इससे जुडिशियरी स्वतंत्र रहेगी । अमेठी का उदाहरण दिया । जहां प्रधान मंत्री को 80 हजार वोट मिले वहीं एक मंत्री को 1 लाख 24 हजार मत मिले, प्रधान मंत्री से भी ज्यादा लोकप्रियता हो गई । साफ-साफ कहा है आयोग ने कि जो निर्देश देते हैं, पीठासीन अधिकारी नहीं मानते हैं । जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनको सरकारी अधिकारी नहीं लेते हैं । आगरा में 153 मतों से बी0 जे0 पी0 का कैण्डीडेट जीता, लेकिन थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि उसे 53 वोटों से हरा दिया गया । इसके विरोध में पूरा आगरा बन्द रहा । इस तरह से इस प्रणाली में जो भ्रष्टाचार आ गया है, इसमें परिवर्तन जरूरी है । समय-समय पर आपके जो केन्द्र में कानून मंत्री रहे हैं उन्होंने भी संस्तुतियां की हैं लेकिन सरकार में इच्छाशक्ति की कमी है । सरकारी मशीन का सरकारीकरण कर लिया है इसलिए इस व्यवस्था के पोषक हो गए हैं । समय रहते इस पर विचार करें इसलिए मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं और अपने साथियों से निवेदन करता हूं कि इसको पारित करें और केन्द्र सरकार से संस्तुति करें कि हमारे जो कलेक्टर और परगनाधिकारी हैं, उनके स्थान पर न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति आर0 ओ0 तथा ए0 आर0 ओ0 के रूप में करें और इस प्रणाली को सुधारें ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सरदार सिंह जी का यह संकल्प निराशा और आशंकाओं पर आधारित है । निराशा इसलिए कि जो स्थिति है, निराश होने की स्थिति है, आशंका इस बात की कि न इन्हें अधिकारियों पर विश्वास रह गया है न प्रशासन तंत्र पर । संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत चुनाव आयोग का गठन किया गया, स्वतंत्र चुनाव आयोग है । उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है । आयोग अपने आदेशों और निर्देशों के द्वारा चुनाव सम्पन्न कराता है । जिस समय चुनाव अधिकारी या रिटर्निंग आफीसर चुनाव प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं, उस समय इस काम में कोई नियंत्रण प्रदेश सरकार का या केन्द्र सरकार का नहीं होता है । वे आदेश और निर्देश चुनाव आयोग का मानते हैं। तो मैं नहीं समझ पाता कि आप कौन सी आशंका से ग्रस्त हो गए? क्या आपको इस देश की जनता की बुद्धिमत्ता पर विश्वास नहीं है ? चुनाव तो जनता करती है, उसे कोई अधिकारी नहीं कर सकता है । अभी पिछले दो चुनाव आपने देखे, अगर चुनाव का दुरुपयोग होता तो 1980 के चुनाव में जिसमें प्रधान मंत्री किसी और दल का था फिर भी भारी बहुमत से उस दल को विजय मिली । जनतांत्रिक आस्था में विश्वास रखने वाली जनता ने सिद्ध कर दिया कि वह जिसे चाहेगी उसे वोट देगी ।

व्यवहारिक रूप से आप देखें कि प्रशासनिक सेवाओं को प्राप्त करके चुनाव कराये जाते हैं, निष्पक्षता की बात को लेकर जब शिकायत की जाती है तो हम पिटीशन में जाते हैं । यदि न्यायपालिका के अधिकारियों से हम चुनाव करायेंगे तो फिर पिटीशन को कहां लेकर जायेंगे? अगर न्यायपालिका को वहां ले आयें तो तमाम प्रक्रिया ही ध्वस्त हो जायेगी ।

दूसरी बात हर जिले में जितने भी अधिकारी इलेक्शन आफिसर हैं यदि उनके स्थान पर न्यायपालिका के अधिकारी ला दिए जायं तो कितने अधिकारी आपके पास न्यायपालिका के हैं ? क्या उनके अधीनस्थ अधिकारियों का फिर न्यायपालिका पर नियंत्रण रह पायेगा ? व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए ही अधिकारी बंटे हुए हैं । आपने शायद इसका पूरा अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया । चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और उसी के द्वारा चुनाव कराये जाते हैं । उसे कोई अधिकारियों के साधन के माध्यम की आवश्यकता नहीं है ।

अभी हमारे एक साथी आरोप लगा रहे थे, जिस इतिहास को पढ़कर वे यहां आये हैं, जिस विश्व की आस्था में उनका विश्वास है, उस देश में शायद चुनाव हुए ही नहीं हैं । मुझे उनके साथ सहानुभूति है । मैं सरदार सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे चुनाव आयोग की निष्पक्षता में विश्वास रखें और वे इस देश की जनता में और संविधान में भी विश्वास रखें और अपने इस संकल्प को वापस ले लें । आपने अपना अरमान निकाल लिया है, अब आप अपनी अदूरदर्शिता का परिचय दें और इसे वापस ले लें ।

श्री सरदार सिंह–

वापस लेने का तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रदेश में लोक सभा एवं विधान सभा के निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु केन्द्र सरकार से सबल संस्तुति करता है कि निर्वाचन अधिकारियों के पदों पर न्यायपालिका के न्याया-

धीश व न्यायिक मैजिस्ट्रेट्स की नियुक्तियां की जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मा0 अशोक बाजपेयी का नाम पुकारे जाने पर)

प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में निरन्तर बढ़ते हुए घाटे और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के सम्बन्ध में संकल्प

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)– मान्यवर, मैं अशोक बाजपेयी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के एजेन्डा पर मद संख्या 24 जो है उसे आप देख लें क्योंकि मुझे इसे देख कर बड़ा अफसोस हुआ है। इसमें प्रस्तावक के नाम के आगे अशोक बाजपेयी का नाम लिखा है और उसके बाद लिखा है कि "इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा सार्वजनिक उपक्रमों में निरन्तर बढ़ते हुए घाटे और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय।" मुझे दुख है कि उनके ऐसे सीनियर और बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव लाये हैं। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।

*श्री अशोक बाजपेयी– मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में निरन्तर बढ़ते हुए घाटे और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जाये।

मान्यवर, 3-3-1986 तक 59 कम्पनियां थी और संयुक्त और सहायक कम्पनियां 55 थी। इस प्रकार से कुल 114 कम्पनियां और सहायक कम्पनियां थीं। मान्यवर, सरकार का इन कम्पनियों में कितना धन विनियोजित है, इसको माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बताने का कष्ट करेंगे। आज तक हमें इस बात का पता नहीं है कि इनमें कितना रुपया सरकार का लगा हुआ है। अगर इसकी जानकारी सरकार को हो तो वह बता दे। सारी प्रदेश की जनता का विश्वास है कि सारे उपक्रम जो सरकार के हैं, वह घाटे पर जा रहे हैं। प्रदेश की जनता का करोड़ों रुपया घाटे में जा रहा है और उस पर अतिभार बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप पिछले सालों को देखें तो मालूम होगा कि 370 करोड़ का घाटा इन कम्पनियों में हुआ है। अगर आप 300 दिन का वर्किंग डे मान लें, तो एक करोड़ 23 लाख रुपये प्रतिदिन का घाटा हो रहा है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि **इन सार्वजनिक कम्पनियों पर हमारा लग**भग 6 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। इतनी बड़ी धनराशि हमारी इनमें विनियोजित है और वह घाटा दे रहे हैं, तो प्रदेश का विकास किस प्रकार से हो सकता है। आज यह सार्वजनिक क्षेत्र में घाटा जो हो रहा है उससे प्रदेश का विकास रुक गया है। जो हमारे निगम हैं, वह घाटे में जा रहे हैं और वह जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं और प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है और कोई औद्योगिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। यह सारे के सारे निगम सफेद हाथी की तरह हैं। इसमें सत्ता दल के लोग पलते हैं, उनको इनका अध्यक्ष बनाया जाता है और उनकी सुख सुविधा की व्यवस्था की जाती है। इन निगमों के जरिये से प्रदेश को बहुत हानि उठानी पड़ रही है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना भाषण समाप्त करें, आपका भाषण जारी रहेगा अब हम अगली मद ले रहे हैं।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अध्यादेश, 1986 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1986

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं संकल्प करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अध्यादेश, 1986 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, इसमें मलिन बस्ती का प्राविधान किया गया है, सरकार जब चाहती है, तो उनको तोड़ देती है और उनकी बस्तियों को उजाड़ देती है और उनके स्थान पर नई कालोनियां बना देती हैं, तो मेरा कहना है कि जिन लोगों को उजाड़ा जाता है, उनको रहने की व्यवस्था जरूर की जाये । लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मलिन बस्ती सुधार के नाम पर मलिन बस्तियों को उजाड़ कर नौकरी पेशा करने वाले लोगों को, बड़े लोगों को मकान आवंटित करने का काम यह सरकार कर रही है। इसमें इन्होंने 30 दिन और 90 दिन का समय दिया है कि इस अवधि के अन्दर वे अपनी भूमि का निस्तारण कर सकते हैं। मान लीजिये कोई मकान मालिक कोर्ट में मामला ले गया तो कोई ऐसा नहीं है जो 30 दिन में या 90 दिन में इस मामले का निस्तारण कर सके। इस सरकार ने उसमें ऐसा प्राविधान कर दिया है कि 30 दिन या 90 दिन बीत जाने के बाद यह राज्य सरकार का अधिकार होगा कि वह उस जमीन का उस बस्ती का अधिग्रहण कर ले। यह अवैधानिक है और उनकी अवमानना करने का षड़-यंत्र इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। मलिन बस्ती को तोड़ने का काम यह सरकार कर रही है। लेकिन जो बड़े-बड़े प्रभावशाली लोग हैं जो कि हर शहर में अवैधानिक रूप से कब्जा करके अपना मकान बना दिये हैं, उनके ऊपर देखने वाला कोई नहीं है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में यह सरकार क्या कोई ऐसा उदाहरण देगी कि एक भी ऐसा मकान जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति का हो, अवैध तरीके से जिसने बना लिया हो, उसको अधिग्रहण करने का काम इन्होंने किया हो ? एक भी उदाहरण इनके पास नहीं है कि किसी भी प्रभावशाली का मकान इन्होंने गिरा दिया हो। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बलिया जनपद में माल गोदाम रोड पर कम से कम सैकड़ों मकान ऐसे हैं जो कि अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करके बनाये गये हैं, दुमंजिला, तिमंजिला और चौमंजिला मकान बनाये हैं, उनको गिराने की हिम्मत सरकार में नहीं है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि मलिन बस्ती के लोगों की जमीन अधिग्रहण करने से पहले आप उनमें रहने वाले लोगों को कहीं दूसरी जगह रहने की व्यवस्था कर दें। नगर पालिका के प्रशासक तो किसी का भी मकान अवैधानिक रूप से गिराने लगते हैं और उस दिन गिराते हैं जिस दिन शनिवार हो ताकि दूसरे दिन रविवार पड़ जाय और वह कोर्ट में न जा सके । जब तक सोमवार आता है तब तक सारा मकान ध्वस्त कर दिया जाता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। इस तरह अवैधानिक काम अवैधानिक तरीके से करने और अपने अधिकारियों को और अधिक शक्ति देने का षडयंत्र आप इस अधिनियम से देने जा रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो विधेयक इस तरह से सरकार प्रस्तुत करने जा रही है, उसका हम विरोध करते हैं और अनुमोदन इसलिये करना चाहते हैं कि इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिये जनता में प्रसारित करने के लिये, जनता की राय जानने के लिये भेज दिया जाय, ताकि उनकी दशा को सुधारा जा सके और शहरों का सुन्दरीकरण किया जा सके और प्रभावशाली लोग जो अवैध कब्जा करके अपना मकान बना लिये हैं उनको बेदखल किया जा सके। इसलिये इसे आप जनता में भेज दें। इन शब्दों के साथ मैं अपने अनुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)– मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, यह एक सीधा सादा संशोधन है जो इस विधेयक में किया जा रहा है। 1962 में यह पहली बार पास हुआ था और उसके बाद 1982 में इसको कानपुर में लागू किया गया। अब 1986 में इसमें संशोधन लाया जा रहा है। इसमें धारा 7 और 17 में संशोधन किया जा रहा है। इससे पहले यह प्रक्रिया थी कि किसी भी जगह पर मलिन बस्ती डिक्लेयर हो जाने के बाद वहां पर किसी चीज का निर्माण करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया जाता था और उसमें वर्षों लग जाते थे जिससे मलिन बस्ती सुधार की सारी स्कीमों पर बहुत प्रभाव पड़ता था।

इस संशोधन के द्वारा इसमें यह प्राविधान किया गया है कि 90 दिन के अंदर उस पर कोई निर्णय नहीं होता है तो 30 दिन का एक और नोटिस प्रार्थी देगा और उसके बाद यानी 120 दिन या 4 महीने में कोई निर्णय नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उस पर निर्णय हो गया है।

दूसरा संशोधन यह है कि जो अवैध निर्माण हो गया है उसके बारे में एक महीने का नोटिस देना अतिआवश्यक है इसकी सूचना दो प्रमुख समाचार पत्रों में, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा तथा किसी ऐसे स्थान पर सूचना चस्पा की जायेगी जहां पर सब लोग उसे देख सकें। यह प्राविधान इसलिये किया गया है कि स्लम डेवलपमेंट स्कीम में बहुत सी बाधायें होती है और उन कमियों को पूरा करने के लिये यह प्राविधान किया गया है। हमारी जो नीति है स्लम डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की, उनके विकास करने की उसमें इससे सहायता मिलेगी। इसलिये इस विधेयक को पारित न करना या इस पर टीका टिप्पणी करना या अननुमोदन करना उचित नहीं है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त– अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जहां तक मलिन बस्ती सुधार और उनकी जगह नया रूप देने की बात है और उसको निर्बल वर्ग को देने का प्रस्ताव है उससे असहमत होने का प्रश्न नहीं है। मैंने जो प्रवर समिति का प्रस्ताव दिया है उसका कारण यह है कि हमें एक बात सुनिश्चित करनी है कि जिस बस्ती का अधिग्रहण शासन करने जा रहा है वह जिस उद्देश्य से किया गया है उससे भिन्न काम तो करने नहीं जा रहे हैं। उदाहरण के लिये जो हमारी ऐसी मलिन बस्ती हैं उनका अधिग्रहण इसलिये किया जाता है कि उसमें सुधार कर निर्बल वर्ग के लोगों को बसाया जाय, या जो लोग उजाड़े गये हैं उनको बसाया जाय। लेकिन होता यह है कि आवास बन जाने के बाद या सुधार होने के बाद उन लोगों को जो समाज में पैसे वाले हैं उनको फिर से दे दिया जाता है। क्योंकि सरकार उसके दाम ऐसा रखती है कि जिससे निर्बल वर्ग के लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं इसलिये प्रवर समिति की बात मैंने की है जहां जाकर ऐसे नियम बनाये जांय जिससे जिस उद्देश्य के लिये कार्य किया जा रहा है उसकी पूर्ति हो सके।

दूसरा मूल अधिनियम की धारा 7 में यह था कि कोई भी व्यक्ति जिसका मकान या भूमि मलिन बस्ती में आ गयी है और उसका नोटिफिकेशन शासन ने कर दिया तो उस पर मकान बिना प्रैस्क्राइब्ड अथॉरिटी के नहीं बना सकता है। लेकिन वहां पर भ्रष्टाचार होने से कोई अनुमति नहीं पा सकता था यह एक लैकूना इसमें था। यह ठीक काम किया कि इसमें 90 दिन का बंधन लगा दिया लेकिन इसमें एक गलती की गयी है जिसका सुधार होना आवश्यक है। इसमें आपने भू-स्वामी की एक जिम्मेदारी निर्धारित कर दी है कि वह एक माह का फिर नोटिस देगा इसकी क्या आवश्यकता है। यह प्रतिबंध जानकर लगाया गया है जिससे कर्मचारियों को, ब्यूरोक्रेसी को गलत काम करने का मौका मिल सके। यह गलत है। यह 90 दिन भी ज्यादा है यह 30 दिन से ज्यादा की अवधि नहीं होनी चाहिये और फिर उसके बाद फिर 30 दिन और देना ठीक नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

इसमें एक जगह एक और गंभीर बात लिख दी गयी है आप धारा 3 देखने की कृपा करें। जहां सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी नये भवन का निर्माण या किसी विद्यमान भवन में कोई विस्तार किया गया हो, वहां वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, भवन के स्वामी पर आदेश तामील कर सकता है यह बड़ी गलत बात है। मान लीजिए भू-स्वामी ऐसा है जो निरीह जिन्दगी से गुजर रहा है, बुल्डोजर चलाने की स्थिति आ गई है या सिविल से जीत गया तो अब यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि विधि में व्यवस्था होते हुए भी दूसरे दिन वह एक बुलडोजर चलाकर सबको गिरा दें। इतना ही नहीं इसके आगे गिराने का खर्च भू-स्वामी से लिया जाएगा। पुलिस फोर्स ली जाएगी, तो उसका भी खर्च उससे लिया जाएगा। मैं समझता हूं यह निर्बल वर्ग के प्रति बड़ा अन्याय है।

दूसरे, धारा 17 में जो संशोधन किया जा रहा है, उसको भी देखें। यह बात सही है कि यदि सरकार को किसी निर्माण के लिए भवन या जमीन की आवश्यकता है तो यह अधिकार हमें उसे देना पड़ेगा, लेकिन जो अधिग्रहण की प्रक्रिया है, उसे हमें देखना पड़ेगा कि वह कहीं जनहित

विरोधी तो नहीं है, कर्मचारियों को असीमित अधिकार देने वाला तो नहीं है, जिससे गरीब जनता का शोषण प्रारम्भ हो जाए। इसमें देखें, किसी भवन या जमीन को अधिग्रहीत होना है तो सम्बन्धित व्यक्ति को उसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। सारी इन्ट्रस्टेड पार्टीज को जानकारी मिलनी चाहिए। इसको सिद्धान्ततः सरकार ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन वह अधिकार क्या देने जा रहे हैं? आप इसके लिए (3) के अन्त में देखिये....जिसे उसके द्वारा युक्तियुक्त रूप से अभिनिश्चित किया जा सके रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या अन्य प्रकार से भेजेगा। रजिस्ट्री डाक की बात समझ में मेरे आई लेकिन उससे नहीं भेजते तो यह साफ कर देते कि प्रस्क्राईब्ड अथारिटी का चपरासी जाकर, उसे देकर उसका दस्तखत करवा लायेगा। लेकिन आपने जो यह अन्य प्रकार से कर दिया है, इससे तो सभी बातें निहित हो गई है। इसी प्रकार इस संबंध में डुग्गी पिटवाने की बात है। डुग्गी कौन और कहां पीटेगा। लोग मजदूरी करने गये हैं, दोपहर में उनके यहां डुग्गी पीट दी गई, इस तरह के कानून से वह छूट पा गये किन्तु सूचना वास्तव में किसी को नहीं मिली। मैं समझता हूं कि अधिकारी को यह अधिकार देना निर्बल वर्ग के प्रति अन्याय होगा। इसलिए यद्यपि मैं सिधान्ततः मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम से सहमत हूं, किन्तु इसके डिटेल से घोर आपत्ति है। इस व्यवस्था से निर्बल और गरीब वर्ग का अहित होगा। इसलिए इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना अत्यन्त आवश्यक है। मैंने ओरिजनल एक्ट भी पढ़ा है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि जिन लोगों को उजाड़ा जाएगा उनको बसाया अवश्य जाएगा। उनकी रुचि और सुविधा के अनुसार उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। मान लीजिये, कोई गरीब लोग कहीं रहते हैं, वह भैंस गाय पालने का कार्य करते हैं। उनको आपने उजाड़ दिया और उन लोगों को एक कमरे का मकान बनाकर दे दिया, तो आप कल्पना करें कि उसका परिवार एक कमरे के फ्लैट में कहां रहेगा। कहां उसके बच्चे रहेंगे और कहां उसके जानवर बांधें जायेंगे। इस पर विचार करना आवश्यक है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात एक अन्य बात है और वह यह है कि सरकार द्वारा पीपुल्स पार्टिसपेशन की बात कही जाती है, लेकिन उसके जो रास्ते दिखाए गये हैं, उनका पालन कहीं भी सरकार किसी तरह नहीं कर रही है। इसलिए इसको जनता के हित में और इसमें वांछित भावना के अनुकूल लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि इसे प्रवर समिति में अवश्य भेज दिया जाए। यह कहा जा सकता है कि 30 दिन की इसमें देर हो जाएगी।

मान्यवर, मैं सिद्धांततः इस बात का विरोधी हूं कि आर्डिनेन्स लाया जाय। इसको लाने की क्या जरूरत थी। संविधान के तहत विधायिका का अधिकार राज्यपाल को मिल गया है, राज्यपाल को ऐसे गलत सुझाव देकर इस अधिकार को दुरुपयोग कराने की साजिश इससे प्रकट है। ऐसी कोई चीज नहीं थी कि आर्डिनेन्स लाते। इसलिये मैं समझता हूं कि 30 दिन और प्रतीक्षा कर ली जाय। इसमें कोई बाधा हानि नहीं होनी चाहिये। शासन पक्ष का बहुमत रहेगा और वहां इस पर अच्छी तरह से विचार करके, जनता के हित पर अच्छी तरह से विचार करके विधेयक लायें। इस बात पर बल देते हुये मैं इसको प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय राजेन्द्र गुप्त जी का बहुत आभारी हूं, उनका मेरा बहुत पुराना साथ है । जीवन में पहली बार उन्होंने कांग्रेस सरकार की अच्छी बातों की तारीफ की है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हम तारीफ करने के लिये लालयित रहते हैं और ललचायी नजर से देखते हैं, लेकिन अफसोस कोई मौका ही नहीं मिलता कि तारीफ करें । इसलिये गलतियां निकालते हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इनकी मजबूरी पर मुझे बहुत रहम आ रहा है । मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने कहा कि इसकी स्प्रिट से वह पूरी तरह से सहमत हैं लेकिन यह मलिन बस्तियों को बसाने के लिये बल्कि उजाड़ने के लिये किया जा रहा है । तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर वह 1962 का मूल विधेयक देखें तो उससे पता चलेगा कि मलिन बस्तियों के संबंध में जो उसमें प्राविधान है वह यह है कि जो स्लम एरियाज में रहने वाले हैं उनको वहां बसाया जाय और स्वामित्व दिया जाय । तो इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिये कि जो स्लम एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनको उजाड़ने की बात की जा रही है । सरकार का दृढ़ संकल्प है कि उनको बसाया जाय और अधिक से अधिक सुविधायें उनको दी जायं । दूसरी बात मान्यवर, उन्होंने कहा कि 30 दिन कर देना चाहिये था । मान्यवर, 30 दिन का समय तो पत्राचार में ही गुजर जाता है । इसीलिये रिमाइंडर का प्राविधान रखा गया, 90 दिन का प्राविधान रखा गया है । पहले बरसों कागज पड़े रहते थे अब 3-4 महीनों में उसका निस्तारण किया जाता है तो यह एक रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी कदम है। हमने यह शुभारंभ किया है । आगे हालात ठीक होंगे तो इसको और कम किया जा सकता है । 90 दिन पहले और 30 दिन बाद में किये गये हैं । दूसरी माननीय गुप्त जी ने सूचना देने के बारे में शंका प्रकट की । आप देखें तो काफी विस्तृत रूप से, बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है । 2 अखबारों में जो उस एरिया के होंगे प्रकाशन किया जायगा । नोटिस को ऐसी जगह पर लगाया जायगा जहां पर लोग उसको देख सकें । उसके बाद रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिये से या दूसरे तरीके से जो प्रभावित लोग हैं उन तक सूचना, नोटिस दी जायगी । यह सुनिश्चित किया जायगा कि जिन लोगों के पास नोटिस पहुंचना चाहिये वह पहुंचें । आखिर में उन्होंने कहा कि आर्डिनेन्स क्यों लाया गया । मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं कि कम से कम आर्डिनेन्स लाना चाहिये । आर्डिनेन्स लाने की प्रक्रिया जितनी कम कर सकें उतना बेहतर है । लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जब आर्डिनेन्स लाना पड़ता है । जब वह शासन में थे तो देखा जाय तो आर्डिनेन्स की एक लिस्ट उसमें भी मिलेगी । तो चाहे कोई भी सरकार हो, जिस वक्त सदन का सत्र न हो और आवश्यकता पड़ जाय और कानून बनाने की जरूरत हो तो वहां पर आर्डिनेन्स लाना पड़ता है । इसी वजह से 11 जून, 1986 को यह अध्यादेश लाना पड़ा । एक प्रश्न गुप्ता जी कर सकते हैं जो उन्होंने नहीं किया कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों यह लाया गया?

मान्यवर, जैसा मैंने अभी पहले आपसे निवेदन किया था कि 1982 में हमने एक विस्तृत स्कीम कानपुर में लागू किया। वह स्कीम वहां के स्लम को ठीक करने के लिए, वहां की वाटर सप्लाई के लिए,

वहां की ड्रेनेज के लिए, जो वहां सालिड बैस हैं, उसके लिए 44 करोड़, 30 लाख की स्कीम कानपुर नगर के लिए बनाई गयी । उसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता स्लम एरियाज को दी गयी। हम स्लम एरियाज के 12 हजार लोगों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था करने जा रहे हैं । यह 44-45 करोड़ रुपया विशेषकर स्लम एरिया के लिए मिल रहा है । इसलिए जरूरत ऐसी आ गयी कि हमें अध्यादेश करना पड़ा और हर एक सरकार को करना पड़ेगा, जिस वक्त ऐसी जरूरत आयेगी । इसके पीछे जो स्प्रिट है, उसी स्प्रिट और भावना को देखते हुए ऐसा किया गया है। माननीय गुप्ता जी दिल से इससे सहमत हैं । आज उन्होंने सच बोलने का प्रयास किया है। माननीय गुप्ता जी से मेरा अनुरोध है कि उनका जो यह प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है, उसे वह वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय गुप्ता जी, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसमें कोई ऐसी बात माननीय मंत्री जी ने नहीं कही, जिससे मैं इसे वापस लेता । मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अध्यादेश, 1986 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, 4, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1986

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा ।

(2) यह 11 जून, 1986 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1962 की धारा 7 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 7 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रार्थना पत्र देने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के भीतर अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इन्कार करने का कोई आदेश संसूचित न किया जाय, वहां आवेदक लिखित संसूचना द्वारा इस चूक या उपेक्षा की ओर सक्षम प्राधिकारी का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और यदि ऐसी चूक या उपेक्षा 30 दिन की अग्रतर अवधि तक बनी रहे तो यह समझा जायगा कि सक्षम प्राधिकारी ने, यथास्थिति, ऐसा निर्माण, विस्तार या परिवर्तन करने की अनुज्ञा दे दी है।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी नये भवन का निर्माण या किसी विद्यमान भवन में कोई विस्तार किया गया हो, वहां वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, भवन के स्वामी पर आदेश तामील कर सकता है जिसमें उसे ऐसे भवन या विस्तार को, ऐसी अवधि के भीतर, जो एक मास से कम न हो, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, गिराने का निदेश दिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि भवन के स्वामी को यह कारण बताने के लिए कि क्यों न आदेश दिया जाय, युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञा न देने के आदेश से या उपधारा (3) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से एक मास के भीतर उसके विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकता है जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) यदि भवन का स्वामी उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन भवन गिराने के लिए दिये गये आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे न्यूनतम बल का प्रयोग करके, जैसा आवश्यक हो, ऐसे भवन या उसमें किये गये विस्तार को गिरा सकता है और गिराने का व्यय स्वामी से भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जा सकता है।"

धारा 17 का संशोधन

3–मूल अधिनिययम की धारा 17 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्–

"(1) (क) जहां सक्षम प्राधिकारी का ऐसी सूचना के आधार पर, जो उसे प्राप्त हुई हो या अन्य प्रकार से उसके पास हो, यह समाधान हो जाय कि किसी मलिन बस्ती क्षेत्र या निपातन क्षेत्र में किसी भूमि या भवन या दोनों का अर्जन करना उस क्षेत्र में किसी भवन या भूमि के संबंध में कोई सुधार कार्य करने या भवन गिराने के किसी आदेश को कार्यान्वित करने के लिए या किसी निपातन क्षेत्र के पुन: विकास या मलिन बस्ती क्षेत्रों के निवासियों के पुनर्वासन के प्रयोजन के लिए आवश्यक है, वहां वह सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि या भवन या दोनों का अर्जन करने का अपना अभिप्राय घोषित कर सकता है ।

(ख) सक्षम प्राधिकारी एक नोटिस जिसमें ऐसे समय के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, यह कारण बताने के लिए कि क्यों न इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसी नोटिस में निर्दिष्ट भूमि या भवन का अर्जन कर लिया जाय :–

(एक) उस क्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होगा, प्रकाशित करेगा;

(दो) उस क्षेत्र में सुविधाजनक स्थानों पर चिपकवायेगा ;

(तीन) भूमि या भवन के समस्त स्वामियों को और उसमें हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को, जिनका नाम और पता सक्षम प्राधिकारी को ज्ञात हो या जिसे उसके द्वारा युक्तियुक्त रूप से अभिनिश्चित किया जा सके रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या अन्य प्रकार से भेजेगा।"

निरसन और अपवाद

4–(1) उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 1986

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3, खण्ड 4, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1986 के अननुमोदन का संकल्प तथा उ0 प्र0 सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1986 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, यह बार-बार चुनाव टालते जाने और चुनाव न कराने की मंशा को पुष्ट करते रहना, जनमानस में, चुनाव होंगे इसके बारे में अविश्वास उत्पन्न होता जा रहा है और अविश्वास मजबूत होता जा रहा है। इस अध्यादेश के द्वारा पुनः शासन ने इसमें समय मांगा है। वास्तविक स्थिति यह है कि निर्वाचित लोगों के अभाव में जो प्रशासक हैं, जो अधिकारी हैं, जिस तरह से यह सहकारिता विभाग में लूट मचाए हुए हैं इसके कारण जो धारणा सहकारिता विभाग के बारे में खराब हुई है वह अब और बलवती होती जा रही है। इसमें मैं एक जिले का उदाहरण देना चाहूंगा। मान्यवर, बस्ती जिले में ऐसे बहुत बड़ी संख्या में गांव हैं, जहां फर्जी बेनामी कर्जे बंटे हुए हैं और इन कर्जों की वसूली जिन गरीबों के पास से की जाती है वह परेशान होते हैं। मैंने अभी बस्ती जिले के बारे में कहा है, उसके बाद प्रदेश के बारे में कहूंगा। मान्यवर, बस्ती जिले के उपनिबन्धक सहकारिता विभाग श्री यादव जी का ट्रांसफर हो गया उन्होंने कहा था कि विधायक जी, जितना बड़ा सहकारिता विभाग बस्ती जिले में काम करता है, इतना ही बड़ा विभाग जांच करने के लिए लगा दिया जाए तो भी शायद यह जांच नहीं निपट पाएगी। जहां फर्जी बेनामी कर्जे बांटे गये हैं, सचिव लोगों का जिस तरह से एकाधिकार है जिस तरह से वही सूची बनाते हैं वही चेक बनाते हैं, वही आवंटन करते हैं, वही जिसके नाम देना होता है, उसके नाम भरकर ले लेते हैं, इतनी ज्यादा धांधली उत्पन्न हो गयी है कि पूरी जनता उससे त्रस्त है।

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा प्रदेश की बात आई है शायद और भी माननीय सदस्य इसमें अपने अनुभव रखें। मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में अरबों में धन होगा, जो सचिव महोदय ने और विचौलियों ने मिलकर खा लिया है और गरीब किसानों के नाम कागज में चढ़ा दिया गया है। फलस्वरूप जो उद्देश्य सहकारिता विभाग का है वह विफल हो रहा है। समय बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। यह

सितम्बर का महीना चल रहा है और यदि यह एकाध महीने का समय बढ़ाते तो भी ठीक था लेकिन इतनी बड़ी अवधि ठीक नहीं है। फिर बजट सत्र विधान सभा का होगा फिर एक साल के लिए चुनाव टल जायेंगे। चुनाव न होने के कारण सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार और लूट का बोलबाला है वह अब और भी बढ़ गया है। सचिव और कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं इसलिए मैंने इस अध्यादेश का अननुमोदन करने के लिए यह संकल्प प्रस्तुत किया है।

(इस समय 5 बजकर 29 मिनट पर श्री अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी हर जिले में कोई ऐसी सेल जो डिप्टी रजिस्ट्रार से भी ऊंचे अधिकारी हैं, उनकी गठित करने की कृपा करेंगे, जो इस तरह की दरख्वास्तें रिसीव करें और जांच करें तथा निस्तारण करें, जो सहकारिता विभाग की शिकायतों के संबंध में हों। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इतना स्वीकार कर लें। और हर जिले में एक उच्चाधिकारियों का सेल ऐसा बना दें जो इस तरह की दरख्वास्तें जिनमें बेनामी फर्जी ऋण दिये गये हैं। किसान मजदूर त्रस्त हैं, परेशान हैं। उनकी दरख्वास्तें ली जाय और उनको निस्तारण करने का प्रबन्ध कराया जाय तो बहुत बड़ी तादाद में जो गरीब तबाह किये जा रहे हैं उनको मुक्ति मिल सके। चुनाव को आप टालने जा रहे हैं, मैं जानता हूं कि यह चुनाव टाल करके फिर से नीचे से ऊपर तक जो बाटो-खावो अधिकारी चला रहे है वह जारी रख सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अनुमोदन की संकल्प मैंने रखा है। माननीय मंत्री जी इस अध्यादेश को वापस ले लें और चुनाव तत्काल कराने की घोषणा कर दें जिससे चुने हुए जनप्रतिनिधि आ जांय तो सम्भल जायेगा, जो अधिकारी/कर्मचारी डिपार्टमेंट को खा रहें हैं, इससे विभाग बचेगा, मंत्री जी की इज्जत बचेगी। सरकार के नाम पर जो धब्बा लग रहा है, वह बचेगी। इसलिए मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से संकल्प प्रस्तुत किया है और इसका अननुमोदन किया है जिससे मंत्री जी इस अध्यादेश को वापस लेने की कृपा करें।

सहकारिता मंत्री–(श्री अरुण कुमार सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

अभी मान्यवर, हमारे पूर्ववक्ता श्री हरीश जी ने आशंका व्यक्त की चुनाव टल जाने की। मैं यह मान सकता हूं कि उनके मन में यह आशंका उत्पन्न हो सकती है। चुनाव में थोड़ा व्यवधान भी रहा जिसकी वजह से नहीं हो पाया। इस विधेयक के माध्यम से जो समस्याएं रखी है इसके पीछे मंशा यह है कि उस समय विधान मंडल सत्र में नहीं था और अध्यादेश लाया गया क्योंकि उसकी अवधि समाप्त हो रही थी 21 जून को। ऐसी स्थिति में अब स्वयं उसकी पुष्टि में माननीय सदन से चाहता हूं और इस विश्वास के साथ कहता कि मैंने पहले भी सदन में व्यक्त कर दिया है कि माह अक्तूबर से चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जायेगी और

निश्चय ही चुनाव सम्पादित करा दिये जायेंगे। यह बात सही है और यह दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा कि मान्यवर, कतिपय कारणों से इच्छा होते हुए भी, चुनाव के कार्यक्रम को और चुनाव की कार्यवाही शुरू की गयी लेकिन चुनाव सम्पादित नहीं हो पाया। पिछले दिनों भीषण वर्षा के कारण, ऐसे अवसर पर जो हमारी क्षेत्रीय समितियां हैं, कृषि उत्पादन सहकारी समितियां हैं वह जल प्लावित हो चुकी थीं उस समय बड़ी पैमाने पर चुनाव प्रक्रिया तय करी जाती तो वह अछूते रह जाते और सही ढंग से कोई चुनाव का स्वरूप सुनिश्चित न हो पाता। किसान बाढ़ की विभीषिका में फंसा हुआ था। उस समय सारे जन प्रतिनिधियों की इच्छा को देखते हुए चुनाव को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद मान्यवर, बीच में ऐसी भी स्थिति आई कि चुनाव संस्थाओं के लिए चयन की प्रक्रिया को दोहराया जाय । अपनी समिति के माध्यम से ऋण की वसूली का अभियान एक विशेष अभियान है। जो हमारे संस्थाओं के अधिकारी और कर्मचारी हैं वे अगर युद्धस्तर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते तो वह भी एक बोझ है, एक वित्तीय भार हमारे ऊपर बढ़ जायेगा और समस्याओं के बीच स्थिति सुनिश्चित नहीं रह पायेगी और ऐसी स्थिति में चुनाव हो पाना सम्भव नहीं होगा। जैसा कि माननीय हरीश जी ने फर्जी लोन या बेनामी लोन का जिक्र किया मान्यवर, जब कभी भी ऐसी चीजें प्रकाश में आती हैं तो उसकी छानबीन की जाती है । ऐसे फर्जी ऋणों के बारे में अधिकारी स्तर पर देखा जाता है । जब कभी कभी यह चीजें प्रकाश में आती हैं तो उसकी व्यवस्था है और अधिकारी उसका परीक्षण करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है तो उसके बारे में कार्यवाही की जाती है। आपने जो बताया, बस्ती जिले का कुछ प्रकरण आया, मैं मानता हूं कि कहीं आपके दिलो दिमाग में कुछ चीजें आयी होंगी माननीय सदस्य ने जो शंका व्यक्त की है वह हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे तो मैं उसका परीक्षण करवा लूंगा और जो ऐसी चीजें होंगी उनके ऊपर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय सहकारिता मंत्री का भाषण मैंने सुना । उत्तर प्रदेश की एक अजीब स्थिति है। सर्वहारा वर्ग जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनके विकास के लिए सहकारिता आन्दोलन बड़ा सशक्त समझा गया और सहकारिता के सिद्धान्त के सम्बन्ध में यदि किंचित जानकारी कोई रखता होगा तो वह समझेगा कि नौकरशाही के चंगुल से हटाकर स्वतंत्र रूप से जब तक यह उनके हाथ में नहीं दिया जायेगा तब तक यह आन्दोलन अपने वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता । हमारे देश में महाराष्ट्र ने सहकारिता आन्दोलन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारे उत्तर प्रदेश की अजीब हालत है। अभी मंत्री जी ने कहा कि सब जन प्रतिनिधियों की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तिथि बढ़ा दी गई है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा

गुमराह करने वाली बात और कोई नहीं हो सकती। मुझे याद है कि जब इस प्रकार की घोषणा की गई थी तो विपक्ष के ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भी जिम्मेदार व्यक्ति ने समाचार-पत्रों के माध्यम से और मौखिक वार्ता में इसका कितना विरोध किया था इसे मा0 मंत्री जी नकार नहीं सकते हैं। मा0 मंत्री जी बिल्कुल गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं।

मान्यवर, इस सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार तो है, करोड़ों रु0 का गबन है मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन इससे सरकार की नीयत जाहिर होती है। 31 जून, 86 तक आपके पास यह अधिकार था और 21 जून को आपने आर्डिनेन्स जारी कर दिया, उस समय कितने स्तरों पर चुनाव की प्रक्रिया जारी हो चुकी थी। आपने एक बात कही कि जल प्लावन भर गया था। अभी आप जब जवाब देंगे तो बताने का कष्ट करें कि आपने क्या किसी एक समिति को भी वर्षा में ढह जाने के कारण आरक्षण अनुदान दिया अगर एक को भी दिया हो तो आपकी बात मैं मान लूंगा। यह आपने सहकारिता के मूल सिद्धान्तों पर कुठाराघात किया है। मैं जानना चाहूंगा कि जो जमानत का पैसा जमा हो गया उसमें आपकी क्या नीयत है साफ बता दें। आखिर जो चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई, निर्वाचन एक्ट में क्या प्राविधान है, मैं जानता हूं। जो आप जमानत का पैसा जमा किया और अगर किसी गड़बड़ी के कारण चुनाव नहीं होता तो जमानत का पैसा भी वापस नहीं होता है, इसको आप वापस क्यों नहीं करते। रोज सरकार आर्डिनेन्स जारी करती है, नियमों में परिवर्तन करती है, संशोधन करती है इस तरह का नियम न बनाने का क्या कारण है। वह पैसा उनको वापस कर दिया जाय, यह बड़ी न्याय संगत बात है। यह बात पहले भी प्रश्नों के दौरान उठी थी परन्तु उस समय आपने इसका उत्तर नहीं दिया। आज पुनः मौका पाकर फिर यह बात रखना चाहता हूं कि जो रु0 आपके पास जमानत का आ गया है उसको वापस कर दिया जाय। रिफन्ड करने के लिए या स्टे करने के लिए आपको कोई कानूनी बाधा नहीं है। इस तरह से तो आप सर्वहारा वर्ग को मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहे हैं।

आज पूरे उत्तर प्रदेश का हर विधायक रम्भा रहा है, जिसका गांव से सम्बन्ध है वह जानता है कि आपने खाद में छूट देने की बात की। खाद सहकारिता विभाग से बटनी थी। छूट नहीं दी गई, बैंकों ने क्या किया काश्तकारों के खाते में पैसा डाल दिया। आपने फिर कहा कि छूट 31 मई तक जारी रहेगी। पी0 सी0 एफ0 या अन्य विभाग जो आदेश प्रसारित होना था मैं सीतापुर के आधार पर कह सकता हूं कि वह आदेश आज तक नहीं पहुंचा। किसान कर्जदार हो गया और उसको आप खाद नहीं दे रहे हैं। एक बार मैं माननीय मंत्री जी से सीतापुर सहकारी बैंक के बारे में मिला और ज्योंही मैंने कागज देना चाहा मंत्री जी ने मुझसे खुद कहा, मैंने आगे बात नहीं कही। बात व्यक्तिगत थी लेकिन अगर उसको प्रकट करूं तो कोई असंसदीय बात न होगी। मंत्री जी ने कहा चेयरमैन के खिलाफ ला रहे हैं, मैं उसको हटाने जा रहा हूं वह बहुत उद्दण्ड आदमी है। हटाने की बात तो छोड़ दीजिये जिस समस्या को मैंने मंत्री जी को दिया था दलीय दृष्टि से और भेदभाव के आधार पर

उसका निदान आज तक नहीं हुआ । वहां के सचिव ने कहा राजनीतिक दबाव डलवाते रहे । वह लड़के एडहाक पर रखे गये थे उनको निकाल दिया गया वह ट्रिब्यूनल से जीत गये फिर बैंक हाई कोर्ट जाने वाली थी लेकिन उस समय काशीनाथ मिश्रा मंत्री थे उन्होंने लिख दिया कि यह मामला हाई कोर्ट में नहीं जायेगा। लड़के नौकरी में आ गये । लेकिन उनको प्रमोशन या एरियर नहीं मिलना चाहिये । 5 लड़के थे एक को मिल गया और 4 को नहीं मिला। नहीं मिलना चाहिये तो किसी को नहीं मिलना चाहिये । वहां के सचिव ने कहा कि 3 हजार रुपया दीजिये सारा काम हो जायेगा । 4 दिन से मैं यहां हूं पता नहीं उन लोगों का काम हुआ या नहीं । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि वह हड़िया का एक चावल देख लें । आप इस मामले को देख लें अगर सही हो तो करें नहीं तो मैं दुबारा गलत तर्क करने नहीं जाऊंगा। लेकिन यदि मेरे तर्क में बल हो और यह सही हो तो इसको कर दें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो चारों तरफ प्रशासक आपने बना रखे हैं इनकी कोई वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। नियमों में है कि जो डिफाल्टर हैं उनको नहीं बनाया जायेगा, उनको क्यों बना दिया । आप नामांकन करें हम उम्मीद नहीं करते हैं कि आप हमारी पार्टी के लोगों को नामांकित करेंगे, आप अपनी पार्टी के लोगों को करें लेकिन भगवान के लिये ऐसे लोगों को न कर जो डिफाल्टर हैं। इसीलिए काशीनाथ मिश्र ने कहा था कि सहकारिता आन्दोलन में लगे हुए लोगों में 80 प्रतिशत अपराधी हैं। एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि जमानत का जो रुपया जमा कराया गया है उसके बारे में सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे कि क्या करने जा रहे हैं। मैंने इसको प्रवर समिति में भेजने की बात कही है, चाहे नगरपालिका का चुनाव हो, सहकारी समितियों का चुनाव, मण्डी परिषद का चुनाव हो राजीव गांधी से लेकर नीचे स्तर तक के लोग कहते हैं कि हम जन भावना का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं तो आखिर जन-सहयोग प्राप्त कैसे करेंगे। यह तभी प्राप्त होगा, जब जो इलेक्टेड इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनके ऊपर जन-प्रतिनिधि बैठ जायं । नगरपालिका के चुनाव आप करायेंगे नहीं, जिला परिषद् के चुनाव आप करायेंगे नहीं, मण्डी समिति के चुनाव आप करायेंगे नहीं तो जन सहयोग आपको कैसे मिलेगा । आप अपनी कथनी और करनी में साम्य स्थापित कीजिए। आप कहते हैं कि चुनाव टाले नहीं जायेंगे, हमें आशंका होती है । इसके पहले भी बहुत बार आपने वादा किया है लेकिन चुनाव टाल दिए गंए । इसलिए हमें ही नहीं आपके पक्ष को भी आशंका है कि चुनाव करायेंगे या नहीं । आप यह आश्वासन दे दें कि 31 दिसम्बर के पहले चुनाव प्रक्रिया अवश्य पूरी हो जायगी, जमानत का पैसा रिफण्ड करेंगे या उसका एडजेस्टमेंट करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इसको प्रवर समिति में भेजने के अपने प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं ।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, माननीय गुप्त जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं । सर्वप्रथम तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भेजने का कोई औचित्य नहीं है । यह एक बहुत छोटा सा संशोधन है और इसका उद्देश्य यही है कि चुनाव हों और मा0 मंत्री जी ने आश्वासन दिया है चुनाव निश्चित ही होंगे । अभी परसों भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ था । मा0 मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था चुनाव की प्रक्रिया बहुत शीघ्र ही पूरी होगी और इसी उद्देश्य से यह विधेयक भी आया है। वास्तव में सहकारिता का एक उद्देश्य है। एक समय वह था, जबकि ज्वाइन्ट स्टाक कंम्पनीज की मोनोपली थी । वह इस तरह से बढ़ती जा रही थी इसलिए दुनिया के विद्वानों ने सोचा कि कोई तरीका ऐसा निकाला जाय जिससे गरीब आदमी को और लोगों को आसानी हो और कोई मोनोपली न स्थापित हो । इसी गरज से यह किया गया था और यह एक जन आन्दोलन है जो कि जनता से बिलकुल नजदीक है । इसको सफलता तभी हो सकती है जब इसे ऊपर से थोपा न जाय, बल्कि नीचे से आए । यह भावना जब ऊपर से लादी जायगी तब काम नहीं हो सकता । सहकारिता की सफलता के लिए चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। मैं मा0 गुप्त जी की बात से सहमत हूं कि इस आन्दोलन के लिए मन में भावना पैदा होनी चाहिए, नीचे से इसको आना चाहिए । इसको आफिशियल प्रभाव से दूर रखना चाहिए । आफिशियल प्रभाव होगा तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा । चन्द बातें और हैं । इसका यह भी उद्देश्य है कि सहकारिता से नवयुवकों और महिलाओं को भी जोड़ा जाय और ऐसी समितियां बनें जो नवयुवकों और महिलाओं की समितियां हों । इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है । एक बात और कहना चाहता हूं कि इसके चुनावों में फ्यूडल फोर्स आती है, गरीब जनता नहीं आ पाती । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जन-प्रतिनिधि और सही इरादे वाले लोग जिनको सहकारिता आन्दोलन का अनुभव हो, उनको आना चाहिए । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारा जो यह सहकारिता आन्दोलन फ्यूडल फोर्स की ग्रिप में है उससे ऊपर उठने की आवश्यकता है । इस आन्दोलन को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है । मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि चुनाव होंगे । यह सरकार चुनाव कराने के लिए कमिटेड है । इससे हम हट नहीं सकते । कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं जिससे चुनाव न हो सकें, लेकिन इसको प्रवर समिति में भेजने का कोई औचित्य नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुप्ता जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आज पुनः चुनाव का समय बढ़ाने का यह विधेयक मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है जिसकी बहुत दिनों से प्रक्रिया चल रही थी । लाल प्रताप सिंह जी ने इसे एक छोटा सा संशोधन बताया । श्रीमन्, छोटा हो या बड़ा यह तो वो लोग जाने हम लोग तो यही जानते हैं कि समय बढ़ाने के लिए विधेयक लाए हैं ।

मान्यवर, मेरा तो मत है कि चुनाव हो जाने चाहिए इसका संचालन जन-प्रतिनिधियों के हाथों में सौंप देना चाहिए चाहे वह जिस भी दल के हों । जन-प्रतिनिधि जनता के हित को ऊपर रखकर के काम करेंगे । मंत्री जी भी इसी बात को कहते हैं कि यह कठिनाई आ गई जिस कारण चुनाव कराने में असमर्थ हैं। मंत्री जी भी इससे सहमत होंगे कि अधिकारियों के हाथों में इसका संचालन रहने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से आपको भी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । इसमें कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है । मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात कहते-कहते तो इस विधान सभा की दीवार गूंज गई है उसका कोई निराकरण भी नहीं निकल रहा है । चुनाव न कराने से इसमें कितनी कठिनाइयां हैं, उसको मैं फिर दोहरा रहा हूं । मैं उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूं ।

बलिया में एक छोटे से सचिव ने गबन किया जब गबन कर लिया तो उसकी जांच बैंक के लोगों ने की गवाहियों को जुटाया बयान आदि लिए उसमें बात सही पाई गई बैंक के लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया थाने में । थाने के लोगों ने संबंधित प्रकरण की जांच की और तथ्यों को सही पाया उन्होंने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी । लेकिन, वह सचिव आज भी कार्यरत है भ्रष्टाचार करने के बाद ।

(इस समय 5 बजकर 54 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

माननीय मंत्री जी आप स्वयं भी उसके संबंध में तीन बार आदेश दे चुके हैं बनारस के ए0 आर0 ओ0 कि इनको तुरन्त सस्पेंड कर दें । लेकिन, उसके बावजूद भी वह बना हुआ है । अधिकारी निरंकुश हो गए हैं आपकी पकड़ ढीली हो गई है । वह सचिव श्री काशी नाथ यादव है जो रतसड़ में था अब नगरा ब्लाक हजिया रामपुर का सचिव है । कोर्ट ने सम्मन दिया लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा । यह एक ज्वलंत उदाहरण है। अब क्या होगा कोई निर्णय न होने की दशा में वह कोर्ट के खर्च का भी हिसाब विभाग से निकालेगा । इसके अतिरिक्त जो लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार होगा उसको आप कैसे निकालेंगे अधिकारियों के चंगुल से । आप एक नेक आदमी हैं, यह हम मानकर चलते हैं इसलिए आपसे निवेदन है कि चाहे आप अपने ही दल के लोगों की कमेटियां बनाकर संचालन उनके हाथों में दे दें, किसी को आपत्ति नहीं होगी । लेकिन, आप संचालन जन-प्रतिनिधियों के हाथ में दे दें । जन-प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होगा चाहे वह कांग्रेस का हो, लोकदल का हो, कम्युनिस्ट हो या भारतीय जनता पार्टी का हो । जनता से वह सीधे जुड़ा हुआ है किसी अनियमितता के संबंध में जनता उसे सीधे पकड़ेगी लेकिन ऐसे व्यक्ति का जिसका जनता से कोई सीधा रिश्ता नहीं है जनता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती लेकिन जनता का वह बिगाड़ देगी । इसलिए आज यह विभाग पूरी तरह से नष्ट-भ्रष्ट होता जा रहा है। इस लिए मेरा निवेदन है कि या तो सरकार चुनाव कराये और या फिर यह घोषणा कर दे कि हम अपनी पार्टी के जन-प्रतिनिधियों के हाथों में इसे सौंपेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, अभी तक हमारी पार्टी के एक भी सदस्य ने नहीं बोला । इसलिए मुझे बोलने की इजाजत दीजिए ।

*श्री समरपाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं भी चुनाव का पक्षधर हूं । कहीं पर भी माननीय मंत्री जी ने, जो प्रस्ताव पेश किया है, नहीं कहा है कि चुनाव न हों । सहकारी समितियों के चुनाव फेडरल चुनाव होते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । अगर चुनाव न किया जाए और समय न बढ़ाया जाए तो शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि जो आम चुनाव होते हैं और सहकारिता के जो चुनाव होते हैं उनमें काफी फर्क होता है । सहकारिता के चुनाव में सबसे पहले प्राथमिक सहकारी समितियों के चुनाव होते हैं । इन चुनावों के बाद वह अपना एक डेलीगेट केन्द्रीय समिति के पास भेजते हैं । तब उनकी आम सभा का गठन होता है । तब उसके बाद प्रबन्ध समितियों के चुनाव होते हैं । तब फिर उसके बाद शीर्ष समितियों के चुनाव होते हैं । यह एक बहुत लम्बी प्रक्रिया होती है जिसमें काफी समय लगता है । यदि आप इसके लिए समय निश्चित नहीं करेंगे अभी से, तो हम सम्भवत: दिसम्बर तक चुनाव नहीं करा पायेंगे । इसलिए यदि माननीय मंत्री जी समय मांग रहे हैं तो उचित ही है । हम अपेक्षा अवश्य करते हैं कि वह इसकी भी घोषणा करें कि अब दुबारा समय में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जायेगी। चुनाव जल्दी ही करा दिए जायेंगे । सहकारिता एक जन-आन्दोलन है । आजादी के बाद इसकी महत्ता और बढ़ गई है । देश के प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू, जो भविष्य दृष्टा थे, ने अपनी नीतियों में घोषणा की थी कि अगर देश और प्रदेश में समाजवाद लाना है तो सहकारिता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है । सहकारिता के माध्यम से जो साधन हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी सहायता की जा सकती है । मैं कहना चाहता हूं कि साधन सम्पन्न लोगों को सहकारिता की कोई आवश्यकता नहीं है वह तो इसके बिल्कुल विरोधी हैं । सहकारिता में क्या दोष हैं क्या खामियां हैं, यह तो दूसरी बात है । मेरा अनुभव है कि जहां इन समितियों में सरकारी आदमी प्रशासक की तरह से काम करता है वहां भ्रष्टाचार ज्यादा होता है । यदि इनको चुने हुए आदमियों के हवाले कर दिया जाए तो वहां भ्रष्टाचार स्वत: ही समाप्त हो जाता है । क्योंकि यह एक जन आंदोलन है और जनता के लिए समर्पित है। इसके विकास के लिए आपको एकाउन्टेबिलटी को दिमाग में रखना होगा । यदि जन प्रतिनिधि को इसमें प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है तो वह इसके हिसाब-किताब के लिए जवाब देय होगा । सहकारी समितियों की कैडर बिल्डिंग है । यह एक महत्वपूर्ण चीज है जो काम यह करती है देश की कोई भी संस्था नहीं करती है । इस सदन के जो माननीय सदस्य हैं अगर अतिशयोक्ति न मानी जाय तो अधिकांश लोग अपने जीवन के किसी न किसी समय किसी सहकारी समिति के संचालक अवश्य रहे होंगे और वहीं से उन्होंने निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त की होगी । इसलिए इनको बलिष्ठ बनाना, इनको बल प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना नितान्त आवश्यक है, लेकिन साथ-साथ यह भी जरूरी है कि उनका संचालन जनता के हाथ में होना चाहिये, सदस्यों के प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए न कि शासन के द्वारा नामित व्यक्ति के हाथ में । मेरा जाती तजुरबा है कि जिन समितियों में प्रशासक सरकारी अफसर रहा है, उनका आर्थिक ढांचा बिल्कुल अस्तव्यस्त हो गया है और जिसमें उनके अपने आदमियों की प्रबन्ध समिति होती है, उसमें सुधार आया है । चूंकि मैं शून्यता की स्थिति से इनको बचाना चाहता हूं, इसलिये इस बात का समर्थक हूं कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाय और न इसे प्रवर समिति को दिया जाय और न इसका अननुमोदन किया जाय ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार अपनी बातों पर कितना टिकी रहती है, इसका उदाहरण यह वर्तमान संशोधन विधेयक है । पिछली बार जब इसी प्रकार का संशोधन इस सदन में प्रस्तुत किया गया था तो यही मंत्री जी थे, इन्होंने कहा था कि अब अगर यह संशोधन एक बार पास हो जाय तो निश्चित रूप से चुनाव करा देंगे। इनका मन्तव्य ठीक था, चुनाव की प्रक्रियायें प्रारम्भ की गयीं, नामीनेशन हो गये, परचे दाखिल हो गये और कहीं-कहीं फाइनल चुनाव हो गये लेकिन माना नहीं गया । शासन से आदेश गया कि जो जैसा है उसी हालत में रोक दिया जाय, बाद में उसे निरस्त कर दिया गया । ऐसा लगता है कि मंत्री जी पर ऐसा दबाव पड़ा कि जो वहां भ्रष्ट प्रशासक थे, वे चुनकर आने वाले नहीं थे, इसलिए एक आदेश जारी किया कि चुनाव स्थगित माना जायगा ।

सहकारिता, सरकारिता नहीं है । इसमें इस समय जो लोग नामीनेटेड हैं, वे सरकार के द्वारा नामीनेटेड हैं । इसलिये वे सहायक निबंधक के प्रति उत्तरदायी हैं न कि सहकारी समितियों के सदस्यों के । मेरे यहां सहायक निबन्धक ने बताया कि प्रशासक नामित हो रहे हैं उसमें विधायकों की सूची मांगी जा रही है । मैंने कहा कि क्या मेरा भी नाम चलेगा तो उन्होंने कहा कि नहीं केवल कांग्रेस दल के लोगों का चलेगा क्योंकि आपके विरोध में जो हार गये हैं, उनकी सूची चलेगी । यह दर्द इनको भी होता अगर रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मंत्री की कुर्सी पर बैठे होते और माननीय मंत्री जी सदन में आते और वापस चले जाते तब पता चलता कि कितना दर्द होता है । सदस्य हम, रुपया हमारा और मालिक ये। आपको सहकारिता सरकारिता में बदल गयी है। माननीय मुन्ना जी, आप तो बड़े तेज तर्रार और योग्य मंत्री रहे हैं, पता नहीं आप यहां कैसे फंस गये । आप बार-बार कह रहे हैं लेकिन फिर चुनाव नहीं करा पायेंगे । अगर चुनाव कराना है तो इसके लिये मन बनाना पड़ेगा, अगर मन नहीं बनायेंगे तो चुनाव नहीं करा सकते। मेरे जिले में कोआपरेटिव बैंक है । पिछली बार 2 करोड़ रुपया 10 प्रतिशत लोन पर दिया । उन्होंने उसको 10 प्रतिशत पर, जो उनके यहां जमा किये हुए लोग थे, उनके लिए रुपया नहीं था, 12 लाख रुपया एक ही दिन में कोआपरेटिव बैंक को व्याज के रूप में देना पड़ा । उन्होंने 16 प्रतिशत पर लेकर 10 प्रतिशत पर बांटा । एक प्रशासक बहुत दिनों से है, मैं कहना चाहूंगा कि वह बहुत भ्रष्ट है। जब मैंने एसेम्बली में सवाल उठाया तो आपने उसको हटाया लेकिन उसके सगे भाई को फिर से प्रशासक बना दिया । मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता में अगर यह आवश्यक है कि सहायक निबन्धक नीमिनेट करेगा तो फिर मंत्री महोदय को कहां अधिकार है नामिनेट करने का ? यदि उनका सब रजिस्ट्रार उनकी जगह पर नियुक्त हो जाय तब उनको पता चल जाता कि यह कैसे और क्या होता है ? प्रशासक नियुक्त करने पर कैसे काम चलाया जाता है । मैं तो इसे ग्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जोरदार शब्दों में कहता हूं कि जो आपने रुपया जमा कराया है उसे आप किस फण्ड में दिखायेंगे ? कर्मचारियों का जो रुपया बैंकों में जमा है तो उसे आप किस मद में जमा किया हुआ दिखायेंगे ? जब आप इसका उत्तर दें तो कृपा करके इस बात का भी जवाब दे दें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

गुप्ता जी, आपको कुछ कहना है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मुझे एक वाक्य केवल बोल कर बैठ जाना है । मैं चाहूंगा कि जो पिछले चुनाव की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों ने पैसा जमा किया था और वे निर्वाचित हो गये थे, वह पैसा अब किस हेड में जमा है और क्या आप अब वापस करने की कृपा करेंगे?

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

मुझे मंत्री जी से केवल दो ही प्रश्न पूछने हैं हमने जब इसका अनुनमोदन किया तो मंत्री ती ने कहा कि अक्टूबर के महीने में चुनाव की प्रक्रिया शुरू करा दी जायेगी। मैं चाहूंगा शुरू करा दी जायेगी के स्थान पर मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि चुनाव कब सम्पन्न करा दिये जायेंगे ? दूसरी बात कि मेरे कथन के ऊपर मा0 मंत्री जी ने कहा कि हर जिले में कोआपरेटिव अधिकारियों के पास शिकायत लोन की आती है तो उसकी कि प्रक्रिया है उसी से ठीक हो जाती है । मेरी निश्चित रूप से जानकारी है कि बांसी में भतिजवापुर में इसी प्रकार की शिकायत पर सचिव के ऊपर एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई और वह नैपाल भाग गया । आपने हमें पत्र लिखा कि वसूली रोक दी गयी और आपके लिखने के बावजूद भी 6 महीने के बाद पुनः अब फिर भतिजवापुर में लोन की वसूली जारी हो गयी । बांसी तहसील में ही एक जगह है सोनवरसां । मंत्री जी कहते हैं कि इसके लिये विभाग में शिकायत की जाये। सोनवरसां में इसी प्रकार की शिकायत भी जब सचिव को मालूम हुआ तो उसके सात दिन के बाद ही सचिव ने उस पैसे को जमा करके बेबाकी की सूचना दे दी। तो कहां वह विभाग ठीक काम कर रहा है? कहां तक हम आपको पत्र लिखते रहेंगे और कहां तक आप उसको जमा पायेंगे ? स्थायी रूप से आप कोई व्यवस्था नहीं कर पायेंगे और जब तक कोई स्थायी रूप से व्यवस्था नहीं होती है तब तक यह घोटाले के मामले साफ नहीं हो पायेंगे। जब तक अलग से कोई अधिकारी नियुक्त नहीं करेंगे तब तक कोई मामला साफ नहीं होगा ।

श्री अरुण कुमार सिंह–

माननीय गुप्ता जी ने और सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये । मेरा निवेदन था कि चुनाव की प्रक्रिया एक महीने में शुरू हो जायेगी, तो यह तो विधि की विडम्बना है, इस बात से मुकरा नहीं जा सकता है । यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि पिछले सालों में चुनाव नहीं हो सके । माननीय गुप्ता जी ने कहा कि कौन जून में बाढ़ आती है । मान्यवर, चुनाव की प्रक्रिया शुरू करायी गयी, तो उस समय बाढ़ आई हुई थी और आपका जिला भी डूबा हुआ था । जून में जब सम्भावना थी तो उस समय यह सहकारी वर्ष होता है, उस समय सारे अधिकारी और कर्मचारी युद्ध स्तर पर अपनी लोनिंग की रिकवरी का प्रयास करते हैं । वह हमारे फाइनेनशियल इयर का क्लोजर होता है, उस समय अधिकारी और कर्मचारी किसी अन्य कार्य के लिये उपलब्ध नहीं हो पाते हैं । चुनाव नहीं हो पाये, समय समाप्त हो रहा था और यह संस्थायें शून्य हो जाती, ऐसी स्थिति में यह अध्यादेश लाना पड़ा और मैं चाहता हूं कि इसकी स्वीकृति प्रदान करें । मैं मानता हूं कि जन प्रतिनिधियों के हाथों में सहकारिता का आन्दोलन होना चाहिये । इसका पक्षधार मैं हूं ।

मेरा विश्वास जनतंत्र में है, इसलिये मैं भी चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन होना चाहिये, लेकिन इन्हीं कुछ कारणों से पिछले दिनों चुनाव सम्भव नहीं हो पाया । परन्तु मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो कमियां रह गयी हैं उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है । यह सारी चीजें सम्भव हैं ।

मान्यवर, भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया कि अलग से कोई व्यवस्था की जाये । मान्यवर, जो लोग बैठाये जायेंगे, वह किसी अजायबघर से नहीं आयेंगे, वह भी इसी समाज के होंगे और इसी प्रदेश के होंगे । तो यह व्यवस्था है, मान्यवर, को-आपरेटिव सेल की व्यवस्था की गयी हैं, उसका गठन किया गया है और अलग-अलग स्तर पर परीक्षण कराया जाता है, जिससे कि जो शिकायतें आवें उन पर नियन्त्रण पाया जा सके, उनको दूर किया जा सके । तथा इसके साथ ही साथ जो दोषी व्यक्ति हों उसको दंडित भी किया जा सके। भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को पीड़ा है और होनी चाहिये । मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, उनके पास कोई एसा मिक्शचर है नहीं कि जो पिला दिया जाये और सब ठीक हो जाये ।

मान्यवर, आर्थिक विषमता है और इस कारण हमारे बीच बहुत बड़ी दीवाल है । उसमें धीरे-धीरे प्रगति होगी, जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा, आर्थिक विपन्नता दूर नहीं होगी, तब तक हमारा पूर्ण विकास नहीं होगा। एवं नैतिक समाज का निर्माण भी जरूरी है । दूसरी चीज जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हमें एक मन:स्थिति बनानी पड़ेगी, एक सामाजिक स्वरूप तैयार करना पड़ेगा जो स्वरूप इस देश और प्रदेश के पैमाने पर एक स्वस्थ समाज का स्वरूप प्रदान करे । उसमें दलील व्यवस्था की बात नहीं है, किसी सरकार की व्यवस्था की बात नहीं है । समाज की रचना के लायक होना चाहिए। यह हम सबकी जिम्मेदारी है । मान्यवर, आप जानते हैं कि आपको आज कितनी पीड़ा थी । कार्यस्थगन ने कितना समय ले लिया । इस तरह से सदन की मर्यादा टूट रही है । कितनी पीड़ा से आप उठकर गये थे । हम सब लोग प्रबुद्ध हैं । हमें संसदीय प्रक्रिया और प्रणाली का ज्ञान है । यह सदन किसी प्रक्रिया और नियमावली के तहत चलता है । उसके ऊपर कितना दबाव पड़ता है.....

कुंवर रेवती रमण सिंह–

अभी आपने कहा कि यह सदन नियमावली के तहत चलता है । नियमावली में तो यह भी लिखा हुआ है कि सदन साधारणतया 90 दिन चलेगा । आप सदन को 90 दिन चलवा दें, मैं आश्वासन देता हूं कि इतने कार्यस्थगन कभी नहीं आयेंगे ।

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य सबसे बुजुर्ग भी हैं और बड़े भी हैं। आपका कहना सही है। चलना चाहिए। लेकिन सदन को चलाने का स्वरूप हमको और आपको दोनों को निश्चित करना पड़ेगा । आपको तो 9 दिन में ही बैठे-बैठे पीड़ा हो गई, 90 दिन की बात कर रहे हैं । यह ठीक है । सदन ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए । इससे संसदीय मान्यतायें और भी मजबूत होंगी लेकिन उसके स्वरूप को आप और हम सब को मिलकर

चलाना पड़ेगा । लेकिन एसा नहीं है जितना बचा खुचा हो....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपका जो यह सुझाव है उसे आप अपनी बंगाल में जो पार्टी है, उसमें भेज दें ।

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, जो हरीश जी ने कहा कि कुछ अनियमितताएं हुई हैं, उनका निस्तारण होना चाहिए । जो विषय प्रकाश में आये हैं उन पर ध्यान दिया जायेगा, देखा जायेगा । जहां तक चुनाव कराने की बात है, उसकी प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू करा रहे हैं, वह तो उसके बाद की प्रक्रिया है ।

श्री अशोक बाजपेयी–

किस तारीख तक चुनाव हो जायेगा?

श्री अरुण कुमार सिंह–

अक्टूबर से उसकी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं । आप जानते हैं कि चुनाव में समय लगता है । जब प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी ....(व्यवधान)

श्री अशोक बाजपेयी–

10 वर्ष पूरे हो गये, चुनाव नहीं हुये ।

श्री उपाध्यक्ष–

10 वर्ष में तो आप भी शामिल हो जायेंगे । 7/8 वर्ष कहिये । अभी 10 वर्ष नहीं हुये ।

श्री अरुण कुमार सिंह–

जो पैसा जमा करने की बात कही गई । उसमें कौन प्रत्याशी बनना चाहता था, किसने जमा किया, आने वाले चुनाव में फिर चयनित होना चाहता है या नहीं, यह प्रक्रिया एक नये सिरे से शुरू होती है। वह धनराशि उसमें समाहित हो जायेगी । इसलिए वह सम्भव नहीं हो पायेगा । इसलिये मैं माननीय गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस लें ताकि चुनाव जल्दी हो सके ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने के लिये तैयार हूं लेकिन एक शर्त पर । हमारा प्रस्ताव जो प्रवर समिति में भेजने का है वह 1 महीने का है, एक महीने में उसकी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी, उसकी रिपोर्ट आ जायेगी । और मैं समझता हूं कि इस अध्यादेश की अवधि 6 महीने है अर्थात् मैं समझता हूं कि 21 जून को यह लागू किया गया था, इसलिये यह 21 दिसम्बर तक इसकी अवधि है । तो इस तरह से यदि यह प्रवर समिति में चला भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता । अगर इसका अननुमोदन हो जायेगा तो गड़बड़ी हो जायेगी । अतः मैं अपने प्रवर समिति में भेजने के अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं । मुझे बेहद अफसोस है कि जो दो बातें इस पक्ष से उठाई गयीं और रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्यों ने भी उसका समर्थन किया कि पैसा वापस होना चाहिये । माननीय मंत्री जी ने उससे साफ इन्कार कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि यह गरीब लोगों के हित के खिलाफ है ।

दूसरा साफ-साफ आश्वासन अभी भी नहीं आया है कि 31 दिसम्बर से पहले चुनाव पूरे हो जायेंगे कहा गया है कि प्रक्रिया आरंभ हो जायेगी । तो पहले भी यह प्रक्रिया आरंभ हुई और फिर जून में आर्डिनेन्स जारी कर दिया । इसलिये मैं साफ आश्वासन चाहता हूं कि यदि इन दोनों बातों को पूरा करने के लिये शासन तैयार है तो मैं अपना प्रस्ताव वापस

ले लेता हूं यानी 31 दिसम्बर से पहले चुनाव हर हालत में हो जायेंगे और लोगों का पैसा वापस कर दिया जायेगा । इसका जबाब माननीय मंत्री जी से दिला दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री कह चुके हैं इससे ज्यादा और क्या कहेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वह हमारी बात मानने के लिये तैयार नहीं हैं । ऐसा न करना सहकारी आंदोलन को नष्ट करने की साजिश है । इसलिये मैं इनकी इस नीति के खिलाफ अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1986 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3, 4, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

[भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है]

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा ।

(2) यह 21 जून, 1986 को प्रवृत हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1986" के स्थान पर, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1986" रख दिये जायेंगे ।

धारा 35 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1986" के स्थान पर, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1986" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 1986

निरसन और अपवाद

4–(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3, खण्ड 4, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपास्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपास्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1986 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1986 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, जो बातें अभी सहकारिता एवं दूसरा मलिन बस्ती विधेयक के सम्बन्ध में कही गयीं उसी क्रम में एक बात यहां पर भी कहना चाहता हूं। सरकार की ओर से और सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेताओं से नीचे तक यह बराबर आह्वान किया जाता है कि हम जनसहयोग चाहते हैं। लेकिन इनकी करनी और कथनी में बहुत अन्तर है। पीपुल्स पार्टिसिपेशन के माने में लोगों का सहयोग लेना। तो मंडी परिषद् का चुनाव न कराना भी इस बात का परिचायक है कि यह सरकार जनसहयोग नहीं चाहती है। जब मंडी परिषद् का गठन हुआ था उसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि काश्तकारों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जाय। उस शोषण से उसको बचाया जाए। मात्र इतना उद्देश्य था लेकिन आज स्थिति यह बन गई है कि 40 करोड़ से अधिक रुपया यह इसके द्वारा वार्षिक वसूल करते हैं और मंडी शुल्क टैक्स उगाही का एक साधन बन गया है। मैंने मंत्री जी का एक बयान पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो वास्तव में किसान हैं, यदि अपना उत्पाद लेकर मंडी में आयेंगे तो उनसे उससे उसके उत्पाद पर मंडी शुल्क नहीं लिया जाएगा। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि उनकी इस घोषणा या मंशा का कहीं थोड़ा भी पालन हो रहा है। मंडियों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, किसान जब वहां पर अपना उत्पाद लेकर आता है तो नियमानुसार मंडी शुल्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्या वह कभी बच पाता है। उससे हर हालत में अनियमित तरीके से यह वसूल लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष–

नई शिक्षा नीति का भी लगा हुआ है, उसका भी आप ध्यान रखें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वह पता है। यह पैसा जो आता है वह किसानों और व्यापारियों को सुविधा पर खर्च होना चाहिए, लेकिन इसका भी कहीं तनिक भी पालन नहीं होता है। मैं अपने सीतापुर की ही बात कहता हूं। वहां पर उनके पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि टंकी जिस दिन से बनी है, क्या एक दिन भी चली है। क्या उसमें एक दिन भी पानी भरा है। आपके यार्ड्स टूटे हुए हैं। जनता पार्टी की जब सरकार आई थी, जिसमें हम भी भागीदार थे, उस समय पहली बार हमने घोषणा की थी कि मंडी समिति का पैसा किसानों के हित में खर्च होगा और तदनुसार व्यवस्था भी की थी। उस समय पुलिया बनीं, सड़कें बनी थीं। जब यह सब बन्द हो गया है। आपके यहां यह भी विचित्र है कि आपके मंत्री समिति की स्टेशनरी और उसका पैसा दे व्यापारी। 9-आर और 6-आर की रसीद यदि व्यापारी लेकर आएगा तो उसका पैसा उसको देना पड़ेगा। 12 रुपया उस 100 रसीदों की कापी का आप उससे ले लेते हैं। यह कहां का नियम है कि यदि कोई रसीद इश्यू करायेगा तो उसे उसका पैसा अपने पास से देना पड़ेगा। हम किसी दफ्तर में रुपया जमा करने गये तो क्या वहां का आदमी यह कहेगा कि 500 रु0 की रसीद काटी है, रसीद का आप पांच पैसा हमें दे दो।

फिर नवीनीकरण हर साल क्यों होता है। यह पैसा उगाही का रास्ता बना हुआ है। तो आप समझ लें कि नवीनीकरण एक साल के बजाय 3 साल में होना चाहिए, जैसा कि बिक्री कर के सम्बन्ध में भी कर दिया गया है। इसके बाद महुआ और साल

को वन वाले अपनी उपज कहते हैं और मंडी वाले कृषि उपज कहते हैं। उसका दोनों जगह पैसा पड़ जाता है। एक जगह उसका पैसा पड़ना चाहिए। इस तरह किसानों का बड़ा शोषण हो रहा है। जाने कितनी विसंगतियां आपके मंडियों में हैं। इसलिए इस अध्यादेश का मैं विरोध करते हुए अननुमोदन करता हूं।

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं गुप्त जी के अननुमोदन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं इसलिए करता हूं कि उत्तर प्रदेश की मंडियां प्रदेश के जन जन से जुड़ी हुई हैं। करोड़ों किसानों की समस्याओं का निवारण मंडियों से होता है, लेकिन आज जो उनकी स्थिति है वह चिन्ता का विषय है। मंत्री जी एक कर्मठ मंत्री हैं, उन पर हमारी बड़ी आस्था है और उनका प्रयास भी होना चाहिए, शायद कुछ प्रयास भी हुआ है कि मंडी परिषदों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। उसी के तहत माननीय मंत्री जी ने अभी पिछले दिनों निदेशक मंडी समिति के खिलाफ विजीलेंस से जांच कराने का निर्णय लिया है। यह खबर अखबारों में छपी है पता नहीं कहां तक सही है। मंडी परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में मैंने माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को अनेक पत्र लिखे हैं लेकिन उन पत्रों के सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं दी गयी और उन पर क्या कार्यवाही की गयी या कोई जांच शुरू की गयी है या नहीं। मान्यवर, मंडियों में जहां तमाम पैसा किसानों से कर के रूप में वसूल किया जाता है, करोड़ों रुपया मंडी परिषद् में जमा है उसका कोई समुचित लेखा जोखा हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सका है। जो पैसा वसूल किया जाता है उससे कितना किसानों की समस्याओं का निराकरण हो रहा है उसका पता नहीं है। आज मंडी समिति में किसान जाना नहीं चाहता है। मुश्किल से 40 प्रतिशत व्यापार मंडी समितियों तक पहुंच सका है। किसान वहां जाने से घबड़ाते हैं क्योंकि मंडी परिषदें लूट का अड्डा बनी हुयी हैं। मैं चाहता हूं कि मंडी परिषद् से जनता का विश्वास जुड़े और किसानों की समस्याओं का सही रूप से निराकरण हो सके। मान्यवर, 1972 में जब मंडी परिषद् अधिनियम लाया गया था उस समय भावना यह थी कि इनमें चुने हुये प्रतिनिधि बैठेंगे और जनता की समस्याओं का निराकरण होगा। लेकिन अन्त काल से मंडी परिषदें अधिकारियों की सुख सुविधा, वैभव और सम्पति का आधार बनी हुयी हैं। परगनाधिकारी और जिलाधिकारी और मंडी परिषद् के अधिकारी एक लम्बा चौड़ा गोलमाल कर रहे हैं। यह तदर्थ व्यवस्था कब तक चलेगी। आप आज आश्वासन दें कि चुनाव करायेंगे और सही मानों में किसानों के प्रतिनिधि चुनकर जायेंगे और किसानों की जो समस्यायें हैं उनका निराकरण किया जायगा। अगर आप यह आश्वासन दें तो मैं समझूंगा कि उत्तर प्रदेश के लिये यह क्रांतिकारी कदम होगा और मैं अपेक्षा करूंगा कि माननीय मंत्री जी मंडी परिषदों के चुनाव जल्दी से जल्दी कराने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गुप्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री माता प्रसाद पाण्डे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अंदर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, दुख की बात है कि जबसे यह अधिनियम पारित हुआ है तब से लेकर आज तक जो इस विधेयक का मूल उद्देश्य था कि मंडी समितियों में किसानों के प्रतिनिधि चुनकर जायेंगे और जो किसान शुल्क देते हैं, उसका सही ढंग से उपयोग होगा और किसानों की जो समस्यायें हैं उनका निराकरण किया जायगा। जो इसका मूल मंतव्य था वह पिछले 20 वर्षों से आज तक पूरा नहीं हो सकता है। आज समितियों के अध्यक्ष के पद पर एस0डी0 एम0 बैठाये गये हैं। डी0एम0 और एस0 डी0एम0 के पास इतने ज्यादा काम रहते हैं कि वह मंडी समितियों पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते हैं। केवल सचिव के माध्यम से और कुछ सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से इसके जो आय के स्रोत हैं उस पर इन्हीं लोगों का कब्जा बना हुआ है और वह क्या खर्च करते हैं और क्या नहीं करते हैं इसके केवल वाउचर ले जाकर एस0डी0एम0 के पास रख देते हैं और वह वेरीफाइ हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सही ढंग से रुपया खर्च नहीं होता है और करोड़ों रुपया आज वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। उसका उद्देश्य था कि शुल्क के रूप में जो धनराशि आयेगी, वह किसानों के विकास के लिए, किसानों के सम्पर्क मार्ग के लिए किसानों को सुख-सुविधा देने के लिए व्यय होगा। लेकिन मान्यवर, आज वह नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यह है कि जब प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में यह व्यवस्था है, तो वह किसानों के दुःख दर्द नहीं सुन सकते। उनके पास किसानों के दुःख दर्द सुनने के लिए समय नहीं है। माननीय मंत्री जी जब जनता पार्टी में थे, तब इन्होंने माननीय राजेन्द्र सिंह जी से यह व्यवस्था जनप्रतिनिधियों के हाथ में देने के लिए लागू करवाया। इस समय माननीय मंत्री जी खुद मुख्तार हो गये हैं। कठिनाई है, मैं जानता हूं, क्योंकि इसमें आपको समय लगेगा। जब तक आप जनप्रतिनिधियों को अध्यक्ष नामिनेट नहीं करेंगे तब तक इसका संचालन ठीक नहीं हो सकेगा। इसलिए आप इसमें आप अध्यक्ष जनप्रतिनिधियों में से नामिनेट करें। इनका जो निदेशालय है, इसमें करोड़ों रुपया डेवलपमेंट के नाम पर पड़ा हुआ है। आप सड़क बनाने के लिए रुपया पी0डब्लू0डी0 को देते हैं। आप प्रत्येक जिले में अपने स्तर से तय करें कि उस जिले में कितनी सड़क बनायेंगे और आर0इ0एस0 से इंजीनियर्स ले लें। यह जो आप सड़क बनाने के लिए पी0डब्लू0डी0 को रुपया देते हैं, इसको आप अपने विभाग के स्तर से करायें। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मण्डी समिति के बाबत जो माता प्रसाद पाण्डेय जी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, सम्भवतः उन्होंने मंडियों का अवलोकन किया ही नहीं। आज कृषि में जो उत्पादन हुआ है, अगर यह मंडी समिति न होती, तो किसान वाकई में लुट गया होता। पहले किसान वर्ग को भाव का भी पता नहीं चलता था कि किस भाव में उसका गल्ला बिक रहा

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

है, यह धर्म खाता, यह गाय खाता, यह अन्य खाता आदि के नाम से तमाम कटौतियां हो जाती थीं। जब से यह मंडी समिति बनी, तब से खुले नीलामी से माल बिकता है। किसानों को पता चल जाता है कि उसका माल इतने भाव में बिक रहा है। मान्यवर, यह जो लांछन है कि इन मंडियों का पैसा जनहित में नहीं लगाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन की गुंजाइश है। मैं जानता हूं कि मण्डी समितियों के माध्यम से जनसम्पर्क मार्ग बनाये गये हैं। जो हमारे मंत्री जी ने नई योजना बनायी है, हर मण्डी समिति में, जहां पर मण्डी यार्ड होगा, वहां पर गोदाम बनाये जायेंगे। किसान जिस दिन अपना गल्ला बेचने आये, अगर उसको अपना भाव नहीं मिल रहा है, तो वह उसमें अपना गल्ला रख सकता है और जब भाव अनुकूल हो, तब वह बेंच सकता है। तो इतनी अच्छी सेवा इस मण्डी समिति द्वारा हो रही है, फिर भी इसकी आलोचना की जाय, तो मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस लाइन पर माननीय मंत्री जी सोच रहे हैं, और कार्यवाही कर रहे हैं, उसके लिये आपको उनकी सराहना करनी चाहिए। आपका यह लांछन निराधार है कि किसानों को उनके माल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा रखे हुए विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, किसानों के हितों के लिए जो मंडी समितियों के बनाने का उद्देश्य था, वह निष्प्रभावी हो चुका है। चुनाव न होने के कारण बहुत दिक्कतें हैं। मान्यवर, कृषि विभाग के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृषि विभाग में न रहकर, मंडी परिषद् में अधिकारी बनना पसन्द करते हैं मान्यवर, अभी माननीय कृषि मंत्री जी को मंत्री परिषद् में इतना काम करना पड़ेगा जिसको किसान महसूस कर सकें मान्यवर, 6 आर और 9 आर ऐसी चीजें हैं जिससे दिक्कतें होती हैं। मंडी परिषद् ऐसी हो गयी है कि वह व्यापारियों और किसानों का दोहन करती है। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जिस उद्देश्य के लिए मंडी परिषद् की स्थापना की थी उस उद्देश्य को पूरा करने में यह असफल हो रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को ध्यान से सुना। जहां तक मंडी समिति के गठन का सवाल है उसमें मतभेद नहीं है। अभी हमारे सम्मानित सदस्य श्री समरपाल सिंह जी ने कहा कि मंडी समितियों का गठन बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए किया गया था, लेकिन क्या सरकारी अधिकारियों के हाथ में मंडी समितियां रखकर अच्छा काम हो रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा हमारी तरफ सड़कें नहीं बनी हैं मंडी समिति से, अगर बनी हों तो मंत्री जी जानकारी दे दें अगर जानकारी न हो तो बाद में जानकारी करके बता दें। माननीय मंत्री जी ने काश्तकारों का शोषण बचे इसलिए यह व्यवस्था की थी कि मंडी समिति में चलना रखा जाना चाहिए और छानकर माल दिया जाना चाहिए। लेकिन आपकी मंडी समितियों में कहीं भी चलने की व्यवस्था नहीं है यह कर्मचारियों की साजिश है इस तरह से काश्तकार को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुविधा से वंचित किया जाता है यह जानबूझकर किया जाता है। मैं समझता हूं जब मंडी नहीं थी तब इतना शोषण नहीं होता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि चुनाव की तत्काल घोषणा कराइए तभी आपकी भावना पूरी होगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है। हम तो माननीय मंत्री जी को दारा सिंह की जगह बिठाना चाहते हैं लेकिन आप बैठना नहीं चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पर बल देता हूं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, गुप्ता जी ने, माता प्रसाद पाण्डेय जी ने, यदुनाथ सिंह जी ने और हमारे समरपाल सिंह जी ने सब लोगों ने मंडी समितियों के बारे में चर्चा की। यह जो संशोधन है यह बहुत अच्छा सा है यह तीन वर्ष के स्थान पर चार वर्ष करने का है और चूंकि 22 मई को यह समाप्त हो रहा है तो इसका अध्यादेश करना पड़ेगा और एक वर्ष ऐसी व्यवस्था को बढ़ाने की बात है 22 मई, सन् 1987 तक, तो बहुत सीमित उद्देश्य है। जहां तक मंडी समिति की उपयोगिता और सार्थकता का प्रश्न है और इसके कार्यकलाप और प्रवृत्ति का प्रश्न है, मान्यवर, इस सदन को जानकारी है, सभी माननीय सदस्यों को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के कृषि विपणन के सम्बन्ध में देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ आपके उत्तर प्रदेश को और एक वैजन्ती मिली उत्तर प्रदेश को।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

पुरस्कार है कहां, दिखवा दें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

आफिस में है, आप देखेंगे तो हम दिखवा देंगे। मैं समझता हूं कि आप तो बहुत पढ़ते हैं अखबारों में पढ़ा होगा, रेडियो पर सुना होगा कि उत्तर प्रदेश की कृषि विपणन की व्यवस्था में बहुत प्रशंसा हुई है और पहली बार उत्तर प्रदेश को यह प्रथम पुरस्कार मिला है। अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि किसानों का शोषण होता है और किसानों का शोषण होता है यह बात सही नहीं है किसानों का वहां पर संरक्षण होता है और किसानों के हितों की हर तरह से रक्षा की जाती है। हमने यह स्पष्ट निदेश दिये हैं कि जो चौकियां हैं, बैरियर्स हैं उन बैरियर्स पर किसानों का जो माल आया, यहां तक कि जो ट्रैक्टर्स से माल लेकर आ रहे हैं उसकी कोई चेकिंग नहीं की जायेगी। अगर कहीं पर यह चेकिंग हो रही है तो आप हमें बतायें किसी एक बैरियर की भी आप हमको घटना बता देंगे तो हम वहां के लोगों की जांच करायेंगे, और कार्यवाही करेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह–

एक बात मैं ही बता दूं बैरियर की, बनारस मिर्जापुर के नरायनपुर में है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

किसान ट्रैक्टर से माल ला सकता है, वह दिक्कत समाप्त हो गयी।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, बलिया जनपद बेलथरा रोड मण्डी उत्पादन समिति के भ्रष्टाचार के बारे में मैंने कई बार लिखा है, उसकी जांच करवा लीजिए।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मण्डी समितियों में कुछ दोस्ती हो गयी थी व्यापारियों में और कर्मचारियों में उससे किसानों का अहित होता था, हमने उस दोस्ती को कम करने की कोशिश की है उसमें जरूर दिक्कतें थीं। मैं आपको बताऊं कि पिछले वर्ष 38 कर्मचारियों को बरखास्त किया गया जो गड़बड़ी करते थे और 118 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया मान्यवर, 31 मामले पुलिस को सौंपे गये और 15 आदमियों को जेल भेजा गया तो मान्यवर, बहुत सख्ती के साथ जो भी किसानों के साथ बेइन्साफी करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मान्यवर, कई मित्रों ने कहा कि मण्डी समितियों के पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है। मान्यवर, पिछले वर्ष 400 कि0मी0 सड़कें मण्डी समिति की तरफ से बनवाई गयीं और इस साल हमने 1200 कि0मी0 सड़क मण्डी समितियों के तरफ से बनाने का निश्चय किया है। जिससे कि सड़कों द्वारा गांवों को सम्पर्क मार्गों के जरिये मंडी स्थल से जोड़ा जाय । तो मान्यवर, तमाम कल्याणकारी कार्य मंडी समितियों की तरफ से किये जा रहे हैं हमने पिछले साल 1500 किसानों को भारत भ्रमण पर भेजा था वह तमाम हिन्दुस्तान का भ्रमण करके आये हैं । इस साल फिर 1500 कृषकों को भेज रहा हूं वह दूसरे प्रदेश में जाते हैं और वहां की वर्किंग को देखते हैं। इसके अलावा हमने एक नयी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किसानों के हित के लिए लागू की है। अभी तक किसान मण्डी में जाता था उसको जो पैसा मिलता था, उसी पर उसको माल बेचकर आना पड़ता था लेकिन अब हममे यह व्यवस्था की है कि जो किसान अपनी उपज को लेकर जायेगा और उसको अगर सही पैसा नहीं मिलता है तो वह अपनी उपज को मंडी परिषद् के गोदामों में रख देंगे और उनको एडवान्स कर दिया जायेगा । यह व्यवस्था इस वर्ष हम लागू कर रहे हैं 200 मंडी समितियों पर और अगले वर्ष सभी 255 समितियों पर यह व्यवस्था लागू कर देंगे और इस तरह से पूरी कोशिश हो रही है किसानों की मदद करने की। अब मान्यवर, जहां तक चुनाव का प्रश्न है चूंकि इसमें जिला परिषदों के चुनाव नहीं हुए, सहकारिता के चुनाव नहीं हुए इसलिए निर्वाचक मण्डल पूरा नहीं है। अगर निर्वाचक मण्डल पूरा हो जाय तो चुनाव कराने में कोई अड़चन नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जन प्रतिनिधियों के इस संस्था में आ जाने से यह संस्था ज्यादा प्रभावी रूप से कार्य करेगी । अब जिला परिषदों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। मान्यवर, यह बहुत छोटा सा सवाल है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुप्ता जी और माता प्रसाद जी का जो प्रस्ताव है उसे वापस ले लें और एक मौका और दें तेजी से काम करने का ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1986 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को इस सदन की एक प्रवर

समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् पारित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

(2) यह 21 मई, 1986 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल-अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 1986

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पान मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 की जो सूचनायें प्राप्त हुईं उनमें श्री अशोक बाजपेयी की वक्तव्य के लिए और श्री मनोहर लाल की केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार हुई हैं।

उत्तर प्रदेश खाद्य एवं दवाई नियंत्रक के पद पर डा0 एम0 सी0 बिन्दल की नियुक्ति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष–

सदन की राय हो तो इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(कोई आपत्ति न होने पर)

(वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

[खाद्य एवं औषधि नियंत्रक का पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आता है। तद्नुसार उक्त पद पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन जून, 1981 में भेजा गया था जिसमें उक्त पद हेतु निम्नांकित अनिवार्य अर्हतायें रखी गईं :–

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेडिसिन/साइंस/फार्मेसी/फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिग्री।

(2) किसी विख्यात संस्था में ड्रग-स्टैण्डर्डाइजेशन और ड्रग के स्टैण्डर्ड कन्ट्रोलिंग की समस्याओं अथवा ड्रग मैन्यूफैक्चर अथवा ड्रग टेस्टिंग के कार्य में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव ।

लोक सेवा आयोग ने पद को विज्ञापित किया और चयन किया । आयोग ने दिनांक 8 सितम्बर, 1982 में मुख्य सूची में श्री राम चन्द्र सिंह को नियुक्ति किये जाने की संस्तुति की । आयोग ने उन्हें अधिकतम आयु सीमा के बन्धन से छूट दिये जाने की संस्तुति की तथा प्रतीक्षा सूची में श्री महेश चन्द्र बिन्दल की औपबंधिक संस्तुति की । श्री बिन्दल की औपबंधिक संस्तुति इस कारण थी क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार के समय अनुभव संबंधी पुष्ठ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे । आयोग ने कहा था कि शासन इस संबंध में संतुष्ट होने के पश्चात ही नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकते हैं बशर्ते कि मुख्य सूची में संस्तुत अभ्यर्थी किन्हीं कारणवश कार्यभार ग्रहण नहीं करता है।

2–आयोग की उक्त संस्तुति पर शासन द्वारा विचार किया गया और यह पाया

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गया कि श्री आर0 सी0 सिंह के विरुद्ध सर्तकता जांच में प्रमाणित हुए आरोपों के संदर्भ में गम्भीर प्रकार की प्रतिकूल प्रविष्टि उनकी चरित्र पंजिका में अंकित है । इसके अतिरिक्त तत्कालीन औषधि नियंत्रक ने यह भी सूचित किया था कि जन विश्लेषक की गोपनीय सील को उचित रूप से श्री सिंह ने अपनी कस्टडी में रखने में भी लापरवाही बरती थी जिसके फल-स्वरूप उक्त सील का दुरूपयोग करके विश्लेषण रिपोर्टों में अनुचित परिवर्तन करके सही परिणाम ही बदल दिये गये थे । इन्हीं कारणोंवश शासन द्वारा श्री आर0सी0 सिंह को खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के पद पर सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति के अयोग्य समझा गया ।

श्री एम0सी0 बिन्दल के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि उनके अनुभव के संबंध में स्वास्थ्य सेवा निदेशक से पूर्ण विवरण एवं सूचना आदि प्राप्त कर ली जाय और उसके बाद उक्त पद पर उपयुक्त अभ्यर्थी (श्री आर0 सी0 सिंह अथवा श्री एम0 सी0 बिन्दल) का मामला लोक सेवा आयोग को पुनः संदर्भित किया जाय । तद्नुसार स्वास्थ्य सेवा निदेशक से श्री बिन्दल के संदर्भ में, अनुभव संबंधी सूचना तथा आख्या प्राप्त कराने के लिये लिखा गया ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि श्री बिन्दल 5 वर्ष के अनुभव संबंधी अर्हता वास्तव में रखते हैं अथवा नहीं । तत्का-लीन स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने यह सूचित किया कि डा0 बिन्दल को ड्रग एनालिसिस का कुल मिलाकर अनुभव 5 वर्ष 2 महीने का है जो निम्नवत् है :-

(1) प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर के प्रमाण पत्र के आधार पर डिमान्सट्रेटर की हैसियत से ट्रान्स्फ्यूजन एनालिसिस का अनुभव-7 माह, 2 दिन

(2) प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ के प्रमाण पत्र के आधार पर लेक्चरर की हैसियत से ट्रान्स्फ्यूजन फल्युड के एनालिसिस का अनुभव-1 वर्ष, 8 महीने, 11 दिन

(3) बी0 आई0 टी0 एस0 पिलानी में एनालिसिस के कार्य का अनुभव 2 वर्ष, 10 महीने, 19 दिन

ड्रग एनालिसिस का कुल अनुभव 5 वर्ष, 2 महीने

शासन का इस प्रकार समाधान हो जाने पर कि डा0 बिन्दल को 5 वर्ष का अनि-वार्य अनुभव वास्तव में है तथा श्री आर0 सी0 सिंह प्रश्नगत पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य हैं, शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को संगत तथ्यों से अवगत कराते हुए 5-12-82 को खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के पद पर नियुक्ति संबंधी मामला पुनः संदर्भित किया गया । आयोग ने अपने पत्र दिनांक 23-2-83 में यह मत व्यक्त किया कि खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के पद के लिये चयन सीधी भर्ती द्वारा किया गया था प्रोन्नति द्वारा नहीं । यदि ऐसे अभ्यर्थी के बारे में शासन किन्हीं कारणों से नियुक्ति देना उचित नहीं समझते हैं तो उन पर विचार करने की जिम्मेदारी शासन की है । यदि आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी के चारित्रिक जांच के समय कोई कमी पाई जाती है और शासन की राय में संबंधित व्यक्ति नियुक्ति के लिये उप-युक्त नहीं समझा जाता तो उसका निर्णय भी शासन ही करते हैं । उस आधार पर आयोग द्वारा अपनी संस्तुति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। नियुक्त करने या न करने का अधिकार

शासन को है। अतः यदि शासन चरित्र सत्यापन में संस्तुत अभ्यर्थी को सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं समझते तो इस बारे में नियमानुसार निर्णय लेने के लिए शासन सक्षम है। एसा करने के लिये आयोग की संस्तुति में संशोधन अनावश्यक है।''

3—आयोग का उक्त उत्तर प्राप्त होने पर अन्तर्विभागीय परामर्शोपरान्त डा0 बिन्दल की खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश दिनांक 6-4-83 को जारी कर दिये गये। नियुक्ति आदेश की प्रति लोक सेवा आयोग को भी पृष्ठांकित कर दी गई।

4—डा0 बिन्दल की खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के पद पर की गई उक्त नियुक्ति के विरोध में सर्वश्री आर0 सी0 सिंह तथा एस0 के0 मजुमदार ने उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर की। इन रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ ने दिनांक 22-12-83 को निर्णय दिया जिसका प्रभावकारी संगत अंश निम्नांकित है:—

(1) प्रश्नगत पद पर डा0 बिन्दल को नियुक्त करने का शासन का आदेश अपरिपक्व है।

(2) राज्य सरकार प्रश्नगत मामले में अन्तिम निर्णय पर पहुंचने के पूर्व निम्न कार्यवाहियां सुनिश्चित करें:—

(अ) श्री आर0 सी0 सिंह द्वारा सतर्कता रिपोर्ट पर आधारित सेन्सर इन्ट्री के विरुद्ध दिये गये प्रत्यावेदन पर आवश्यक विचारोपरान्त उसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करते हुए, तब श्री आर0 सी0 सिंह की प्रश्नगत पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लिया जाय कि क्या वे प्रश्नगत पद पर नियुक्ति के योग्य हैं अथवा नहीं।

(ब) क्या श्री आर0 सी0 सिंह को आयु सीमा से छूट दे दी जाए अथवा नहीं, इसपर भी विचार किया जाय।

(स) यदि आर0 सी0 सिंह प्रश्नगत पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं पाए जाते हैं तो राज्य सरकार लोक सेवा आयोग के परामर्श से यह निर्णय ले कि क्या डा0 बिन्दल अनिवार्य अर्हता में निर्धारित 5 वर्ष का अनुभव नियमानुसार रखते हैं।

(द) यदि डा0 बिन्दल निर्धारित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते पाए जाते हैं तो राज्य सरकार इस पर विचार करें कि क्या अनुभव संबंधी अर्हता को शिथिल किया जा सकता है।

(ज) चूंकि डा0 बिन्दल प्रश्नगत पद पर नियुक्त के वर्तमान में न तो अयोग्य हैं और चूंकि न ही यही तय हो सका है कि वे निर्धारित अर्हताएं पूरी करते हैं वह प्रश्नगत पद पर अंपबन्धिक रूप में कार्य करते रहेंगे जब तक कि न्यायालय द्वारा इंगित उक्त कार्यवाहियों को करके इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता।

तद्नुसार मा0 उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि इस मामले में राज्य सरकार न्यायालय द्वारा इंगित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचार करे। डा0 बिन्दल की नियुक्ति को अवैधानिक नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह किसी विधिक प्राविधानों के विरुद्ध नहीं है।

उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में शासन द्वारा कार्यवाही की ही जा रही थी कि इस बीच आयोग ने अप्रैल, 1984 में यह सूचित किया कि

"माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय एवं श्री एस0 के0 मजुमदार के प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा पुनर्विचार किया गया। साथ ही औपबन्धिक रूप से संस्तुत अभ्यर्थी श्री महेश चन्द्र बिन्दल के पद के लिए वांछित अनुभव संबंधी अर्हता के संबंध में जांच भी कराई गई। इन सभी पर विचारोपरान्त आयोग ने निर्णय लिया है कि श्री महेश चन्द्र बिन्दल, फूड एवं ड्रग कन्ट्रोलर के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 21-11-81 तक वांछित प्रकार एवं अवधि का अनुभव नहीं धारित करते रहे हैं तथा वे पद के लिए अनर्ह रहे हैं। ऐसी स्थिति में आयोग ने अपने निर्णय दिनांक 19-4-84 द्वारा श्री महेश चन्द्र बिन्दल की उक्त पद के लिए औपबंधिक संस्तुति निरस्त कर दी है।" लोक सेवा आयोग ने श्री बिन्दल का प्रश्नगत पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थन एकतरफा निर्णय लेकर निरस्त कर दिया। यद्यपि मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22-12-83 के अनुसार श्री बिन्दल के उक्त मामले में अन्तिम निर्णय शासन द्वारा, लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श कर, लिया जाना अपेक्षित था। वास्तव में आयोग द्वारा भी जो संस्तुति भेजी गई थी उसके अनुसार भी राज्य सरकार द्वारा ही यह निर्णय लिया जाना था कि डा0 बिन्दल वांस्तव में 5 वर्ष का अनिवार्य अनुभव रखते थे अथवा नहीं। शासन ने इस सम्बन्ध में कतिपय संगत बिन्दुओं पर आयोग से स्थिति स्पष्ट करने का निवेदन किया परन्तु आयोग का कोई उत्तर शासन को प्राप्त नहीं हुआ।

5—इस बीच श्री एम0 सी0 बिन्दल ने उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22-12-83 के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर दी। शासन द्वारा भी उक्त निर्णय के विरुद्ध स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई। उक्त दोनों अपीलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया गया। दिनांक 18 मार्च, 1986 को सुनवाई के समय मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिये गये कि:—

"राज्य सरकार डा0 एम0 सी0 बिन्दल की खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के रूप में नियुक्ति की वैधता के प्रश्न पर सभी पहलुओं पर लोक सेवा आयोग से परामर्श कर पुनर्विचार करें। राज्य सरकार लिये गये निर्णय से न्यायालय को चार सप्ताह में अवगत करायें।"

6—मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में लोक सेवा आयोग को सभी तथ्य स्पष्ट करते हुए मामला पुनः आयोग को दिनांक 13 जून, 1986 को संदर्भित किया गया। शासन अपना समाधान पहले ही कर चुका था कि श्री बिन्दल खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के पद के लिये निर्धारित अर्हता रखते हैं। शासन द्वारा पहले भी दिनांक 30 अगस्त, 1985 को आयोग से समस्त स्थिति स्पष्ट करते हुए पुनर्विचार हेतु अनुरोध किया जा चुका था परन्तु दोनों बार आयोग शासन के मत से सहमत नहीं हुए। शासन तथा आयोग के मध्य मतभेद बना रहा। मतभेदवश उत्पन्न समस्या के निराकरणार्थ मामला मंत्रि परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मंत्रि परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 22 जुलाई, 1986 में श्री एम0 ए0 बिन्दल की खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के पद पर की गई नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया। मंत्रि परिषद के उक्त निर्णय से मा0 उच्चतम न्यायालय को दिनांक 9 अगस्त, 1986 को अवगत कराया जा चुका है।

7–मा0 उच्चतम न्यायालय ने विचाराधीन मामलों में दिनांक 22-8-86 को पुनः सुनवाई के समय यह आदेश दिये कि मंत्रि परिषद के दिनांक 22-7-86 को लिये गये निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए डा0 एम0सी0 बिन्दल इस बीच अपने पद का कार्यभार पुनः ग्रहण कर सकते हैं।

मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में डा0 बिन्दल को कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेश दिनांक 25-8-86 को जारी किये जा चुके हैं। अतः शासन द्वारा जो भी कार्यवाही की गई है वह न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ही की गई है। इससे न तो लोक सेवा आयोग और शासन के बीच तनाव उत्पन्न हुआ है और न डा0 बिन्दल की प्रश्नगत पद पर नियुक्ति से प्रदेश में व्यापक रूप से असंतोष व्याप्त होने के कोई प्रमाण हैं। जहां तक यह प्रश्न कि डा0 बिन्दल की उक्त पद पर नियुक्ति वैध हैं अथवा नहीं, यह प्रश्न अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है और इन पर अंतिम निर्णय न्यायालय को ही लेना है।

8–यह कहना भी सही नहीं है कि उ0 प्र0 स्वास्थ्य सचिव ने उ0 प्र0 स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है। माननीय उच्च न्यायालय में श्री आर0सी0सिंह द्वारा दायर रिट याचिका में तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को नाम से वादी बनाया गया था। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 22-12-83 के विरुद्ध जब माननीय उच्चतम न्यायालय में शासन द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गई तो उसमें भी उन्हीं लोगों को प्रोफार्मा पार्टी बनाया गया जो उच्च न्यायालय में श्री आर0 सी0 सिंह द्वारा दायर याचिका में बनाये गये थे जैसी की प्रक्रिया है।]

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि किसी विख्यात संस्था में ड्रग स्टेण्डड्राईजेशन और ड्रग के स्टैण्डर्ड कन्ट्रोलिंग की समस्याओं अथवा ड्रग मैन्यूफैक्चर अथवा ड्रग टैस्टिंग के कार्य में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि डा0 एम0सी0 बिन्दल ने जो आवेदन पत्र 14-11-81 को भरा था और 19-11-81 को प्राप्त हुआ था उसके कालम 22 में अपना कितना अनुभव दिखाया था ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

5 वर्ष ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

5 वर्ष 2 महीने जो बताया गया है इसका उल्लेख किसी आधार पर किया गया होगा । मैं तो यह जानना चाहता हूं कि डा0 एम0 सी बिन्दल ने **अपने आवेदन पत्र के कालम 22 में क्या** अनुभव लिया था ? प्रार्थी ही आवेदन पत्र में अपनी योग्यता लिखेगा । तो डा0 **एम0 सी0 बिन्दल** ने अपनी टैस्टिंग का अनुभव क्या लिखा था यह मंत्री जी बता दें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

आवेदन पत्र लोक सेवा आयोग में जाता है। दो नाम चयनित किये गये थे। डा0 बिन्दल की जो शैक्षिक योग्यता थी उससे लोक सेवा आयोग सहमत नहीं था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सही सवाल का सही जवाब आये तो मैं एक लाइन से ज्यादा का सवाल नहीं करूंगा । मैं मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि जो आवेदन पत्र डा0 एम0 सी0 बिन्दल ने भरा था उसके कालम 22 में उन्होंने अपना टैस्टिंग का अनुभव क्या दिखाया था । मंत्री जी के पास इसकी सूचना न हो तो बता दें और अगर सूचना हो तो सदन को उससे अवगत करायें।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, कानपुर के प्रमाण पत्र के आधार पर डिमान्सट्रेटर की हैसियत से एनालिसिस का अनुभव 5 वर्ष 2 माह था ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मंत्री जी वरिष्ठ मंत्री हैं। मैं एक सवाल कर रहा हूं कि डा0 एम0 सी0 बिन्दल ने जो आवेदन-पत्र भरा था उसमें उन्होंने अपना अनुभव क्या लिखा था ? सिर्फ यह बता दें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन् पांच वर्ष का अनुभव था, उसके लिये, जिसको आवेदन देना था। लोक सेवा आयोग ने यह विज्ञप्ति निकाली थी उत्तर प्रदेश शासन के बिहाफ पर। उसमें दो नाम आए जिनको लोकसेवा आयोग ने चयनित करके भेजा। पहला डाक्टर सिंह का और दूसरा डाक्टर बिन्दल का।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, प्रश्न में दो-तीन-चार नाम तो पूछे नहीं गये हैं । मैं सिर्फ एक प्रश्न कर रहा हूं कि डाक्टर बिन्दल ने जो आवेदन दिया था उसमें उन्होंने अपने अनुभव का उल्लेख कितने वर्ष का किया था। अगर शासन के पास मेरे प्रश्न का उत्तर न हो या मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिये अभिलेख की प्रतिलिपि न हो तो बता दें। मैं अवधि पूछ रहा हूं कि उन्होंने कितनी भरी थी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, लोक सेवा आयोग ने डा0 बिंदल का नाम नम्बर दो पर दिया था, अतएव उनकी पांच वर्ष की अवधि पूरी थी।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्रीमन् मा0 मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में बताया कि पांच वर्ष का अनुभव था, तो विभाग ने किन प्रमाण-पत्रों से इसका समाधान किया कि उनके पास पांच वर्ष का अनुभव था । डा0 बिन्दल ने जो आवेदन दिया था उसमें उन्होंने कितने वर्ष का अनुभव दर्शाया था ड्रग एनालिस्ट के पद का और शासन ने उसका समाधान कैसे किया ? दूसरे वक्तव्य के पेज दो पर लिखा है 7 माह, 2 दिन और 1 वर्ष, 8 महीने, 11 दिन, तो श्रीमन् मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने 7 माह, 2 दिन और 1 वर्ष, 8 महीने, 11 दिन का अनुभव जहां-जहां प्राप्त किया ड्रग एनालिस्ट का, क्या उन जगहों को ड्रग लाइसेंस शासन द्वारा दिया गया था? यदि दिया गया था तो उनका अनुभव वैध है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 1 वर्ष, 8 माह, 11 दिन तथा 7 माह, 2 दिन जिन स्थानों पर उन्होंने अनुभव प्राप्त किया था, उनको ड्रग लाइसेंस दिया गया था या नहीं?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं बात स्पस्ट कर दूं। ड्रग एण्ड कॉमिस्ट एक्ट, 1940 की धारा 31-ए के अनुसार किसी भी इस प्रकार की सरकारी प्रयोगशाला के लिए जरूरी है कि वह लाइसेंस प्राप्त करें।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो यह प्रश्न क्वालीफिकेशन का पूछा है, इसमें उच्च न्यायालय में विवाद हुआ है। उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी में जो फैसला दिया है उसको मैं पढ़े देता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया कि उन्होंने अपने आवेदन पत्र में कितना अनुभव भरा, लेकिन जवाब नहीं आया। डा0 कौशल ने पूछा कि धारा 31-ए के अनुसार इन दोनों मेडिकल कालेजों ने लेबोरेट्री खोलने के लिये लाइसेंस लिया था, या नहीं। मंत्रीजी ने कहा कि हाईकोर्ट में विचार हुआ। मैं पूछ रहा हूं कि लाइसेंस लिया या नहीं ? लाइसेंस लिया था, तो हां कहें?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जो अधिकृत व्यक्ति है उसको लाइसेंस देने का अधिकार है।

व्यक्ति अधिकृत है या नहीं यह मसला विचाराधीन था इसी पर रिट हुई रिट पर आबजरवेशन हुये।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

यह तो आपने ही मान लिया कि इनका वैध था?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह मंत्रिपरिषद् को अधिकार है किसी को नियुक्ति दी जाय या न दी जाय । यह तो बाद की बात है ।

मान्यवर, उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने यह कहा कि–

डा0 बिन्दल्स अप्वाइंटमेंट कैन नाट हाउइवर बी हेल्ड टू बी इल्लीगल बिकाज इट इज नाट इन वियोलेशन आफ एनी स्टेट्युटेरी प्रोविजन।

यह कहा गया कि यह नहीं कहा जा सकता कि डा0 बिन्दल की नियुक्ति असंवैधानिक है जो न्यायिक प्राविजन है उसका कोई फैसला नहीं हुआ है। वही व्यक्ति अर्हता रखता है जो 5 वर्ष तक इसका अनुभव रखता हो यह भी उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया।

*डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, जो निर्णय पढ़ा गया मैं चाहूंगा कि आखिरी से तीसरा पैराग्राफ भी पढ़ने की कृपा करें। मान्यवर, यह जो विवरण है यह तथ्यों से परे है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिलिवेंट पेराग्राफ आने चाहिये थे, जो नहीं दिये गये। इसमें तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को रखा गया है डा0 बिन्दल के एप्वाइंटमेंट को वैधानिक करार देने के लिये। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से हाईकोर्ट के निर्णय की उन मुख्य लाइनों को पढ़े देता हूं–

इटविल दस वी सीन दैट दिस कोर्ट इट सेल्फ हैड स्पैसीफिकेली आब्जवर्ड दैट डा0 एम0 सी0 बिन्दल डिड नाट फुलफिल रिक्यूसाइट क्वालीफिकेशन आफ फाइव इयर्स इक्सपीरियंस।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है–

प्राइमाफेसी द अप्वाइंटमेंट आफ अप्लीकेंट डा0 एस0 सी0 बिन्दल एज द कन्ट्रोलर आफ फूड एण्ड ड्रग्स एपियर्स टू बी इनवाल्वड।

श्री उपाध्यक्ष–

इसकी हिन्दी कर दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

हिन्दी इस प्रकार है–प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि डा0 बिन्दल की कंट्रोलर आफ फूड एंड ड्रग्स के पद पर नियुक्ति अवैधानिक है।

आगे है–

वी डाइरेस्ट दि स्टेट गर्वमेंट टू रिकन्सीडर दि क्वीश्चन आफ वैलिडिटी आर अदरवाइज दि अप्वाइन्टमेंट आफ दि अपीलेंट डा0 बिन्दल एज दि कन्ट्रोलर आफ फूड एण्ड ड्रग्स इन आल इट्स आसपेक्ट्स इन कन्सलटेशन विद दि यू0 पी0 पब्लिक सर्विस कमीशन दि स्टेट गर्वमेंट इन्टीमेट दि कोर्ट दि डिसीजन रीच्ड विद इन फोर वीक्स फ्राम टू डे ।

हिन्दी है–

उत्तर प्रदेश शासन को यह निर्देश देते हैं कि वे पब्लिक सर्विस कमीशन से सम्पर्क करके यह पता लगाये कि उनका एपाइंटमेंट वेलिड था या नहीं और, वस्तुस्थिति से चार सप्ताह के भीतर न्यायालय को अवगत कराये।

मान्यवर, इस आधार पर सम्पर्क किया गया और यह बात संज्ञान में आयी कि उनका केन्डीडेचर फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर कौंसिल कर दिया और इसमें वेरिफिकेशन के संबंध में अधिकारियों को दोषी पाया गया । उनके वेरीफिकेशन के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन ने उन दो व्यक्तियों की सेवायें समाप्त कर दी। डा0 बिन्दल ने अपनी साढ़े तीन साल की अर्हता का उल्लेख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना डिसीजन दे दिया। जबकि इसी तरह के मामले में, जैसा कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि दो लोगों की सर्विस चली गई, फिर इनकी नियुक्ति करने की क्या आवश्यकता थी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय सदस्य के पास पूरी जानकारी नहीं है। 26 अगस्त, 1986 को उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश किया कि डा0 बिन्दल में रिज्यूम हिज ड्यूटीज इन व्यू आफ दि कैबनेट डेसीजन आन 22 जुलाई, 1986 । दिस उड बी विदाउट प्रिज्युडिस टू दि राइट्स एण्ड कन्टेनसन आफ दि पार्टीज ।

इसके अंतर्गत उन्होंने अपना चार्ज गृहण कर लिया।

श्री जयदीप सिंह बरार–

डा0 बिन्दल ने अपने मूल प्रार्थना-पत्र में, जो उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा था, में भ्रम पैदा किया था, साढ़े तीन साल की स्पेशिफिक अनुभव के अलावा 4 साल का और दिखाया था, इस प्रकार टोटल लगाकर 7 साल का अनुभव उन्होंने दिखाया था। जब यह मामला लोक सेवा आयोग के संज्ञान में आया तो दो कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई, तो फिर इसी मामले में उनकी सेवाओं को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया। ऐसे अधिकारी को सर्वोच्च पद पर आसीन कराकर सरकार इसके औचित्य को क्या समझती है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, 2 मुद्दे हैं। 22 जुलाई को मंत्री परिषद् ने निर्णय लिया कि उनकी नियुक्ति उचित है। दूसरा बिन्दु यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह मामला विचाराधीन है, इसलिए उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को स्वास्थ्य सचिव ने इस मुकदमे में प्रतिवादी बना दिया है। यह उत्तर प्रदेश के

इतिहास में एक बहुत बड़ी नजीर है। मान्यवर, अगर आपका सचिव आपको किसी मुकदमें में खड़ा कर दें तो आप उसकी कल्पना कर लीजिए कि आपको कैसा लगेगा। यह शासन की तरफ से जवाब आया है। चूंकि आर0 सी0 सिंह द्वारा दायर रिट याचिका में तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को नाम से वादी बनाया गया था, इसलिये सरकार ने भी इनको प्रतिवादी बना दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह पता है कि आर0 सी0 सिंह ने हलफनामा देकर स्वास्थ्य सचिव को वादी पद से हटा दिया था? क्या स्वास्थ्य मंत्री जी सदन को इस बात का आश्वासन देंगे कि लोक सेवा आयोग ने उनको योग्य माना है जिसकी नियुक्ति को उच्च न्यायालय ने प्रि-मैच्योर माना और सर्वोच्च न्यायालय में अभी उनकी नियुक्ति के बारे में मामला विचाराधीन है ? क्या इन सारी बातों को देखते हुए डा0 एम0 सी0 बिन्दल की जो नियुक्ति हुई है, इसको रद्द करने के लिये, इस सदन की भावना के अनुसार पुनर्विचार करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सबसे ऊंचा उच्चतम न्यायालय है, उसकी भावना को मैंने पढ़ दिया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है, क्या यह सच है कि उनकी नियुक्ति के बारे में पुनर्विचार करके सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराने के बारे में है या उनकी नियुक्ति के बारे में है ? अगर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश उनकी नियुक्ति के बारे में पुनर्विचार करने के संबंध में है, तो निदेश का पालन न करते हुए उनकी नियुक्ति कैसे कर दी ?

मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आपका जो विधि विभाग है, उसको इस मामले में सन्दर्भित करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह सर्वोच्च न्यायालय का डायरेक्शन है यह 26 अगस्त का है।

(व्यवधान)

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

माननीय मंत्री जी से इनके वक्तव्य के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये हैं ? आप मौजूद हैं, एक प्रश्न का भी उत्तर तर्कसंगत प्राप्त नहीं हुआ है । मैंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ दिये, किसी भी बात का उत्तर नहीं मिला । मेरी मांग है कि इस पर एक घण्टे की चर्चा करा दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

लगभग एक घण्टे की चर्चा तो हो ही गयी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इस पर चर्चा स्वीकार कर लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर आपको मैंने काफी प्रश्न करने की इजाजत दे दी है, अब चर्चा स्वीकार करने का प्रश्न नहीं है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मैंने उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन किया है । उत्तर प्रदेश के मन्त्रिमण्डल ने सर्वसम्मति से श्री बिन्दल को नियुक्त किया है, इसमें चर्चा का प्रश्न कहां से आ गया ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं आया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर मन्त्रिमण्डल का निर्णय मानने लगें तो सदन में कोई चर्चा ही नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें, चर्चा तो हो ही गयी, मैंने जितना समय इस वक्तव्य पर दिया है आपको सवाल पूछने के लिये, उसके बाद चर्चा का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

(श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री बदन सिंह, श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल सब सदस्य खड़े हो कर मा0 स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर एक घंटे की चर्चा की मांग करते रहे)

विशेषाधिकार की सूचनाओं के सम्बन्ध में निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस पर चर्चा की इजाजत नहीं देता हूं । अब मैं सदन में एक सूचना दे रहा हूं कि श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री लाल प्रताप सिंह, श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री जर्नादन प्रसाद ओझा, श्री रणजीत सिंह तथा श्री नेक चन्द्र पाण्डेय द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार के 9 मामलों में माननीय अध्यक्ष ने निर्णय ले लिया है और उन्हें अस्वीकार कर दिया है । उक्त मामलों में दिये गये निर्णयों की प्रतियां आज की कार्यवाही की अंग मानी जायेंगी ।

(विशेषाधिकार के मामलों के निर्णय के संबंध में देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 210-215 पर)

कार्यसूची की मद संख्या 36 को किसी दूसरे दिन लिये जाने की मांग

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, इस समय 7-30 बज रहे हैं । मद संख्या 36 की चर्चा को किसी दूसरे दिन के लिये बढ़वा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

यदि आप सब लोग इससे सहमत हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

हां, हां सब लोग इससे सहमत हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, 8 तारीख को 11-00 बजे दिन में फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 25 मिनट पर सोमवार दिनांक 8 सितम्बर, 1986 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
5-9-1986

नत्थी 'क'

(देखिए नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त ता0 प्र0 सं0 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर)

संलग्नक "क"
दिनांक 20 जून, 1986

सेवा में,

1. माननीय ऊर्जा मंत्री जी,
   उत्तर प्रदेश शासन,
   लखनऊ ।

2. अध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्,
   14–अशोक मार्ग, लखनऊ ।

विषय :–11 जुलाई, 1986 से बिजली मजदूरों द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल की नोटिस ।

महोदय,

हम अध्यक्ष/महामंत्री, उ0 प्र0 कर्मचारी संघ, हाइड्रो इलैक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन उ0 प्र0 (एच0 एम0 एस0) विद्युत मजदूर संगठन उ0 प्र0 हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन उ0 प्र0 (इन्टक), विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन उ0 प्र0, विद्युत मजदूर संघ, ऊर्जा कर्मचारी संघ, विद्युत लेखा कर्मचारी संघ, कानपुर बिजली मजदूर सभा, विद्युत कर्मचारी लेखा संघ, विद्युत प्राविधिक कला कर्मचारी संघ, बिजली मजदूर यूनियन आपको नोटिस देते हैं कि बिजली बोर्ड प्रशासन ने हमारी संयुक्त नोटिस दिनांक 3-6-86 जो 19 जून, 86 की सांकेतिक हड़ताल के सन्दर्भ में था को गम्भीरता से नहीं लिया और जिस प्रकार से वार्ता 18-6-86 को प्रशासन की ओर से तोड़ी गयी वह औद्योगिक सम्बन्धों के लिए अच्छी नहीं थी।

चूंकि बिजली बोर्ड मजदूरों की मांगों के प्रति उदासीन है और इसका रुख नकारात्मक है अतः हम नोटिस देते हैं कि अगर शासन तथा बिजली बोर्ड प्रशासन ने 9 जुलाई, 1986 तक मांगों को स्वीकार नहीं किया तो प्रदेश का एक लाख बिजली मजदूर/कर्मचारी अपनी मांगों की प्राप्ति के लिये 11 जुलाई, 1986 की पहली पाली से अपने को काम से अलग करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जायेगा ।

मांगों का विवरण निम्न है :–

1–चूंकि परिषद् ने वेतन समितियों से हटकर द्विपक्षीय वार्ता द्वारा अभियन्ता अधिकारियों की 1-4-69 से 31-3-1984 के मध्य सारी वेतन विसंगतियों, सेवा में ठहराव, समयबद्ध वेतनमान, पुनरीक्षित वेतनमानों में निर्धारण लाभ, वार्षिक वृद्धि की दर का संशोधन तथा उसका आंशिक विस्तार गैर-अभियंता अधिकारियों को कर दिया है अतः उसी प्रकार मजदूरों/कर्मचारियों

को भी द्विवपक्षीय वार्ता द्वारा 1-4-69 एवं 1-4-74 तथा 1-4-79 को ट्रिब्यूनल एवार्ड एंवं अन्य परिषदीय आदेशों से उत्पन्न विसंगतियों को समाप्त किया जाय, 10 वर्ष सेवा उपरान्त अग्रेतर वेतनमान के स्थान पर समयबद्ध वेतनमान, सेवा में ठहराव की स्थिति में वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि की दर का संशोधन एवं वेतन निर्धारण के लाभ दिये जायं ।

2—चूंकि परिषद् ने अभियन्ता अधिकारियों को 1-8-72 से प्राप्त वेतन आयोग के वेतनमान को 1-4-1969 से न्यूनतम प्रारम्भिक वेतन रु0 660/- पर एक वार्षिक वृद्धि के साथ दिये जाने के आदेश 8-5-86 को कर दिये हैं जिससे अधिकारी की न्यूनतम वेतनवृद्धि रुपये 220/ प्रतिमाह बढ़ गयी अतः कर्मचारियों को 1-4-1973 से देय न्यूनतम वेतन रु0 78/-, रु0 82/- एवं रु0 88/- को 1-4-69 से किया जाय तथा सभी वेतनमानों में समानुपातिक वृद्धि 1-4-69 से की जाय । इसी प्रकार मेडिकल एवं टीचिंग कर्मचारियों के भी वेतन 1-4-69 से संशोधित किये जायं।

3—चूंकि परिषद् ने अधिकारियों को 1-4-69, 1-4-74 एवं 1-4-1979 को संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के समय एक वार्षिक वृद्धि देकर वेतन निर्धारण करने की नीति घोषित की है अतः यही नीति कर्मचारियों के लिए भी लागू की जाय तथा सभी वेतनमानों के वार्षिक बढ़ोत्तरी की दर 1-4-74 एवं 1-4-79 में बढ़ाये जायं जो जाम किये गये हैं तथा उससे उत्पन्न एरियर का भुगतान किया जाय ।

4—चूंकि अधिकारियों को समयबद्ध वेतनमान दिया जा चुका है जो उनके पदोन्नत का वेतनमान है अतः कर्मचारियों को भी 10 वर्षीय सेवा के पश्चात् अग्रेतर वेतनमान के स्थान पर समयबद्ध वेतनमान दिया जाय ।

5—स्थल प्रतिकर भत्ते की अधिकतम सीमा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये एक निर्धारित की जाय ।

6—परिषद् द्वारा विभिन्न विसंगतियों को विभिन्न तिथियों से दूर किया गया है उन्हें 1-4-1969 से किया जाय ।

7—परिषद् द्वारा केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ढांचे से हटकर तीन नये वेतनक्रम बनाने एवं अधिकारियों के वेतनक्रम 1-8-72 को 1-4-1969 लागू किये जाने के कारण पूरी मजूरी बोर्ड का वेतन ढांचा टूट गया है जिसके कारण अब सुपर-वाइजरी "ए" जो कि सहायक अभियंता के समकक्ष था को प्रारम्भिक वेतन 400/- रुपये के स्थान पर रुपये 660/- सुपरवाइजरी (बी) रुपये 300/- के स्थान पर रुपये 400/- सुपरवाइजरी (सी) एवं उच्चतम कुशल (ए) रुपये 250/ के स्थान पर रुपये 300/- उच्चतम कुशल (बी) रुपये 190/- के स्थान पर रुपये 250/- एवं कुशल श्रेणी का वेतन रुपये 190/- तथा अर्ध कुशल का वेतन रुपये 110/- एवं अकुशल का वेतन रुपये 80/- दिनांक 1-4-69 से बनता है।

इसलिये उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यथानुरूप संशोधन किया जाय।

8—सभी कर्मचारियों की न्यूनतम तीन पदोन्नतियां, भत्तों की दरों में वृद्धि, नि:शुल्क आवास या आवास भत्ता तथा नि:शुल्क बिजली सभी को दिया जाय ।

9—1-4-84 से वेतन पुनरीक्षण करने से पूर्व न्यूनतम वेतन रुपये 1000/- निर्धारित किया जाय ।

10—संगठनों के साथ किये गये पिछले समझौते लागू किये जायें।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सभी मांगों को गम्भीरता से लेते हुए 9 जुलाई के पूर्व द्विपक्षीय वार्ता द्वारा तय करें और औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में सहयोग देवें ।

भवदीय,

(आर0 एस0 राय)
अध्यक्ष
विद्युत मजदूर संगठन उ0 प्र0

(बासुदेव पाण्डेय)
महामंत्री
उ0 प्र0 बिजली कर्मचारी संघ

(राजाराम मिश्र)
अध्यक्ष
ह0 इ0 इ0 यूनियन (इन्टक)
तथा अन्य ।

(गिरीश कुमार पाण्डेय)
महामंत्री
हा0 इ0 इ0 यूनियन (एच एम एस)

(चन्द्र प्रकाश अवस्थी)
अध्यक्ष
विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन उ0 प्र0

(सर्वेश चन्द्र द्विववेदी)
महामंत्री
उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ

नत्थी 'ख'

(देखिए ता0 प्र0 सं0 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

क्रम-सं0	बकाएदार का नाम	बकाया 31-12-85 को		वसूली के लिए की गयी कार्यवाही
1	मै0 हिण्डालको	(क) 54.51 लाख	नाइट रेगुलेशन कोयला अधिभार आबकारी शुल्क लोड फैक्टर के ऊपर	1—(क) एवं (ख) पंच निर्णय के अधीन है।
		(ख) 0.63 लाख	नाईट रेगुलेशन	2—(ग) (घ) एवं (ङ) में वसूली के लिए विद्युत विच्छेदित की नोटिस की गयी थी जिस पर मेसर्स हिन्डालको ने प्रतिवेदन किया था। मामला आपसी विचार-विमश से तय होना ह।
		(ग) 501.00 लाख	दरों के पुनरीक्षण के कारण	
		(घ) 141.00 लाख	विद्युत शुल्क	
		(ङ) 5.00 लाख	रेनुसागर विद्युत गृह के शटडाउन की अवधि में विद्युत आपूर्ति के लिए।	
		(च) 1.63 लाख	मुख्य विद्युत आपूर्ति सीमा से अधिक	3—(च) (छ) एवं (ज) में मेसर्स हिण्डालको ने प्रतिवेदन दिया है मामला परिषद् के विचाराधीन है।
		(छ) 34.00 लाख	न्यूनतम उपभोग गारन्टी के कारण	
		(ज) 21.00 लाख	माह अगस्त, 85 के बिलों म कटौती के कारण।	
		758.77 लाख		
2	कनोरिया केमिकल	636.95 लाख		यह राशि पावर कट विद्युत शुल्क के विद्युत दरों में परीक्षण के कारण ही विवादास्पद है एवं न्यायालय में लम्बित है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3	स्वदेशी काटन मिल, कानपुर	124.30 लाख	.. मिल के प्रबन्ध का अधिग्रहण एन0टी0सी0 द्वारा किया जा चुका है। जो बकाए है वह एन0टी0सी0 द्वारा मिल के प्रबन्ध के अधिग्रहण के पहले के समय के हैं। बकाये की ऐक्ट 99 के अनुसार बकायों की अदायगी स्थगित कर दी गयी है जो कि प्रबन्ध के अधिग्रहण के नियमानुसार कलेक्टर कानपुर को सेक्शन–5 की नोटिस भेजी जा चुकी है। क्लेम–कमिश्नर की नियुक्ति के उपरान्त ही दावे किए जायेंगे।
4	स्टील इण्टर प्राइजेज, कानपुर	45.98 लाख	.. उपभोक्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में पांच रिट दायर की थीं उसमें से तीन परिषद् के पक्ष में निर्णीत हुई हैं इस लिए धारा 5 के अन्तर्गत 39.19 लाख की वसूली कलेक्टर कानपुर को भेजी गयी है। बाकी धनराशि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित की गयी है। मामले को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
5	मैनेजर रिफाइनरी प्रोजेक्ट, मथुरा	63.58 लाख	.. पावर कट के उल्लंघन के जुर्माने का बकाया है। राशि विवादास्पद है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	बकाएदार का नाम	बकाया 31-12-85 को	वसूली के लिए की गई कार्यवाही
6	मेसर्स मोदी कन्सालिडेटेड	38.66 लाख	. . आरबिट्रेशन में केस चल रहा है। केस के कारण कोई कार्यवाही जब तक नहीं की जा सकती है जब तक न्यायालय से फैसला न सुनाया जाय।
7	मेसर्स मोदी स्टील (ए) (बी)	37.87 लाख 21.95 लाख	. . माह जनवरी में हाई कोर्ट, इलाहाबाद से केस विद्युत् बोर्ड के पक्ष में तय हुआ जिससे जनवरी, 86 में उपभोक्ता ने भुगतान कर दिया है।
8	जे0के0रेयान, कानपुर	18.85 लाख	. . धारा 5-के अन्तर्गत वसूली कलेक्टर कानपुर को भेजी गयी है लेकिन उपभोक्ता ने न्यायालय से सम्पत्ति की कुड़की के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त 7.62 लाख 16-8-85 को भुगतान किया जा चुका है और रु0 5.29 लाख की जमानत की धन-राशि को बकायों के विरुद्ध समायोजित कर लिया गया है।
9	मे0 मोदीपान (नायलोन)	39.51 लाख	. . इसका भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा था। जनवरी, 85 में केस विद्युत बोर्ड के पक्ष में तय हुआ। उपभोक्ता ने जनवरी, 86 में भुगतान कर दिया।

10 कानपुर स्टील	44.02 लाख	विद्युत् बकायों के भुगतान न होने के कारण अनुबन्ध निरस्त किया गया ह। परिषद् ने विवादों को, जो कि उपभोक्ता ने 10-10-74 के एग्रीमेंट के सम्बन्ध म उठाए हैं उसके लिए न्यायाधीश श्री गोपीनाथ, इलाहाबाद को सोल आरबीट्रटर नियुक्त किया ह। उपभोक्ता ने एक और आरबीट्रेटर को नियुक्ति करान के सिविल कोट, कानपुर में एक मुकदमा दायर किया है। उसमें न्यायाधीश श्री गोपीनाथ के समक्ष आरबीट्रशन कार्यवाही को रोकने के लिए एक प्रार्थनापत्र भी दिया है। सिविल न्यायालय ने कार्यवाही को रोक दिया था जोकि 14-7-85 को निरस्त कर दिया गया। उपभोक्ता ने एक आरबोट्रटर को अपने आप नियुक्त कर लिया था और परिषद् ने दिनांक 30-10-85 के पत्र द्वारा इस आरबीट्रेटर की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया है।

(ह0) बी0बी0 चोपड़ा,
मुख्य अभियन्ता वाणिज्य,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता० प्र० सं० 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

राहत वितरण सम्बन्धी विवरण वर्ष 1984, जनपद--बस्ती

नाम तहसील	विकास खण्डों की संख्या	ग्रामों की संख्या जिनमें राहत सामग्री वितरित की गई	लाभान्वित परिवारों की संख्या	वितरित सामग्री				
				गेहूं कुन्तल में	चना कुन्तल में	नमक कुन्तल में	मिट्टी का तेल लीटर में	दियासलाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1--बांसी	4	203	25215	4500.32	..	252.15	50512	33144
2--डुमरियागंज	5	470	63120	14914-18-200	..	773.12	127160	153941
3--खलीलाबाद	3	63	10717	1866.00	5.00	107.17	21434	21434
4--हरैया	4	480	46196	9088.75	62.00	457.25	83365	45664
5--बस्ती	4	202	21621	4281-60.100	17.00	207.46	39099	41630
6--नौगढ़	5	253	40337	10269.92	..	471.70	99404	51316
योग 6	25	1671	207206	44920-77.300	84.00	2268.85	420974	347129
			वर्ष 1985					
1--बांसी			---बाढ़ का प्रभाव नहीं रहा---					
2--डुमरियागंज	1	1	39	10.00	इस तहसील में भी बाढ़ का प्रभाव नहीं रहा। नदी से कटान से प्रभावित एक गांव में गेहूं वितरित किया गया।			
3--खलीलाबाद	1	28	3838	751.28	..	38.38	7556	3838
4--हरैया	5	118	11025	2167 46	..	98.63	18694	9640
5--बस्ती	4	55	4426	757.20	..	40.24	7649	4024
6--नौगढ़	2	54	4724	1205.42	..	45 56	9124	4545
योग 6	13	256	24052	4891.36	..	222.81	43023	22047

वर्ष 1984

गृह अनुदान वितरण सम्बन्धी विवरण, जनपद-बस्ती

नाम तहसील	विकास खण्डों की संख्या	ग्रामों की संख्या जहां गृह अनुदान वितरित किया गया	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या		गृह अनुदान की वितरित धनराशि	
			आंशिक	पूर्णतः	आंशिक	पूर्णतः
1	2	3	4	5	6	7
1- बांसी	4	177	747	214	1,49,000.00	85,600.00
2- डुमरियागंज	5	470	5561	207	11,12,200.00	82,800.00
3- खलीलाबाद	3	60	795	74	1,58,850.00	29,600,00
4- हरैया	4	433	7157	100	14,31,400.00	40,000.00
5- बस्ती	2	126	3840	60	7,68,000.00	24,000.00
6- नौगढ़	5	196	1322	382	2,64,400.00	1,52,800.00
योग 6	23	1462	19422	1037	38,84,250.00	4,14,800.00

वर्ष 1985

1- बांसी	5	145	371	47	74,200 00	23,500.00
2- डुमरियागंज	1	1	17	43	3,400 00	17,200.00
3- खलीलाबाद	2	50	482	2	96,400 00	800.00
4- हरैया	5	222	1754	3	3,50,800 00	1,200.00
5- बस्ती	2	5		19		7,600.00
6- नौगढ़	5	378	2302	180	4,60,400 00	80,700.00
योग 6	20	801	4926	294	9,85,200.00	1,31,000.00

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

ग्राम घाड़ावल, परगना खण्डासा, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद में प्रस्ताव दिनांक 12-12-83 के अन्तर्गत आवंटित अनुसूचित व्यक्तियों के मूल तथा आवंटित भूमि की सूची

क्रमांक	आवंटी का नाम पुत्र नाम एवं जाति		मूल जोत की भूमि का क्षेत्रफल	आवंटित भूमि का क्षेत्रफल	कुल योग
1	2		3	4	5
	सर्वश्री				
1	सुखलाल पुत्र नन्हकू	चमार		0-18-15	0-18-15
2	माताफेर पुत्र मुन्नऊ	चमार	..	1-0-0	1-0-0
3	सियाराम पुत्र मुन्नऊ	चमार	..	0-19-15	0-19-15
4	रामजियावन पुत्र मुन्नऊ	चमार	.	1-0-10	1-0-10
5	मुन्नी पुत्र मुन्नऊ	चमार		1-0-10	1-0-10
6	छंगू पुत्र मुन्नऊ	चमार	..	1-0-0	1-0-0
7	शत्रोहन पुत्र मुन्नऊ	चमार	..	1-0-0	1-0-0
8	दुलारे पुत्र मोलई	चमार	..	1-0-0	1-0-0
9	भवानी प्रसाद पुत्र मुन्नऊ	चमार	..	1-0-0	1-0-0
10	हीरालाल पुत्र रामचरन	डोम	..	1-0-0	1-0-0
11	मोहन लाल पुत्र रामचरन	डोम	..	1-0-0	1-0-0
12	रामसुन्दर पुत्र रामचरन	डोम	..	1-1-1	1-1-1
13	जियालाल पुत्र रामचरन	डोम		1-0-5	1-0-5
14	गाजी पुत्र निरधिन	डोम	.	1-0-0	1-0-0
15	गिरजा पुत्र बैजनाथ	धोबी	0-7-0	0-10-0	0-17-0
16	हलबल पुत्र बैजनाथ	धोबी	0-7-0	0-5-5	0-12-5
17	नोखई पुत्र दिनई	कोरी	0-5-12	0-5-12	0-17-12
18	जगई पुत्र दिनई	कोरी	0-5-12	0-7-0	0-12-12
19	तेजई पुत्र दिनई	कोरी	0-8-5	0-10-0	0-18-5
20	देवतादीन पुत्र भगई	कोरी	0-3-5	0-10-0	0-13-5
21	लालाराम पुत्र भचेगई	कोरी	0-3-0	0-10-0	0-13-0
22	बदलू पुत्र सुद्धू	कोरी	0-6-0	0-10-5	0-16-5
23	लल्लन पुत्र छोटेलाल	डोम	..	1-4-14	1-4-14
24	दुलारे पुत्र हौसिला	पासी	0-9-17	0-8-0	0-17-17
27	खुशियाल पुत्र हौसला	पासी	0-9-17	0-7-19	0-17-16
26	बेकारू उर्फ मड़ाऊ पुत्र बिरई।	पासी	0-16-0	0-4-0	1-0-0
27	खेलावन पुत्र हौसला	पासी	12-2-0	0-4-10	0-16-12
28	छोटे लाल पुत्र सुरज	पासी	0-13-4	0-5-0	0-18-
29	जगपाल पुत्र सुरज	पासी	0-13-4	0-5-0	0-18-4
30	ममूती पुत्र रामदयाल	पासी	0-10-0	0-11-10	1-1-10
31	बद्री पुत्र भगवानदीन	पासी	..	0-19-0	0-19-0
32	शिव प्यारे पुत्र रामअधार।	पासी	1-7-12	0-9-0	1-16-12

नत्थी (ङ)

(देखिए अता0प्र0सं0 103 का उत्तरपिछे पृष्ठ 65 पर)

वर्ष 1984–85 में तापीय उत्पादन एवं फ्यूल आयल के खर्च का माहवार विवरण

माह	विद्युत उत्पादन (मि0यू0)	फ्यूल आयल खर्च (मि0ली0)
अप्रैल, 1984	613.939	7,268
मई, 84	613.385	8,259
जून, 84	522.017	10,781
जुलाई, 84	439.974	9,410
अगस्त, 84	421.758	7,366
सितम्बर, 84	399.007	12,573
अक्तूबर, 84	602.009	12.792
नवम्बर, 84	572.791	9,577
दिसम्बर, 84	661.190	11,236
जनवरी, 85	575.812	10,634
फरवरी, 85	592.115	7,262
मार्च, 85	660 719	10,715
वर्ष 1984–85	6675.616	117,873

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ 198 पर)

विशेषाधिकार के मामलों में श्री अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्णय

(1) श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 18 अगस्त, 1985 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना देते हुए यह कहा था कि दिनांक 13 सितम्बर, 1984 को तारांकित प्रश्न संख्या 19, का उत्तर देते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में घोषणा की थी कि "मेडिकल कालेज में लेक्चरार के पदों पर आरक्षण हेतु एक समिति गठित की जायगी" किन्तु अभी तक समिति का गठन न किया जाना सदन की अवमानना है।

इस सम्बन्ध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी। शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शासनादेश संख्या 798–सेक–14/पांच-408/83, दिनांक 4 जुलाई, 1986 द्वारा प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में शैक्षिक पदों पर चयन के लिए आरक्षण के प्रश्न पर विचार करने हेतु समिति गठित कर दी गयी है।

इस प्रकार माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 1984 को सदन में की गई घोषणा के अनुसार समिति का गठन कर दिया गया है। अतः उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न नहीं बनता है। इस प्रसंग में मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि सदन में अध्यक्ष पीठ से इस आशय के निर्णय पहले भी दिये जा चुके हैं कि सदन में की गई घोषणाओं का पालन न हो पाने से सदन की अवमानना अथवा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

उपरोक्त परिस्थितियों में मैं श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा अभिसूचित अवमानना के प्रश्न की उक्त सूचना अस्वीकार करता हूं।

(2) श्री लाल प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 8 अगस्त, 1985 को कानपुर से प्रकाशित दैनिक "आज" के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक तथा रिपोर्टर के विरुद्ध कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह के विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना की सूचना दी है। मा0 सदस्य के अनुसार उक्त समाचार पत्र के अंक दिनांक 2 अगस्त, 1985 में शीतगृहों के मालिकों से लाखों रुपये वसूलने का आरोप तोड़ मरोड़कर दुर्भावना से प्रेरित होकर प्रकाशित किया गया है।

इस मामले में "आज" समाचारपत्र के मुद्रक, सम्पादक आदि से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। अपने पत्र दिनांक 14-2-86 द्वारा उक्त समाचारपत्र के स्थानीय ब्यूरो प्रमुख श्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि विधान सभा की कार्यवाही की शब्दशः रिपोर्टिंग न तो सम्भव है और न अपेक्षित। आमतौर पर कही गयी बातों को संदर्भ सहित प्रकाशित किया जाता है और उनका उद्देश्य सदन अथवा उसके किसी सदस्य की अवमानना करना नहीं था।

संविधान के अनुच्छेद 361–क के अनुसार समाचारपत्रों को सदन की कार्यवाहियों के प्रकाशन के सम्बन्ध में सुरक्षा प्रदान की गयी है, पर ऐसी सुरक्षा तभी अनुमन्य है, जब ऐसा प्रकाशन सारतः सत्य हो और दुर्भावना से प्रेरित न हो। प्रश्नगत मामले में सदन की कार्यवाही दिनांक 1 अगस्त, 1985 तथा समाचार-पत्र के अंक 2 अगस्त, 1985 को देखने से ज्ञात होता है कि दोनों में तात्विक अन्तर था । फिर भी मा0 सदस्य ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह कहा जा सके कि प्रश्नगत प्रकाशन दुर्भावना से प्रेरित था।

इसके अतिरिक्त कौल एवं शकधर की पुस्तक ''संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार'' के पृष्ठ 248 पर यह कहा गया है कि प्रत्येक मानिहानिकारक बात के सम्बन्ध में सदन द्वारा ध्यान देना अथवा कार्यवाही करना सभा की गरिमा के अनुरूप नहीं माना जाता ।

वर्णित परिस्थितियों में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के इस मामले को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाती है किन्तु पत्र-प्रतिनिधियों से मैं अवश्य अनुरोध करूंगा कि सदन की कार्यवाहियों के प्रकाशन के सम्बन्ध में वे अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग रहें।

(3) श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, सदस्य, विधान सभा, ने लखनऊ पुलिस के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दिनांक 24 फरवरी, 1986 को दी थी । माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह कहा है कि सीतापुर से कार द्वारा लखनऊ आते समय पुलिस ने उन्हें लखनऊ में दाखिल होने से जबरन रोक लिया, जिसके फलस्वरूप वह सदन की कार्यवाही में 11.40 बजे तक भाग नहीं ले सके। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह उल्लेख नहीं किया था कि पुलिस के किस अधिकारी अथवा कर्मचारी विशेष ने उन्हें लखनऊ शहर में आने से रोका था। उक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए माननीय सदस्य को विधान सभा सचिवालय द्वारा अनेक पत्र भेजे गये किन्तु उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की उक्त सूचना को अग्राह्य करता हूं।

(4) श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दैनिक समाचार-पत्र ''प्रतिदिन'' के दिनांक 24-2-86 के अंक में प्रकाशित ''मा0 उपाध्यक्ष, विधान सभा ने दबाव में आकर तीन बार निर्णय बदला'' तथा ''आप मान्यवर बच्चे नहीं हैं'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में उक्त समाचार-पत्र के सम्पादक श्री जगदीश नारायण शुक्ल के विरुद्ध दिनांक 25-2-86 को सदन की अवमानना की सूचना दी थी। अपनी सूचना में उन्होंने यह भी कहा था कि इससे पीठासीन अधिकारी की छवि जनता के सामने धूमिल होती है।

जहां तक तीन बार निर्णय बदलने की बात है दिनांक 24-2-86 की कार्यवाही के अवलोकन से यह सही नहीं प्रतीत होती। यदि परिस्थिति वश निर्णय को पुनरीक्षित कर दिया गया तो उसे दबाव में आकर निर्णय बदलना नहीं कहा जा सकता। ''आप मान्यवर बच्चे नहीं हैं'' नामक शीर्षक के अन्तर्गत छपा समाचार सदन की कार्यवाही के जिस अंश पर आधारित था उसके संबंध में उसी दिन

अर्थात दिनांक 24-2-86 को ही कार्यवाही देखकर आपत्तिजनक बात को कार्यवाही से निकाल दिये जाने के आदेश मा0 उपाध्यक्ष ने दिये थे। इस प्रकार उपरोक्त समाचार के प्रकाशन को त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग ही समझा जायगा ।

इस सम्बन्ध में मैंने उक्त समाचारपत्र के सम्पादक श्री जगदीश नारायण शुक्ल से जानकारी प्राप्त की है। श्री शुक्ल ने अपने लिखित स्पष्टीकरण में कहा है कि "समाचार प्रकाशन का इरादा किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का नहीं था।" उक्त स्पष्टीकरण के साथ इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि सदन के पीठासीन अधिकारी के निर्णय सम्बन्धी किसी प्रश्न के बारे में विशेषाधिकार समिति द्वारा विचार किया जाना समीचीन नहीं होगा, मैं सदन की अवमानना की उक्त सूचना को अग्राह्य करता हूं।

(5) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने दिनांक 7 मार्च, 1986 को श्री हुकुम सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी है जो उनके बयान दिनांक 1 मार्च, 1986 के बारे में है। उपरोक्त दिनांक 1 मार्च, 1986 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि वर्तमान तथा भूतपूर्व मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के पास लोक आयुक्त कार्यालय में कार्यवाही की नोटिस नहीं आई है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही लोक आयुक्त के यहां नहीं चल रही है। श्री गुप्त के अनुसार उपरोक्त कथन गलत है और माननीय मंत्री द्वारा जानबूझकर गलत बयानी की गई है ।

मेरी राय में इस प्रश्न पर निर्णय करना कि कोई कार्यवाही किसी मंत्री के खिलाफ चल रही है अथवा नहीं; इस स्टेज पर सम्भव नहीं है। जब लोक आयुक्त की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी जाय तभी इस बिन्दु पर निर्णय करना उचित और सम्भव होगा।

वर्णित परिस्थितियों में विशेषाधिकार की प्रश्नगत सूचना पर कोई कार्यवाही करना समीचीन न होगा। इसे निरस्त किया जाता है।

(6) श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत श्री के0 पी0 तिवारी, भूतपूर्व ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना एवं सदन की अवमानना सम्बन्धी सूचना दिनांक 4 अप्रैल, 1986 को दिया था।

माननीय सदस्य के अनुसार श्री के0 पी0 तिवारी ने एक प्रेस कान्फरेन्स के माध्यम से विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 21 मार्च, 1986 पर अनुचित टिप्पणी की है और जनता पार्टी के नेता का नाम भी लिया है जिससे सदन की अवमानना हुई है।

इस मामले में श्री के0 पी0 तिवारी से आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई तथा मामले का सूक्ष्म रूप से अध्ययन भी किया गया। इस मामले में निम्नांकित तथ्यों के बारे में कोई विवाद नहीं प्रतीत होता :–

(1) दिनांक 21 मार्च, 1986 को सदन में विद्युत परिषद् में करोड़ों रुपयों की कथित हेराफेरी के सम्बन्ध में चर्चा हुई।

(2) चर्चा के दौरान जनता पार्टी के नेता ने यह जानना चाहा कि कथित घोटाले के वक्त विद्युत मंत्री कौन थे? माननीय ऊर्जा मंत्री ने तत्कालीन मंत्री का नाम न लेते हुए कहा कि इसकी जानकारी माननीय सदस्य को है।

(3) तदुपरान्त नेता जनता पार्टी ने एक भूतपूर्व ऊर्जा मंत्री का नाम लिया और कहा कि उन्होंने इस काण्ड में बहुत बड़ा काम किया है।

(4) उपरोक्त नामकरण की पृष्ठभूमि में श्री के0 पी0 तिवारी ने स्पष्टीकरण देना उचित समझा और प्रेस कान्फरेन्स के जरिये उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जनवरी, 1985 से मार्च, 1985 तक ऊर्जा मंत्री थे जब कि बिजली के खम्भों की विवादित खरीद के टेंडर को सितम्बर तथा अक्टूबर, 1984 में ही फाइनल कर दिया गया। प्रेस कान्फरेन्स का पूरा ब्यौरा 4 अप्रैल, 1986 के दैनिक जागरण में प्रकाशित भी हुआ है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में यह निर्णय लिया जाना है कि क्या श्री के0 पी0 तिवारी द्वारा आयोजित प्रेस कान्फरेन्स सदन की अवमानना का आधार बनता है?

यह सत्य है कि विधान मण्डल के सदन एक पवित्र स्थल हैं और उसके अन्दर की कार्यवाहियों के बारे में गैर सदस्यों द्वारा टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं है । पर यह भी उतना ही सत्य है कि प्रत्येक अनुचित बात को विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा सदन की अवमानना का आधार नहीं बनाया जा सकता है। संसदीय परम्पराओं की यह मान्यता रही है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य न हो और जो अपने बचाव में कुछ कहने की स्थिति में न हो, उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए किन्तु यदि किसी कारण उसका नाम लिया जाता है अथवा उसके विरुद्ध कुछ आरोप लगाये जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को यह अवसर भी प्रदान न करना कि वह उन आरोपों की सत्यता से इन्कार कर सके, मेरी राय में मुनासिब नहीं होगा।

पूरे मामले पर गौर करने के उपरान्त मैं इस मत का हूं कि श्री पाण्डेय की सूचना में कोई बल नहीं है । विशेषाधिकार और अवमानना की प्रश्नगत सूचना को अस्वीकार करता हूं।

(7) श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने राज्य चीनी निगम की घुघुली (गोरखपुर) इकाई के सामान्य प्रबन्धक श्री सुदामा प्रसाद श्रीवास्तव के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी है। सूचना तार द्वारा 26 अप्रैल, 1986 को भेजी गई थी और उसका विस्तृत विवरण दिनांक 14 मई, 1986 को उपलब्ध कराया गया था। विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना में कहा गया है कि दिनांक 22 अप्रैल, 1986 को माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद से मिलने के लिए पूर्व निर्धारित समय पर मिलने हेतु गये थे किन्तु सामान्य प्रबन्धक ने मिलने से इन्कार कर दिया तथा माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया।

इस मामले में शासन से भी जानकारी प्राप्त की गई और समस्त उपलब्ध साक्ष्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया।

अध्यक्ष पीठ से कई बार निर्णय दिये जा चुके हैं कि माननीय सदस्यों को जो विशेषाधिकार उपलब्ध है वह सदन के कार्यों को सुचारु रूप से संचालन के लिए है। यदि कोई माननीय सदस्य किसी अधिकारी से मिलने के लिए स्वेच्छापूर्वक जाता है और उसका आगमन सदन तथा उसकी समिति के कार्यों से संबंधित नहीं है और ऐसी स्थिति में उक्त सदस्य के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो माननीय सदस्य को सामान्य कानून के अन्तर्गत उपचार प्राप्त करने का अधिकार है किन्तु इसके लिए विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

दिनांक 22 अप्रैल, 1986 को जब श्री ओझा मिल के सामान्य प्रबन्धक से मिलने के लिए गये थे तो वे सदन अथवा उसकी समिति के कार्यों से नहीं गये थे। अतः विशेषाधिकार हनन की सूचना अग्राह्य की जाती है।

(8) श्री रणजीत सिंह, सदस्य, विधान सभा ने नगर विकास मंत्री, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम तथा प्रबन्धक निदेशक, जल निगम के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन व सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है जो मुझे दिनांक 26 जुलाई, 1986 को प्राप्त हुई है। माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 13 अगस्त, 1985 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 75 के द्वारा नगर विकास विभाग में गृह जनपद में कार्यरत सहायक अभियन्ता या इनके ऊपर की श्रेणी के अभियन्ताओं की सूची मांगी गई थी। उक्त प्रश्न के सन्दर्भ में शासन द्वारा गृह जनपद में कार्यरत अभियन्ताओं की सूची दी गई थी जिसमें प्रत्यंक के स्थानान्तरण कर दिये जाने की सूचना थी। माननीय सदस्य का कथन है कि उनकी निश्चित जानकारी में आया है कि एक अधिशासी अभियन्ता उक्त प्रश्न किये जाने की तिथि के पूर्व से सूचना देने की तिथि अपने गृह जनपद में ही कार्यरत है, जबकि उनका नाम भी शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची में था। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार का हनन व सदन की अवमानना का प्रश्न है।

माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई जिस सूची का जिक्र किया है, उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न नहीं की गयी है। संदर्भित अतारांकित प्रश्न संख्या 75 का जो उत्तर तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया था उसमें भी किसी सूची का उल्लेख नहीं है, और न किसी अभियन्ता का नाम ही है। इसके अतिरिक्त दिनांक 13 अगस्त, 1985 को पूछे गये प्रश्न के प्रसंग में विशेषाधिकार हनन व सदन की अवमानना की सूचना लगभग ग्यारह माह बाद अर्थात दिनांक 26 जुलाई, 1986 को दी गयी है। अतः श्री रणजीत सिंह की इस सूचना के समर्थन में आवश्यक प्रमाण का अभाव होने और सूचना के विलम्बित होने के कारण मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

(9) श्री नेकचन्द्र पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 21 फरवरी, 1986 को नेता, विरोधी दल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी। माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 18 फरवरी, 1986 को नेता, विरोधी दल ने वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा प्रारम्भ करते हुए अपना भाषण दिया था और अपना भाषण प्रारम्भ करने से पूर्व उन्होंने अपना एक लिखित भाषण साइक्लोस्टाइल कराकर वितरित किया था। इस प्रकार नेता, विरोधी दल ने सदन की अवमानना की है तथा वे विशेषाधिकार भंग के दोषी हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय नेता, विरोधी दल का अभिकथन प्राप्त किया गया। अपने पत्र दिनांक 25 अगस्त, 1986 में उन्होंने सूचित किया है कि लिखित भाषण की प्रतियां भाषण प्रारम्भ करने से पूर्व किसी को भी वितरित नहीं की गई थी बल्कि जब भाषण का दो तिहाई भाग समाप्त हो गया था जब उसकी प्रतियां पत्रकारों में वितरित की गई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि सम्मानित सदन के विशेषाधिकार हनन अथवा अवमानना का उनका कोई मंतव्य नहीं था।

ऐसा ही एक मामला व्यवस्था के प्रश्न के रूप में दिनांक 18-3-86 को मा0 संसदीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा उठाया गया था। उस पर माननीय उपाध्यक्ष द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि मा0 नेता, विरोधी दल का भाषण आरम्भ होने के उपरान्त उसकी प्रतियां वितरित की गयीं और इस प्रकार प्रतियां वितरित करने का अधिकार प्रत्येक मा0 सदस्य को है, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। मा0 वित्त मंत्री के भाषण की प्रतियां भी भाषण प्रारम्भ होने के उपरान्त वितरित की जाती हैं।

अत: वर्णित परिस्थितियों में प्रश्नगत मामले को सदन में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं।

उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0—एल0 207 विधान सभा (386)—1987—813 ।